Registration-No. 6( )RS/U.O.K./3488 **Date**-15-09-2011

Study of Population Geography in Sawai Madhopur District

(A Geographical Analysis)

A

THESIS

Submitted for the Award of Degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

(Geography-Faculty of Social Science)

Research Supervisor
Dr. Sandeep Yadav
Associate Professor

Research Scholar
Manoj Kumar Soyal
M.Sc. (Geography)
M. Phil, NET, SET

Department of Geography

Govt. College Bundi, (Raj.)

UNIVERSITY OF KOTA, KOTA

September-2015

CANDIDATE'S DECLARATION

I hereby declare that the work, which is being presented in the thesis entitled **" STUDY OF POPULATION GEOGRAPHY IN SAWAI MADHOPUR DISTRICT (A Geographical Analysis) "** *is my own work and that is to the best of my knowledge and belief, it contains no material previously published or written by another person nor material which has been accepted for the award of any other degree or diploma of the university or other institute of higher learning except where due acknowledgement has been made in the text.*

Place- Sawai Madhopur

Date-

Manoj Kumar Soyal

(Research Scholar)

CERTIFICATE BY THE RESEARCH SUPERVISOR

It is certified that the –

(1) *Thesis entitled* "**Study of Population Geography in Sawai Madhopur District (A Geographical Analysis)**" *submitted by* **Manoj Kumar Soyal** *is an original piece of research work carried out by the candidate under my supervision.*

(2) *Literary presentation is satisfactory and the thesis is in a form suitable for publication.*

(3) *Work enhances the capacity of the candidate for critical examination and independent judgment.*

(4) *Candidate has put in at least 200 days of attendance every year.*

Signature of Supervisor with date

आभार

सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या अध्ययन पर आधारित प्रस्तुत शोध में कई व्यक्तियों का योगदान है। जिनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं मेरे शोध निर्देशक डॉ संदीप यादव जी, ऐसोसिएट प्रोफेसर, राज. महाविद्यालय, बून्दी का हृदय से आभारी हूँ, जिनके निर्देशन, मार्गदर्शन, सकारात्मक व्यवहार तथा समय–समय पर आवश्यक सहयोग एवं आर्शीवाद से ही मैं यह शोध कार्य पूर्ण कर पाया हूँ।

मैं विभागाध्यक्ष डॉ एन.के. जैतवाल जी एवं समस्त भूगोल विभाग, राज. महाविद्यालय, बून्दी का भी तहेदिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होने मुझे समय–समय पर सहायता उपलब्ध करवायी तथा शोध से समबन्धित औपचारिकताऐं पूर्ण करवाने में मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया।

मैं अपने पिताजी स्व. श्री आर.एस. सोयल, माता जी श्रीमती मूली देवी, ताऊजी श्री एस.एल. सोयल, ताईजी स्व. श्रीमती कल्याणी देवी, चाचाजी श्री जी. एस. सोयल एवं मौसी जी श्रीमती रेशम सोयल को यह शोध ग्रन्थ समर्पित करता हूँ जिनका आशीष हमेशा मेरे साथ रहा है तथा जो सदैव मुझे प्रगति–पथ की ओर प्रेरित करता रहा है। मैं अपने छोटे भाई संदीप सोयल एवं श्रीमती रश्मि सोयल के साथ समस्त परिवारजन का धन्यवाद करता हूँ।

मैं मेरे मामा–मामीजी श्री उत्तम कुमार राजौरा–श्रीमती नीरू देवी एवं श्री दामोदर राजौरा–श्रीमती सरिता देवी का भी हृदय से आभारी हूँ, जिनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है।

मैं अपने सास–ससुर श्रीमती माया शर्मा–श्री कैलाश चन्द शर्मा, जीजाजी –दीदी श्री राजूलाल जी–श्रीमती सुनीता शर्मा एवं श्री अजय शर्मा–श्रीमती आरती शर्मा के आशीर्वाद के साथ भाई–भाभी श्री पवन कुमार शर्मा–श्रीमती पूजा शर्मा, जितेन्द्र शर्मा व नितिन शर्मा के सहयोग का भी ऋणी हूँ।

मैं अपने पी.डी.डी.सी. परिवार के समस्त विद्वान साथियों के स्नेहिल व मूल्यवान सुझावों, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए आभारी हूँ, साथ ही यहाँ की कम्प्यूटर प्रयोगशाला का भी आभारी हूँ, जहाँ से मुझे इन्टरनेट एवं कम्प्युटर सम्बन्धी सहायता प्राप्त हुई।

मैं प्रो. श्री एच.एल. शर्मा जी एवं रामजीलाल मीणा जी का भी विशेष आभारी हूँ, जिन्होने मुझे अतुल्य स्नेह व आशीष के साथ मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया। मैं अपने मित्रों जितेन्द्र शर्मा, प्रवीण शर्मा, चन्द्रमोहन, मुकेश वर्मा, रमाकान्त जौनवाल,

विमल नागर, सुरेश मेरोठा, विनोद चौहल्ला, सुरेन्द्र महावर, अन्तर लाल, नियाज मोहम्मद, लक्ष्मीनारायण महावर के असीम स्नेह एवं सहयोग का भी हृदय से आभारी हूँ, जो हमेशा मेरी सहायता हेतु तत्पर रहे है।

इस शोध कार्य में विभिन्न आँकडों एवं आवश्यक अध्ययन सामग्री हेतु में सवाई माधोपुर जिले के सांख्यिकी विभाग, सूचना केन्द्र, पंचायत समिति कार्यालय, तहसील कार्यालयों, जिला उद्योग केन्द्र सहित जिले के भूमि, कृषि, वन, जल, मौसम, सिंचाई आदि विभागों के कार्यालयों का तथा जयपुर के आर्थिक व सांख्यिकी विभाग का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ से मुझे आधारभूत एवं तथ्यपूर्ण सामग्री प्राप्त हुई।

इसी क्रम में मैं उस शख्सियत का हृदय से आभारी हूँ और कोटि–कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिसके बिना ना तो यह आभारोक्ति पूर्ण होगी ना ही यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हो पाता। इस शख्सियत ने कठिन परिस्थितियों में भी मुझे सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास और पूर्ण सहयोग दिया तथा जो गुमनाम अंधेरे में भी रोशनी की मशाल थामें मुझे रास्ता दिखाती रही। जिसने निकटवर्ती क्षेत्र में टाइपिंग की सुविधा नही होने के कारण स्वयं हिन्दी टाईपिंग सीखकर यह पूर्ण शोध ग्रन्थ टाईप किया और जिसका धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नही है। वह शख्सियत है, मेरी अर्धांगिनी श्रीमती भारती शर्मा, जो हर पल हर कदम पर मेरी प्रेरणा स्रोत रही है।

अन्त में मैं ईश्वर को धन्यवाद देते हुए इन सभी सहयोगकर्ताओं को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, जिन्होने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया एवं आशीर्वाद प्रदान किया।

–मनोज कुमार सोयल

अनुक्रमणिका

अध्याय पृष्ठ क्रमांक

1–प्रस्तावना 1–15

1.1 सामान्य परिचय–

1.2 अध्ययन विषय का महत्व–

1.3 अध्ययन विषय पर पूर्व में किया गया कार्य–

1.4 अध्ययन विषय चुनने के उद्देश्य–

1.5 अध्ययन का विधि तंत्र–

1.6 आँकड़ों के स्रोत–

1.7 मानचित्रण की विधियाँ–

2–सवाई माधोपुर–सामान्य परिचय एवं भौगोलिक परिदृश्य

2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– 16–34

2.2 भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार–

2.3 उच्चावच–

2.4 अपवाह तंत्र–

2.5 जलवायु–

2.6 मृदा संसाधन–

2.7 जैविक संसाधन–वनस्पति, वन एवं वन्यजीव–

2.8 परिवहन, बाजार ,व्यापार व उद्योग–धन्धे–

2.9 भूमि उपयोग –

2.10 फसलों का स्थानीय प्रारूप–

3–सवाई माधोपुर–जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि

3.1 जनसंख्या एवं विकास 35–90

3.2 जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक–

3.3 सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या–एक दृष्टि

3.4 जिले की जनसंख्या की वितरण प्रवृत्ति–

3.5 जनसंख्या वितरण का विश्लेषण–

3.6 जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों, कस्बों और गाँवों का वर्गीकरण–

3.7 सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण–

3.8 सवाई माधोपुर जिलें में जनसंख्या घनत्व–

3.9 विभिन्न वर्षों में जनसंख्या वृद्धि एवं दर–

3.10 जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक–

3.11 वृद्धि दर के अनुसार जनसंख्या का विश्लेषण–

4–सवाई माधोपुर–जनसंख्या में बदलाव एवं प्रवास

4.1 जनसंख्या परिवर्तन– 91–123

4.2 ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन–

4.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में परिवर्तन–

4.4 शिशु संख्या में परिवर्तन–

4.5 प्रवसन–

4.6 जिले की जनसंख्या का प्रवास के अनुसार वर्गीकरण–

4.7 जिले में प्रवसन के लिए उतरदायी कारक–

5–सवाई माधोपुर–ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

5.1 जनसंख्या वितरण– 124–140

5.2 सवाई माधोपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या–

5.3 सवाई माधोपुर जिले की नगरीय जनसंख्या–

5.4 नगरीय जनसंख्या वृद्धि–

5.5 जिले में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक–

6–सवाई माधोपुर–लिंगानुपात **141–165**

6.1 जनसंख्या एवं लिंगानुपात–

6.2 सवाई माधोपुर जिले में लिंगानुपात (1901–2011)–

6.3 तहसील अनुसार जिले का तुलनात्मक लिंगानुपात (2001–2011)–

6.4 स.मा. जिले का नगरीय–ग्रामीण लिंगानुपात (1901–2011)–

6.5 स.मा. जिले की तहसीलों का नगरीय–ग्रामीण लिंगानुपात (2001–2011)–

6.6 जिले में कुल एवं ग्रामीण–नगरीय शिशु लिंगानुपात–

6.7 जिले में तहसील अनुसार शिशु लिंगानुपात–

6.8 लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक–

7–सवाई माधोपुर–अर्थव्यवस्था एवं व्यवसायिक संरचना

7.1 अर्थ व्यवस्था– **166–192**

7.2 सवाई माधोपुर जिले की अर्थव्यवस्था–

7.3 व्यावसायिक संरचना–

7.4 जिले का औद्योगिक व कृषिगत ढाँचा–

7.5 तहसील अनुसार जिले में औद्योगिक स्थिति–

7.6 जिले का कृषिगत ढाँचा–

7.7 जिले की अर्थव्यवस्था व औद्योगिक विकास में कृषि की भूमिका–

7.8 कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ–

7.9 जिले की कार्यशील, सीमान्तक व अकार्यशील जनसख्या का वितरण–

7.10 जिले की जनसंख्या का व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण–

8–सवाई माधोपुर–साक्षरता एवं जनसंख्या सम्बन्धी सुविधाऐं

8.1 साक्षरता का तात्पर्य एवं वितरण– **193–215**

8.2 स.मा. जिले में साक्षरता–

8.3 जिले की साक्षरता दर में वृद्धि (2001–2011)–

8.4 जिले में शैक्षणिक संस्थान–

8.5 बालिका साक्षरता–

8.6 साक्षरता निर्धारक घटक–

8.7 जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ–

8.8 जिले में विद्युत सुविधा–

8.9 विभिन्न जनकल्याणकारी विकास की योजनाऐं–

9–सवाई माधोपुर–प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन

9.1 तहसील–चौथ का बरवाड़ा **216–251**

9.2 तहसील–बामनवास

9.3 तहसील–सवाई माधोपुर

9.4 तहसील–गंगापुर सिटी

9.5 तहसील–बौंली

9.6 तहसील–मलारना डूँगर

9.7 तहसील–खण्डार

10–मूल्यांकन **252–272**

10.1 सारांश–

10.2 जिले में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ–

10.3 जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण के उपाय–

10.4 जिले की जनसंख्या सम्बन्धी अन्य समस्याऐं एवं समाधान–

10.5 निष्कर्ष–

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 सामान्य परिचय–

जनसंख्या से तात्पर्य मानव की संख्या से है। वह क्षेत्र जहाँ मानव निवास करता है उस क्षेत्र की मानव संख्या को ही जनसंख्या कहते है अर्थात् मानव का समूह ही जनसंख्या कहलाता है। जनसंख्या एक संसाधन भी है। विश्व के सभी संसाधनों में मानवीय संसाधन अथवा जनसंख्या संसाधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी देश या क्षेत्र की प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग करने वाली उस देश की जनता होती है। मानव के प्रयास बुद्धि, विवेक, क्षमता आदि प्रयत्नों से प्राकृतिक सम्पदा का सदुपयोग सम्भव है, इसलिए किसी भी देश की मानव शक्ति को मूल्यवान साधन माना जाता है। इस प्रकार देश की जनसंख्या भी देश में महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जिसे देश के मानव संसाधन का नाम दिया गया है। किसी भी देश की उन्नति एवं अवनति में जनसंख्या का हाथ होता है अतः देश के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों के बीच सन्तुलन बनाए रखना आवश्यक है, तभी पोषणीय विकास संभव है।

मनुष्य को पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगो के संबंध में जानने की जिज्ञासा प्राचीन काल से रही है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक प्रशासनिक, वर्तमान तक सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक आदि उद्देश्यों हेतु जनसंख्या सम्बंधी आवश्यक होती है। जनसंख्या भूगोलवेत्ताओं सहित सभी सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का मुख्य विषय रहा है। यद्यपि विभिन्न विषयों की अध्ययन विधा और विषय भिन्न–भिन्न है फिर भी प्रत्येक विषय का जनसंख्या के ऐतिहासिक और क्षेत्रीय प्रतिरूप विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले कुछ दशकों से भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान का स्थान दिया जाने लगा फलतः भौगोलिक अध्ययन में जनसंख्या और उससे सम्बंधित समस्याओ के अध्ययन में वृद्धि हुई। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययन में धीरे–धीरे भू–क्षेत्र के स्थान पर मानव को प्रमुखता दी जाने लगी है। यह परिवर्तन

पश्चिमी देशों में इस शताब्दी के प्रारम्भ से ही शुरू हो गया था। फ्रांस में वाइडल–डी–ला–ब्लाश, जीन्स ब्रूने मैक्सी मीलियन सौर ने ऐसे परिवर्तन को मुख्य दिशा दी इन प्रयासों ने मनुष्य को भौगोलिक अध्ययन का केन्द्र बनाया। इसी प्रकार ब्रिटेन में आर्थर गैडिस (1941) ने भूगोलवेत्ताओं को जनसंख्या अध्ययन के प्रति जागरूक किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में बेकर (1928), मेकार्टी (1942), अरूसों (1923) तथा जैफरसन (1909) आदि ने जनसंख्या के अध्ययन को महत्व प्रदान किया। जनसंख्या भूगोल को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने परिभाषाएँ दी है। जिसमें ट्रिवार्था, क्लार्क, जैलिंस्की, गार्नियर, डैक्को, ए.मेलेजिन आदि प्रमुख है।

जनसंख्या भूगोल विषय के संदर्भ में पाश्चात्य भूगोलवेत्ताओं तथा मार्क्सवादी रूसी भूगोलवेत्ताओं के विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। जहाँ पाश्चात्य भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल को मानव भूगोल की उपशाखा के रूप में मानते है वहीं रूसी भूगोलवेत्ता इसे आर्थिक भूगोल की उपशाखा तथा इसका प्रमुख घटक मानते है। प्रमुख रूप से अमेरिकी, ब्रिटिश व पश्चिमी भूगोलवेत्ताओं को ही भूगोल को एक पृथक शाखा के रूप में स्थापित करने तथा वर्तमान स्वरूप प्रदान करने का श्रेय दिया जाता है।

वर्तमान रूपरेखा के आधार पर जनसंख्या भूगोल की सामान्य परिभाषा निम्न प्रकार है–

''जनसंख्या भूगोल, भूगोल की वह शाखा है जिसमे जनसंख्या के वितरण, संघटन, स्थानान्तरण तथा परिवर्तन में पायी जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं और किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या तथा पर्यावरण के मध्य पाये जाने वाले अन्तरसंबन्धों से उत्पन्न सामाजिक–आर्थिक प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है।''

1.2 अध्ययन विषय का महत्व–

राष्ट्र के सभी प्राकृतिक संसाधनों में जनसंख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। मानव राष्ट्र के सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करता है परन्तु जनसंख्या संसाधन का सही ढंग से प्रयोग किया जाये,

इस पक्ष के अध्ययन पर अधिक ध्यान नही दिया गया जिसके कारण जनसंख्या संसाधन दिनो दिन एक विकट समस्या के रूप में उभर रहा है। इसने न केवल विकास की गति को कम कर दिया है बल्कि अनेक समस्याओं को भी जन्म दिया है जैसे–बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, विकास के कार्यो का रूकना आदि। इस प्रकार वर्तमान में जनसंख्या से उत्पन्न संकट ने जनसंख्या अध्ययन के प्रति सजगता उत्पन्न की है। क्षेत्रानुसार जनसंख्या कहीं अधिक, कहीं मध्यम तो कहीं शून्य पायी जाती है। जहाँ क्षेत्रफल व प्राकृतिक सम्पदा की अपेक्षा जनसंख्या विस्तार अधिक पाया जाता है वहाँ वह जनसंख्या न होकर भार बन जाती है। इसी कारण हमारे देश का विकास धीमी गति से हो रहा है तथा अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो गई है। जनसंख्या असंतुलन से जनसंख्या सम्बंधी समस्याओं को रोकने के लिए किए गए प्रयासों से भी समुचित रोक नही लग पायी है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की वृद्धि से मृत्युदर में कमी हुई है परन्तु जन्म दर पर अकुंश नही लग पाया है। अशिक्षा, गरीबी, आवासीय, समस्याएँ, धार्मिक व आर्थिक पक्ष, विवाह, परिवार नियोजन कार्यक्रमों व संसाधनों की कमी आदि कारणों से जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि व असन्तुलन हो रहा है। अतः जनसंख्या सम्बंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जनसंख्या अध्ययन की गहरी आवश्यकता है। ज्ञातव्य है कि विश्व कि जनसख्या में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और यह जनसंख्या विस्फोट का रूप धारण करती जा रही है जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में मानव को उसकी मूलभूत आवश्यकताऐं जैसे भोजन, आवास, वस्त्र, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि भी उपलब्ध नही हो पा रही है तथा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार नही हो पा रहा है। जो कि एक चिन्ताजनक व ज्वलन्त विषय है तथा इस समस्या ने विश्व के वैज्ञानिको, चिन्तकों, बुद्धिजीवियों और साधारण मनुष्यों का भी ध्यान आकृष्ट किया है।

विश्व की जनसंख्या आज 724 करोड को पार चुकी है। संसार के चार देशों चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही संसार की 41 प्रतिशत से अधिक

जनसंख्या निवास करती है तथा यह देश ही जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं से सबसे अधिक संघर्ष कर रहे है। वर्तमान में भारत विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश हैं जहाँ वर्तमान में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 125 करोड़ को पार कर चुकी है।

भारत की जनसंख्या 1901 में लगभग 15 करोड थी जो आजादी के समय लगभग 30 करोड तथा वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार बढ़कर 1210193422 हो चुकी है। राजस्थान में वर्तमान जनसंख्या 68548437 है। राज्य में उद्योग, जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, परिवहन, आदि की उपलब्धता अपेक्षाकृत सीमित है जबकि जनसंख्या वृद्धि अनवरत हो रही है, जिससे राज्य में जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न समस्याएँ अधिक प्रभावी है। राज्य के विकास में बढ़ती जनसंख्या अवरोधक है। इसी कारण राजस्थान एक बीमारू राज्य की श्रेणी में खड़ा है। अतः भारत जैसे विकासशील देश एवं राजस्थान जैसे मरूप्रदेश के लिए जनसंख्या को जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक विकट समस्या है, क्योंकि सुविधाओं के विस्तार और विकास की तुलना में जनसंख्या वृद्धि तीव्र हो रही है, जिससे सरकारी योजनाएँ व प्रयास भी बौने साबित हो रहे है।

सवाई माधोपुर जिला मानव संसाधन की दृष्टि से एक सम्पन्न जिला है तथा जनसंख्या हेतु विभिन्न संसाधन एवं सुविधाएँ उपलब्ध है, परन्तु राज्य के अन्य साधन सम्पन्न जिलों की तुलना में यहाँ उतना विकास नही हो पाया है। इस कारण यहाँ के लोगो का सामान्य जीवन स्तर काफी निम्न है। मानव विकास की दृष्टि से जिले का राजस्थान में 26 वाँ स्थान है जो कि जिले के सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों से जिले की आवश्यकता के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, परिवहन, संचार, निर्माण कार्य, सेवाएँ, सिंचाई, पर्यटन आदि में वृद्धि हुई है साथ ही सामाजिक व आर्थिक कार्यो जैसे– आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं रोजगार आदि भी काफी विकसित हुए है परन्तु बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में बहुत कम वृद्धि हुई है, फलस्वरूप जनमानस में निराशा तथा असंतोष बढ़ रहा है। दिनो दिन

बढ़ती हुई महँगाई तथा बेरोजगारी का भी प्रभाव बढ़ रहा है साथ ही बेरोजगारी के कारण आपराधिक प्रवृतियां भी बढ़ रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए एक ओर आर्थिक व सामाजिक विकास आवश्यक है तो दूसरी और बढ़ती हुई जनसंख्या पर अकुंश लगाया जाना भी उतना ही आवश्यक है। अतः जिले में अन्य समस्याओं की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है।

जनगणना 2011 के अनुसार सवाई माधोपुर में कुल जनसंख्या 1335551 है। जिले में उपजाऊ भूमि, रोजगार, उद्योग–धन्धे, खनिज–सम्पदा, जल, विद्युत, शक्ति के संसाधन आदि की सीमित उपलब्धता होने से बढ़ती जनसंख्या ने समस्याओ को और अधिक बढ़ा दिया है। जनसंख्या वृद्धि ने जिले में पहले से ही धीमी गति से हो रहे विकास को स्थिर सा कर दिया है, जिससे पहले से ही पिछड़ेपन की श्रेणी में खड़ा सवाईमाधोपुर जिला ओर अधिक पिछड़ता जा रहा है। यदि लगातार बढ़ती हुई जिले की इस जनसंख्या पर अंकुश नही लगाया गया तो भविष्य में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ अधिक विकराल रूप धारण कर लेंगी। अनियन्त्रित जनसंख्या से भविष्य में प्राथमिक आवश्यकताओं जैसे बिजली, पानी, सड़क, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्याएँ बढ़ जायेगी अतः जिले की जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण आवश्यक है।

वर्तमान में यह विषय एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आया है अतः इस विषय पर शोध किया जाना आवश्यक है। इसी की महत्ता के संदर्भ में सवाईमाधोपुर जिले में जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन हेतु शोध कार्य के लिए इस विषय का चयन किया गया है।

भूगोल में जनसंख्या भूगोल के प्रति एक पृथक विशिष्ट शाखा के रूप में अभिरूचि का जागरण हाल ही में हुआ है। विश्व में इस विषय का इतिहास 1953 में प्रारम्भ हुआ। विस्कासिन विश्वविद्यालय के प्रो. जी.टी. ट्रिवार्था ने *एसोसियेशन ऑफ अमेरिकन जियोग्राफर्स* के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में जनसंख्या भूगोल को भूगोल की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित करने की पहल की। उन्होने स्नातक स्तर पर जनसंख्या भूगोल का एक कोर्स प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों ने

उसका अनुगमन किया। निश्चय ही एक पृथक शाखा के रूप में जनसंख्या भूगोल के विकास की अवहेलना से सम्पूर्ण भूगोल के विकास में अवरोध आया, लेकिन तेज गति से जनसंख्या भूगोल के महत्व को अंगीकार करने से इसमें शिक्षण एंव शोध की प्रगति में तेजी आयी। इस कारण जनसंख्या भूगोल, भूगोल की विशिष्ट शाखाओं में एक अत्यंत लोकप्रिय शाखा है।

भारत में जनसंख्या भूगोल के अध्ययन हेतु प्रथम श्रेय पंजाब विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग को है जिसने 1960 वे दशक के प्रारम्भिक वर्षो में स्नातकोत्तर स्तर पर जनसंख्या भूगोल शिक्षण और उसमें शोध प्रारम्भ किया। वर्तमान में यह विभाग आज जनसंख्या शोध हेतु देश का एक मुख्य केन्द्र है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस केन्द्र को जनसंख्या भूगोल में शोध हेतु एक प्रमुख सहायता केन्द्र के रूप में चयनित किया है।

1.3 अध्ययन विषय पर पूर्व में किया गया कार्य–

जनसंख्या का अध्ययन भौगोलिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण बिन्दू है। जनसंख्या सम्बन्धित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भूगोलवेत्ताओ व विद्वानों में प्राचीनकाल से ही रही है तथा इस विषय पर विभिन्न भूगोलवेत्ताओं एवं विद्वानों द्वारा विभिन्न अध्ययन एवं शोध किए जाते रहे है। जनसंख्या अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने जनसंख्या के वितरण एवं वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या प्रवास, ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं आदि का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है एवं जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर उनकी अन्य क्षेत्रो से तुलनात्मक विवेचन किया है। वर्तमान मान्यता के अनुसार प्लेटो एंव अरस्तु को ही विश्व मे जनसंख्या अध्ययन विषय पर सर्वप्रथम कार्य करने हेतु जाना जाता है, जिनका इस विषय के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है, परन्तु जनसंख्या विषय पर वैज्ञानिक अध्ययन का सूत्रपात 18 वीं शताब्दी के अन्त में टी.आर.माल्थस (1798) द्वारा किया गया, जिनका नाम इस क्षेत्र में किये गये कार्यो के लिये प्रमुख रूप से जाना जाता है। जनसंख्या सम्बन्धी उनकी विचारधारा में जनसंख्या के अध्ययन का सूत्रपात होता है।

भूगोल की विभिन्न शाखाओं में जनसंख्या को जानने व पहचानने की प्रवृत्ति के प्रारम्भिक सूत्र भारतीय संस्कृति में इससे कहीं पुरातन–सनातन ज्ञात होता है। सन् 1953 में ट्रिवार्था ने जनसंख्या संबन्धित विषय पर शोध–पत्र प्रस्तुत किया जिसने जनसंख्या भूगोल को एक क्रमबद्ध शाखा के रूप में स्थापित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन का श्रेय हॉल्पटन 1954 को जाता है जिन्होने संयुक्त राज्य अमेरिका के मानव पारिस्थितिकी के सन्दर्भ में जनसंख्या सम्बन्धी समस्या का अध्ययन किया।

इसी प्रकार जनसंख्या भूगोल के अध्ययन में विभिन्न वैज्ञानिको ने अपने शोध–पत्र व लेख प्रस्तुत किए जिनमे प्रेसट 1961 तथा होवे 1963 का नाम भी अपना महत्व रखता है। जनसंख्या सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित, सही व विस्तृत रूप से समझाने हेतु क्लार्क ने *''पॉपूलेशन ज्योग्रॉफी 1965''* नामक पुस्तक प्रस्तुत की जो सराहनीय रही। इसी क्रम में गार्नियर 1966 ने *''ज्योग्रॉफी ऑफ पॉपूलेशन''* नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या विकास, परिवर्तन तथा विभिन्न जनांककीय आँकड़ो का अध्ययन किया। इसी क्रम में 1968 में ट्रिवार्था की दूसरी पुस्तक *''ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपूलेशन''* का प्रकाशन हुआ जिसका जनसंख्या के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान है। जनसंख्या अध्ययन के क्षेत्र में जेलिंस्की का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा है। जेलिंस्की ने ट्रिवार्था के साथ ही बेल्ज्यिम एवं अफ्रीका की जनसंख्या से सम्बन्धित अध्ययन किया। इसी प्रकार जेलिंस्की ने अपनी पुस्तक *''प्रोलोग टू पॉपूलेशन ज्योग्रॉफी''* में जनसंख्या स्थानान्तरण, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के जन्म एवं मृत्यु आदि जनसंख्या सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन किया सम्बन्धित अध्ययन किया। वर्तमान समय में जनसंख्या जैसे विषय पर स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत अध्ययनों के साथ ही विभिन्न सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी संस्थानों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनो द्वारा इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण अध्ययन–अध्यापन, विश्लेषण एवं अनुसंधान किये जा रहे है। साथ ही विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संगठनो व बुद्धिजीवियों द्वारा शोध–पत्र एवं लेख प्रस्तुत किए गए है।

वर्तमान में यह एक ऐसा ज्वलंत विषय है, जिसने समाज के सभी वर्गो का ध्यान आकृष्ट किया हुआ है तथा विश्व भर में इसके प्रति गहन अध्ययन–अध्यापन किया जा रहा है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि व गत्यात्मकता ने संसार के सभी देशों को झकझोर दिया है। इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से विकसित, विकासशील, अर्द्धविकासशील, अविकसित सभी देश प्रभावित हो रहे है। आज सभी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी, निर्धनता, सामाजिक समस्याएँ, अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी, विकास का अवरूद्ध होना, मूल्यवृद्धि आदि समस्याएँ निरन्तर बढ़ती जा रही है अतः इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए सभी देशों में विस्तृत रूप से प्रयास किये जा रहे है । भूगोलवेत्ताओं एवं विद्वानों आदि के द्वारा भी इस क्षेत्र में गहन व विस्तृत अध्ययन करके इनके समाधान के प्रयास किये जा रहे है ताकि इस ज्वलंत समस्या से छुटकारा प्राप्त किया जा सके व देश एवं क्षेत्र को उन्नतिशील बनाया जा सके।

स्पष्ट है कि जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन एवं शोध वर्तमान की महत्ती आवश्यकता एवं एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर अनेक विद्वानो द्वारा कार्य किया गया है जिनमे एडवर्ड अकरमान (1958), अर्कमान ई.ए. (1959), मेलेजिन (1963), जॉन.आई क्लार्क (1965), गार्नियर (1966),हॉसेन तथा फोसिस्की (1973),विलवर जेलिंस्की, सांजेस्की, क्रिस्टालर, हैल्पटन, थाम्पसन, पर्ल व रीड, कास्ट्रों, राबर्ट, माल्थस, एफ.डब्ल्यु, नोटेस्टिन, स्टोलनिट्ज, मूरलैण्ड, प्लेफेयर, किंगसले डेविड, बेरी, ब्रुश, राष्ट्रीय स्तर पर डेविस, कुरियन, गोसल, जेलिंस्की, ई. एस. सी., बांग, जुलियन उल्बर्ट, मेबोगुंजे, कैण्टीलोन आदि के नाम महत्वपूर्ण है। भारत में जनसंख्या सम्बन्धित विषय पर अधिक अध्ययन नही हो सका है परन्तु भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने देश के अलग–अलग क्षेत्रों के जनसंख्या सम्बन्धित भिन्न–भिन्न पहलुओ व तथ्यों पर अपने अध्ययन प्रस्तुत किए है। जिनमे ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या प्रवास, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या घनत्व, जन्म व मृत्यु, लिंगानुपात, साक्षरता आदि बिन्दुओं पर अध्ययन एवं शोध प्रस्तुत किए है। इनमे एस.एल. कायस्थ 1956,

सत्यदेव वर्मा 1956, जी.एस. घोषाल 1958, यू.सिंह 1958, वी.एन. सिन्हा 1958, पी.दयाल 1958, इनायत अहमद 1961, आर.एल. सिंह 1965, एस.एन. अग्रवाल 1967, भट्टाचार्य, चटर्जी, अग्रवाल (1967), मिश्रा पी.सी.(1967), एन.पी.अरूयर 1968, पी.सेन गुप्ता 1971, टी.सी.मेहता 1972, ए.के. चक्रवर्ती 1976, लाल (1981), सिंह आर. एन.व चतुर्वेदी आर. पी.(1984), मिश्रा जी.पी. (1985), के.सी. सुन्दरन 1985, पंडा वी. पी .(1988), मौर्य एस. डी. (1989), हीरा लाल (1989),चान्दना आर. सी.(1994), कमलकान्त दुबे व महेन्द्र बहादुर सिंह 1994 आदि विद्वानो के नाम अग्रणी है। इसी प्रकार राजस्थान के सन्दर्भ में वी.सी.मिश्रा 1962 द्वारा *''राजस्थान की जनसंख्या''* नामक पुस्तक के माध्यम से राज्य की जनसंख्या के अनेक पहलुओं का अध्ययन किया गया है। सन् 2002 में रजनी सक्सैना ने *''द चैंजिंग पैटर्न ऑफ पॉपूलेशन इन अजमेर सिटी'* में अजमेर शहर के 1981 से 1991 के मध्य जनसंख्या के परिवर्तनशील प्रतिरूपों का विश्लेषण किया। 2003 में सूरो एवं पैसल ने *''चैंजिंग पैटर्न ऑफ हिस्पेनिक पॉपूलेशन ग्रोथ'* में वाशिंगटन डी.सी. में अश्वेतों की जनसख्या वृद्धि के बदलते प्रतिरूपों का विश्लेषण किया।

उपर्युक्त सभी भूगोलवेत्ताओ अपने अध्ययन व शोध कार्य के माध्यम से जनसंख्या सम्बन्धी तथ्यों, विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओ आदि का विस्तृत, व्यवस्थित एवं तथ्यात्मक वर्णन किया है। इन्होने जनसंख्या सम्बन्धी विभिन्न बिन्दुओं जैसे जनसंख्या वितरण व वृद्धि, घनत्व, जनसंख्या संरचना, लिंगानुपात, साक्षरता, धार्मिक स्थिति, आयु वर्ग, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, जनजातिय स्वरूप, सामाजिक व आर्थिक स्वरूप ,व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन एवं जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न विभिन्न समस्याओ की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। साथ ही इन समस्याओ के निराकरण हेतू सुझाव प्रस्तुत किए है।

विभिन्न भूगोलवेत्ता, विद्वान, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएँ, उच्च शिक्षण संस्थाएँ आदि संगोष्ठीयाँ, सेमिनार, कॉन्फ्रेन्स आयोजित करउनके माध्यम से लेख, शोध–पत्र, वक्तव्य द्वारा जन–मानस को जनसंख्या सम्बन्धित विभिन्न तथ्यों एवं समस्याओं से अवगत कराने का प्रयास करती है।

इस शोध में भी सवाईमाधोपुर जिले की जनसंख्या एवं जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओ का गहन अध्ययन प्रस्तुत किया गया है तथा भविष्य में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु उपाय सुझाए गए है।

जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निराकरण में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण उपाय हैं, बढ़ती जनसंख्या को नियन्त्रित करना ताकि जनसंख्या स्थिर होने पर विकास को गति मिल सके। अतः जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण के उपाय एवं वर्तमान जनसंख्या हेतु जीविकोपार्जन के संसाधन उपलब्ध कराने के उपाय भी इस शोध में प्रस्तुत किए गए है।

1.4 अध्ययन विषय चुनने के उद्देश्य–

विश्व में अनियन्त्रित रूप से लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चिन्ताजनक विषय है तथा इस बढ़ती हुई जनसंख्या ने एक विकट समस्या का रूप ले लिया है। वर्तमान में विश्व की आबादी सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 724 करोड़ से अधिक हो गई है। जिससे इस बढ़ी हुई आबादी के लिए भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, व अन्य मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा पाना एक चुनौती बन गया है। जनसंख्या वृद्धि के कारण वैश्विक संसाधनो जैसे खनिज, कृषि, उर्जा, वन आदि पर अधिक भार पड़ गया है। बढ़ी हुई आबादी की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संसाधनो के दोहन से पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। विकास के लिए किए जा रहे सभी प्रयास अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि के कारण अपर्याप्त रहते है जिससे विकास को गति नही मिल पाती। भारत जैसे विकासशील देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या ओर अधिक गम्भीर है। अतः वर्तमान समय के संदर्भ में इस विषय के अध्ययन की महत्ता को ओर अधिक बल मिलता है।

इसी समस्या को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत शोध में सवाईमाधोपुर जिले की सन् 1961 से सन् 2011 तक की जनसंख्या एवं उसकी गत्यात्यमकता एवं गत्यात्मकता को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारको का विश्लेषण किया गया है। जनसंख्या में होने वाले गत्यात्मक परिवर्तनो का अध्ययन भी इस शोध में किया गया है।

जनसंख्या से सबंधित विविध विशिष्टताओं तथा जिले में जनसंख्या वितरण का अध्ययन विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। जिले में जनसंख्या वृद्वि के कारण, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से होने वाले प्रभाव तथा जनसंख्या वृद्धि के स्तर का विश्लेषण किया गया है। इस शोध के अन्तर्गत जिले की जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों जनसंख्या घनत्व का वितरण तथा जनसंख्या में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया गया है। साथ ही जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का अध्ययन एंव विश्लेषण व विकास की उन्नति में जनसंख्या का प्रभाव भी इस शोध के उद्देश्यों में सम्मिलित है इसके साथ ही शिशु लिंगानुपात सहित जनसंख्या लिंगानुपात तथा विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार जनसंख्या का अध्ययन किया गया है। जिले की जनसंख्या की संरचना का विश्लेषण जातिय व जनजातिय स्थिति आदि के संदर्भ में भी अध्ययन व शोध प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध में जिले की जनसंख्या के ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वितरण, घनत्व, व अन्य जनांकिकीय सामाजिक व आार्थिक पक्ष से सम्बन्धित अध्ययन का भी समावेश किया गया है। जिले की जनसंख्या एवं पर्यावरण के मध्य अन्तरसम्बन्धों का अध्ययन एवं विश्लेषण भी प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध में विभिन्न आँकड़ों, आलेखों, सांख्यिकी विधियों आदि के माध्यम से जनसंख्या की गत्यात्मकता को प्रस्तुत किया गया है।जनसंख्या भी स्वयं एक संसाधन है, परन्तु जनसंख्या की अधिक वृद्धि होने पर यह संसाधन न रहकर एक समस्या का रूप धारण कर लेती है अतः इस शोध में जनसंख्या वृद्धि के नियोजन हेतु तात्कालिक व दूरगामी उपाय सुझाने का प्रयास किया गया है। सरकार, विभिन्न संस्थाएँ, संगठन आदि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओ को रोकने हेतु अपने स्तर पर प्रयास करते है, परन्तु जब तक सामान्य जनमानस को व्यक्तिशः इस विषय में जागरूक नही किया जाएगा तब तक किए गए सभी प्रयास पूर्णतः सफल नही हो पाएगें अतः इस शोध में स्थानीय लोगों को जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं का ज्ञान प्रदान करनेव जिले की जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं उनके निराकरण के उपाय सुझाने का प्रयत्न किया गया है।

संक्षेप में इस शोध कार्य का उद्देश्य सवाईमाधोपुर जिले की जनसंख्या संसाधन का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हुए पिछले दशकों में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर इसकी समयानुसार गत्यात्मकता, वितरण, वृद्धि, घनत्व, तथा जनसंख्या के अन्य तत्वों का अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया गया है। साथ ही जनसंख्या वृद्धि के सम्भावित कारणो का पता लगाकर उसे राकने के उपाय सुझाने का प्रयत्न किया गया है।

1.5 अध्ययन का विधि तंत्र–

प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत विधि–तन्त्र में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों को भिन्न–भिन्न उद्देश्यों के लिए अलग–अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सम्बन्धित उद्देश्यों की प्राप्ति तथा आंकलन करने के लिए इन वर्गीकृत आँकड़ों को सारणीयों में घटते बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है।

शोध हेतु आवश्यक जनसंख्या एवं सम्बन्धित अन्य आँकड़ें जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, आर्थिक व सांख्यिकी विभाग आदि कार्यालयों से प्राप्त कर आवश्यक आँकड़ों का चयन कर उन्हें वर्गीकृत किया गया है। जनसंख्या के आँकड़ों को जिले एवं तहसील के अनुसार व्यवस्थित ढंग से सारणीबद्ध कर प्रदर्शित किया गया है। प्राप्त आँकड़ों के आधार पर जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, तथा अन्य तथ्यों को सारणीयों के अतिरिक्त आरेखों एवं मानचित्रों की सहायता से प्रदर्शित किया गया है।

इस शोध हेतु जनसंख्या से सम्बन्धित 1961 से 2011 तक के आँकड़ों को वितरण, वृद्धि आदि के संदर्भ में वर्णनात्मक, अंकेक्षणीय व गणितीय विधि से प्रक्रिया कर प्रदर्शित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु उपर्युक्त स्रोतो से प्राप्त आँकड़ों के अतिरिक्त अन्य सूचनाऐं एवं जानकारियाँ स्थानीय निवासियों से व्यक्तिगत रूप से व प्रत्यक्ष सम्पर्क द्वारा, दूरभाषव इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त की गई है तथा उनका स्थानीय अवलोकन एवं प्रशासनिक निकायों से मिलान करके उन्हें प्रामाणिक रूप प्रदान किया गया है।

प्रतिदर्श ग्रामों का चयन कर उनसे सम्बन्धित आवश्यक आँकड़ों व्यक्तिगत रूप से स्थानीय स्तर पर अवलोकन विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, पंचायत स्तर, सम्बन्धित अधिकारियों, पटवारियों, ग्राम सेवकों आदि के माध्यम से संग्रहित किए गए है।

जनसंख्या के विभिन्न आँकड़ों के प्रदर्शन के अतिरिक्त जिले के उच्चावच, जलवायु, मृदा, कृषि, अपवाह–तन्त्र आदि से सम्बन्धित तथ्यों को भी सारणियों, आरेखों, मानचित्रों आदि की सहायता से दर्शाया गया है।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों व सूचनाओं के आधार पर ही शोधार्थी ने अधिकृत व प्रामाणिक तथ्यों का संकलन किया है तथा इन्हे शोधकार्य में प्रयुक्त किया है जिसके सहयोग से ही शोधार्थी द्वारा यह शोधकार्य व्यवस्थित व उपयुक्त ढंग से पूर्ण किया जा सका है।

1.6 आँकड़ों के स्रोत–

शोध कार्य हेतु उपर्युक्त तथा विश्वसनीय आँकड़ों की उपलब्धता अनिवार्य होती है जिन्हे विभिन्न तकनीकों तथा विधियों द्वारा एकत्र किया जाता है। जनसंख्या भूगोलवेत्ता को जनसंख्या के विविध लक्षणों के सम्यक् अध्ययन के लिए कई प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें कई विधियों तथा स्रोतों से एकत्र करना पड़ता है। भौगोलिक अध्ययन किसी स्थान या क्षेत्र से सम्बंधित होते है। अतः अध्ययन क्षेत्र के आकार के अनुसार सर्वप्रथम आँकड़ों के संग्रह की विधि के चुनाव की समस्या आती है। जब छोटे पैमाने पर शोध कार्य किया जाता है तो क्षेत्र सीमित होने के कारण शोधकर्ता आवश्यक आँकड़ों स्वयं एकत्र कर सकता है। छोटे क्षेत्रों के सम्बंध में व्यापक सूचनाएँ सरकारी प्रकाशनों या अभिलेखों से सामान्यतः उपलब्ध नही हो पाती है। यही कारण है कि लघुस्तरीय अध्ययनों जैसे ग्राम, विकास खण्ड, लघु नगर आदि के लिए जनसंख्या आँकड़ों को शोधकर्ता स्वंय अथवा अपने साथियों के साथ मिलकर एकत्र करता है। जब शोध का अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होता है तब व्यक्तिगत स्तर पर आँकड़ों एकत्र करना सम्भव नही हो पाता है अतः बड़े क्षेत्र के लिए

जनसंख्या सम्बंधी आँकड़ों विविध प्रकाशनों तथा सरकारी व गैर सरकारी अभिलेखों से प्राप्त किए जाते है।

सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या के अध्ययन संबंधी इस शोध में प्राथमिक एंव द्वितीयक आँकड़ों को एकत्र किया गया है। जनसंख्या सम्बंधी विभिन्न पहुलओं जैसे गरीबी, अशिक्षा, व्यवसाय, लिगांनुपात, गांवों से शहरों की ओर प्रवसन आदि का कारण जानने हेतु प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण ग्राम स्तर तक जाकर व्यक्तिगत रूप से किया गया है। जिससे वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सके। इस हेतु प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण विधि प्रयोग में ली गई है।

द्वितीयक आँकड़ों के स्त्रोत के रूप में इस शोध हेतु आर्थिक एंव सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षो की आर्थिक समीक्षा, सवाई माधोपुर के जिला सांख्यिकीय विभाग द्वारा जिला सांख्यिकी रूपरेखा, जिला उधोग केन्द्र, कृषि, उद्यान एंव सांख्यिकी विभाग, सवाई माधोपुर, जिला सूचना केन्द्र आदि द्वारा प्रकाशित पुस्तक पुस्तिकाओं व अभिलेखों से आँकड़ें एकत्र किए गए है। जनगणना रिपोर्ट से जनगणना 2001 तक 2011 के आँकड़ें एकत्र किए गए है। इस शोध हेतु विषय से सम्बंधित प्रकाशित एंव अप्रकाशित अन्य साहित्य सामग्री का अध्ययन भी किया गया है तथा निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार प्रकाशित एंव अप्रकाशित आँकड़ों को विभिन्न स्रोतों को एकत्र कर उनका अध्ययन, संकलन, सम्पादन, संवर्धन, मानचित्रण, सारणीकरण, विश्लेषण एंव संश्लेषण किया गया है। सवाई माधोपुर जिले के उच्चावच, ढाल, अपवाह–तंत्र, परिवहन व अधिवासों से सम्बंधित जानकारी एवं आँकड़ें स्थलाकृतिक मानचित्रों एंव विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त करके उनका प्रस्तुतिकरण किया गया है।

1.7 मानचित्रण की विधियाँ–

भूगोल के अध्ययन में सम्बन्धित विषय को अधिक ग्राह्य, सरल व सुस्पष्ट रूप देने के लिए व आँकड़ों, तथ्यों आदि को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए मानचित्रों का अत्यन्त महत्व है। जनसंख्या अध्ययन के अन्तर्गत विभिन्न सूचनाओ, आँकड़ों व जनसंख्या के विभिन्न तत्वों को भी मानचित्र की सहायता से सार्थक ढ़ंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस प्रकार मानचित्र के माध्यम

से प्रदर्शित किए जाने वाले तथ्य, आँकड़ें इत्यादि अधिक स्पष्ट व लम्बे समय तक मस्तिष्क में रहते है क्योंकि मानचित्रों द्वारा विषय के विभिन्न पहलुओं, स्थितियों, उनकी सघनता, गहनता व विविधता पर अधिक सुन्दर, सजीव व सार्थक ढंग से प्रकाश डाला जा सकता है। इस शोध में भी सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या के विभिन्न तत्वों जैसे जनसंख्या वितरण व वृद्धि, जनसंख्या घनत्व, लिगांनुपात, साक्षरता, नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या, जातिय संरचना, व्यावसायिक संरचना आदि को मानचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। शोध हेतु प्राप्त आँकड़ों की सहायता से सवाई माधोपुर जिले के उच्चावच, ढाल, अपवाह–तंत्र, परिवहन व अधिवासों से सम्बंधित तथ्यों का प्रदर्शन मानचित्रों द्वारा किया गया है। मानचित्र की सहायता से जनसंख्या सम्बंधी विभिन्न आँकड़ों की प्रदर्शित करने हेतु मानचित्रण की मात्रात्मक विधियों जैसे वर्णमात्री विधि, बिन्दु विधि तथा विभिन्न आरेखों का प्रयोग किया गया है।

अध्याय – 2
सामान्य परिचय एवं भौगोलिक परिदृश्य

2.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

सवाई माधोपुर जिला अपनी प्राकृतिक सम्पदा व जैव विविधता के लिए न सिर्फ भारतवर्ष वरन् विश्व के मानचित्र पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हैं। राजस्थान का एकीकरण विभिन्न चरणों में पूर्ण किया गया। जब वर्ष 1948 में अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर मिलकर मत्स्य संघ के नाम से एक संयुक्त प्रदेश बना तो यही मत्स्य संघ 15 मई 1949 में विशाल राजस्थान में विलय हुआ तभी सवाई माधोपुर प्रथम (1751 से 1761 ए.डी.) के नाम पर सवाई माधोपुर जिले का नामकरण किया गया। जिले का अब तक दो बार विभाजन किया जा चुका है। प्रथम बार 1992 में महुवा तहसील को दौसा जिले में शामिल कर दिया गया और द्वितीय विभाजन वर्ष 1997 में करौली को जिले के रूप में सृजित कर किया गया। सवाई माधोपुर जिले का इतिहास यहाँ के विश्व प्रसिद्ध किले रणथम्भौर से प्रारम्भ होता है। हम्मीर रासों, हमीर महाकाव्य, हमीर रायण आदि पुस्तको एवं वंशावलियों, चारण भाटों, राव जागाओं इत्यादि द्वारा प्राप्त जानकारी एवं शिलालेखों द्वारा प्राप्त जानकारी से रणथम्भौर का निर्माण 9 वीं शताब्दी में होना पाया जाता है। मध्यकाल में गुलामवंशी शासको से लेकर आधुनिक काल में मराठों तक का विस्तृत इतिहास रणथम्भौर के संघर्ष की दास्तान है। इसका प्रमुख कारण है कि रणथम्भौर अपनी अद्‌भुत संरचना, नैसर्गिक सुरक्षा और विशिष्ट सामरिक महत्व के साथ दिल्ली की समीपता व मेवाड़ और मालवा के मध्य स्थित होने के कारण महत्वकांक्षी शासकों और आक्रान्ताओं के आँख की किरकिरी बना रहा ।

सवाई माधोपुर अपने गौरवशाली इतिहास, अनूठे भूगोल एवं अनुपम नैसर्गिक सुन्दरता के लिए माना जाता है। हम्मीर का हठ, रणथम्भौर की दृढ़ता घाटियों व पहाड़ों का प्राकृतिक परकोटा तथा अभयारण्य का आकर्षण इसे अद्वितीय भौगोलिक स्वरूप प्रदान करते है।

सवाई माधोपुर नगर को विख्यात गुलाबी शहर जयपुर का जुड़वाँ नगर कहे तो कोई अतिश्योक्ति नही होगी, क्योंकि जयपुर के संस्थापक राजा सवाई जयसिंह के पुत्र सवाई माधोसिंह (प्रथम) द्वारा ही इसकी नींव रखी गई थी तथा नगर नियोजन की दृष्टि से इसकी बनावट एवं नगर व्यवस्था पर जयपुर के नगर नियोजन की छाप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है।

चारों ओर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी, मानो जैसे सुदृढ़ प्राकृतिक परकोटा हो, एक चौडी घाटी में बसाया गया नगर चौकड़ियों, मौहल्लों और समकोण बनाते लम्बे–लम्बे सड़क–गलियारों से जयपुर की अनुकृति जैसा ही रमणीक लगता है। जाति एवं व्यवसाय के अनुसार काम करने वाले कारीग़रों तथा उनके परिवारों को यहाँ बसाकर तदनुसार मौहल्ले का नामकरण भी किया गया ।

2.2 भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार–

किसी स्थान विशेष की पृथ्वी पर इस प्रकार अवस्थिति से वहाँ की जलवायु, वनस्पति, कृषि, जीव–जन्तु, मृदा, मानव आदि निश्चित रूप से प्रभावित होते है एवं भौगोलिक अवस्थित के अनुसार ही उस स्थान विशेष पर वनस्पति एवं जीव पर्यावरण के साथ सम्बन्ध स्थापित कर अपना विकास करते है।

राजस्थान के भरतपुर संभाग में स्थित सवाई माधोपुर जिला अरावली पवर्तमालाओं से आच्छादित एवं प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर है। यह जिला प्रायः समतल, मैदानी भाग में अवस्थित है जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में $25^{\circ}45'$ से $26^{\circ}41'$ उत्तरी अक्षांश तथा $75^{\circ}59'$ से $77^{\circ}00$ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की समुद्रतल से ऊचाई 450 मीटर से 600 मीटर तक है। इसके उत्तर में जिला दौसा, उत्तर पूर्व में जिला करौली, दक्षिण में जिला कोटा व बूँदी, दक्षिण–पूर्व में चम्बल नदी व मध्यप्रदेश का जिला श्योपुर, पश्चिम में जिला टोंक तथा उत्तर पश्चिम में जिला जयपुर की सीमाएँ लगी हुई है। कमण्डलनुमा आकृति में फैले जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4498.00 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 4420.8 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण तथा 77.2वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है। मुख्यालय मानटाउन सवाई माधोपुर में जिले के बीचों–बीच

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LOCATION MAP

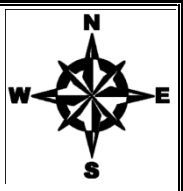

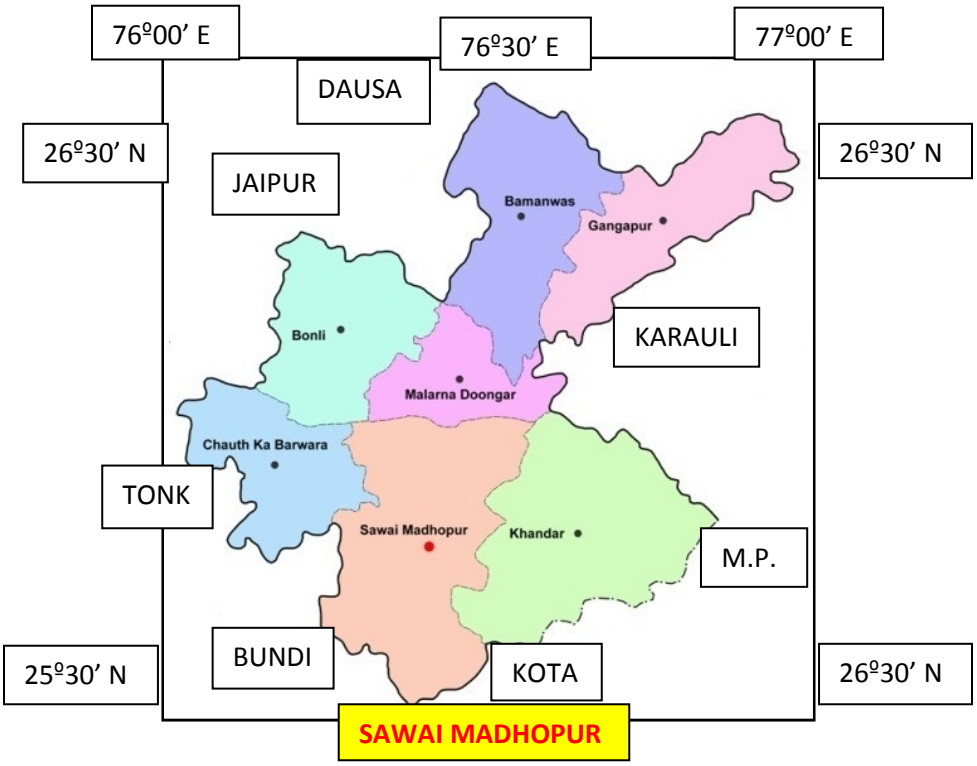

MAP-2.1

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Political Map

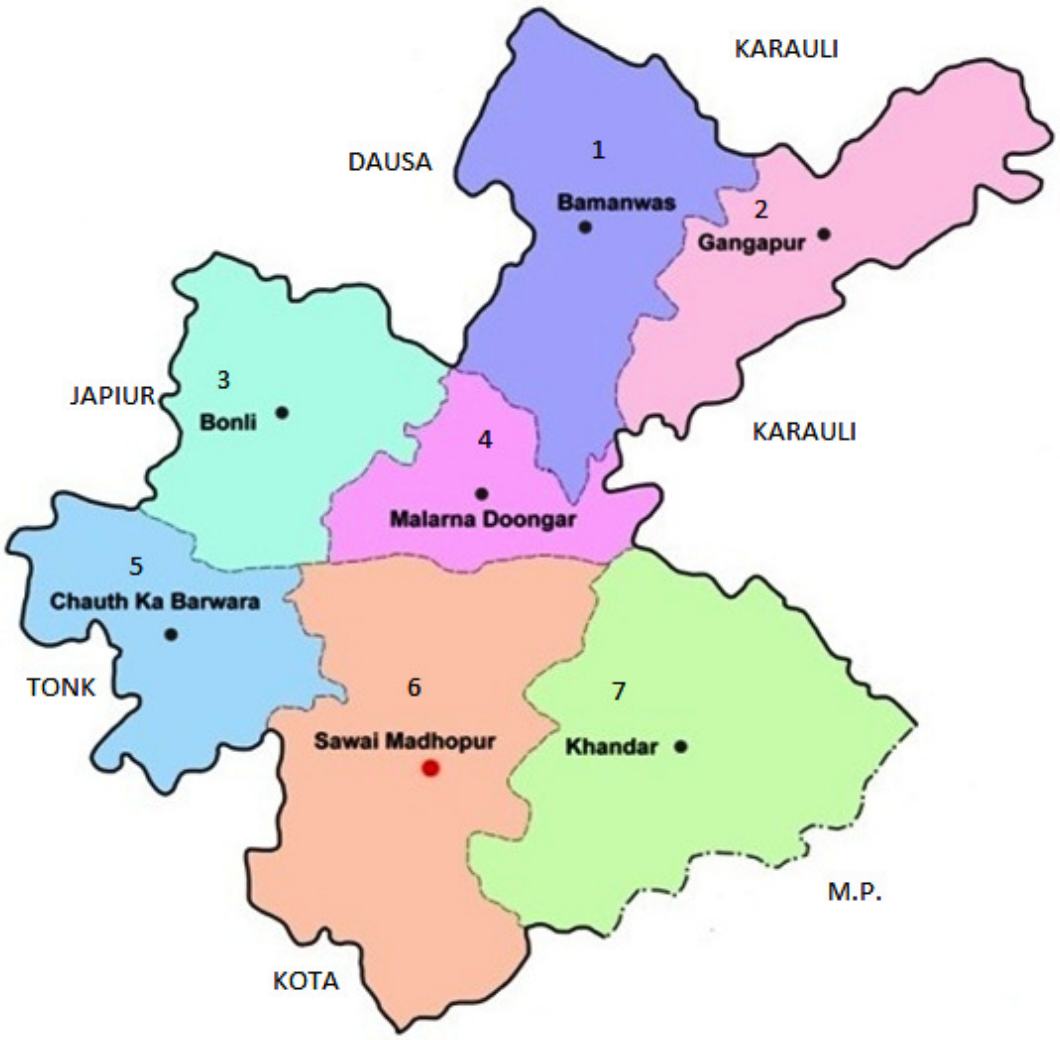

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
1	BAMANWAS
2	GANGAPUR CITY
3	BONLI
4	MALARANA DUNGAR
5	CHAUTH KA BARWADA
6	SAWAI MADHOPUR
7	KHANDAR

MAP-2.2

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Administrative Setup

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
★	District Head Quarter
●	Tehsil Head Quarter
⌒	District Boundary
....	Tehsil Boundary

MAP-2.3

दिल्ली मुम्बई रेलवे लाइन उसी प्रकार बिछी है, जैसे राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है। पश्चिम रेलवे का यह दिल्ली–मुम्बई रेल मार्ग जिले के गंगापुर व सवाई माधोपुर तहसील तथा जयपुर–मुम्बई रेल मार्ग जिले की सवाई माधोपुर व चौथ का बरवाड़ा तहसील से गुजरता है।

जिले का कुछ भाग पर्वतीय है तो कुछ मैदानी है। सवाई माधोपुर उपखण्ड में बाघ परियोजना क्षेत्र में प्राचीन अरावली तथा विन्ध्याचल क्रम में पर्वतों का समागम देखते ही बनता है। पर्वत रूपी इस ताज में रणथम्भौर किला एक चमकीले हीरे की भाँति जड़ा है। सामान्यतः इन पर्वतों का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर–पूर्व की और है। पर्वतों के इस जमघट में रणथम्भौर के उत्तर–पूर्व में खण्डार सीमा पर शिखर की ऊँचाई 507 मीटर है। जिले की सबसे ऊँची चोटी 527 मीटर बामनवास तहसील में है जो अरावली के उत्तर–पश्चिम में अवस्थित है। जिले के दक्षिण में अवस्थित ''भैरों'' व ''उतगिर'' पर्वत चोटियाँ भी महत्वपूर्ण है। यहाँ का भू–भाग समुद्र तल से 1500 फीट से 2000 फीट के बीच है तथा इसका सामान्य ढाल पूर्व की ओर है।

जिले का सबसे बडा भू–भाग समतल है कुछ भाग अरावली की पहाड़ियों व नदियों की कन्दराओं से घिरा हुआ है। जिले के बौंली, बामनवास व गंगापुर सिटी उपखण्ड का बड़ा भाग समतली है, जबकि उपखण्ड सवाई माधोपुर का बड़ा भाग अरावली की पहाड़ियों व नदियों की कन्दराओं से घिरा हुआ है। मैदानी क्षेत्र उपजाऊ है। जिले की उत्तरी–पश्चिमी सीमा पर अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई है।

2.3 उच्चावच–

सवाई माधोपुर जिला भौगोलिक रूप से राजस्थान प्रदेश के उत्तरी–पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है। जिले को उच्चावच की दृष्टि से तीन मुख्य इकाइयों में बाँटा जा सकता है। जिले का पश्चिमी एवं उत्तरी–पश्चिमी भाग जलोढ़ मैदान, मध्यवर्ती भाग पृथक–पृथक पहाड़ियों के साथ जलोढ़ मैदानी भाग तथा दक्षिण व दक्षिण–पूर्वी भाग पर्वतीय भू–भाग के अन्तर्गत आता है। जिले का यह पर्वतीय भाग उत्तर–पूर्व में ''जमाइरा'' से दक्षिण पश्चिम में ''ओडेरा'' तक

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Presentation of Relief

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Structural Hills
	Daang Area
	Ravine Area
	Alluvial Plain

MAP-2.4

विस्तार लिए हुए है। सामान्य रूप से सवाई माधोपुर उपखण्ड को पर्वतीय क्षेत्र जबकि शेष भू–भाग को समतल एवं मैदानी भू–भाग में वर्णित किया जा सकता है। जिले का मैदानी भाग उपजाऊ है। जिले में बारहमासी नदी चम्बल सहित, बनास, मोरेल, गम्भीरी, ढील आदि प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है। जिले में प्राचीनतम अरावली एवं विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है, जो रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में साथ–साथ देखी जा सकती है। इसमें प्री अरावली विंध्यन की परतदार शैलों की प्रधानता है। भौगोलिक दृष्टि से जिले में मैदानी भाग के साथ–साथ नीची पहाड़ियाँ भी स्थित है। जिले में चम्बल नदी के सहारे–सहारे अत्यधिक कटाव के कारण '' बीहड़ो '' का निर्माण हो गया है।

2.4 अपवाह तंत्र–

सवाई माधोपुर जिले के दक्षिण–पूर्व में राज्य की सबसे बड़ी एवं बारहमासी नदी चम्बल जिले की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए जिले को मध्यप्रदेश से जोड़ती है। यह नदी मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा विभाजन करती हुई ''कनकपुरा'' में प्रवेश कर दक्षिण–पूर्व से उत्तर–पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा इसके बाद करौली जिले में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसका तल पथरीला व बलुई है। चम्बल नदी के अलावा जिले में बनास, मोरेल, जीवद, गम्भीरी, ढील आदि प्रमुख नदियाँ है। इनमें बनास नदी सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम से पूर्वकी ओर प्रवाहित होती है। पूर्व में यह एक बारहमासी नदी थी, परन्तु अब टोंक में इस नदी पर बीसलपुर बाँध बनने के बाद इसमें वर्षा ऋतु में ही पानी आता है। बनास नदी यहाँ 106 कि.मी. का सफर तय करती है। जिले में इसका प्रवेश ईसरदा के पास है। पूर्व की और बहती हुई बनास भूरी पहाड़ी के पास मोरेल को साथ लेकर थोड़ा दक्षिण की ओर घूमती है तथा रामेश्वर घाट के पास चम्बल में मिल जाती है। बरसाती उफान के समय इसका औसतन 30 फीट गहरा तल भी कम पड़ने लगता है। मोरेल नदी उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पश्चिम की ओर जिले के मध्य से बहती हुई दक्षिण की ओर घूमती है तथा इसके बाद बनास नदी में मिल जाती है। भूमिगत जल स्तर बढ़ाने में यहाँ की नदियों का बड़ा योग है। भौम जल स्तर की गहराई यहाँ 5 से 25 मीटर के

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Drainage System

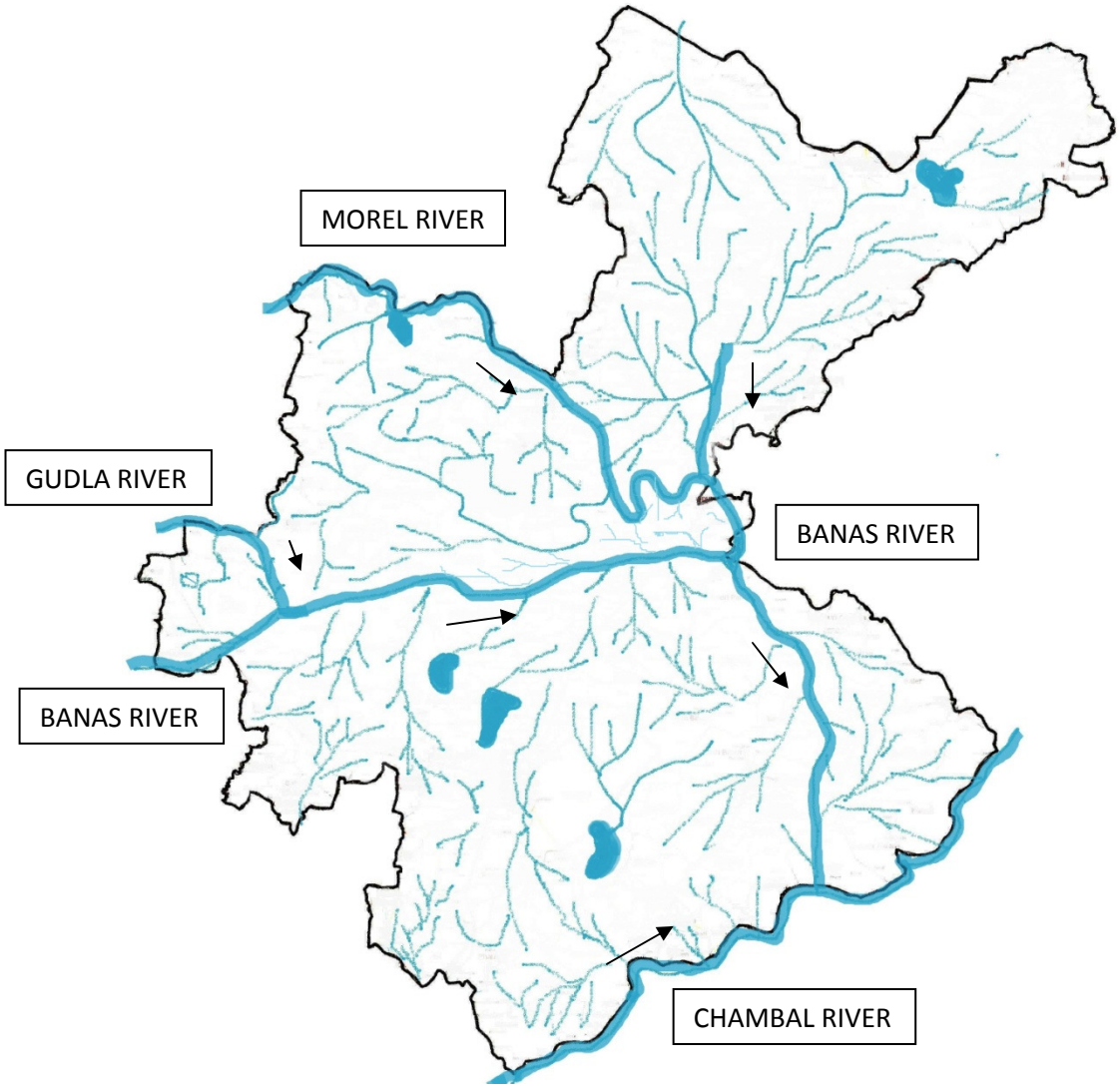

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Rivers
	Ponds
	Other Drainage

MAP-2.5

मध्य है। जिले में प्राकृतिक झीलों का अभाव है, इनकी क्षतिपूर्ती सिंचाई बाँधो द्वारा की जाती है, जो करीब 15 लाख हैक्टर भूमि पर सिंचाई प्रदान करते है। मानसरोवर, मोरेल, ढ़ील, गोठड़ा, बहरावंड़ा, देवीपुरा इत्यदि प्रमुख बाँध है।

2.5 जलवायु–

जलवायु एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है, जो अन्य प्राकृतिक तत्वों को प्रभावित करते हुए आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप को भी प्रभावित करता है। लम्बे समय तक जैसे दिन या सप्ताह के अन्तर्गत किसी स्थान विशेष की वायुमण्डलीय दशाओं के सम्मिलित रूप या योग को मौसम कहा जाता है। मौसम का अभिप्राय किसी स्थान विशेष के किसी निर्दिष्ट समय के अन्तर्गत वायुमण्डलीय तापमान, वर्षा व आर्द्रता, वायु व वायुदाब, से होता है।

इसके विपरित लम्बी अवधि के दौरान मौसम सम्बन्धित दशाओं के सम्मिश्रण या साधारणीकरण को जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार मौसम वायुमण्डल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, जबकि जलवायु दीर्घकालिक व औसत मौसम का बोध कराती है। जलवायु प्रमुख रूप से भौगोलिक बनावट से प्रभावित होती है।

तालिका–2.1

जिला–सवाई माधोपुरः तापमान एवं आर्द्रता (से.ग्रेड में)–2008

क्रम सं.	वर्ष/केन्द्र	अधिकतम तापमान	न्यूनतम तापमान	औसत तापमान	आर्द्रता प्रतिशत
1	2004	45.6	3.6	24.6	50.0
2	2005	46.0	3.8	27.0	52.0
3	2006	46.3	9.3	26.3	54.0
4	2007	46.0	4.0	27.0	55.0
5	2008	44.5	7.4	25.4	57.0
केन्द्र 2008					
1	सवाई माधोंपुर	44.5	7.4	25.4	57.0

स्रोत– निदेशालय भारत मौसम विज्ञान विभाग, जयपुर, जिला सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर जिले में उप–आर्द्र प्रकार की जलवायु पायी जाती है। यहाँ का मौसम गर्मियों में गर्म व सर्दियों में ठण्डा रहता है तथा दक्षिण–पश्चिम मानसून के दौरान पर्याप्त वर्षा होती है। जिले में औसत रूप से वर्ष में 35 दिन वर्षा के माने जाते है तथा सामान्यत वार्षिक वर्षा 874 मि.मी. होती है। वर्ष 2008 के अनुसार जिले का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री से., न्यूनतम तापमन 7.4 डिग्री से. तथा औसत तापमान 25.4 डिग्री से. रहा है। जिले में आर्द्रता लगभग 57 प्रतिशत रही है। सामान्य वर्षा 87.34 से.मी. व वास्तविक वर्षा 73.84 से.मी. दर्ज की गई है।

सवाई माधोपुर जिले में वार्षिक ऋतु चक्र में गर्मी, सर्दी एवं वर्षा ऋतु प्रमुख है। शीत ऋतु अक्टूबर माह से प्रारम्भ होकर फरवरी माह के अन्त तक रहती है, जिसमें जनवरी माह सर्वाधिक ठण्डा महीना होता है। शीत ऋतु में शीत लहरें चलती है तथा तापमान न्यूनतम 3.6 डिग्री से. तक पहुँच जाता है। साथ ही इस समय गहन कोहरे की स्थिति भी जन–जीवन को प्रभावित करती है। इस ऋतु में उत्तरी भागों से उत्तरी–पूर्वी हवाऐं प्रवाहित होती है तथा दूसरी तरफ पश्चिम की ओर से आने वाले शीतकालीन चक्रवात जिले में प्रवेश करते है। दिसम्बर–जनवरी माह में चक्रवातों से कुछ वर्षा होती है जिसे ''मावठ'' कहा जाता है। इस मावठ को ''गोल्डन ड्रोप्स'' की संज्ञा दी गई है, क्योंकि यह रबी फसलों के लिए अमृत के समान है। जिले में सिंचाई सुविधा से वंचित क्षेत्रों में यह मावठ और अधिक महत्वपूर्ण तथा वरदान के समान है, परन्तु जब कभी मावठ के रूप में ओले गिरते है तो फसलों को अत्यधिक नुकसान पहुँचता है। इस नुकसान से आर्थिक रूप से किसान की कमर टूट जाती है। जिले में ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता है तथा गाँवों में कृषि ही अर्थ व्यवस्था का मूल आधार है अतः जिले की अर्थ व्यवस्था ओलावृष्टि से काफी हद तक प्रभावित होती है तथा बाजार एवं व्यापार की आर्थिक गतिविधि मन्द हो जाती है।

ग्रीष्म ऋतु मार्च से प्रारम्भ होकर जून माह के मध्य तक रहती है। इन दिनों अधिकतम तापमान बढ़कर 46° डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है।

इस समय गर्म एवं शुष्क हवाऐं चलती है जिन्हें ''लू'' कहा जाता है। इस ऋतु में तेज धूल भरी आँधियाँ भी चलती है, जिनका क्षेत्र कम या अधिक रहता है।

जून माह के मध्य से सितम्बर माह तक वर्षा ऋतु का काल रहता है। जिले में दक्षिण–पश्चिम मानसून से दौरान पर्याप्त वर्षा होती है।ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब एवं हवाओं की दशाओं में परिवर्तन के साथ ही हिन्द महासागर से मानसूनी हवाऐं प्रारम्भ हो जाती है। ये मानसूनी हवाऐं अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं के रूप में जून के अन्त अथवा जुलाई के प्रारम्भ में जिले में प्रवेश कर जाती है, जिससे वर्षा होती है तथा जो कि जिले के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिले की अधिकांश कृषि वर्षा पर ही निर्भर रहती है। जिले में सर्वाधिक वर्षा 93 प्रतिशत से भी अधिक इसी समय प्राप्त होती है तथा वर्षा का औसत 90 से.मी. तक रहता है। राज्य की भाँति सवाई माधोपुर जिले में भी वर्षा का असमान वितरण पाया जाता है। जिले में कभी वर्षा राज्य की औसत वर्षा से कम तो कभी राज्य की औसत वर्षा से अधिक पाया जाता है। वर्ष 2001से 2009 तक के पिछले वर्षों में राज्य के सापेक्ष जिले में वर्षा का वितरण निम्न प्रकार रहा है–

तालिका–2..2

राज्य के सापेक्ष सवाई माधोपुर जिले में औसत वर्षा वितरण

क्र. सं.	क्षेत्र	औसत वर्षा (सेमी. में)								
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	**राजस्थान**	57.43	26.71	60.47	55.45	56.53	70.87	55.93	60.48	42.94
2	**सवाई माधोपुर**	66.31	23.95	66.11	66.59	81.41	50.04	57.84	73.84	48.40

स्रोत– राजस्व मण्डल (लेण्ड रिकार्ड्स), स्टेटिस्टिकल एब्सट्रेक्ट, राजस्थान 2009 एवं 2011, पृष्ठ 62, 64

तहसीलानुसार वार्षिक वर्षा (2008)–

जिले में 2007–2008 के आँकडो के अनुसार सर्वाधिक वर्षा 96.20 से.मी. के साथ सवाई माधोपुर तहसील में तथा सबसे कम वर्षा 52.40 से.मी. के साथ बौंली तहसील में दर्ज की गई। इसी प्रकार बामनवास तहसील में 85.40 से.मी.

,गंगापुर तहसील में 80.60 से.मी., खण्डार तहसील में 78.20 से.मी.,मलारना डूँगर तहसील में 65.00 से.मी. तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील में 59.10 से.मी. वर्षा दर्ज की गई। जो तालिका 2.3 में अंकित है।

जिले में वार्षिक वर्षा के असमान वितरण को वर्षा की मात्रा के अनुसार उच्चतम वर्षा वाले स्थान, मध्यम वर्षा वाले स्थान तथा निम्न वर्षा वाले स्थानो में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका–2.3

सवाई माधोपुर जिले में वर्षा वितरण (2008)				
क्रम सं.	**केन्द्र**	**सामान्य वर्षा (से.मी. में)**	**वास्तविक वर्षा (से.मी. में)**	**सामान्य से वृद्धि / कमी(सेमी. में)**
1	2004	62.28	66.59	+ 4.31
2	2005	62.28	81.41	+19.13
3	2006	62.31	50.04	–12.27
4	2007	59.79	58.60	–1.19
5	2008	87.34	73.84	–13.50
केन्द्र (2008)				
1	सवाई माधोपुर	83.42	96.20	+ 12.78
2	बौंली	37.20	52.40	+15.20
3	खण्डार	59.82	78.20	+ 18.38
4	बामनवास	55.89	85.40	+ 29.51
5	गंगापुर	61.91	80.60	+ 18.69
6	चौथ का बरवाड़ा	61.62	59.10	–2.52
7	मलारना डूँगर	49.70	65.00	+ 15.30

स्रोत– कार्यालय जिला कलेक्टर (भू. अ.) सवाई माधोपुर

वार्षिक वर्षा के वितरणानुसार जिले को निम्न प्रकार बाँटा गया है–

(1) उच्चतम वर्षा वाले स्थान–

जिले में उच्चतम वर्षा वाले क्षेत्रों में सवाई माधोपुर व बामनवास तहसीलें आती है, जहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 85 सेमी. से भी अधिक रहता है।

(2) मध्यम वर्षा वाले स्थान–

मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गंगापुर और खण्डार और तहसीलें आती है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 70 से अधिक रहता है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Annual Rainfall

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less Than 70 Cm.
	70-85 Cm.
	More Than 85 Cm.

MAP-2.6

(3) निम्न वर्षा वाले स्थान–

निम्नतम वर्षा वाले क्षेत्रों में शेष मलारना डूँगर, चौथ का बरवाड़ा और बौंली तहसीलें आती है, जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 70 सेमी. से भी कम होती है। ज्ञातव्य है कि बौंली तहसील में वर्षा का औसत 55 सेमी. से भी कम रहता है।

2.6 मृदा संसाधन–

मृदा पृथ्वी के धरातल का एक प्रमुख घटक है, जिस पर समस्त जीव एवं वनस्पति आश्रित है। पृथ्वी पर आन्तरिक एवं बाह्य शक्तियाँ अनवरत् रूप से कार्यरत है। आन्तरिक शक्तियाँ भू आकारों की रचना करती है, वहीं पृथ्वी पर कार्यरत बाह्य शक्तियाँ इन भू आकारों को तोड़–फोड़ कर समतल बनाने का प्रयास करती है। इन बाह्य शक्तियों में अनाच्छादन हेतु अपक्षय एवं अपरदनकारी शक्तियाँ सम्मिलित है। अनाच्छादन की इस क्रिया में तापमान के मूल प्रभाव के साथ नदियाँ, पवन, हिमनद् आदि महत्वपूर्ण कारक है। ये सभी कारक विभिन्न प्रकार से उच्चावच एवं पर्वतीय क्षेत्रों की चट्टान आदि को विखण्डित व अपरदित करते हुए समतलीकरण तथा निक्षेपण का कार्य करते है। जिससे मैदानों का निर्माण होता हैं तथा इन कारकों के द्वारा इन मैदानी भागों पर बारीक अथवा महीन शैल चूर्ण का निक्षेप किया जाता है, जिसमे धीरे–धीरे खनिज व जैविक तत्वों का समावेश होता रहता हैं। इससे उपजाऊपन में वृद्धि होती हैं एवं बारीक शैल चूर्ण का यही निक्षेप कालान्तर में जाकर मृदा में परिवर्तित हो जाता हैं। यही उपजाऊ मृदा कृषि एवं वनस्पति का आधार हैं। सामान्य अर्थों में पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत जिस पर घास, झाड़ियाँ, वृक्ष आदि उगते हैं, मृदा कहलाती हैं। मृदा मानव का सबसे मूल भूत संसाधन हैं। पृथ्वी तल पर पाया जाने वाला समस्त जीवन मृदा पर ही निर्भर हैं तथा मनुष्य की सभी प्राथमिक आवश्यकताऐं मृदा से ही पूर्ण होती हैं।

सवाईमाधोपुर जिला राजस्थान के उत्तर–पूर्वी मैदानी भाग में स्थित हैं, जहाँ पूर्व कैम्ब्रियन काल की चट्टानों ने मृदा संरचना को भी प्रभावित किया हैं। जिले की मृदा को मुख्यतः तीन प्रकारो में विभाजित किया जा सकता हैं। जिसमे पुरानी जलोढ़ मृदा, पर्वतीय लिथोसोल व रिगोसोल मृदा तथा नवीन जलोढ़ मृदा

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Soil

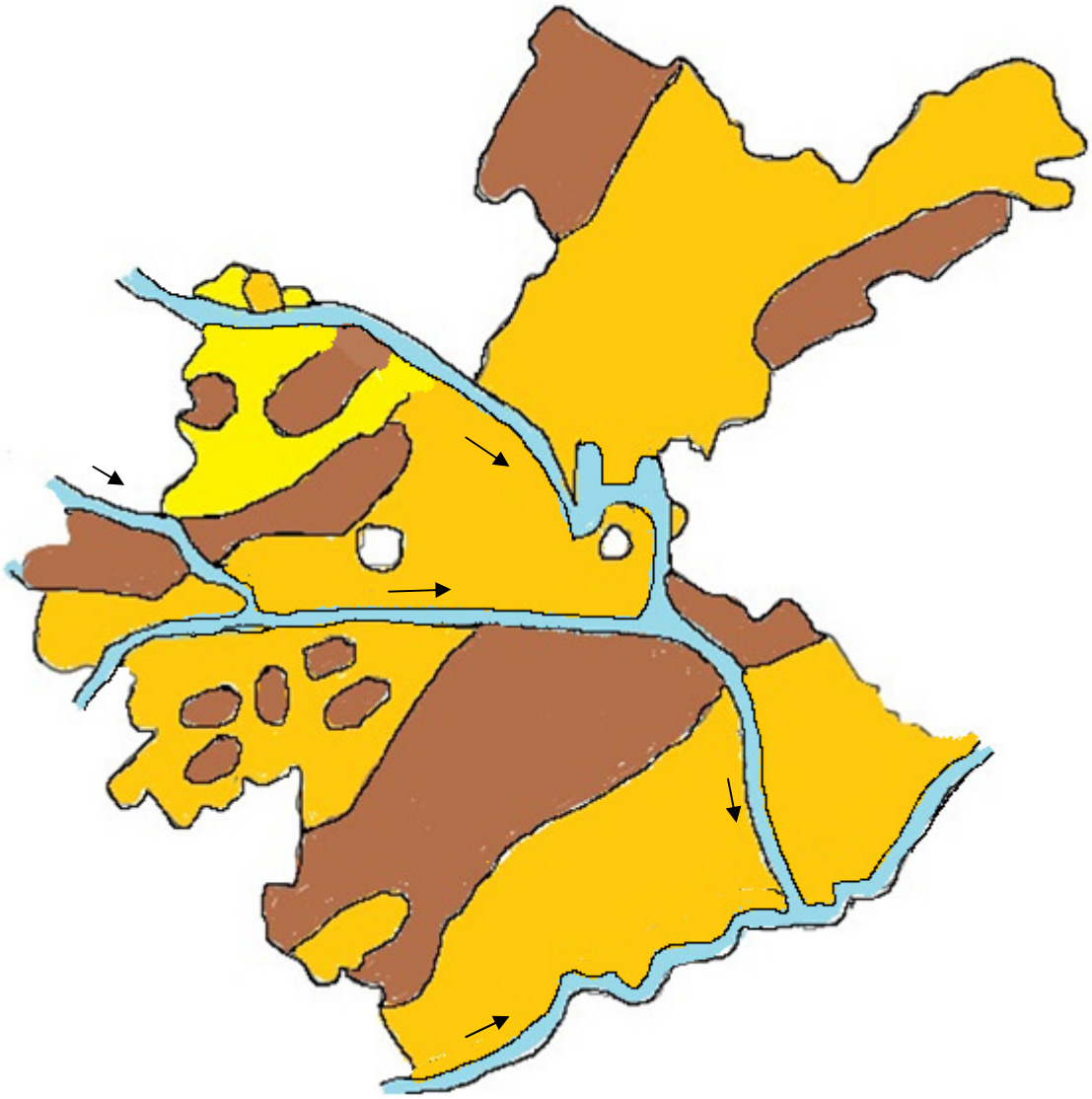

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Litho sols & Rego sols Hills
	Recent Alluvium
	Old Alluvium
	Infiltration Rate Measured

MAP-2.7

सम्मिलित हैं। जिले के बौंली, बामनवास आदि भागों में पुरानी जलोढ़ मृदा पायी जाती है। जो अधिक चिकनी व उपजाऊ मृदा हैं। इसमे चूने की मात्रा नही पायी जाती। खण्डार, सवाई माधोपुर, बौंली, बामनवास के पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी लिथोसोल व रिगोसोल मिट्टी पाई जाती हैं। यह मिट्टी कृषि हेतु श्रेष्ठ नही होती। इसी प्रकार जिले के अधिकांश भाग बामनवास, गंगापुर, मलारना, बरवाड़ा, सवाई माधोपुर में नवीन जलोढ़ मिट्टी पायी हैं। यह नवीन जलोढ़ मिट्टी चम्बल, बनास व मोरेल के बाढ़ क्षेत्र में पाई जाती हैं।

सामान्य रूप से नदीय क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ तथा कछारी दोमट व बलुई मिट्टी भी पायी जाती हैं तथा मैदानी मिट्टी अधिकांशत हल्की और बलुई हैं, किन्तु कहीं कहीं चीका मिश्रित हैं। उपज की दृष्टि से सवाई माधोपुर की मिट्टियाँ अच्छी मानी जाती हैं। यहाँ की भूमि रेतीली दोमट व काली है, जो उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। जिले के पश्चिमी भाग में लाल और पीली मृदा भी पायी जाती है, जिसमें लौह अंश की प्रधानता रहती है, परन्तु नाइट्रोजन और जैविक कार्बनिक पदार्थो की मात्रा बहुत कमी होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से रासायनिक एवं अन्य गुणों के आधार पर अल्फी सोइल्स, इनसेप्टी सोइल्स प्रकार की मृदा का जिले में विस्तार है।

2.7 जैविक संसाधन–वनस्पति, वन एवं वन्यजीव–

प्रकृति प्रदत्त उपहारों में जैविक संसाधन जैसे वन, वनस्पति, आदि महत्वपूर्ण उपहारों में से एक है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को निर्धारित एवं नियन्त्रित करते हैं। यह एक प्रमुख भौगोलिक तत्व है, जो अन्य प्राकृतिक तत्वों जैसे जलवायु, मृदा आदि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है तथा दूसरी ओर मानवीय क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। इसके साथ–साथ यह एक आर्थिक संसाधन भी है, जिससे मानव को अनेक प्रकार की वस्तुऐं जैसे लकड़ी, जड़ी–बूटियाँ, गोंद, लाख, कन्दमूल, कत्था, पत्तियाँ, शहद, मोम, फल आदि प्राप्त होते हैं। सामान्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वनों से समझा जाता है, परन्तु धरातल पर उगने वाले छोटे पेड़–पौधे, घास, झाड़ियाँ आदि भी वनस्पति के अन्तर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। पृथ्वी के विस्तृत रूप से फैले

होने के कारण अनेक प्राकृतिक एवं जैविक विविधताऐं पायी जाती हैं जो कि विभिन्न कारको से प्रभावित होती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में समशीतोष्ण शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। जिले में कुल वन क्षेत्र 840.26 वर्ग कि.मी. हैं, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 2.92 प्रतिशत है। वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्य में जिले का 13 वाँ स्थान है। जिले में भौगोलिक दृष्टि से उष्ण कटिबन्धीय शुष्क पतझड वाले वन एवं मिश्रित वन पाए जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले में वन क्षेत्र के रूप में रणथम्भोर अभयारण्य, सवाई मानसिहं अभयारण्य आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें वन्य जीवों की विविधता का पाया जाना एक महत्वपूर्ण व रोचक विशेषता है। रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान बाघों की संरक्षण स्थली के रूप में विश्व विख्यात है, जो 392 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है। वन विभाग के अनुसार सवाई माधोपुर जिले में 840.26 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है, जो जिले के क्षेत्रफल का 18.68 प्रतिशत है। इसमें 640.18 वर्ग कि.मी. राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तथा 200.08 वर्ग कि.मी. सामाजिक वानिकी के रूप में है। जिले में वन क्षेत्र राज्य के औसत वन क्षेत्र (9. 54 प्रतिशत) से अधिक है। सवाई माधोपुर जिले में कुछ दशक पूर्व सघन वनस्पति एवं वन क्षेत्र पाए जाते थे ,परन्तु बढ़ती जनसंख्या के आवास व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्षों के अविवेकपूर्ण दोहन के परिणामस्वरूप जिले के वन संसाधन को भारी क्षति पहुँची है। वन संसाधनों को पहुँची इस क्षति का प्रत्यक्ष प्रभाव वन्यजीवों की कमी के रूप में परिलक्षित हुआ है। हालांकि वन क्षेत्र एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सरकार एवं जिले का वन विभाग अपने स्तर पर विभिन्न प्रयास करते रहते हैं। यहाँ के वन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव एवं विभिन्न प्रकार की घास जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ मौजूद हैं। जिले के वन क्षेत्र में साल, खैर, छीला, तेंदू, जामुन, आम, इमली, चुरैल, सीताफल, पीपल, नीम, गूलर, धोंक एवं विभिन्न प्रकार की घास जैसी प्रमुख वनस्पतियाँ मौजूद हैं।

इसी के साथ बाघ, सांभर, चीतल, हिरण, नीलगाय, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, चिंकारा, बघेरा, जंगली बिल्ली, सियाहगोश, जरख, पॉम सिवेट, नेवला, भेडिया, लोमडी, जलमानुष, सहेली, ख़रगोश, पाटागोह, लाल व काले मुँह

के बन्दर एवं लगभग 265 प्रजाति के पक्षी आदि वन्य जीव जिले के वन क्षेत्र में मौजूद हैं। पक्षियों की दृष्टि से यहाँ का वन क्षेत्र बहुत समृद्ध हैं। अब तक 265 पक्षी प्रजातियों को यहाँ के जंगल में वास करते हुए पहचान की जा चुकी हैं। अनेक प्रवासी पक्षी भी यहाँ प्रजनन करने भी आते हैं।

स्थलीय पक्षियों में मुख्यतः मयूर, सतबहनें, कोयल, पपीहा, बया, नीलकण्ठ, जंगली कौवे, कठफोड़वा, तीतर, कमेडी, बसंत, जंगल कोतवाल, धनेश, मैना आदि नानाविद्य पांख–पखेरू दृष्टिगत होते हैं। सोना चिडी जिसे अंग्रेजी में '' *ट्री पाई* '' कहते हैं, यहाँ के पर्यटको से बहुत घुलमिल जाती है। इसकी सुरीली आवाज से वन क्षेत्र गूँजता रहता है। घाटियों में ''*पेराडाईज फ्लाईकेचर* (स्वर्ग पक्षी)'' भी अपने खूबसूरत रंग और दो तार युक्त लम्बी पूँछ के कारण यकायक ध्यान आकर्षित कर लेता है।

(अ) सघनता के आधार पर वनों का वर्गीकरण–

(1) अत्यधिक सघन वन क्षेत्र–

इस क्षेत्र में जिले की खण्डार व सवाई माधोपुर तहसीले आती है, जो अत्यधिक सघन वन क्षेत्र है तथा जहाँ क्रमशः 33747 हैक्टेयर व 28752 हैक्टेयर भाग वन क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। इन दोनो तहसीलो में जिले के कुल वन क्षेत्र का लगभग 78.13 प्रतिशत भाग पाया जाता है। ये दोनो ही तहसीले अरावली पर्वतीय वन क्षेत्र व रणथम्भौर अभयारण्य क्षेत्र से सम्बंधित है तथा पर्याप्त वर्षा वाले भाग है। साथ ही पर्वतीय भू–भाग होने के कारण यहाँ जनसंख्या की कमी है, अतः यहाँ वन क्षेत्र की अधिकता है।

(2) सघन वन क्षेत्र–

इस क्षेत्र में जिले की चौथ का बरवाड़ा व बामनवास तहसीले है, जिसमें जिले के कुल वन क्षेत्र का 13.48 प्रतिशत भू–भाग आता है। चौथ का बरवाड़ा तहसील में 5600 हैक्टेयर तथा बामनवास तहसील में 5183 हैक्टयर भू–भाग वन क्षेत्र है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Forest : According to Density

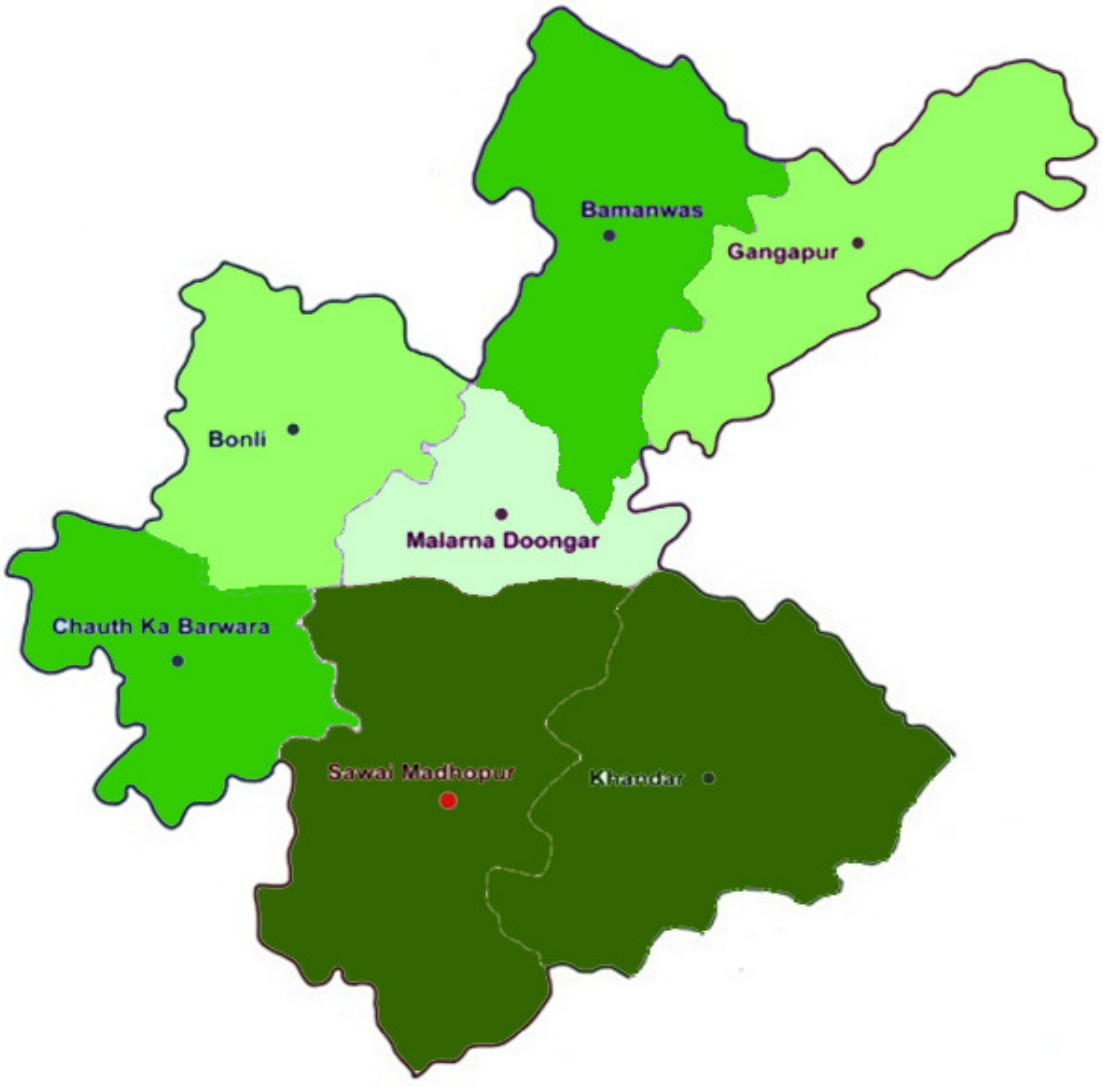

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Much Dense Forest
	Much Covered Forest
	Less Covered Forest
	More Less Covered Forest

MAP-2.8

(3) न्यून वन क्षेत्र–

इस क्षेत्र में जिले की गंगापुर व बौंली तहसीले आती है, जो जिले के कुल वन क्षेत्र का 7.19 प्रतिशत भाग आवृत करती है। गंगापुर में 3057 हैक्टेयर तथा बौंली तहसील में 2693 हैक्टेयर भू–भाग वन क्षेत्र के अन्तर्गत है।

तालिका–2.4

जिला–सवाई माधोपुर कुल वन क्षेत्र (2007–2008) हैक्टेयर में				
क्र.सं.	**तहसील**	**वन क्षेत्र**	**वन क्षेत्र प्रतिशत में**	**वर्गीकरण**
1	सवाई माधोपुर	28752	35.94	अत्यधिक सघन
2	खण्डार	33747	42.19	अत्यधिक सघन
3	गंगापुर सिटी	3057	3.82	न्यून वन
4	बौंली	2693	3.37	न्यून वन
5	बामनवास	5183	6.48	सघन
6	चौथ का बरवाड़ा	5600	7.00	सघन
7	मलारना डूँगर	965	1.20	अत्यल्प

स्रोत–कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, सवाई माधोपुर

(4) अत्यल्प वन क्षेत्र–

यह जिले का सर्वाधिक अल्प वनों वाला क्षेत्र है। जहाँ जिले के कुल वन क्षेत्र का मात्र 1.20 प्रतिशत भाग पाया जाता है। इस भू–भाग में जिले की मलारना डूँगर तहसील आती है, जिसमें 965 हैक्टेयर वन क्षेत्र सम्मिलित है।

(ब) वैधानिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण–

राज्य के अनुसार ही जिले के वन क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वनो में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार 2007–2008 के अनुसार जिले में आरक्षित वन क्षेत्र सर्वाधिक है। जो जिले के कुल वन क्षेत्र का 657.84 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आवृत करते है। इसके बाद 176.62 वर्ग कि.मी. के रूप में संरक्षित वन क्षेत्र तथा 5.80 वर्ग कि.मी. के रूप में अवर्गीकृत वन क्षेत्र है।

इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान के कुल भू–भाग 640.18 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में से 560.06 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में तथा 80.12 वर्ग कि. मी. क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के रूप में है। सवाई माधोपुर डी.सी.एफ. के अन्तर्गत कुल 200.08 वर्ग कि.मी. भू–भाग में से 97.78 वर्ग कि.मी. क्षेत्र आरक्षित, 96.50

वर्ग कि.मी. क्षेत्र संरक्षित तथा 5.80 वर्ग कि.मी. क्षेत्र अवर्गीकृत वन क्षेत्र में सम्मिलित है, जो निम्न प्रकार है–

तालिका–2.5

जिला–सवाई माधोपुर कुल वन क्षेत्र (2003–2008)					
वर्ष / रेंज		वर्गीकरण (वर्ग कि.मी.)			
क्र.सं.		आरक्षित	संरक्षित	अवर्गीकृत	योग
1	2003–04	657.84	176.62	5.80	840.26
2	2004–05	657.84	176.62	5.80	840.26
3	2005–06	687.84	176.62	5.80	840.26
4	2006–07	657.84	175.76	1.15	834.75
5	2007–08	657.84	176.62	5.80	840.26
रेंजवार 2007–08					
1.	राष्ट्रीय उद्यान	560.06	80.12	–	640.18
2.	सवाई माधोपुर डी. सी. एफ. (सामाजिक वानिकी)	97.78	96.50	5.80	200.08

स्रोत–कार्यालय जिला मण्डल वन अधिकारी, सवाई माधोपुर

2.8 परिवहन, बाजार ,व्यापार व उद्योग–धन्धे–

(1) परिवहन–

परिवहन किसी प्रदेश के आर्थिक विकास का आधार और क्षेत्रीय प्रगति का द्योतक होता है। विकास की परिकल्पना ही परिवहन से जुड़ी हुई हैं। किसी स्थान के लिए परिवहन तन्त्र शरीर में विद्यमान रक्त वाहिनी शिराओं के समान होता हैं। जिस प्रकार शरीर में शिराओं के माध्यम से रक्त संचार बना रहता हैं उसी प्रकार किसी क्षेत्र में आवागमन हेतु परिवहन महत्वपूर्ण होता हैं। परिवहन के द्वारा हमारी समस्त आर्थिक क्रियाऐं परस्पर अन्तर सम्बन्धित व विकसित होती हैं। कृषि, उद्योग, खनिज, खनन, पशुपालन, विपणन, आदि सभी क्रियाऐं उत्तम परिवहन के द्वारा ही विकास के पथ पर अग्रसर होती हैं। इस दृष्टि से सवाई माधोपुर जिला एक सम्पन्न जिला हैं।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Transportation

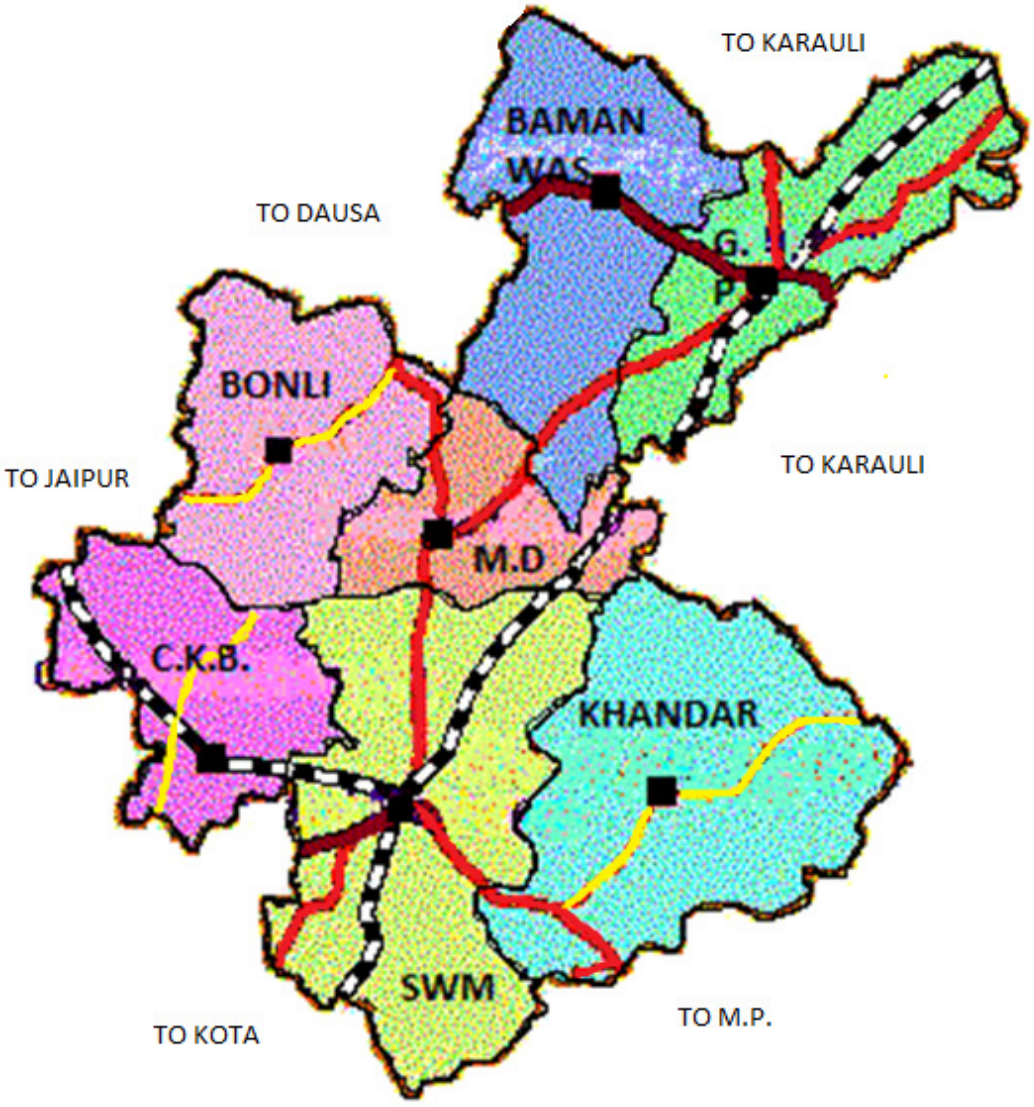

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Rail Way Line
	National High way
	State High Way
	Other Main Road

MAP-2.9

जिले में परिवहन सड़कों, रेल मार्गो व वायुयान द्वारा किया जाता है। सत्र 2000–2001 तक यहाँ कुल सड़के 1268.64 किमी थी जो अब बढ गई है। जिले में सत्र 2007–2008 तक कुल 2391.82 कि.मी. का सड़क मार्ग विद्यमान था जिसमें 49.00 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग, 355.66 कि.मी. कच्चे रास्ते, 29.79 कि.मी. ग्रेवल सड़कें, 0.80 कि.मी. धात्विक सड़कें तथा 1838.27 कि.मी. पेन्ट की हुई सड़कें हैं। जिले में से होकर कोटा–लालसोट मेगा हाईवे निकलता हैं। जिससे सवाई माधोपुर जिला दक्षिण में राज्य राजमार्ग–1 द्वारा कोटा से आगे बूँदी जिले से जुड़ता हैं। उत्तर में यही कोटा–लालसोट मेगा हाईवे दौसा जिले से एवं आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 11 बी से जुड़कर गंगापुर होता हुआ करौली जिले से जुड़ता हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 सेदक्षिण–पश्चिम की ओर जिले की सम्बद्धता टोंक जिले से होती है। जिले की सीमा दक्षिण–पूर्व में राज्य राजमार्ग–30 द्वारा मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से भी सम्बद्ध होती है। जिले में रेलमार्ग के रूप में जिला मुख्यालय पर सवाई माधोपुररेलवे जंक्शन हैं जो दिल्ली, मुम्बई तथा जयपुर से जुड़ा हैं। वायु परिवहन हेतु जिले में कई हेलीपेड एवं जिला मुख्यालय पर हवाई प्ट्टी बनी हुई

जिले में परिवहन हेतु 2007–2008 तक कुल 3758 निजी कारें एवं जीप, 1442 निजी बस 49469 मोटर साइकिल स्कूटर व ऑटो रिक्शा, 932 टैक्सी व ठेले की गाडियाँ, 561 प्रक्रम वाहन, 3224 सार्वजनिक व निजी भारी वाहन, 17567 ट्रेक्टर्स व 240 अन्य वाहन हैं।

(2) बाज़ार–

किसी भी क्षेत्र के निवासियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विनिमय हेतु बाजार एक प्रमुख केन्द्र होता हैं। प्रत्येक स्थान की जनता अपने समस्त घरेलू, कृषि, खाद्य पदार्थों तथा अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए बाजार पर निर्भर रहती हैं। बाजार ही वह केन्द्रीय स्थान होता हैं जिसके चारों ओर व आस–पास फैली बस्तियाँ, गाँव, वस्तुओं के क्रय–विक्रय के लिए आवागमन करते हैं तथा जिस स्थान पर दूसरे स्थानों से आयी वस्तुऐं एवं स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुऐं सभी आम जनता के

लिए क्रय–विक्रय हेतु उपलब्ध रहती हैं। जिले में ग्रामीण स्तर पर कई छोटे–छोटे तथा तहसील व जिला मुख्यालय पर बड़े बाज़ार स्थित हैं। तहसील मुख्यालयों पर स्थित बड़े बाज़ार उस तहसील मुख्यालय एवं आस–पास के सभी गाँवों को सेवाऐं प्रदान करते हैं। इन बाज़ारों में ग्रामीण प्रमुखतः रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुऐं एवं कृषि हेतु छोटी–मोटी आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करने आते हैं, परन्तु विशेष वस्तुओ जैसे मशीनरी, वाहन, बड़े घरेलु उपकरण तथा कार्यक्रमों हेतु बड़ी खरीददारी जिला मुख्यालय से ही करते हैं। चूँकि गंगापुर तहसील एक नगरीय क्षेत्र एवं बड़ा बाज़ार केन्द्र हैं अतः केवल गंगापुर तहसील को छोड़कर जिले की सभी तहसीलो से लोग बड़ी खरीददारी हेतु सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय आते हैं। जिला मुख्यालय पर बाज़ार दो प्रमुख भागो में बँटा हुआ हैं। एक बाज़ार केन्द्र पुराने बाज़ार केन्द के रूप में सवाई माधोपुर शहर में स्थित हैं, तो दूसरा भाग नवीन विकसित बाज़ार केन्द के रूप में मानटाउन क्षेत्र में स्थित हैं जिसे स्थानीय लोग बज़रिया भी कहते हैं।

(3) व्यापार एवं उद्योग–धन्धे–

किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं आवश्यकताओं की पूर्ति परस्पर आदान–प्रदान पर निर्भर करती हैं। वस्तुओं के इसी पारस्परिक आदान–प्रदान अथवा विनिमय को व्यापार कहा जाता हैं। व्यापार के माध्यम से ही एक स्थान पर निर्मित वस्तुऐं परिवहन की सहायता से दूसरे स्थानों पर निर्यात की जाती हैं तथा दूसरे स्थानों से निर्मित वस्तुऐं आयात करवायी जा सकती हैं। आयात एवं निर्यात की यह क्रिया बाजार केन्द्रों पर की जाती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में निकट के क्षेत्रों जयपुर, कोटा एवं दिल्ली से प्रमुखतः वस्तुऐं आयात की जाती हैं। इसी प्रकार स्थानीय निर्मित वस्तुऐं निकटवर्ती स्थानों पर निर्यात भी की जाती हैं।

2.9 भूमि उपयोग–

सवाई माधोपुर जिले में कुल भूमि उपयोग को जिले की मृदा, वर्षा की मात्रा व स्थलाकृतियों ने प्रभावित किया है। इसी प्रकार जिले में वर्तमान भूमि उपयोग भी विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व भौतिक कारको से प्रभावित है।

वर्ष 2007–2008 के अनुसार जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 51. 53 प्रतिशत भाग वास्तविक बोये हुए क्षेत्रफल का है जो सर्वाधिक भूमि उपयोग क्षेत्रफल है। जिले के 16.07 प्रतिशत भाग पर वनो का विस्तार है। जिले में कृषि हेतु अयोग्य कुल भूमि का क्षेत्रफल 13.51 प्रतिशत भाग तथा कुल पड़ती भूमि का क्षेत्रफल 11.23 प्रतिशत भाग है। पड़त भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि जिले के 7.66 प्रतिशत भाग पर फैली हुई है।

तालिका–2.6

जिला सवाई माधोपुर कुल भूमि उपयोग प्रतिशत में (2007–2008)				
वन क्षेत्र	**कृषि अयोग्य भूमि**	**अकृषित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)**	**पड़त भूमि**	**वास्तविक बोया गया क्षेत्र**
16.07	13.51	7.66	11.23	51.53

स्रोत– कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) , सवाई माधोपुर

तालिका–2.7

जिला–सवाई माधोपुर कुल भूमि उपयोग हैक्टेयर में (2007–2008)					
तहसील	**वन क्षेत्र**	**अकृषित भूमि**	**अन्य अकृष्य भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)**	**पडत भूमि**	**वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल**
सवाई माधोपुर	28752	15087	6834	8157	51861
खण्डार	33747	18884	5464	3789	34130
गंगापुर सिटी	3057	6703	6010	7660	40992
बौंली	2693	6975	6582	14071	32280
बामनवास	5183	8002	6551	6972	46230
चौथ का बरवाड़ा	5600	6145	2986	8516	29048
मलारना डूँगर	965	5496	3713	6757	22052

स्रोत– कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) , सवाई माधोपुर

जिले में तहसील अनुसार भूमि उपयोग में 2007–08 के आँकडों के अनुसार सर्वाधिक बोया गया क्षेत्रफल 46230 हैक्टेयर बामनवास तहसील का

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Forest Area

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than – 5000 hect.
	5000 – 10000 hect.
	25000 – 30000 hect.
	30001 – 35000 hect.

MAP-2.10

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Uncultivated Land

(Excluding Fallow Land)

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 5000 hect.
	5000 – 6000 hect.
	6001 – 7000 hect.

MAP-2.11

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Not Available for Cultivation

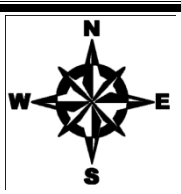

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 8 hect.
	8 – 16 hect.
	More than 16 hect..

MAP-2.12

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Fallow Land

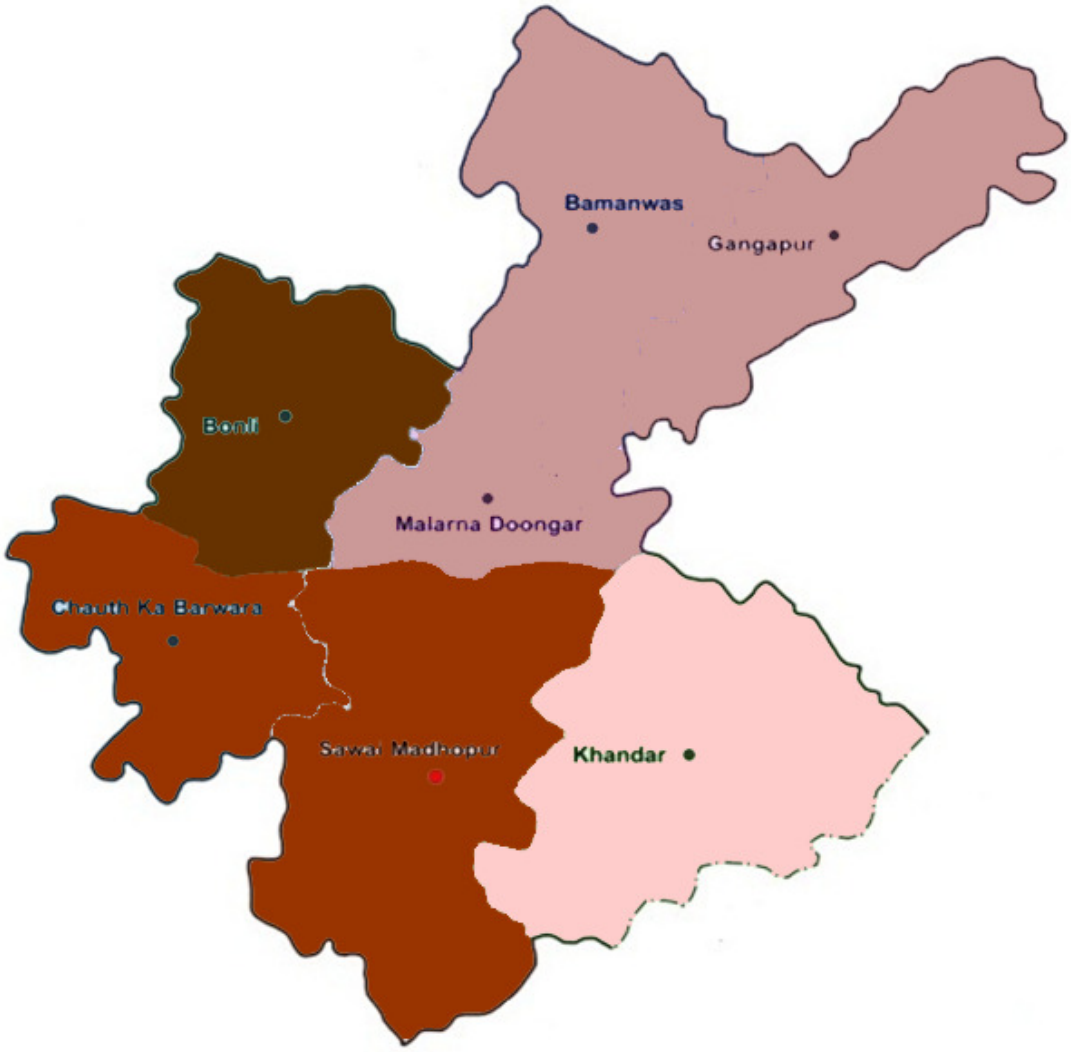

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 6000 hect.
	6000 – 8000 hect.
	8001 – 10000 hect.
	More than 10000 hect.

MAP-2.13

तथा न्यूनतम बोया गया क्षेत्रफल 22052 हैक्टेयर मलारना डूँगर तहसील का था। सर्वाधिक पडत भूमि 14071 हैक्टेयर बौंली तहसील की तथा न्यूनतम पड़त भूमि 3789 हैक्टेयर खण्डार तहसील की थी। इसी प्रकार सर्वाधिक वन क्षेत्र 33747 हैक्टेयर खण्डार तहसील का तथा न्यूनतम वन क्षेत्र 965 हैक्टेयर मलारना डूँगर तहसील का रहा। अकृषित भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल 18884 हैक्टेयर खण्डार तहसील में तथा न्यूनतम 5496 हैक्टेयर मलारना डूँगर तहसील में रहा। पड़त भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल 6834 हैक्टेयर सवाई माधोपुर तहसील व न्यूनतम क्षेत्रफल 2986 हैक्टेयर चौथ का बरवाड़ा तहसील का रहा। 2007–2008 के ये आँकडे उपर्युक्त तालिका 2.7 में प्रदर्शित है।

2.10 फसलों का स्थानीय प्रारूप–

यहाँ की प्राकृतिक दशाओं और जलवायु के आधार पर जिले की कृषि भी प्रभावित हुई हैं। जिले के कुल क्षेत्र में लगभग 60 प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती हैं। स्थानीय फसल प्रारूप के आधार पर तहसील अनुसार बोया गया कुल क्षेत्रफल निम्न प्रकार है–

तालिका–2.8

जिला सवाई माधोपुर–फसलों का स्थानीय प्रारूप (2007–2008) हेक्टर में			
कुल	**खरीफ**	**रबी**	**जायद**
	133159	196323	165
तहसील अनुसार			
सवाई माधोपुर	24348	45133	24
चौथ का बरवाड़ा	11198	23295	8
खण्ड़ार	15442	28964	56
बौंली	18881	20124	1
मलारना डूँगर	13647	14478	8
गंगापुर	26121	30599	67
बामनवास	23522	33730	1

वर्ष 2007–2008 के बुवाई के आँकडो के अनुसार खरीफ की फसलों के अन्तर्गत बोया गया कुल क्षेत्रफल 133159 हेक्टर, रबी की फसलों के अन्तर्गत

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Net Area Sown

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 25000 hect.
	25000 - 35000 hect.
	35001 - 45000 hect.
	45001 - 55000 hect.

MAP-2.14

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

LAND USE : Total Cropped Area

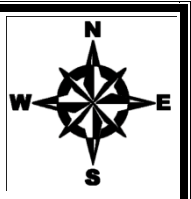

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 30000 hect.
	30000 - 50000 hect.
	50001 - 70000 hect.

MAP-2.15

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total Sown Food Crops-2011

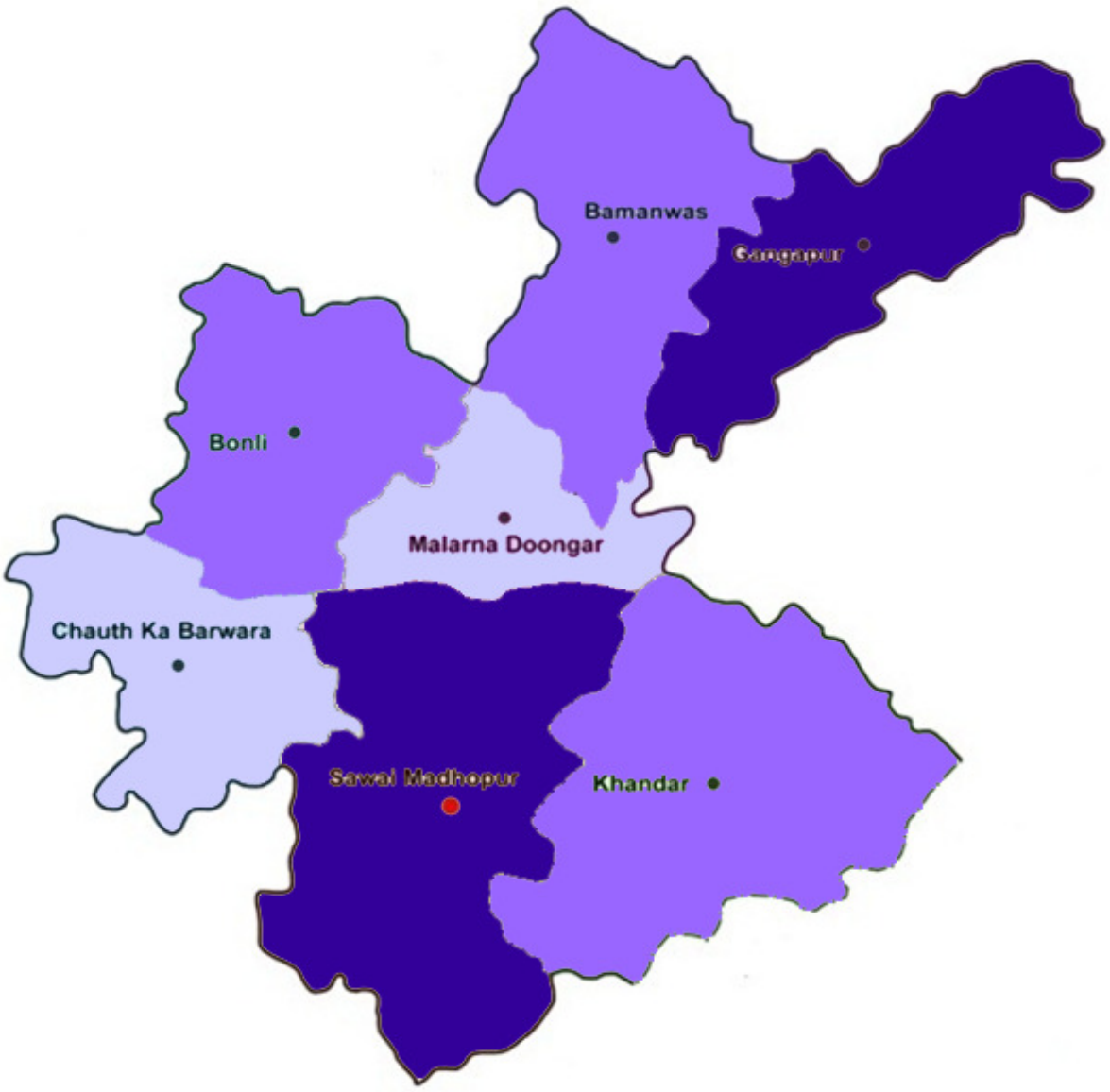

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 15000 hect.
	15000 - 25000 hect.
	25001 - 35000 hect.

MAP-2.16

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total Sown Non Food Crops-2011

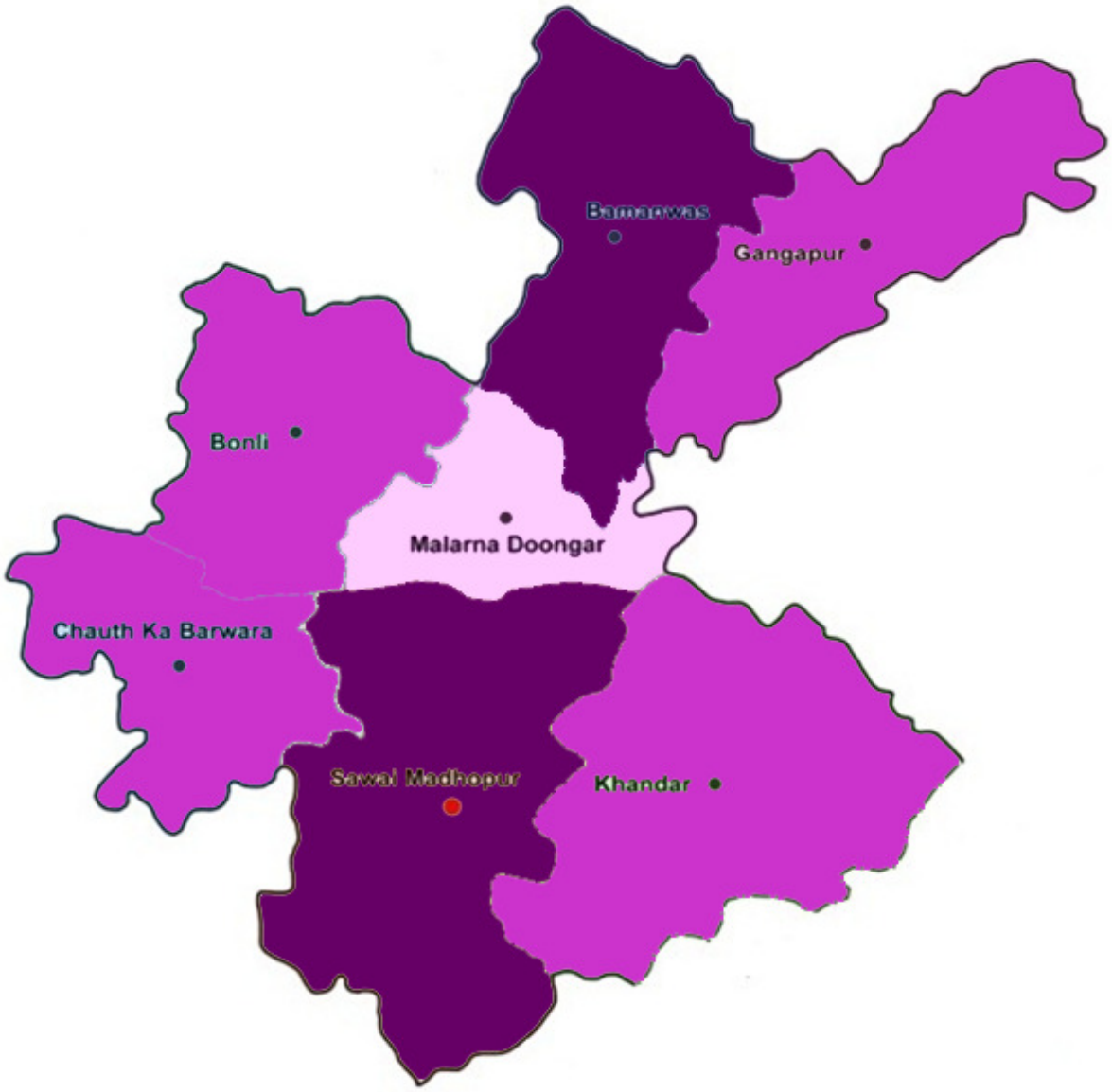

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 20000 hect.
	20000 - 30000 hect.
	30001 - 40000 hect.

MAP-2.17

बोया गया कुल क्षेत्रफल 196323 हेक्टर तथा जायद की फसलों के अन्तर्गत बोया गया कुल क्षेत्रफल 133159 हेक्टर था, जिसमें सिंचित व असिंचित क्षेत्र सम्मिलित है। जिले की गंगापुर, सवाई माधोपुर व बामनवास तहसील में बोया गया क्षेत्रफल अधिक है तथा सबसे कम बोया गया क्षेत्रफल मलारना डूँगर तहसील में है।

जिले के स्थानीय कृषि प्रारूप को फसलों के आधार पर तीन रूपों खरीफ, रबी तथा जायद में विभाजित किया जा सकता है।

खरीफ की फसलों में प्रमुख रूप से बाजरा, ज्वार, मक्का, अरहर, उड़द, मूँग, चवला, तिल, मूँगफली, ग्वार,गन्ना, सोयाबीन आदि फसलें तथा रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, राई, मटर, मसूर, जीरा, लाल मिर्च आदि फसलें मुख्य हैं। इसके अलावा यहाँ जायद की फसलों में तरबूज, खरबूजा, ककड़ी व सब्जियों की खेती भी की जाती हैं। जिले के गंगापुर उपखण्ड़ में मूँगफली तथा खण्ड़ार के छाण क्षेत्र में मिर्ची की खेती बहुतायत से की जाती हैं। बौंली तहसील में मसाला फसलों में जीरे व सौंफ की खेती की जाती हैं। जिले के खण्ड़ार क्षेत्र में सोयाबीन की खेती भी की जाने लगी हैं। फलवाले पौधो में अमरूद, आँवला, पपीता, प्रमुखता से उगाया जाता हैं। सब्जियों में मुख्यतः प्याज, भिण्डी, टमाटर, बैंगन, आलू, गोभी, लोकी, मटर, टिण्डे, कद्दू आदि सब्जियों की खेती की जाती हैं।

अध्याय–3
जिले में जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि

3.1 जनसंख्या एवं विकास–

पृथ्वी पर समय के साथ नियमित रूप से परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन जलवायु, वनस्पति व जीव–जन्तुओं के साथ–साथ मानव जनसंख्या में भी लगातार हुआ हैं तथा जिससे ही क्रमिक विकास सम्भवहुआ हैं। जनसंख्या में यह परिवर्तन आदि काल से लेकर वर्तमान काल तक होता रहा है।जनसंख्या मे होने वाला यह परिवर्तन समय और स्थान के अनुसार अलग अलग होता है तथा इसकी गति भी अलग अलग हो सकती है। सम्पूर्ण पृथ्वी पर भिन्न भिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व भी भिन्न–भिन्न है। कहीं अत्यधिक सघन जनसंख्या निवास करती है तो कहीं जनसंख्या का यह जमाव विरल पाया जाता है। जो स्थल मानव निवास हेतु उपयुक्त होते है, वहाँ जनसंख्या अधिक पायी जाती है तथा निवास की दृष्टि से अनुपयुक्त भागों पर जनसंख्या नगण्य अथवा बिल्कुल भी नही पायी जाती है।मानव के अभाव में ऐसे स्थान निर्जन एवं वीरान पड़े रहते है। जनसंख्या के भौगोलिक अध्ययन द्वारा ही पृथ्वी के विभिन्न भागों में निवास करने वाली जनसंख्या का वितरण ज्ञात होता है तथा इसके विश्लेषण द्वारा जनसंख्या सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण प्राप्त होता है। फिंच एवं ट्रिवार्था 1957 के अनुसार जनसंख्या ही वह संदर्भ बिन्दू है, जिसके कारण भूगोलवेत्ता अन्य पर्यावरणीय तंत्रों का अध्ययन करता है तथा जिसका महत्व एवं अर्थ मानव के संदर्भ में ही निहित है।

सम्पूर्ण पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग में कुल क्षेत्रफल और मनुष्यों की संख्या के आनुपातिक सम्बन्ध को जनसंख्या घनत्व द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या घनत्व द्वारा ही भूतल के क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के कम अथवा अधिक जमाव को प्रदर्शित किया जाता है।किसी प्रदेश का क्षेत्रफल, उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रतिवर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले

लोगो की संख्या से ज्ञात किया जाता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या एवं उस क्षेत्र के परस्पर सम्बंधों को स्पष्ट करने के लिए जनघनत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी देश–प्रदेश की पोषण क्षमता सम्बंधी जानकारी भी जनघनत्व द्धारा प्राप्त होती है। जनसंख्या घनत्व द्धारा भूमि पर जनसंख्या का दबाव भी प्रदर्शित होता है।इस प्रकार जनसख्या के वितरण तथा घनत्व में इतनी अधिक साम्यता तथा सहगम्यता पायी जाती है कि एक को स्पष्ट करने के लिये दूसरे का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिस स्थान पर जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है तथा जिस स्थान पर जनसंख्या कम पायी जाती है, वहाँ जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। जनसंख्या वितरण तथा जनसंख्या घनत्वके लिये उत्तरदायी भौगोलिक कारक भी इसी समानता के कारण एक दूसरे के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण होते है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी स्थान का विकास वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर करता है तथा यह विकास भी स्वयं मानवीय प्रयासो का ही परिणाम होता है एवं स्वयं जनसंख्या को मध्यनजर रखते हुए ही विकास की प्रक्रिया की जाती है। अतः मानव अथवा जनसंख्या को एक संसाधन भी कहा जाता है। जो कि एक असीमित संसाधन है। जनसंख्या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में किसी देश के विकास के स्वरूप को भी निर्धारित करती है। किसी देश के विकास के लिए वहाँ की प्राकृतिक सम्पदा व जैविक–अजैविक संसाधनो का उपयोग किया जाता है। इन सभी संसाधनो का उपयोग करने वाली जनसंख्या ही होती है। इन सभी संसाधनो का उपयोग करते हुए जनसंख्या राष्ट्र को प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। किसी देश की जनसंख्या ही अपने विवेक, तकनीकी ज्ञान व कार्यक्षमता का उपयोग कर उस राष्ट्र की उत्पादकता बढ़ाने तथा उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए उत्तरदायी होती है अर्थात् जनसंख्या ही किसी देश की उन्नति और अवनति के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि यदि जनसंख्या का वितरण और घनत्व असमान या आवश्यकता से अधिक हो जाये तो जनसंख्या ही उस देश की अवनति का कारण भी बनती है।

कहने का तात्पर्य है कि किसी स्थान पर जब प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या का अनुपात बढ़ जाएगा तो जनसंख्या असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसा कि सवाई माधोपुर जिले में वर्तमान में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है।

सवाई माधोपुर जिला वैसे तो जनसंख्या संसाधन की दृष्टि से एक सम्पन्न जिला है तथा सवाई माधोपुर जिले की वर्तमान जनसंख्या 13 लाख से भी अधिक है, परन्तु जिले की जनसंख्या के अनुपात में यहाँ स्थित जनसंख्या के भरण–पोषण एवं विकास हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नही है। विशेष रूप से रोजगार के साधनों का अचानक ही ह्रास हुआ है, जिसमे कुछ बड़े उद्योगो का बन्द होना भी प्रमुख कारण है जिसने पूरे जिले की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है तथा आर्थिक विकास को बाधित कर दिया है।

इस प्रकार स्थानीय उद्योगो के बन्द होने, नए उद्योगो व रोजगार के साधनो की स्थापना न होने तथा जनसंख्या के उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से जिले में बेरोजगारी सी छा गई है। जिला आर्थिक रूप से पिछड़ता जा रहा है। अतः जनसंख्या रोजगार हेतु अन्य स्थानो पर पलायन कर रही है तथा कई अन्य समस्याएँ उत्पन्न हो गई है व जिले का विकास अवरूद्ध हो गया है।

जिले के लिए यह विड़म्बना ही है कि जनसंख्या संसाधन की दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी यहाँ विकास की गति अत्यन्त मंद है।

जिले की अवस्थिति, परिवहन हेतु सुविधाऐं एवं औद्योगिक विकास हेतु सम्भावनाएँ होते हुए भी यह जिला पिछड़ेपन के दंश को झेल रहा है। निश्चित ही जनसंख्या वृद्धि के साथ यहाँ यातायात, कृषि, सिंचाई के साधनो, बाज़ारों, आवास, चिकित्सा आदि में तो वृद्धि हुई है परन्तु बढ़ती जनसंख्या हेतु रोजगार, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के केन्द्र आदि क्षेत्रों में विकास न्यून ही हो पाया है, परन्तु यह न्यून विकास भी बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में पुनः शून्य को प्राप्त हो जाता है, अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जाए ताकि जो भी विकास हो वो सकारात्मक पक्ष की ओर बढ़े तथा जनसंख्या का जीवन–यापन आसान हो सके।

3.2 जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक–

धरातल के किसी भाग विशेष में जनसख्या का वितरण तथा घनत्व कम अथवा अधिक हो सकता है। इस विषम जनसख्या वितरण तथा घनत्व को प्राकृतिक तथा मानवीय दोनो ही कारक सामूहिक रूप से प्रभावित करते है। क्षेत्रानुसार जनसख्या के वितरण तथा घनत्व पर किसी एक कारक का प्रभाव अधिक हो तो दूसरे कारक का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है जो कि स्थानीय रूप से भिन्न–भिन्न होता है। प्रमुख रूप से प्राकृतिक तथा मानवीय कारक निम्न प्रकार प्रभावी होते है–

(अ) प्राकृतिक कारक –

जनसख्या वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु, मिट्टी एवं खनिज, जलापूर्ति, स्थलाकृति, प्राकृतिक वनस्पति तथा जीव–जन्तु प्रमुख है जो निम्न है–

1.जलवायु–

जलवायु एक अत्यन्तमहत्वपूर्ण कारक है जो मानव के साथ सम्पूर्णवनस्पति एवं अन्य जीव जन्तुओं के वितरण को भी प्रभावित करता है जलवायवीय कारक मानव के स्वास्थ्य निवास व अन्य क्रियाओं को प्रभावित करता है। जलवायु के विभिन्न घटक जैसे तापमान, आर्द्रता, वर्षा पवनें आदि मानवीय क्रियाशीलता को नियंत्रित करते है।

सवाई माधोपुर की जलवायु जनसंख्या निवास की दृष्टि से अनुकूल है। यहाँ उष्ण–आर्द्र जलवायु के कारण ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा मुख्य ऋतु होती है तथा जनसंख्या का सामान्य संकेन्द्रण पाया जाता है।

2.स्थलाकृति–

स्थलाकृति भी जनसंख्या निवास को भी प्रभावित करती है। पठारी व पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या जमाव अधिक पाया जाता है क्योंकि मैदानी भागों में कृषि, यातायात, सिंचाई, व्यापार आदि सुविधाएँ अधिक सुलभ होती है।

सवाई माधोपुर जिले का उच्चावच पश्चिमी एवं उत्तरी–पश्चिमी भाग जलोढ़ मैदान, मध्यवर्ती भाग ,पर्वतीय जलोढ़ मैदानी भाग तथा दक्षिण व दक्षिण–पूर्वी भाग पर्वतीय भू–भाग के रूप में विस्तृत है। जिसमे अपेक्षाकृत सर्वाधिक जनसंख्या का संकेन्द्रण मैदानी भू–भाग में पाया जाता है।

3.मृदा–

वर्तमान समय में औद्योगिक व तकनीकी विकास के कारण जीविकोपार्जन के साधनों मे वृद्धि हुई है तथा मानव की व्यावसायिक संरचना में काफी बदलाव आया है, परन्तु आज भी विश्व की आधी जनसंख्या के जीविकोपार्जन का आधार कृषि ही है। जिसके लिये उर्वरक मृदा महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसे उपजाऊ क्षेत्रों में विश्व के बड़े–बड़े जनसमूह निवास करते है अतः मानव निवास हेतु मृदा भी अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। मृदा ही कृषि व वनस्पति का आधार है जिससे मानव सहित समस्त प्राणियों को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थ तथा अन्य उपयोगी पदार्थ प्राप्त होते है।

सवाई माधोपुर में सामान्य रूप से नदीय क्षेत्रों में नवीन जलोढ़ तथा कछारी, दोमट व बलुई मिट्टी, हल्की और बलुई मिट्टी तथा कहीं–कहीं चीका मिश्रित मिट्टी है, जो उपज की दृष्टि से श्रेष्ठ है। यहाँ की भूमि भी रेतीली दोमट व काली है जो फसल के उत्पादन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अतः उपजाऊ मृदा के कारण यहाँ जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है।

4.खनिज संसाधन–

किसी क्षेत्र में पर्याप्त खनिज संसाधनों की उपलब्धता भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या निवास हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ न होने पर भी यदि उस क्षेत्र में पर्याप्त खनिज संसाधन विद्यमान हो तो वहाँ जनसंख्या का जमाव पाया जाता है।

सवाई माधोपुर जिले में भी कईं धात्विक व अधात्विक खनिज सम्पदा की उपलब्धता है। जिले में धात्विक खनिजो में लेड, कॉपर व लौह अयस्क तथा अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, सिलिका सेंड, सोप स्टोन, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर व इमारती पत्थर पाये जाते है।

5.जल की उपलब्धता–

मानव हेतु जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। जिसके अभाव में मानव जीवन वजीवन निर्वाह दोनो ही संभव नही है अतः जलाभाव वाले क्षेत्रों में साधारणतया जनसंख्या का जमाव नही पाया जाता है। पेयजल के साथ ही जल की आवश्यकता घरेलु कार्यों, सिंचाई, उद्योग–धन्धे व दैनिक जीवन के अन्य कार्यों हेतु होती है। पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पायी जाता है क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि के साथ–साथ औद्योगिक विकास भी होता है।

सवाई माधोपुर जिले में चम्बल, बनास, मोरेल, गम्भीरी, ढ़ील आदि नदियों के कारण कृषि व अन्य उपयोग हेतु जल की उपलब्धता रहती है। जो जनसंख्या को आकर्षित करती है। इन नदियों के आस–पास भी तुलनात्मक रूप से जनसंख्या का अधिक जमाव पाया जाता है।

6.अवस्थिती एवं अभिगम्यता–

पृथ्वी पर जलव स्थल भाग के सन्दर्भ में किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश की अवस्थिती मध्य प्रदेशीय, महाद्वीपीय, द्वीपीय, सागर तटीय, अन्तः पर्वतीय, गिरिपदीय आदि हो सकती है। इन क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों में अभिगम्यता या पहुँच इनकी सापेक्ष स्थिती को प्रदर्शित करती है जो कि महत्वपूर्ण है। यह सापेक्ष स्थिती केन्द्रीय, परिधीय, संलग्न, सामरिक आदि प्रकार की हो सकती है। किसी प्रदेश की स्थिति उसकी अभिगम्यता से प्रभावित होती है। किसी प्रदेश में आवागमन की सुविधा जितनी सुगम होगी वह क्षेत्र जनसंख्या को उतना ही अधिक आकर्षित करेगा। सवाई माधोपुर जिले का स्वरूप भी इस संदर्भ में जनसंख्या निवास हेतु अनुकूल है।

(ब) मानवीय कारक–

किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण व घनत्व को मानवीय कारकों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक कारक भी प्रभावित करते है

सवाई माधोपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध उद्योग ''दी जयपुर उद्योग लिमिटेड'' के कारण साहूनगर क्षेत्र तथा इस उद्योग के चतुर्दिक कुछ दशकों

पहले अधिक जनसंख्या का जमाव था। बाज़ार एवं आवास भी विकसित हो गए थे परन्तु इस उद्योग के बन्द होने के कारण स्थिति पुनः विपरित हो गई है। यद्यपि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि से इस क्षेत्र में पुनः जनसंख्या का जमाव हो रहा है तथापि इससे यह स्पष्ट होता है कि निश्चित ही आर्थिक केन्द्र जनसंख्या को आकर्षित करते है।

3.3 सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या–एक दृष्टि–

वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1335551 है। जिसमे पुरूष जनसंख्या 704031 व स्त्री जनसंख्या 631520 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 297 है। जिले की जनसंख्या 1951 में 765172 (करौली जिला सहित) थी जो 50 वर्षो बाद 2001 में 1117057 (करौली जिला पृथक होने के पश्चात्) हो गई थी अर्थात् इन 50 वर्षो में जिले में जनसंख्या वृद्धि 351885 व्यक्तियो के रूप में है। वर्तमान जनगणना वर्ष 2011 के 50 वर्ष पूर्व अर्थात् 1961 में जिले की जनसंख्या 943574 थी। स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है।

जिले की सात तहसीलों में से वर्तमान में सर्वाधिक वृद्धि दर 23.59 प्रतिशत की दर से खण्ड़ार तहसील तथा सबसे कम वृद्धि दर 14.87 प्रतिशत की दर से बामनवास तहसील में रही। जिले में सर्वाधिक जनसंख्या का संकेन्द्रण मैदानी भागों में पाया जाता है। शेष जनसंख्या पर्वतीय, पठारी, बीहड़, व वन क्षेत्र में निवास करती है। जिले का वर्तमान औसत कुल लिंगानुपात 867 जिसमें ग्रामीण लिंगानुपात 894 तथा नगरीय लिंगानुपात 911 है। सवाई माधोपुर जिले में साक्षरता का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में कुल साक्षरता 65. 4 प्रतिशत है। जिसमे पुरूष साक्षरता 81.5 प्रतिशत व स्त्री साक्षरता 47.5 प्रतिशत है। जिले में नगरीय साक्षरता 79.0 प्रतिशत तथा ग्रामीण साक्षरता 61.9 प्रतिशत है। जिले में जनसंख्या संरचना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.87 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 21.40 प्रतिशत है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Total Population-2011

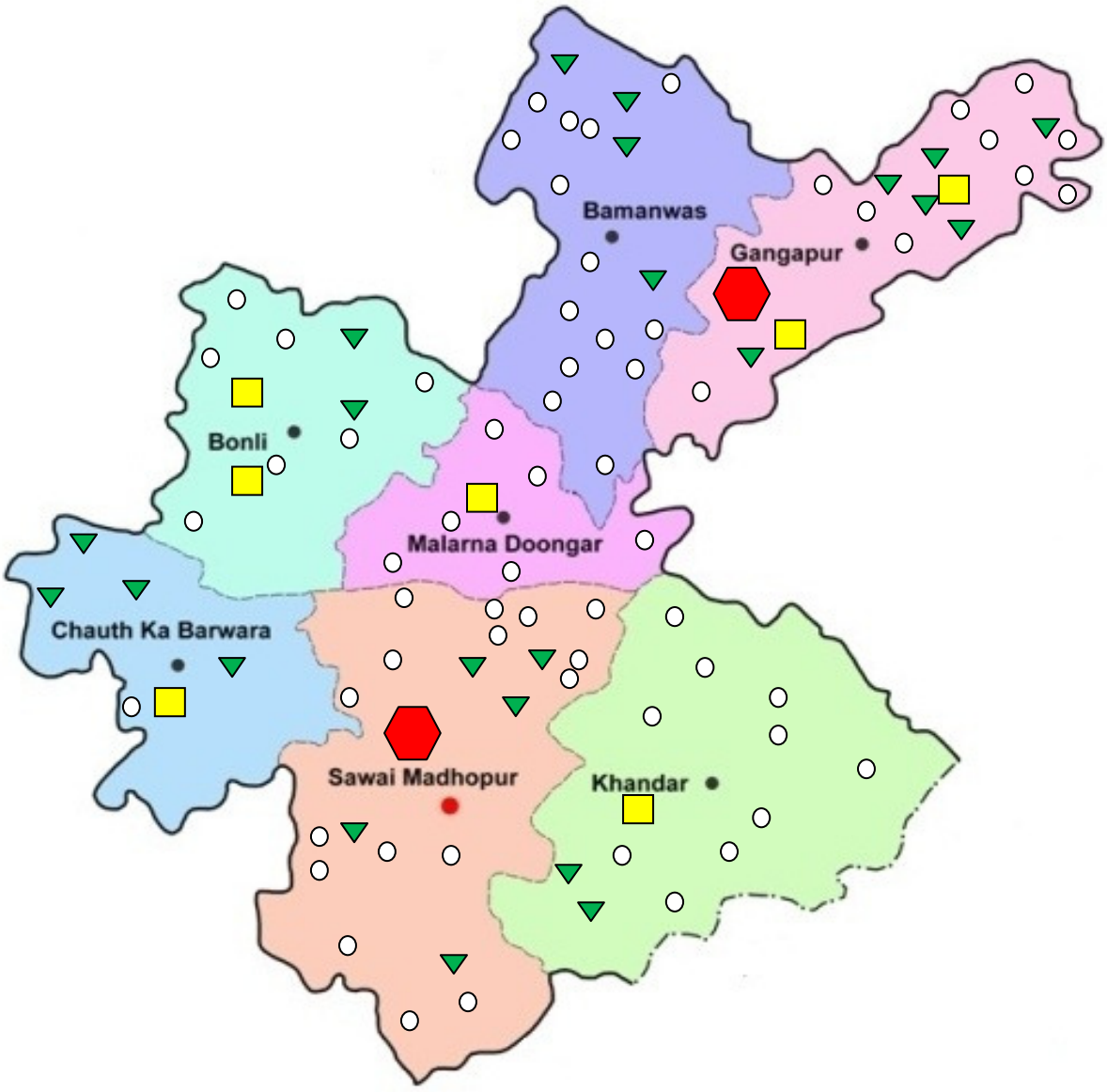

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
○	2000 - 4999
▽	5000 - 9999
□	10000 - 19999
⬡	More than - 20000

MAP-3.1

इस प्रकार स्पष्ट है कि जनसांख्यिकी रूप से जिला धनी है परन्तु जनसंख्या से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं से घिरा है।

(1) सवाई माधोपुर जिले की कुल जनसंख्या–

आजादी से पूर्व जिले की जनसंख्या सन् 1941 में मात्र 682525 थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् जिले की जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई तथा सन् 1951 में जहाँ जिले की जनसंख्या 765172 थी। वह बढ़कर 1961 में 943574, सन् 1971 में 1193528, सन् 1981 में 1535870, सन् 1991 में 1963246 हो गई। करौली जिले के पृथक होने के बाद सन् 2001 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1117057 थी। जिसमें पुरूषों व महिलाओं का अनुपात क्रमशः 52.93 प्रतिशत व 47.07 प्रतिशत था। वर्तमान 2011 में जिले की जनसंख्या 1335551 हो गई है। जिसमे पुरूषों की संख्या 704031 व स्त्रियों की संख्या 631520 है। यह अनुपात क्रमशः 52.71 प्रतिशत व 47.29 प्रतिशत है। इसी क्रम में जनगणना 2011 के अनुसार जिले में 0–6 वर्ष की आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 201188 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 107557 तथा महिला जनसंख्या 93631 है। स्पष्ट है कि वर्तमान में जिले की जनसंख्या 13 लाख को पार कर चुकी है।

(2) जनसंख्या वितरण–

जनसंख्या वितरण में असमानता पाया जाना एक सामान्य बात है। जिले की कुल जनसंख्या सात तहसीलों में वितरित है। जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या का वितरण गंगापुर तहसील में है। गंगापुर तहसील में जिले की एक चौथाई से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार सबसे कम जनसंख्या चौथ का बरवाड़ा तहसील में निवास करती है। इन दोनो तहसीलों की जनसंख्या प्रतिशत क्रमशः 25.95 व 7.30 प्रतिशत है। इसी प्रकार जिले में पर्वतीय भागों की अपेक्षा मैदानी भागों में जनसंख्या अधिक वितरित है। जिले में नगरीय केन्द्रों, सवाई माधोपुर शहर व गंगापुर सिटी में सघन जनसंख्या वितरण पाया जाता है। इन्हीं स्थानों पर जनसंख्या का अधिक संकेन्द्रण है। जबकि चौथ का बरवाड़ा, खण्डार, बौंली, मलारना डूँगर, बामनवास आदि तहसीलों में अपेक्षाकृत जनसंख्या का

जमाव कम है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1335551 है। जिले में कुल ग्रामीण जनसंख्या 1069084 तथा नगरीय जनसंख्या 266467 है। ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का यह अनुपात क्रमशः 80.05 तथा 19.15 प्रतिशत है।

(3) जनसंख्या घनत्व–

कुल जनसंख्या बढ़ने के साथ–साथ जिले के जनघनत्व में भी वृद्धि हुई है। राज्य में सवाई माधोपुर जिले के जनसंख्या घनत्व के सन्दर्भ में 2011 की जनगणनानुसार 12 वाँ स्थान है। जहाँ सवाई माधोपुर जिले में जनघनत्व सन् 1961 में 89 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। वही सन् 1991 में 186 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा सन् 2001 में 248 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। वर्तमान जनगणनानुसार 2011 में जिले का जनघनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। पिछले दशक की तुलना में जिले में जनघनत्व 49 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. बढ़ा है। जिले के नगरीय भागों में जनघनत्व अधिक व ग्रामीण भागो में जनघनत्व कम है। सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर और सवाई माधोपुर शहर का जनघनत्व सर्वाधिक है।

(4) जनसंख्या वृद्धि एवं वृद्धिदर–

जनसंख्या बढ़ने या घटने के साथ ही वृद्धिदर कम या अधिक हो सकती है। जिले की दशकीय वृद्धिदर सन् 1951 में जहाँ 12.11 थी। वह सन् 1961 में 23.32 तथा 1971 में बढ़कर 26.49, 1981 में 28.68 हो गई व फिर घटती हुई 1991 में 27.83 हो गई। सन् 2001 में यह 27.55 तथा तेजी से घटकर 2011 में 19.56 हो गई है। 2011 में वृद्धि दर घटने का एक कारण करौली जिले का पृथक होना भी है।

दशकीय वृद्धि के अतिरिक्त जिले की वृद्धि दर जहाँ 1951 में 11.21 थी। वह घटते हुए 1971 में 3.17तथा सन् 1981 में 2.19 हो गई। इसके पश्चात् जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों व प्रयासों आदि से यह वृद्धि दर नकारात्मक वृद्धि दर में बदल गई, परन्तु कुल जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि नकारात्मक नही हुई। 1991 में यह –0.85, 2001 में –0.28, तथा 2011 में तेजी

के साथ कम होकर –7.99 हो गई है, जो कि जनसंख्या नियन्त्रण के प्रयास में एक सकारात्मक परिणाम है।

तालिका–3.1

SWM-ANNUAL HEALTH SURVEY 2011-2012			
Rate	**Total**	**Rural**	**Urban**
Crude Birth Rate	27.1	29.0	21.4
Crude Death Rate	7.2	8.1	4.6
Natural Growth Rate	19.9	20.9	16.8
Infant MortalityRate	66	70	50
Neo Natal Mortality Rate	47	49	37
Undar 5 Year Mortality Rate	79	86	53

SOURCE-Directorate of Economic & Statistics, Raj. Jaipur

3.4 जिले की जनसंख्या की वितरण प्रवृत्ति–

पृथ्वी के विभिन्न भागों या मानव जनसंख्या के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का विश्लेषण करना भौगोलिक अध्ययन का मूल तत्व है। ज्ञातव्य है कि धरातल के सभी भागों या जनसंख्या का वितरण समान रूप से दृश्य नही होता क्योंकि मानव अपना आवास उन स्थानों में स्थापित करने का प्रयास करता है। जिन क्षेत्रों में उसे अधिकाधिक एवं आसानी से संसाधन उपलब्ध हो सके अर्थात् मानव की प्रवृति ऐसे स्थानो पर बसने की होती है। जहाँ जीवन–यापन एवं विकास हेतु अधिक से अधिक संभावनाएँ एवं सुविधाएँ अपेक्षाकृत सरलता से प्राप्त हो जाए। बसाव की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपवाद स्वरूप बसावट ऐसे स्थानों पर ही पायी जाती है, जो किसी ना किसी आर्थिक लाभ का केन्द्र हो। जैसे खनन केन्द्र आदि।

भारत एवं हमारे राज्य राजस्थान की भाँति ही सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसे ही साधन सम्पन्न एवं सुविधाजनक क्षेत्रों में जनसंख्या के बसाव की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। ताकि जनसंख्या स्वयं हेतु आसानी से आजीविका प्राप्त कर सके तथा निरन्तर विकास कर सके। अतः जिले के उपजाऊ कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, परिवहन के साधन सम्पन्न क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, पर्यटन केन्द्रो,

बाज़ारों के आस–पास आदि भागों में जनसंख्या का अधिक बसाव पाया जाता है। वर्तमान में नगरीकरण की विभिन्न सुविधाएँ भी नगरों की ओर जनसंख्या को आकर्षित कर रही है। जबकि जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत जनसंख्या का जमाव कम पाया जाता है। सवाई माधोपुर जिला जनसंख्या की दृष्टि से एक धनी जिला है। जहाँ वर्तमान में जनसंख्या 13.35 लाख से भी पार हो गई है। जिले की जनसंख्या 1901 की अपेक्षा वर्तमान में 5 गुनी से भी अधिक हो गई है। 1901 में जिले में मात्र 264632 लोगो का वितरण था। जो अपवाद स्वरूप घटकर 1911 में 262575 तथा 1921 में ओर भी कम 236115 हो गया। जिसका प्रमुख कारण जिले में अकाल की मार का पड़ना था।

तालिका–3.2

जिला–सवाई माधोपुर (1901–2011)				
जनगणनावर्ष	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	परिवर्तन
1901	264632	141479	123153	–––
1911	262575	140456	122119	–2057
1921	236115	126984	109131	–26460
1931	259852	138702	121150	+23737
1941	293648	155883	137765	+33796
1951	329206	173922	155284	+35558
1961	421063	223521	197542	+91857
1971	537675	286260	251415	+116612
1981	688360	366236	322124	+150685
1991	875752	468377	407375	+187392
2001	1117057	591307	525750	+241305
2011	1335551	704031	631520	+218494

इसके पश्चात् 1921 से लेकर 1951 तक जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही। परन्तु यह बढ़कर 1951 में 329206 हो गई। इस प्रकार 1901 से 1951 तक जिले में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी रही। आजादी के पश्चात् जिले की जनसंख्या में तेजी से विकास हुआ 1951 से 1971 तक यह तीव्रता के साथ बढ़ी, परन्तु 1981 से 2001 तक के काल में जनसंख्या अत्यधिक तेजी से बढ़ी। जिससे जिले की जनसंख्या 2001 में 1117057 तक पहुँच गई तथा जनसंख्या

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Total Population-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 100000
	100000 – 200000
	More than 200000

MAP-3.2

सम्बन्धी विभिन्न समस्याएँ अधिक तेजी से उभरने लगी, परन्तु जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रमों, परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रयासों आदि से अगले दशक में अर्थात् 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या 1335551 दर्ज की गई है।

आरेख–3.1

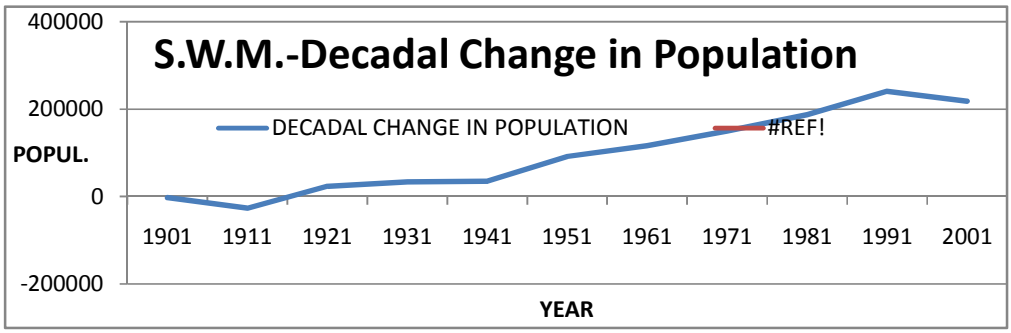

(अ) दशक के अनुसार जनसंख्या वितरण–

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के दशक तक अंततः जिले की जनसंख्या में अपेक्षाकृत मंद गति से वृद्धि हुई है। 1951 में जिले की कुल जनसंख्या 329206 थी, जिसमे पुरूष जनसंख्या 173922 तथा स्त्री जनसंख्या 155248 थी। इस जनगणना वर्ष के बाद जिले की जनसंख्या दुगुनी गति से बढ़ने लगी तथा 1961 में यह 421063 हो गई। इसी प्रकार जिले की जनसंख्या 1971 में बढ़कर 537675 हो गई, जिसमे पुरूष जनसंख्या 286260 व स्त्रियाँ 251415 थी इसके बाद जनसंख्या ओर अधिक तेजी से बढ़ी तथा बढ़कर 1981 में 688360 हो गई जिसमे पुरूषों की संख्या 366236 तथा स्त्रियों की संख्या 322124 हो गई थी तथा 1991 में यही जनसंख्या बढ़कर 875752 हो गई, जहाँ पुरूष 468377 तथा स्त्रियाँ 407375 थी। तेजी से बढ़ती हुई जिले की यह जनसंख्या 2001 में 11 लाख के आँकड़ें को पार करती हुई 1117057 तक जा पहुँची जिसमे पुरूष 591307 व स्त्रियाँ 525750 थी।

इस तीव्रता के साथ बढ़ती हुई जिले की जनसंख्या की गति में अवरोध आया तथा पिछले दशकों की अपेक्षा 2011 की जनगणना में जनसंख्या दर में

कमी महसूस हुई। 2011 में जिले की यह जनसंख्या 1335551 दर्ज की गई जिसमे पुरूषों की संख्या 704031 तथा स्त्रियों की संख्या 631520 थी।

आरेख–3.2

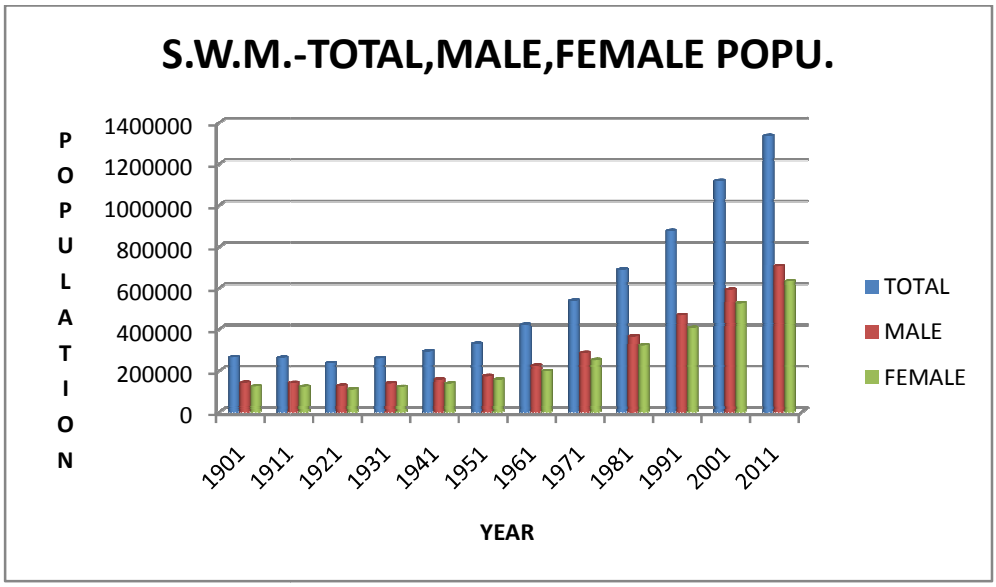

यद्यपि 2001 से 2011 के दशक की जनसंख्या के वितरण में यह बढ़त की गति 1951 तक की जनसंख्या वितरण बढ़त की गति से भी दुगुनी है, तथापि 2001 की जनसंख्या वितरण की गति से काफी कम है अतः इस प्रकार स्पष्ट होता है कि 1901 से 2011 तक जनसंख्या की दशकीय वितरण प्रवृत्ति असमान प्रतीत होती है। जिसमे कुछ घटत–बढ़त होती है, परन्तु सार रूप में यह वितरण जनसंख्या विस्फोट की ओर इशारा करती है।

(ब) तहसील के अनुसार जनसंख्या वितरण–

सवाई माधोपुर जिले की कुल जनसंख्या असमान रूप से सात तहसीलों में वितरित है। वर्तमान में जिले की सात तहसीलें सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, खण्ड़ार, बामनवास, मलारना डूँगर, चौथ का बरवाड़ा तथा बौंली है। पिछली जनगणना 2001 के अनुसार जिले की सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील गंगापुर थी, जिसकी कुल जनसंख्या 284605 थी तथा जिसमे पुरूषों की संख्या 151570 व स्त्रियों की संख्या 133035 थी। सबसे कम जनसंख्या चौथ का

बरवाड़ा तहसील की थी, जिसकी कुल जनसंख्या 84153 थी। इसमे पुरूषों की संख्या 44190 तथा स्त्रियों की संख्या 39963 थी। इस प्रकार 2001 के अनुसार जिले की इन दोनो तहसीलों में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान था तथा दोनो तहसीलों की कुल जनसंख्या में अन्तर 2 लाख से भी अधिक था। इसका एक प्रमुख कारण सवाई माधोपुर जिले से करौली जिले का पृथक हो जाना भी है।

इस जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वितरण वाली तहसील गंगापुर रही तथा द्वितीय स्थान पर सवाई माधोपुर तहसील, तृतीय स्थान पर बामनवास तहसील, चतुर्थ स्थान पर बौंली, पंचम स्थान पर खण्ड़ार, तथा षष्ठम् स्थान पर मलारना डूँगर व अंतिम सप्तम स्थान पर सबसे कम जनसंख्या के साथ चौथ कर बरवाड़ा तहसील रही। प्रथम स्थान पर रही गंगापुर तहसील की कुल जनसंख्या 346614 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 184102 तथा महिलाओं की संख्या 162512 है। वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाली चौथ का बरवाड़ा तहसील की कुल जनसंख्या 97500 रही है, जिसमे पुरूषों की संख्या 50627 तथा स्त्रियों की संख्या 46873 रही है। स्पष्ट है कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वितरण वाली दोनो तहसीलों में जनसंख्या वितरण संबन्धी असमानता 2001 की अपेक्षा 2011 में ओर अधिक हो गई है अर्थात् पिछले दशक की अपेक्षा यह असमानता लगभग एक चौथाई अर्थात् 24.27 प्रतिशत बढ़ी है। इस असमानता का प्रमुख कारण नगरीय एवं ग्रामीण परिवेश का होना है। गंगापुर नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है, जिसमे विभिन्न नगरीय जन सुविधाओं की उपलब्धता है। फलस्वरूप वहाँ जनसंख्या अधिक आकर्षित होती है जबकि इसके विपरीत चौथ का बरवाड़ा तहसील ग्रामीण क्षेत्र है।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिले की ऐसी तहसीलें जो नगरीय क्षेत्र है, जैसे सवाई माधोपुर तहसील, गंगापुर तहसील आदि में शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिकीकरण, सड़क–रेल, परिवहन, आजीविका के साधन आदि विभिन्न सुविधाऐं ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अतः ऐसे शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण अधिक पाया जाता है तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों वाली

तहसीलों जैसे चौथ का बरवाड़ा, खण्डार, मलारना डूँगर, बौंली, बामनवास आदि तहसीलों में उपयुक्त सुविधायें तुलनात्मक रूप में कम पायी जाती है। अतः ऐसी तहसीलों में जनसंख्या वितरण न्यून पाया जाता है। जिले की तहसीलों में असमान वितरण प्रारूप को उच्चावच व स्थलाकृतिक स्वरूप भी प्रभावित करते है।

तालिका–3.3

तहसील के अनुसार जनसंख्या वितरण						
तहसील	2001			2011		
	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री
सवाई माधोपुर	278641	146881	131760	334877	174728	160149
गंगापुर	284605	151570	133035	346614	184102	162512
बामनबास	149429	79388	70041	171642	91628	80020
बौंली	120039	63262	56777	142741	74961	67780
बरवाड़ा	84153	44190	39963	97500	50627	46873
मलारना डूँगर	89794	46897	42897	105732	55413	50319
खण्ड़ार	110396	59119	51277	136439	72572	63867

(स) क्षेत्रानुसार जनसंख्या वितरण–

1.सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र–

जनसंख्या की दृष्टि से सघन क्षेत्र वह होते है जहाँ सामान्य रूप से जनसंख्या वितरण अधिक गहन होता है और जनसंख्या का वितरण उन क्षेत्रों में गहन रूप में पाया जाता है जहाँ जीवन यापन हेतु सुविधायें अधिक मात्रा में व सुगमता से उपलब्ध हो तथा कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर तहसील, खण्ड़ार, बौंली, चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर तहसील, बामनवास, मलारना डूँगर, इन तहसीलों के मुख्यालय तथा इनके कस्बे जनसंख्या बसाव की दृष्टि से सघन है। इनमें सवाई माधोपुर तहसील तथा गंगापुर तहसील मुख्यालय में सघन जनसंख्या का एक प्रमुख कारण नगरीकरण भी है।

2.मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र–

सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र वह होते है, जहाँ जनसंख्या ना तो अधिक होती है और ना ही बहुत कम होती है। ये स्थान प्रायः तहसीलों के उपकस्बे

होते है। ऐसे स्थानों पर प्रायः सुविधायें भी सामान्य ही प्राप्त होती है और जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि कार्य पर निर्भर रहता है। ऐसे स्थानो पर रहने वाले लोगो की जीवन शैली भी अधिक शहरी ना होकर सामान्य ही रहती है क्योंकि यहाँ के लोगों को इन स्थानों पर जीवन निर्वहन हेतु सामान्य सुविधायें तो उपलब्ध हो जाती है किन्तु अधिक सुविधाओं हेतु इन्हें अन्य स्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। सवाई माधोपुर, मलारना डूँगर, बामनवास तहसीलो के क्षेत्र इस वर्ग में सम्मिलित है। इन्हें भी अपनी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है।

3.अल्प व विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र–

ऐसे क्षेत्रों में मुख्यतः वह स्थान आते है, जहाँ मनुष्य के जीवन हेतु आवश्यक सुविधायें बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होती है। यहाँ के लोग जीविका हेतु या तो थोड़ी–बहुत कृषि करते है या अन्य स्थानों पर जाकर व्यवसाय करते है। ऐसे स्थानों पर जनसंख्या का जमाव या तो दूर–दूर फैले हुए रूप में होता है या संकुचित रूप में थोड़े से भू–भाग पर ही होता है। खण्ड़ार, चौथ का बरवाड़ा, बौंली तहसीलों के ग्रामीण क्षेत्र अत्यल्प जनसंख्या वितरण वाले क्षेत्र है।

4.निर्जन क्षेत्र–

शून्य जनसंख्या वाले क्षेत्र वह होते है, जहाँ जन–जीवन न के बराबर होता है। ऐसे स्थान सुविधाओं की दृष्टि से भी शून्य होते है। इन स्थानों में प्रायः सघन वन क्षेत्र, बीहड़, पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, अनुपजाऊ भू–भाग वाले क्षेत्र आदि आते है। जिले की प्रत्येक तहसील में ऐसे निर्जन जनसंख्या वाले स्थान पाए जाते है। सवाई माधोपुर जिले में भी ऐसे स्थान मिलते है जिसमे खण्ड़ार तहसील, सवाई माधोपुर तहसील, बौंली तहसील, चौथ का बरवाड़ा, बामनवास के कुछ वन व पहाड़ी क्षेत्र आते है जो जनसंख्या बसाव और सुविधाओं की दृष्टि से शून्य है।

3.5 जनसंख्या वितरण का विश्लेषण–

सवाई माधोपुर की जनसंख्या वितरण का विभिन्न स्तरों पर गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत तहसील के अनुसार व क्षेत्रानुसार जिले की जनसंख्या वितरण प्रारूप को विश्लेषित किया जा सकता है। पूर्व के.बिन्दुओं में जनसंख्या के असमान वितरण एवं समयानुसार जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन को भी स्पष्ट किया गया है। प्रमुख रूप से यहाँ 2011 की जनसंख्या का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

जिले की जनसंख्या 1901 में 264632 थी जो दो दशकों 1911 एवं 1921 में घटकर क्रमशः 262575 एवं 236115 हो गई इन दोनो दशको में जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है। इसके पश्चात् 1921 से 1951 तक जनसंख्या में धीमी गति से धनात्मक वृद्धि हुई है। 1951 के पश्चात् 2001 तक जिलें की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़कर 1117057 हो गई। इस तीव्र वृद्धि का कारण जिले में विभिन्न सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, रोजगार, कृषि एवं खाद्यान्न आदि में सुधार होना था। 2001–2011 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि की गति पूर्व के दशकों की अपेक्षा कम हो गई परन्तु 2011 में बढ़कर जनसंख्या 13. 35 लाख हो गई।

जिले की कुल जनसंख्या राज्य में 26 वें स्थान के साथ 2011 में 1335551 तक पहुँच गई, जिसमे पुरूषों की संख्या 704131 तथा स्त्रियों की संख्या 631520 हैं। इसमे शिशु जनसंख्या 201188 है जो कुल जनसंख्या का 15.1 प्रतिशत है। जिले का औसत जनघनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जो राज्य के जनघनत्व 201 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से 96 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. अधिक है, परन्तु भारत के औसत जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से कम है। राज्य में जिले का जनघनत्व की दृष्टि से 12 वाँ स्थान है।

2011 की जनगणनानुसार जिले की गंगापुर तहसील का जनघनत्व 538 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा सवाई माधोपुर, मलारना डूँगर,बौंली व बामनवास तहसील का जनघनत्व राज्य के औसत जनघनत्व अर्थात् 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से भी अधिक है। जबकि खण्डार, चौथ का बरवाड़ा का जनघनत्व 100

व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के मध्य है। जिले की न्यूनतम जनघनत्व वाली तहसील खण्ड़ार है। जिसका जनघनत्व मात्र 142 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। इस प्रकार जिले की तहसीलों में अधिकतम (गंगापुर) व न्यूनतम (खण्ड़ार) जनघनत्व में परस्पर पर्याप्त अन्तर है, जो कि 396 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

जिले की तहसीलों में जनघनत्व में असमानता का कारण जिले में तहसीलों का नगरीय व ग्रामीण प्रतिरूप भी है। जो तहसीलें नगरीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करती है। वहाँ स्वतः ही ग्रामीण तहसीलों की अपेक्षा जनघनत्व अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्पष्ट किये गए अन्य कारको जैसे उपजाऊ मैदानी भाग, जलीय उपलब्धता, सिंचाई सुविधा, परिवहन सुविधा, रोजगार के अवसर आदि ने भी जिले के जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित किया है। इसके विपरित जिले में असुविधा एवं बसावट की प्रतिकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों जैसे पहाड़ी, पथरीले, ऊबड़–खाबड़, बीहड़, वन क्षेत्र, जलाभाव वाले भागों ने जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को बसाव की दृष्टि से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस प्रकार जिले को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से क्षेत्रानुसार विभिन्न भागों सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, अल्प व विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र तथा निर्जन क्षेत्र में बाँटा गया है, जिसका विस्तृत विवरण पूर्व में किया जा चुका है।

जिले की सभी तहसीलों के भीतर भी क्षेत्रानुसार वितरण एवं घनत्व की असमानता पायी जाती है। तहसील मुख्यालयों व उपकस्बों में वितरण एवं घनत्व अधिक जबकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व कम पाया जाता है। यदि सवाई माधोपुर जिले के जिला मुख्यालय की जनसंख्या पर दृष्टिपात किया जाए तो जिला मुख्यालय ''सवाई माधोपुर नगर'' की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121106 है, जिसमे 63014 पुरूष तथा 58092 स्त्रियाँ है। यहाँ कुल शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष) 15620 है, जो नगर की कुल जनसंख्या का 12.90 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर नगर की यह जनसंख्या 40 वार्डो में वितरित है। वर्तमान में जिले में जनसंख्या को आकर्षित करने हेतु

किसी भी प्रकार का आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षिक केन्द्र नही है अतः जनसंख्या सामान्य रूप से वितरित है।

3.6 जनसंख्या आकार के आधार पर नगरों, कस्बों और गाँवों का वर्गीकरण–

सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या के अध्ययन को सही रूप में समझने एवं इसे विश्लेषात्मक रूप प्रदान करने हेतु जनसंख्या को नगरों, कस्बों व ग्रामों में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है, तभी जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन एवं विस्तृत विश्लेषण संभव हो सकेगा। इसी कारण जिलों को ग्रामों, कस्बों व नगरों में वर्गीकृत किया गया है। चूँकि इस शोध का उद्देश्य जिले की जनसंख्या का अध्ययन करना है अतः उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में जिले की जनसंख्या का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है–

1.नगरीय अथवा शहरी क्षेत्र– जिन स्थानों पर जनसंख्या 50,000 से अधिक है, परन्तु 1 लाख व अधिक जनसंख्या वाले नगर को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। इसके पश्चात् अन्य क्षेत्रों को जनसंख्या अनुसार क्रमशः श्रेणीबद्ध किया गया है।

2.बडे कस्बे– जिन स्थानों पर जनसंख्या 20,000 से अधिक परन्तु 50,000 से कम हो।

3.मध्यम श्रेणी के कस्बे– जिन स्थानों पर जनसंख्या 10,000 से अधिक परन्तु 20,000 से कम हो।

4.छोटे कस्बे– जिन स्थानों पर जनसंख्या 5000 से अधिक परन्तु 10,000 से कम हो।

5.अधिक बड़े गाँव– जिन स्थानों पर जनसंख्या 2000 से अधिक परन्तु 5000 से कम हो।

6.बड़े गाँव– जिन स्थानों पर जनसंख्या 500 से अधिक परन्तु 2000 से कम हो।

7.मध्यम श्रेणी के गाँव– जिन स्थानों पर जनसंख्या 200 से अधिक परन्तु 500 से कम हो।

8.छोटे गाँव– जिन स्थानों पर जनसंख्या 200से कम हो।

(अ) जिले के नगरो का वर्गीकरण–

जिले में जनसंख्या के अनुसार 50,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को नगर की श्रेणी में रखा गया है। सवाई माधोपुर जिले में 50,000 से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्र दो है, प्रथम नगरीय क्षेत्र गंगापुर सिटी तथा द्वितीय नगरीय क्षेत्र सवाई माधोपुर नगर है। इन दोनो ही नगरों की आबादी एक लाख से अधिक है।

जनगणना 2001 के अनुसार नगरो को जनसंख्या के आधार पर श्रेणीबद्ध कियागया है, जैसे 1 लाख व इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरो को प्रथम श्रेणी में तथा 50,000 से 9,99,99 तक जनसंख्या वाले को द्वितीय श्रेणी आदि में सम्मिलित किया गया है। जिले के दो नगर ही प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत आते है, जिसमे गंगापुर सिटी व सवाई माधोपुर नगर शामिल है। इन दोनो ही नगरों की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तथा दोनो ही नगरों में नगरपरिषद् है। इनके अलावा महुँकला कस्बा चतुर्थ श्रेणी का नगर है परन्तु इसे कस्बे में ही सम्मिलित किया गया है। जिले के नगरो का वर्गीकरण निम्नानुसार है–

प्रथम श्रेणी के नगर–

1.सवाई माधोपुर नगर–

यह नगर सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा नगर है जिसकी वर्तमान जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121106 है। नगर में कुल पुरूषों की संख्या 63014 तथा स्त्रियों की संख्या 58092 है। सवाई माधोपुर नगर की शिशु जनसंख्या 15620 है। सवाई माधोपुर नगर का जनसंख्या घनत्व 1853 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा लिंगानुपात 922 जो राज्य के लिंगानुपात 928 से कुछ ही कम है। नगर का शिशु लिंगानुपात 880 है जो राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से कम है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर नगर की साक्षरता दर

79.44 प्रतिशत है जो राज्य की साक्षरता 66.11 प्रतिशत से अधिक है। यह सभी आँकड़ें नगर को अन्य क्षेत्रों से अलग करते है एवं नगरीकरण की दशा को प्रस्तुत करते है। सवाई माधोपुर नगर 45 वार्डों में विभाजित है।

सवाई माधोपुर नगर की अवस्थिति जिले के दक्षिण–पश्चिम भाग में लगभग केन्द्रीय रूप में है। जो जिले का प्रशासनिक, आर्थिक, राजनैतिक केन्द्र तथा एक प्रमुख पर्यटन केन्द्र भी है। यहाँ कई धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल, प्रसिद्ध रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य एवं ऐतिहासिक रणथम्भौर किला स्थित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस नगर में ''दी जयपुर उद्योग लिमिटेड'' नामक सीमेन्ट उद्योग स्थापित हुआ था जो कभी एशिया में अपना द्वितीय स्थान रखता था। इस उद्योग ने नगर को एक औद्योगिक नगर का स्वरूप प्रदान किया था तथा इसके आस–पास बड़ी आवासीय बस्ती, बाजार और शैक्षिक केन्द्र स्थापित हो गए थे, जिससे यहाँ नगरीकरण की प्रवृत्ति को ओर बधिक बढ़ावा मिला था परन्तु वर्तमान में 1985 से यह कारखाना बन्द है। इसी के बाद लगभग एक दशक पूर्व ''इण्डेन बोटलिंग प्लान्ट'' के बन्द हो जाने से नगर का विकास व स्वरूप प्रभावित हुआ है। यदि ये दोनो उद्योग वर्तमान में संचालित हो रहे होते तो निश्चित रूप से नगर का बहुत अधिक विस्तार और विकास हुआ होता। इसके उपरान्त भी नगर में धार्मिक, ऐतिहासिक व पर्यटन महत्व के कारण सवाई माधोपुर नगर ने जिले में ही नही बल्कि आस–पास के क्षेत्रों में व साथ–साथ विश्व स्तर पर भी अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। सवाई माधोपुर नगर जिले का प्रशासनिक दृष्टि से जिला मुख्यालय है तथा अन्य आर्थिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, परिवहन आदि का केन्द्र है। अतः जिले के सभी भागों से जनसंख्या इस नगर की ओर आकर्षित होती है। जिससे नगर का लगातार विस्तार हो रहा है। नगर में कोई वृहद् औद्योगिक इकाई तो नही है परन्तु जिला उद्योग केन्द्र की सहायता से अन्य कई लघु व कुटीर उद्योग संचालित है जिससे नगर में औद्योगिकरण बढ़ रहा है।

2.गंगापुर सिटी–

गंगापुर सिटी भी जिले का दूसरा महत्वपूर्ण नगर है। जिसकी जनसंख्या 119090 है तथा जो सवाई माधोपुर नगर की भाँति ही 45 वार्डों में विभाजित हैं। इस जनसंख्या में 62829 पुरूष तथा 56261 स्त्रियों की संख्या है। इसी प्रकार शिशु जनसंख्या 16365 है जो नगर की कुल जनसंख्या का 13.74 प्रतिशत भाग है। इस नगर का लिंगानुपात 895 है, जो सवाई माधोपुर नगर के लिंगानुपात 922 और राज्य के लिंगानुपात 928 से कम है। गंगापुर नगर की साक्षरता 79.12 प्रतिशत है, जो सवाई माधोपुर नगर के समकक्ष परन्तु राज्य की साक्षरता 66.11 प्रतिशत से अधिक है। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्य गंगापुर के नगरीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाते है।

गंगापुर नगर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में तहसील के केन्द्र में अवस्थिति है। तहसील में केन्द्रीय स्थिति के कारण नगर का सम्पर्क चारों ओर से अन्य ग्रामों से सुलभ रहता है। इस नगर में उच्च शिक्षा के केन्द्र तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से सम्बन्धित संस्थान सवाई माधोपुर नगर की तुलना में अधिक व उच्च स्तरीय है। आर्थिक व व्यापारिक गतिविधियाँ भी पर्याप्त पायी जाती है।

गंगापुर सिटी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 5.79 प्रतिशत है। शहर की लगभग 35174 जनसंख्या व्यावसायिक कार्यो में संलग्न है जिसमे 29463 पुरूषों तथा 5711 स्त्रियों की संख्या है। व्यावसायिक कार्यो में संलग्न उपर्युक्त 35174 जनसंख्या में से 80.84 प्रतिशत मुख्य कार्मिक में तथा 19.16 प्रतिशत सीमांतक कर्मी के रूप में संलग्न है।

गंगापुर शहर दिल्ली–मुम्बई व दिल्ली–जयपुर रेलवे लाईन से जुड़ा है तथा सड़क परिवहन द्वारा जिला मुख्यालय, करौली, जयपुर व दौसा जिलों से सम्बद्ध है। यह एक प्रमुख राजनैतिक, आर्थिक व शैक्षणिक केन्द्र है अतः इन कारणों से यहाँ जनसंख्या का संकेन्द्रण है।

(ब) जिले के कस्बों का वर्गीकरण–

सवाई माधोपुर जिले के नगरों के पश्चात् द्वितीय प्रकार के जनसंख्या आकार द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भू–दृश्य कस्बे होते है। जिले के कस्बे नगरीय एवं ग्रामीण परिवेश की संक्रमण पेटी है अर्थात् इनमे कुछ नगरीय एवं कुछ ग्रामीण परिवेश की झलक देखी जा सकती है। जिले के कस्बो को श्रेणी अनुसार बड़े, मध्यम, तथा छोटे आकार के कस्बो में विभक्त किया गया है। जो निम्न प्रकार है–

नगरो के श्रेणी क्रम की भाँति ही कस्बों को भी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है जिले के प्रमुख कस्बे निम्न प्रकार से वर्गीकृत है–

(1) वृहद् आकार के कस्बे–

वृहद् आकार के कस्बों में 20,000 से 49,999 तक जनसंख्या पायी जाती है। जिले में वृहद् आकार के कस्बों का अभाव है तथा मध्यम व लघु आकार के कस्बे पाये जाते है।

(2) मध्यम आकार के कस्बे–

जिले में ऐसे कस्बे जिनकी जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक है, उन्हें इस श्रेणी में रखा गया है। जिले में ऐसे कस्बे कुल 5 है, जो चौथ का बरवाड़ा, गंगापुर, खण्ड़ार, तथा मलारना डूँगर तहसीलों में अवस्थित है। भारतीय संविधान और पंचायतीराज अधिनियम के तहत् यहाँ का शासकीय प्रमुख चयनित सरपंच है, जो इन कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है

(a) महुँकला कस्बा –

महुँकला कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 10,971 है जिसके कारण इसकी गणना मध्यम श्रेणी के कस्बे मे की जाती है। कुल जनसंख्या में पुरूष संख्या 5722 तथा स्त्रियों की संख्या 5249 है। इस कस्बे में कुल शिशु जनसंख्या 1576 है जो कि कस्बे की कुल जनसंख्या का 14.37 प्रतिशत है। इस कस्बे में लिंगानुपात 917 है जो राज्य के लिंगानुपात 928 से कम है। वहीं कस्बे का शिशु लिंगानुपात 824 है जो भी राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से न्यून है।

महुँकला कस्बे की साक्षरता दर 80.10 प्रतिशत है जो राज्य की साक्षरता दर 66. 11 प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक है। इस कस्बे में पुरूष साक्षरता दर 92. 38 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 66.94 प्रतिशत है। इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत 23.13 व 1.35 है।

(b) वज़ीरपुर कस्बा –

वज़ीरपुर कस्बा गंगापुर तहसील का एक भाग है। इसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 15515 होने के कारण यह मध्यम श्रेणी में आता है। इसमें पुरूषों की कुल संख्या 8297,कुल महिलाओं की संख्या 7218 तथा कुल शिशु जनसंख्या 2519 है। कुल शिशु संख्या कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.24 प्रतिशत है। यहाँ का कुल लिंगानुपात 870 है। शिशु लिंगानुपात 948 है जो राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 की तुलना में अधिक है। इस कस्बे की साक्षरता दर 72.22 प्रतिशत है जबकि राज्य की साक्षरता दर 66.11 ही है। इस दृष्टि से यहाँ साक्षरता का स्तर राज्य से बेहतर है। कस्बे में पुरूष साक्षरता दर 85.61 प्रतिशत तथा महिलाओं की साक्षरता दर 56.58 प्रतिशत है। यहाँ कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 36.59 और अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 3.37 है।

(c) चौथ का बरवाड़ा कस्बा –

जनगणना 2011 के अनुसार चौथ का बरवाड़ा कस्बे की कुल जनसंख्या 14038 है जिसमे पुरूषों की संख्या 7247 व स्त्रियों की संख्या 6791 है। शिशुओं की जनसंख्या 2109 है जो कस्बे की जनसंख्या का 15.02 प्रतिशत है। यहाँ का लिंगानुपात 937 व शिशु लिंगानुपात 883 है। 2011 की जनगणनानुसार चौथ का बरवाड़ा कस्बे की साक्षरता दर 69.28 है जिसमे पुरूष साक्षरता 85.08 प्रतिशत व महिला साक्षरता 52.59 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचितजाति का प्रतिशत 32.83 व अनुसूचितजनजाति का प्रतिशत 3.70 है। भारतीय संविधान और पंचायतीराज अधिनियम के तहत् यहाँ का शासकीय प्रमुख चयनित सरपंच है जो इस कस्बे का प्रतिनिधित्व करता है। कस्बे में प्रसिद्ध चौथ माता का

मन्दिर है जिसकी ख्याति पूरे देश में है। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ के जनसंख्या संकेन्द्रण का एक कारण यह मन्दिर भी है।

(d) खण्ड़ार कस्बा–

2011 की जनगणना के अनुसार खण्ड़ार कस्बे की कुल जनसंख्या 12273 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 6421 और स्त्रियों की जनसंख्या 5852 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1804 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 14. 70 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 911 व शिशु लिंगानुपात 805 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 72.30 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 84.96 प्रतिशत व महिला साक्षरता 58.69 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 24.04 व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 3.60 है।

(e) मलारना डूँगर कस्बा–

2011 की जनगणना के अनुसार मलारना डूँगर कस्बे की कुल जनसंख्या 12809 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 6788 और स्त्रियों की जनसंख्या 6021 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1993 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15. 56 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 887 व शिशु लिंगानुपात 873 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 63.17 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 76.92 प्रतिशत व महिला साक्षरता 47.72 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 10.58 व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 1.11 है।

(f) खिरनी कस्बा –

2011 की जनगणना के अनुसार खिरनी कस्बे की कुल जनसंख्या 12358 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 6398और स्त्रियों की जनसंख्या 5966 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1925 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.58 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 932 व शिशु लिंगानुपात 840 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 62.49 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 78.44 प्रतिशत व महिला साक्षरता 45.70 प्रतिशत है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 16.28 व अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 11.17 है।

(स) लघु आकार के कस्बे–

लघु कस्बों में जनसंख्या 5000 से 9,999 तक विस्तारित रहती है। जिले में लघु आकार के कस्बो की कुल संख्या 23 है। भारतीय संविधान और पंचायतीराज अधिनियम के तहत यहाँ का शासकीय प्रमुख चयनित सरपंच है जो इन कस्बों का प्रतिनिधित्व करता है।

जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

(a) मलारना चौड़ कस्बा–

मलारना चौड़ कस्बा मलारना डूँगर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मलारना चौड़ कस्बे की कुल जनसंख्या 7667 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4038 और स्त्रियों की जनसंख्या 3629 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1015 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 13.24 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 899 व शिशु लिंगानुपात 813 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 68.22 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 85.45 प्रतिशत व महिला साक्षरता 49.34 प्रतिशत है।

(b) पीपलदा कस्बा–

पीपलदा कस्बा बौंलीं तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पीपलदा कस्बे की कुल जनसंख्या 5905 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3065 और स्त्रियों की जनसंख्या 2840 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 969 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.41 प्रतिशत है। कस्बे में कुल लिंगानुपात 927 व शिशु लिंगानुपात 893 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 62.74 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 78.26 प्रतिशत व महिला साक्षरता 46.12 प्रतिशत है।

(c) छाण कस्बा –

छाण कस्बा खण्डार तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार छाण कस्बे की कुल जनसंख्या 8111 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4199 और स्त्रियों की जनसंख्या 3912 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1340 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.52 प्रतिशत है। कस्बे में

लिंगानुपात 932 व शिशु लिंगानुपात 816 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 59.43 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 74.86 प्रतिशत व महिला साक्षरता 43.29 प्रतिशत है।

(d) बहराँवण्डा कस्बा–

बहराँवण्ड़ा कस्बा खण्डार तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बहराँवण्ड़ा कस्बे की कुल जनसंख्या 5606 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2915 और स्त्रियों की जनसंख्या 2691 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 763 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 13.61 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 923 व शिशु लिंगानुपात 932 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 67.71 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 83.17 प्रतिशत व महिला साक्षरता 50.93 प्रतिशत है।

(e) बामनवास पट्टी कलां कस्बा–

बामनवास पट्टी कलां बामनवास तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बामनवास पट्टी कलांकस्बे की कुल जनसंख्या 7586 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4104 और स्त्रियों की जनसंख्या 3482 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1054 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 13.89 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 848 व शिशु लिंगानुपात 793 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 69.30 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 86.15 प्रतिशत व महिला साक्षरता 49.67 प्रतिशत है।

(f) बामनवास पट्टी खुर्द कस्बा–

बामनवास पट्टी खुर्द कस्बा बामनवास तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बामनवास पट्टी खुर्द कस्बे की कुल जनसंख्या 5811 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3222 और स्त्रियों की जनसंख्या 2589 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 692 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 11. 91 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 804 व शिशु लिंगानुपात 788 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 71.83 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 89.35 प्रतिशत व महिला साक्षरता 50.09 प्रतिशत है।

(g) पिपलाई कस्बा–

पिपलाई कस्बा बामनवास तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिपलाई कस्बे की कुल जनसंख्या 6093 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3232 और स्त्रियों की जनसंख्या 2861 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 937 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.38 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 885 व शिशु लिंगानुपात 827 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 69.34 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 86.24 प्रतिशत व महिला साक्षरता 50.47 प्रतिशत है।

(h) अमावरा कस्बा–

अमावरा कस्बा बामनवास तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अमावरा कस्बे की कुल जनसंख्या 5098 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2718 और स्त्रियों की जनसंख्या 2380 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 822 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.12 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 876 व शिशु लिंगानुपात 847 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 59.35 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 76.33 प्रतिशत व महिला साक्षरता 40.09 प्रतिशत है।

(i) भगवतगढ़ कस्बा–

भगवतगढ़ कस्बा चौथ का बरवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भगवतगढ़ कस्बे की कुल जनसंख्या 8048 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4143 और स्त्रियों की जनसंख्या 3905 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1068 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 13.27 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 943 व शिशु लिंगानुपात 970 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 64.81 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 81.95 प्रतिशत व महिला साक्षरता 46.55 प्रतिशत है।

(j) शिवाड़ कस्बा–

शिवाड़ कस्बा चौथ का बरवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिवाड़ कस्बे की कुल जनसंख्या 7798 है जिसमे पुरूष

जनसंख्या 4028 और स्त्रियों की जनसंख्या 3770 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1234 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.82 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 936 व शिशु लिंगानुपात 856 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 69.33 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 85.10 प्रतिशत व महिला साक्षरता 52.76 प्रतिशत है।

(k) ईसरदा कस्बा–

ईसरदा कस्बा चौथ का बरवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ईसरदा कस्बे की कुल जनसंख्या 5523 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2865 और स्त्रियों की जनसंख्या 2658 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 773 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 14.00 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 928 व शिशु लिंगानुपात 1018 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 62.06 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 81.06 प्रतिशत व महिला साक्षरता 41.27 प्रतिशत है।

(l) सारसोप कस्बा–

सारसोप कस्बा चौथ का बरवाड़ा तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सारसोप कस्बे की कुल जनसंख्या 5356 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2729 और स्त्रियों की जनसंख्या 2627 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 824 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.38 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 963 व शिशु लिंगानुपात 934 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 59.77 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 78.33 प्रतिशत व महिला साक्षरता 40.60 प्रतिशत है।

(m) सूरवाल कस्बा–

सूरवाल कस्बा सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सूरवाल कस्बे की कुल जनसंख्या 8813 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4668 और स्त्रियों की जनसंख्या 4145 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1666 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 18.90 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 888 व शिशु लिंगानुपात 849 है। 2011 के अनुसार कस्बे की

साक्षरता 63.71 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 83.38 प्रतिशत व महिला साक्षरता 41.78 प्रतिशत है।

(n) कुस्तला कस्बा–

कुस्तला कस्बा सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुस्तला कस्बे की कुल जनसंख्या 7406 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3756 और स्त्रियों की जनसंख्या 3650 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1158 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 972 व शिशु लिंगानुपात 1039 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 64.15 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 81.93 प्रतिशत व महिला साक्षरता 45.62 प्रतिशत है।

(o) खिलचीपुर कस्बा–

खिलचीपुर कस्बा सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार खिलचीपुर कस्बे की कुल जनसंख्या 6661 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3469 और स्त्रियों की जनसंख्या 3192 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1016 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 15.25 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 920 व शिशु लिंगानुपात 875 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 66.57 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 86.71 प्रतिशत व महिला साक्षरता 44.89 प्रतिशत है।

(p) टोडरा कस्बा–

टोडरा कस्बा सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार टोड़रा कस्बे की कुल जनसंख्या 5490 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2828 और स्त्रियों की जनसंख्या 2662 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 605 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 11.02 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 941 व शिशु लिंगानुपात 862 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 77.93 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 89.53 प्रतिशत व महिला साक्षरता 65.74 प्रतिशत है।

(q) कुण्डेरा कस्बा–

कुण्डेरा कस्बा सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कुण्डेरा कस्बे की कुल जनसंख्या 5076 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2683 और स्त्रियों की जनसंख्या 2393 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 711 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 14.01 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 892 व शिशु लिंगानुपात 876 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 64.65 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 80.16 प्रतिशत व महिला साक्षरता 47.31 प्रतिशत है।

(r) उदेई कलां कस्बा–

उदेई कलां कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार उदेई कलां कस्बे की कुल जनसंख्या 9034 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4795 और स्त्रियों की जनसंख्या 4239 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1598 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 17.69 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 884 व शिशु लिंगानुपात 869 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 66.92 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 81.02 प्रतिशत व महिला साक्षरता 51.03 प्रतिशत है।

(s) खण्डीप कस्बा–

खण्डीप कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार खण्डीप कस्बे की कुल जनसंख्या 8092 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 4342 और स्त्रियों की जनसंख्या 3750 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 1321 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.32 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 864 व शिशु लिंगानुपात 800 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 66.71 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 83.87 प्रतिशत व महिला साक्षरता 47.14 प्रतिशत है।

(t) पिलोदा कस्बा–

पिलोदा कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार पिलोदा कस्बे की कुल जनसंख्या 6336 है जिसमे पुरूष

जनसंख्या 3437 और स्त्रियों की जनसंख्या 2899 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 724 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 11.43 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 843 व शिशु लिंगानुपात 915 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 69.10 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 86.20 प्रतिशत व महिला साक्षरता 48.61 प्रतिशत है।

(u) सेवा कस्बा–

सेवा कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सेवा कस्बे की कुल जनसंख्या 5718 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 3127 और स्त्रियों की जनसंख्या 2591 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 723 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 12.64 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 829 व शिशु लिंगानुपात 713 है। 2011 के अनुसार कस्बे की साक्षरता 69.33 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 85.14 प्रतिशत व महिला साक्षरता 50.66 प्रतिशत है।

(v) चूली कस्बा–

चूली कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार चूली कस्बे की कुल जनसंख्या 5831 है जिसमे पुरूष व स्त्री जनसंख्या क्रमशः 2858 और 2523 है तथा शिशु जनसंख्या 907 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.86 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 883 व शिशु लिंगानुपात 821 है। कस्बे की साक्षरता 65.98 प्रतिशत है जिसमे पुरूष व स्त्री साक्षरता 84.45 व45.36 प्रतिशत है।

(w) श्यारोली कस्बा–

श्यारोली कस्बा गंगापुर तहसील के अन्तर्गत आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार श्यारोली कस्बे की कुल जनसंख्या 5369 है जिसमे पुरूष जनसंख्या 2823 और स्त्रियों की जनसंख्या 2546 है। 2011 के अनुसार शिशु जनसंख्या 891 है जो कस्बे की कुल जनसंख्या का 16.60 प्रतिशत है। कस्बे में लिंगानुपात 902 व शिशु लिंगानुपात 888 है। 2011 के अनुसार कस्बे की

साक्षरता 65.16 प्रतिशत है जिसमे पुरूषों की साक्षरता 82.01 प्रतिशत व महिला साक्षरता 46.54 प्रतिशत है।

(स) जिले के गाँवों का वर्गीकरण–

जिले में अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसी कारण जिले में गाँवों की संख्या नगर या कस्बों की तुलना में अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले में कुल गाँवों की संख्या 814 (प्रॉविजनल) है। जिन्हें उनकी जनसंख्या के अनुसार अधिक बड़े गाँव, बड़े गाँव, मध्यम आकार के गाँव, लघु आकार के गाँव और जनशून्य अथवा नाबाद ग्राम आदि में वर्गीकृत किया गया है। जिले के इन गाँवों का वर्गीकरण निम्न है–

(अ) अधिक बड़े गाँव–

जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक किन्तु 5000 से कम है।

(ब) बड़े गाँव–

बड़े आकार के गाँवों की श्रेणी में वह गाँव आते है जिनकी जनसंख्या 500 से 1999 तक होती है। स.मा. जिले में बड़े गाँवों की संख्या 431 है।

(स) मध्यम आकार के गाँव–

मध्यम आकार के गाँवों में वह गाँव आते है जिनकी जनसंख्या 200 से 499 तक होती है। स.मा. जिले में मध्यम आकार गाँवों की संख्या 126 है।

(द) लघु आकार के गाँव–

लघु आकार के गाँवों की श्रेणी में वह गाँव आते है जिनकी जनसंख्या 200 से कम होती है। स.मा. जिले में लघु आकार के गाँवों की संख्या 63 है।

(य) जनशून्य अथवा नाबाद गाँव–

जनशून्य अथवा नाबाद गाँवों की श्रेणी में वह गाँव आते है जहाँ जनसंख्या निवास नही करती ये स्थान निर्जन होते है। सवाई माधोपुर जिले में जनशून्य अथवा नाबाद गाँवों की संख्या 43 है।

3.7 स.मा. जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण–

राज्य के अन्य जिलों की भाँति सवाई माधोपुर जिले में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का वितरण पाया जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में भी क्षेत्रानुसार अलग–अलग प्रकार की जाति व जनजाति निवास करती है। उसी प्रकार राजस्थान के अरावली पर्वतीय भाग में विशेषतः आदिम जनजाति आज भी निवास करती है तथा शेष क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। इन जातियों में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जिले में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जिनमें विशेषतः मीणा जनजाति की जनसंख्या जिले में अधिक संख्या निवास करती है, जो निम्न प्रकार है–

आरेख–3.3

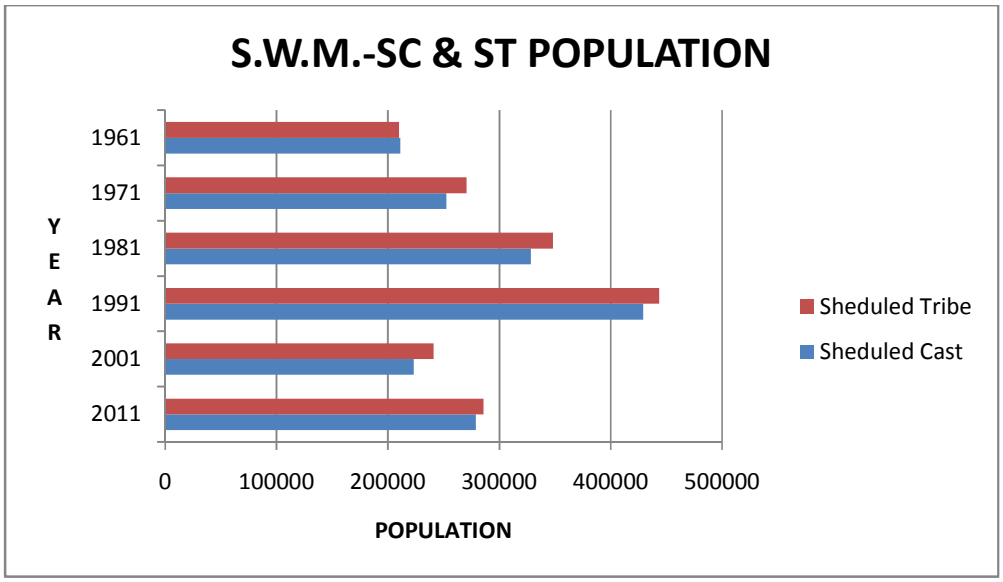

(अ) अनुसूचित जाति–

1.जिले में अनुसूचित जाति का भौगोलिक वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न अनुसूचित जातियाँ प्राचीनकाल से ही निवास करती आई है। जिले में पायी जाने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के लोग आज भी अधिक विकास नही कर पाये है तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of S. C. Population-2011

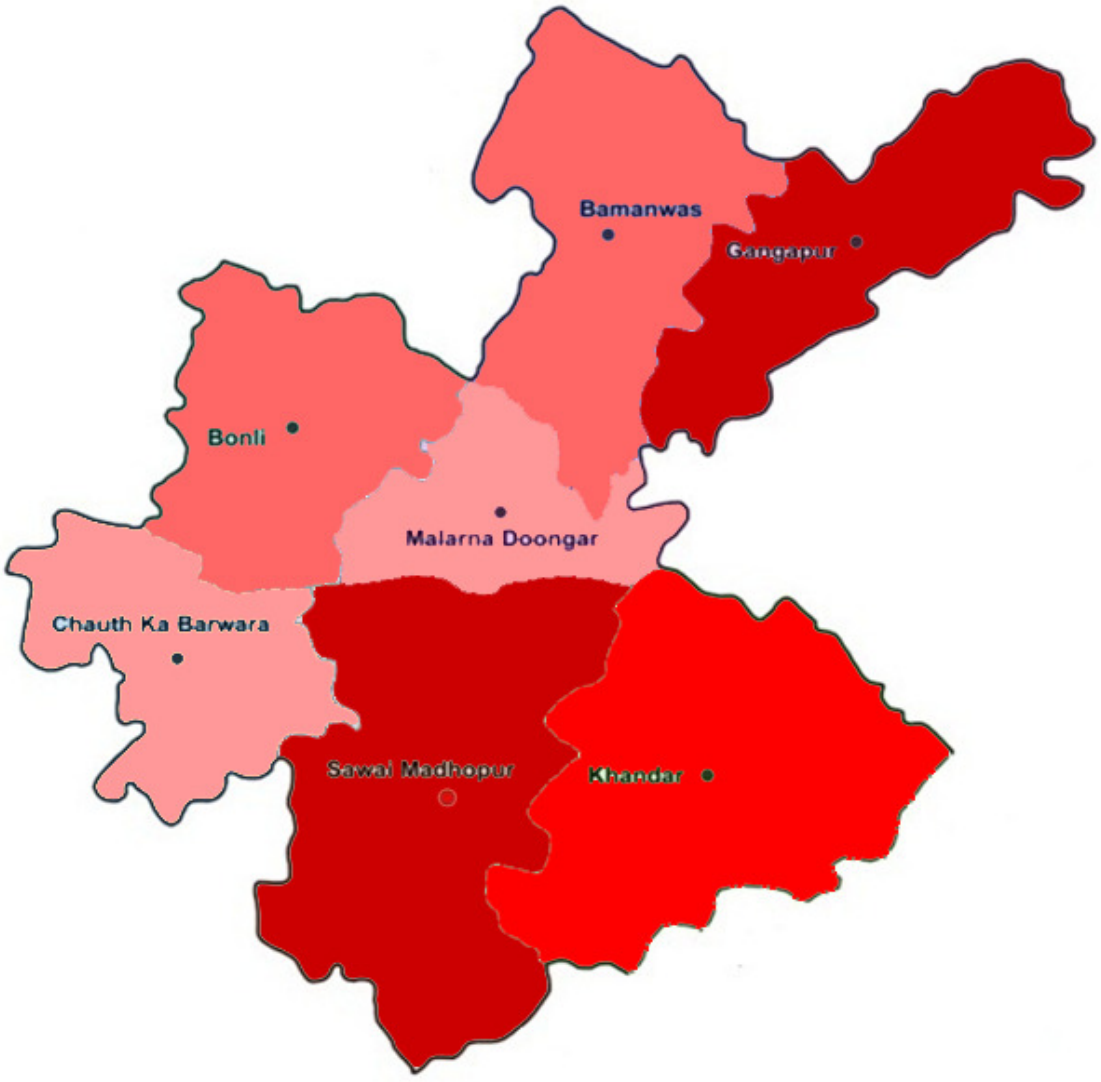

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 20000
	20000 – 39999
	40000 – 59999
	60000 - 80000

MAP-3.3

अत्यन्त पिछड़े हुए है तथा सरकारी, गैरसरकारी संस्थाएँ तथा अन्य सामाजिक संस्थाएँ इनके विकास हेतु प्रयासरत है।

अनुसूचित जाति की जनसंख्या का वितरण सम्पूर्ण जिले में ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ अनुसूचित जाति के लोग कृषि एवं कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करते है। वहीं नगरीय क्षेत्र में मजदूरी हेतु निवास करते है। ऐसी अनुसूचित जाति की जनसंख्या जिसके पास स्वयं की कृषि भूमि नही है वे नगरों में ही मजदूरी हेतु बस जाते है तथा वहीं अपना जीवनयापन करते है।

2.जिले में अनुसूचित जाति का दशकीय वितरण–

जिले की कुल जनसंख्या के साथ ही अनुसूचित जाति का वितरण एवं वृद्धि भी स्वतन्त्रता के पश्चात् निरन्तर बढ़ी है। 1961 में जिले में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 210948 थी जो 1971 में बढ़कर 252578 हो गई। जिले की यही जनसंख्या 1981 में बढ़कर 328147 हो गई तथा 1991 में 429273 तक पहुँच गई। 2001 की जनगणना में यह जनसंख्या पाँच लाख को पार करते हुए 503356 हो गई। परन्तु 1997 में करौली जिला पृथक होने के पश्चात् 2001 की यह जनसंख्या 223224 रह गई।

तालिका–3.4

जिला–स.मा. अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण (1961–2011)							
वर्ष	अनुसूचित जाति	कुल वृद्वि	वृद्धि प्रतिशत	ग्रामीण	नगरीय	पुरूष	स्त्री
2011	278789	55565	24.89	227374	51415	146333	132456
2001	223224	196049	19.98	183390	39834	117567	105657
1991	429273	––	21.87	371081	58192	231022	198251
1981	328147	––	21.37	286983	41164	174455	153692
1971	252578	––	21.36	225844	26734	133408	119170
1961	210948	––	22.36	191878	19070	110302	106646

Source-population facts and figures (1961 -2001) directorate of eco.& stat. rajasthan, jaipur

वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले से करौली जिले के पृथक होने के पश्चात् जिले में अनुसूचित जाति का वितरण 278789 जनसंख्या के रूप में है। इस प्रकार पिछले दशक की तुलना में करौली से पृथक जिले का अनुसूचित

जाति की जनसंख्या में 55565 की वृद्धि हुई तथा वर्तमान में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। जिले में 1961 से 1991 तक लगभग समान दर से जनसंख्या वितरण बढ़ा। 1991 में यह करौली पृथक होने पर कुछ धीमी रही, परन्तु 2011 में तेजी से वृद्धि दर का प्रतिशत बढ़ा।

3.जिले में अनुसूचित जाति का स्त्री–पुरूष वितरण–

जिले की कुल जनसंख्या में स्त्री–पुरूष वितरण में भिन्नता तथा पुरूषों की अपेक्षा स्त्री का अनुपात कम है। 1961 की जनगणना के अनुसार पुरूषों की जनसंख्या 110302 तथा स्त्रियों की संख्या 100646 थी जो 1971 में बढ़कर क्रमशः 133408 तथा 119170 हो गई। यह अनुपात 1981 में क्रमशः 174455 तथा 153692 हुआ तथा 1991 में 231022 तथा 198251 हो गया। इसी प्रकार पुरूष–स्त्री की यह संख्या करौली जिले के पृथक हो जाने के बाद 2001 में क्रमशः 117567 तथा 105657 रह गई परन्तु स्मरण रहे कि अनुसूचित जाति की कुल संख्या कम नही हुई बल्कि 1991 से 2001 के मध्य जनसंख्या पूर्व के दशको से अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ी है। 2011 में यह तीव्र वृद्धि दर के साथ बढकर क्रमशः 146333 व 132456 हो गई।

तालिका–3.5

जिला– स.मा. अनुसूचित जाति स्त्री–पुरूष जनसंख्या(1961–2011)					
वर्ष	अनु. जाति	वृद्धि प्रतिशत	पुरूष	स्त्री	अन्तर (स्त्री–पुरूष)
2011	278789	24.89	146333	132456	13877
2001	223224	19.98	117567	105657	11910
1991	429273	21.87	231022	198251	32771
1981	328147	21.37	174455	153692	20763
1971	252578	21.36	133408	119170	14238
1961	210948	22.36	110302	106646	3656

Source-popu.facts and figures (1961 -2001) dir. of eco.& stat. raj., jaipur

गौरतलब है कि 1961 में स्त्री–पुरूष वितरण में सबसे कम असमानता रही जो की 3656 थी, परन्तु इसके पश्चात् यह असमानता बढ़ती गई। सर्वाधिक असमानता 1991 की जनगणना में दर्ज की गई जो 32771 थी। 2001 में करौली

जिले के पृथक होने के पश्चात् यह असमानता पुनः कम हो गई परन्तु 2011 में सामान्य रूप से बढ़ी।

4.जिले में अनुसूचित जाति का ग्रामीण–नगरीय वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति के ग्रामीण व नगरीय अनुपात में अधिक असमानता पायी जाती है। चूँकि जिले की अधिकतर जनसंख्या गाँवों में निवास करती है अतः अनुसूचित जाति की अधिकांश जनसंख्या भी गाँवों में निवास करती है। यहाँ एक तथ्य ध्यान देने योग्य है कि यदि करौली जिले को पृथक करने के पश्चात् आँकड़ों पर दृष्टिपात किया जाए तो स्पष्ट होता है कि 1961 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या में अधिक अन्तर नही है अर्थात् 1961 में जहाँ नगरीय–ग्रामीण अनुसूचित जाति की जनसंख्या में अन्तर 172808 था वहीं 2011 में यह अन्तर 175959 रह गया है। परन्तु 1961 से 1991 तक अनुसूचित जाति के नगरीय–ग्रामीण जनसंख्या में अन्तर बढ़ता गया। 1961 के इस 172808 व्यक्तियों के अन्तर से बढ़कर 1991 में दुगुने से थोड़ा कम रह गया अर्थात् 321889 तक पहुँच गया परन्तु करौली जिले के पृथक हो जाने के पश्चात् यह अन्तर पुनः कम होकर 2011 में पुनः बढ़ गया।

तालिका–3.6

जिला–स.मा. अनुसूचित जाति ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या (1961–2011)				
वर्ष	**अनु. जाति**	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**अन्तर (ग्रामीण–नगरीय)**
2011	278789	227374	51415	175959
2001	223224	183390	39834	143556
1991	429273	371081	58192	312889
1981	328147	286983	41164	245819
1971	252578	225844	26734	199110
1961	210948	191878	19070	172808

Source-popu.facts and figures (1961 -2001) dir. of eco.& stat. raj., jaipur

अनुसूचित जाति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत् उल्लेखित किया गया है तथा राज्य में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर इनके विकास हेतु प्रयास किए जा रहे है। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित

जाति का प्रतिशत 20.87 है। जिले का यह जनसंख्या वर्ग प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलापों में भी अपनी भागीदारी निरन्तर बढ़ा रहा है।

जिले में कई अनुसूचित जातियों का निवास पाया जाता है। जिनमें प्रमुख रूप से अनुसूचित जातियों के रूप में चमार, रैगर, धोबी, हरिजन, बलाई, खंगार, कोली, खटीक, नायक, मेघवाल, राणा, जाटव, जिनगर, धानक, मोची, बैरवा, बावरिया, भांड, सांसी तथा नट आदि उपजाति निवास करते है। जिनकी अपनी अलग संस्कृति व रिति रिवाज है। इनकी जनसंख्या जिले की सभी तहसीलों में पायी जाती है।

(ब) अनुसूचित जनजाति–

1.जिले में अनुसूचित जनजाति का भौगोलिक वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जाति के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति का वितरण भी पाया जाता है जो जिले में अपनी एक पहचान बनाए हुए है। जिले में विभिन्न जनजातियों के साथ प्रमुख रूप से मीणा जनजाति का बाहुल्य है। मीणा जनजाति राज्य की सबसे समृद्ध जनजाति मानी जाती है। जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य है, परन्तु वर्तमान में सरकारी सेवाओं में इस जनजाति की भागीदारी तीव्रता से बढ़ी है। जिसका प्रमुख कारण सरकार से प्राप्त आरक्षण है। यह जनजाति तेजी से अपना सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक विकास करती जा रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत जनजातियों का उल्लेख किया गया है। जिले में मीणा जनजाति के अतिरिक्त रेबारी, रायका, कंजर आदि जनजाति भी निवास करती है।

2.जिले में अनुसूचित जनजाति का दशकीय वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जनजाति का वितरण सम्पूर्ण जिले में पाया जाता है। 1961 से लेकर 1991 तक अनुसूचित जनजाति के वितरण में लगभग समान दर से वृद्धि हुई है। 1961 में जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 209931 थी जो बढ़कर 1971 म ें270694 हो गई तथा इसी गति से बढ़ती हुई 1981 में 348130व 1991 में 443469 तक पहुँच गई। करौली जिले के पृथक होने के पश्चात् 2001 में जिले की अनुसूचित

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of S. T. Population-2011

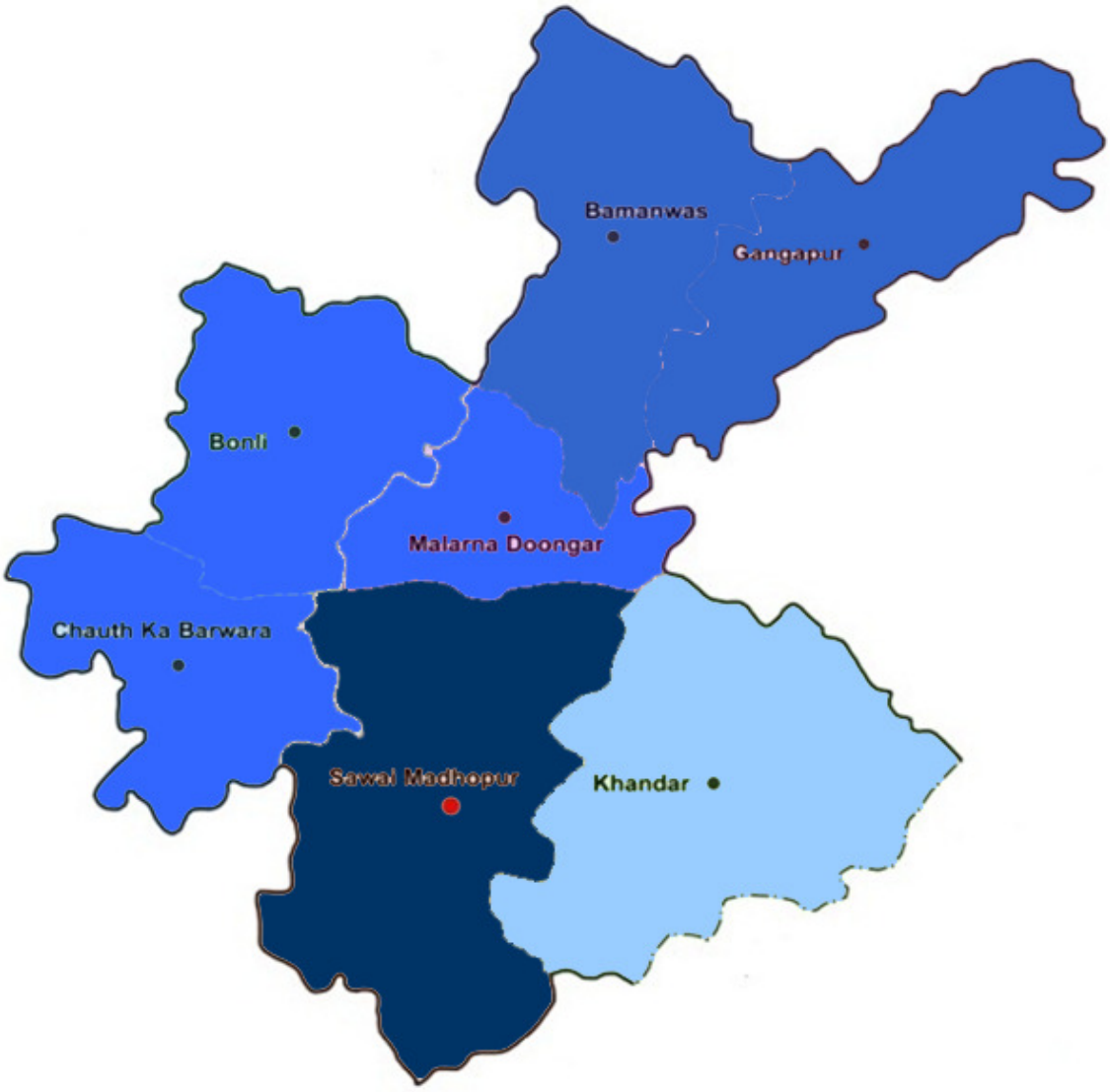

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	less than 20000
	20000 – 39999
	40000 – 59999
	60000 - 80000

MAP-3.4

जनजाति वृद्धि दर में अल्प कमी हुई, परन्तु 2001 से 2011 के मध्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वृद्धि में जिले की कुल जनसंख्या की भाँति अधिक कमी दर्ज की गई। इस प्रकार जिले की अनुसूचित जनजाति की यह जनसंख्या 2001 में 241078 तथा 2011 में 285848 तक पहुँच गई।

तालिका 3.14 से स्पष्ट है कि 1961 में जहाँ जिले की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 22.25 थी, यह गिरकर 2011 में 18.57 प्रतिशत रह गई। जिसका कारण जनसंख्या नियन्त्रण, नियोजन कार्यक्रम एवं जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित जागरूकता व जनचेतना है।

तालिका–3.7

जिला– स.मा. अनुसूचित जन जाति जनसंख्या का वितरण (1961–2011)							
वर्ष	अ.ज.जा.	कुल वृद्वि	वृद्धि प्रतिशत	ग्रामीण	नगरीय	पुरूष	स्त्री
2011	285848	44770	18.57	272573	13275	152745	133103
2001	241078	202391	21.58	232544	8534	128446	112632
1991	443469	–	22.59	433925	9544	239065	204404
1981	348130	–	22.67	341822	6308	186576	161554
1971	270694	–	22.68	266567	4127	145248	125446
1961	209931	–	22.25	206695	3236	111778	98153

Source-popu.facts and figures (1961 -2001) dir. of eco.& stat. raj., jaipur

वर्तमान जनगणनाा 2011 के अनुसार जिले की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 285848 है, जो जिले की कुल जनसंख्या का 21.40 प्रतिशत है। वर्तमान में सवाई माधोपुर जिले की विशेषतः मीणा जनजाति तीव्र गति से समृद्धि की ओर अग्रसर है तथा समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुकी है।

3.जिले में अनुसूचित जनजाति का स्त्री–पुरूष वितरण–

जिले की कुल जनसंख्या में स्त्री–पुरूष वितरण में भिन्नता तथा पुरूषों की अपेक्षा स्त्री का अनुपात कम है। 1961 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति में पुरूषों की जनसंख्या 111778 तथा स्त्रियों की संख्या 98153 थी जो 1971 में बढ़कर क्रमशः 145248 तथा 125446 हो गई। यह अनुपात 1981 में

क्रमशः 186576 तथा 161554 हुआ। वर्ष 1991 में यह 239065 तथा 204404 हो गया। इसी प्रकार पुरूष–स्त्री की यह संख्या करौली जिले के पृथक हो जाने के बाद 2001 में क्रमशः 128446 तथा 1112632 रह गई, परन्तु स्मरण रहे कि अनुसूचित जाति की कुल संख्या कम नही हुई, बल्कि 1991 से 2001 के मध्य अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूर्व के दशको से अपेक्षाकृत कम दर से बढ़ी है। 2011 में यह तीव्र वृद्धि दर से बढ़कर क्रमशः 152745 व 133103 हो गई।

गौरतलब है कि 1961 में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में स्त्री–पुरूष वितरण में सबसे कम असमानता रही जो की 3656 थी, परन्तु इसके पश्चात् यह असमानता बढ़ती गई। सर्वाधिक असमानता 1991 की जनगणना में दर्ज की गई जो 32771 थी। 2001 में करौली जिले के पृथक होने के पश्चात् यह असमानता पुनः कम हो गई परन्तु 2011 में सामान्य रूप से बढ़ी।

4.जिले में अनुसूचित जनजाति का ग्रामीण–नगरीय वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण–नगरीय वितरण में अत्यधिक असमानता दृष्टिगोचर होती है। यह असमानता अनुसूचित जाति की तुलना में अधिक विषम है तथा जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक अनुपात में केन्द्रित है। इसका कारण यह है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अपने मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य में संलग्न है, अतः जनजाति का नगरीय निवास अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। जिले में मीणा जनजाति का बाहुल्य है एवं लगभग सभी के पास स्वयं की कृषि भूमि है अतः कृषि कार्य हेतु ग्रामों में ही निवास करना पड़ता है। नगरों में केवल वही जनजातिय जनसंख्या पायी जाती है, जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न है। इसके विपरित अनुसूचित जाति की जनसंख्या के पास स्वयं की कृषि भूमि अपेक्षाकृत कम है अतः वे नगरों की ओर प्रवासित हो जाते है अतः अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अपेक्षा अधिकसंख्या में नगरों में वितरित है।

1961 में जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का ग्रमीण–नगरीय अनुपात क्रमशः 206095 तथा 3236 था अर्थात् जनसंख्या का कृषि कार्य में संलग्न होने से संकेन्द्रण लगभग ग्रामों में ही था।

तालिका–3.8

जिला– स.मा. अनुसूचित जाति ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या (1961–2011)					
वर्ष	अनुसूचित जन जाति	वृद्धि प्रतिशत	ग्रामीण	नगरीय	अन्तर (ग्रामीण–नगरीय)
2011	285848	18.57	272573	13275	259298
2001	241078	21.58	232544	8534	224010
1991	443469	22.59	433925	9544	424381
1981	348130	22.67	341822	6308	335514
1971	270694	22.68	266567	4127	262440
1961	209931	22.25	206695	3236	203459

Source-popu.facts and figures (1961 -2001) dir. of eco.& stat. raj., jaipur

इसके पश्चात् 1991तक सामान्य रूप से बढ़ती जनजाति की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या भी बढ़ती गई अर्थात् 1961 में जहाँ नगरीय–ग्रामीण जनसंख्या का अन्तर 203459 था। वहीं 1991 में यह अन्तर 424381 तक पहुँच गया, परन्तु करौली के पृथक हो जाने के पश्चात् 2001 में यह ग्रामीण–नगरीय अन्तर कम होकर 224010 तक हो गया। इस प्रकार 1961 से 2011 के मध्य ग्रामीण–नगरीय वितरण में असमानताऐं आई है, परन्तु कुल जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है।

3.8 स.मा. जिलें में जनसंख्या घनत्व–

सवाई माधोपुर में भी देश व राज्य की भाँति जनसंख्या घनत्व में लगातार वृद्धि हो रही है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व में सवाई माधोपुर जिले का राज्य में 12 वाँ स्थान है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 13 वाँ स्थान है। जिले में जनसंख्या का वितरण असमान है। जिले के जनघनत्व को विभिन्न भौगोलिक ,आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व धार्मिक कारको ने प्रभावित किया है। जिन क्षेत्रों में विभिन्न आयामों में जनसंख्या के लिये अनुकूलता पायी जाती है वहाँ जिले में जनघनत्व उच्च होता है तथा मानवीय निवास की दृष्टि से विषमताओ अथवा प्रतिकूलता वाले स्थानो पर जिले में

जनघनत्व न्यून पाया जाता है। जिले के नगरीय क्षेत्रो में रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, बिजली, पेयजल, सडक, उद्योग आदि सुविधाओ के कारण गाँवों की अपेक्षा उच्च जनघनत्व पाया जाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी कृषि आधारित क्षेत्रो में समतल व उपजाऊ भूमि व पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं वाले ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक जनघनत्व देखा गया है।

(अ) जिले का दशक अनुसार जनसंख्या घनत्व एवं विश्लेषण–

जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 1961 में मात्र 89 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. था, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 81 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा नगरीय जनसंख्या घनत्व 907 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जनघनत्व में वृद्धि कें साथ ही 1971 में जिले का कुल जनसंख्या घनत्व बढकर 113 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. और नगरीय जनसंख्या घनत्व 1470 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. दर्ज किया गया। जनगणना 1981 में यह तेजी से बढता हुआ कुल 146 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया, जिसमें ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या घनत्व क्रमशः 128 व 1677 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। जनगणना 1991 में जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 186 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तक पहुँच गया, जिसमें ग्रामीण जनघनत्व 161 व नगरीय जनसंख्या घनत्व 1746 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। इसके बाद जनगणना 2001 में यह पुनः तेजी बढकर 248 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया तथा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या घनत्व क्रमशः 205 व 2754 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा नगरीय जनसंख्या घनत्व 3452 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. दर्ज किया गया है।

इस प्रकार सारणी–3.9 से स्पष्ट है कि जिले का कुल जनसंख्या घनत्व 1961 की तुलना में 2011 में तीन गुना से भी अधिक हो गया है तथा जिले के नगरीय व ग्रामीण जनघनत्व में भी लगभग इसी दर से वृद्धि हुई है। 1961 से 1971 के मध्य जिले के कुल जनघनत्व में 24 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Density of Population-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
Density per Km²	
	Less than 200
	200 – 300
	More than 300

MAP-3.5

दशकीय वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 1981 में यह वृद्धि 33 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. ,1991 में 40 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. तथा 2001 में तीव्रता के साथ 62 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. की वृद्धि दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप 2011 में यह पिछले दशक से घटकर 49 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गई परन्तु कुल वृद्धि तो धनात्मक ही दर्ज की गई है जो कि 1991 की तुलना में 9 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. अधिक है।

तालिका–3.9

जिला–स.मा. दशकीय अनुसार जनसंख्या घनत्व (1961–2011)					
वर्ष	कुल जन घनत्व राज्य	कुल जन घनत्व जिला	ग्रामीण जनघनत्व	नगरीय जनघनत्व	प्रति वर्ग कि. मी. दशकीय वृद्धि
1961	59	89	81	907	–
1971	75	113	100	1470	+24
1981	100	146	128	1677	+33
1991	129	186	161	1746	+40
2001	165	248	205	2754	+62
2011	200	297	242	3452	+49

Source-popu.facts and figures (1961 -2001) dir. of eco.& stat. raj., jaipur

आरेख–3.4

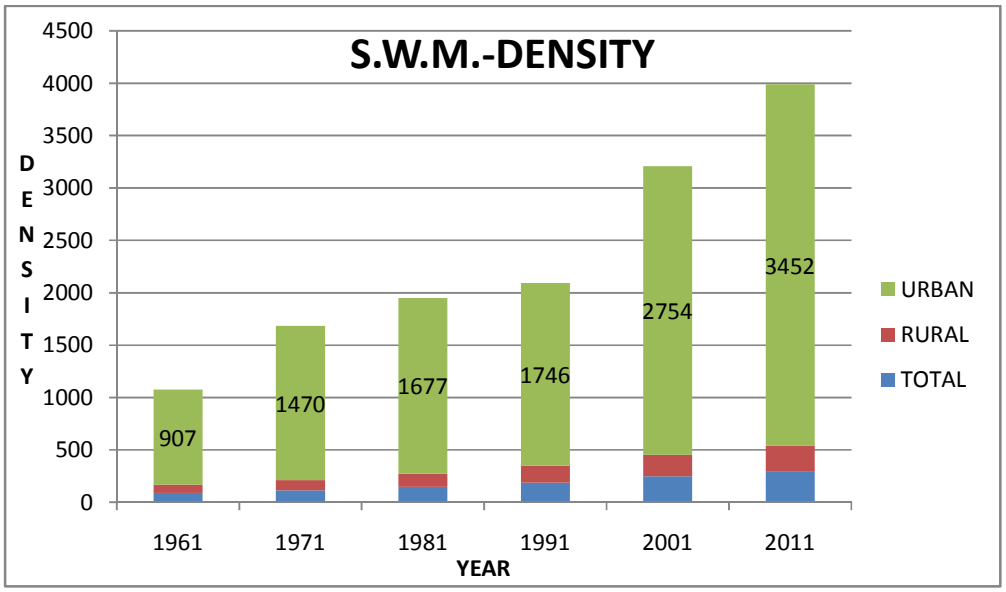

1961 से 2011 तक जिले के जनघनत्व में इस तीव्र वृद्धि का कारण तेजी से बढती जनसंख्या, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि से मृत्यु दर का कम होना व जन्मदर का बढ़ना, विभिन्न रोगों व महामारियों पर नियंत्रण आदि रहा है। वहीं नगरीय जनघनत्व में वृद्धि का कारण उपर्युक्त सुविधाएँ विभिन्न नगरीय सुख सुविधाएँ, औद्योगिकरण, नगरीय आकर्षण आदि रहे है। जिले का लगातार बढ़ता जनघनत्व एक चिंताजनक विषय है, जो जिले में जनसंख्या संबन्धी कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न कर रहा है तथा जनघनत्व में इस लगातार वृद्धि से भविष्य में ये समस्याएँ ओर अधिक विकट हो सकती है।

(ब) जिले का तहसील अनुसार जनसंख्या जनघनत्व–

जनगणना 2011 के अनुसार जिले की सर्वाधिक जनघनत्व वाली तहसील गंगापुर सिटी रही है। जिसका कुल जनघनत्व 538 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.है तथा जिसमें ग्रामीण जनघनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. व नगरीय जनघनत्व 10975 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.है। ग्रामीण व नगरीय जनघनत्व की दृष्टि से भी गंगापुर सिटी तहसील प्रथम स्थान पर है। इसके पश्चात् दूसरी सर्वाधिक जनघनत्व वाली तहसील सवाई माधोपुर तहसील है, जिसका कुल जनघनत्व 299 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा जिसमें ग्रामीण व नगरीय जनघनत्व क्रमशः 202 व 1853 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.है। स्पष्ट है कि दोनो तहसीलों में कुल जनघनत्व,ग्रामीण जनघनत्व व नगरीय जनघनत्व में अत्यधिक असमानता है। वहीं नगरीय जनघनत्व तो गंगापुर सिटी तहसील का सवाई माधोपुर की तुलना में लगभग 6 गुना है। जनघनत्व की दृष्टि से तृतीय स्थान पर मलारना डूँगर तहसील है, जिसका कुल जनघनत्व 271 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। चतुर्थ स्थान पर बामनवास तहसील 235 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, पंचम स्थान पर बौली तहसील 228 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है, छठे स्थान पर चौथ का बरवाड़ा तहसील 186 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है तथा अंतिम व सातवे स्थान पर 142 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के साथ खण्डार तहसील रही है।

तालिका–3.10

जिला–स.मा. तहसील अनुसार जनघनत्व तुलना (2011)				
तहसील	**कुल क्षेत्र वर्ग कि.मी**	**कुल जन घनत्व**	**ग्रामीण जनघनत्व**	**नगरीय जनघनत्व**
गंगापुर सिटी	644.44	538	342	10975
सवाई माधोपुर	1121.77	299	202	1853
मलारना डूँगर	389.83	271	271	–
बामनवास	522.89	235	235	–
बौली	626.01	228	228	–
चौथ का बरवाड़ा	522.89	186	186	–
खण्डार	960.14	142	142	–

इस प्रकार जिले के अत्यधिक व न्यूनतम जनघनत्व में 396 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के अन्तर के साथ लगभग चार गुना अन्तर है, जो जिले में जनघनत्व के वितरण की विषमता को प्रदर्शित करता है।

जनघनत्व के आधार पर भौगोलिक रूप से जिले की गंगापुर तहसील को उच्च घनत्व वाली तहसील, सवाई माधोपुर, मलारना डूँगर, बौंली व बामनवास तहसील को मध्यम घनत्व वाली तहसील तथा चौथ का बरवाडा व खण्डार को निम्न घनत्व वाली तहसील में बाँटा जा सकता है।

3.9 विभिन्न वर्षों में जनसंख्या वृद्धि एवं दर–

किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में एक निश्चित समय में सामान्यतः कुछ घटत–बढ़त होती है अर्थात् जनसंख्या वृद्धि का अर्थ एक क्षेत्र विशेष में रह रहे लोगो की संख्या में एक समय अनुसार होने वाले परिवर्तन से है। जनसंख्या में होने वाला यह परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को कुल संख्यात्मक परिवर्तन एवं प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है। जनसंख्या में होने वाले इस परिवर्तन को दशकीय जनगणना द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिले की जनसंख्या में 1901 से 2011 के परिवर्तन को ग्राफ 3.5 की सहायता से समझा जा सकता है। सवाई माधोपुर जिले में भी देश एवं राज्य की भाँति जनसंख्या में परिवर्तन

दृष्टिगोचर होता है। गत 100 वर्षो में जिले की जनसंख्या में नकारात्मक एवं सकारात्मक परिवर्तनो के साथ कुल जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है।

जिले की जनसंख्या जहाँ 1901 में मात्र 3 लाख से भी कम थी वहीं वर्तमान 2011 में यह जनसंख्या 13 लाख से भी अधिक हो गई है अर्थात् इस समय अवधि में कुल जनसंख्या में परिवर्तन 10 लाख से भी अधिक हुआ है। जिले की यह जनसंख्या 1901 में 264632 थी जो दो दशक तक नकारात्मक परिवर्तन के साथ गिरकर 1921 में 236115 हो गई। इसके पश्चात् जनसंख्या में लगातार सकारात्मक परिवर्तन ही हुआ है। 1921 से 1951 तक जनसंख्या में यह वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी गति से, 1951 से 2001 तक सामान्यतः तीव्र गति से हुई है। इसके पश्चात् 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या वृद्धि–दर में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि में उपर्युक्त वर्णित परिवर्तन एवं वृद्धि–दर संख्यात्मक रूप से निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है–

तालिका–3.11

जिला सवाई माधोपुर जनसंख्या वृद्धि–दर (1901–2011)					
वर्ष	कुल जनसंख्या	कुल दशकीय परिवर्तन	वृद्धि–दर प्रतिशत	पुरूष जनसंख्या	महिला जनसंख्या
1901	264632	–––	.–––––	141479	123153
1911	262575	–2057	–0.78	140456	122119
1921	236115	–26460	–10.08	126984	109131
1931	259852	+23737	.+10.05	138702	121150
1941	293648	+33796	+13.01	155883	137765
1951	329206	+35558	+12.11	173922	155284
1961	421063	+91857	+27.90	223521	197542
1971	537675	+116612	+27.69	286260	251415
1981	688360	+150685	+28.03	366236	322124
1991	875752	+187392	+27.22	468377	407375
2001	1117057	+241305	+27.55	591307	525750
2011	1335551	+218494	+19.56	704031	631520

इसी प्रकार जिले की सात तहसीलों में वृद्धि दर भी विभिन्नता के साथ परिवर्तित हुई है। 1991 से 2001 के मध्य जिले की सभी तहसीलों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। इस दशक में वृद्धि दर लगभग 23 प्रतिशत से 32

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Growth in Total Population-2011

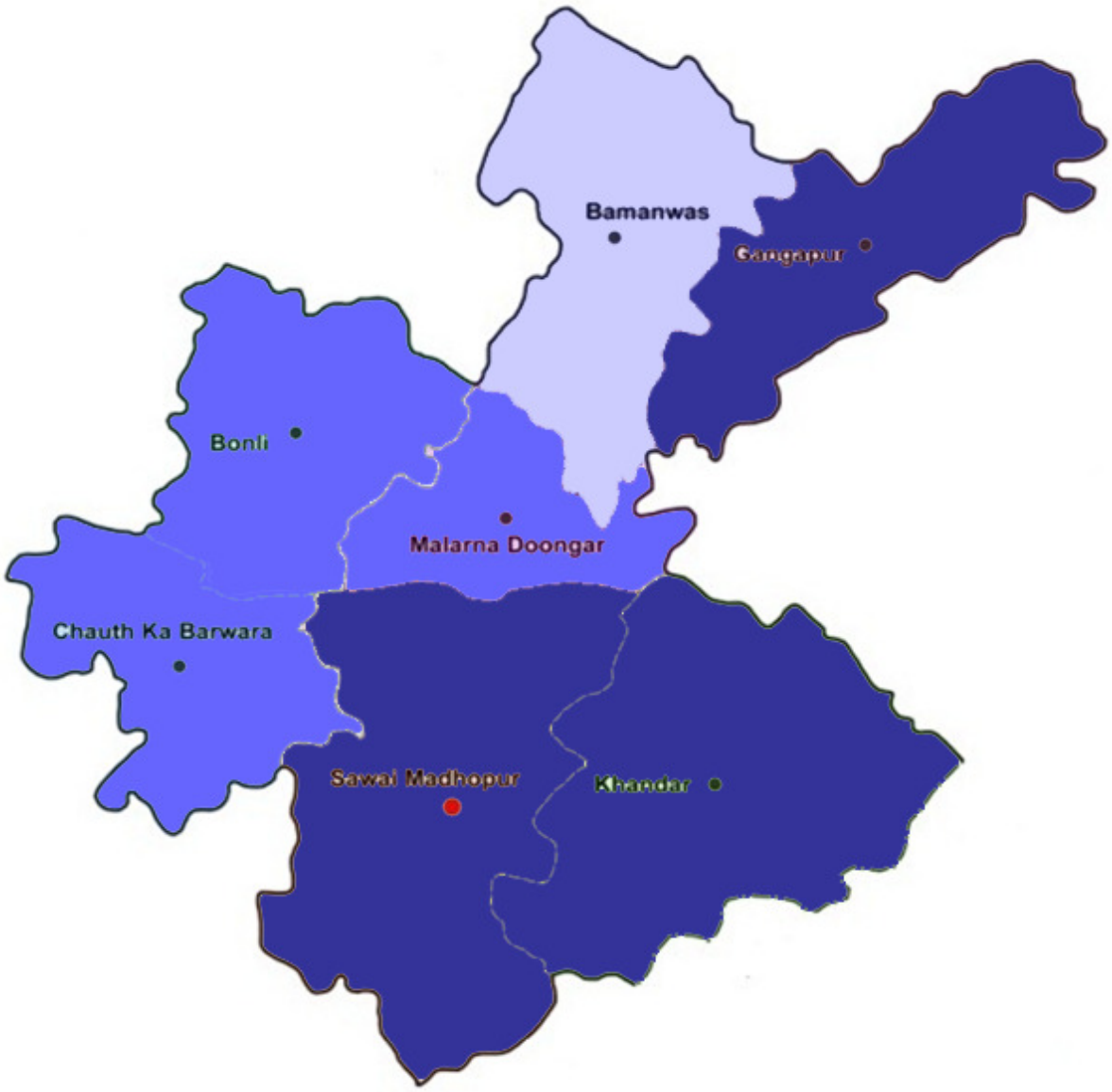

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	10 -14.99 %
	15 -19.99 %
	20 -25 %

MAP-3.6

प्रतिशत के मध्य रही। परन्तु यही वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य लगभग 14 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तथा कुछ ही अधिक रही।

आरेख–3.5

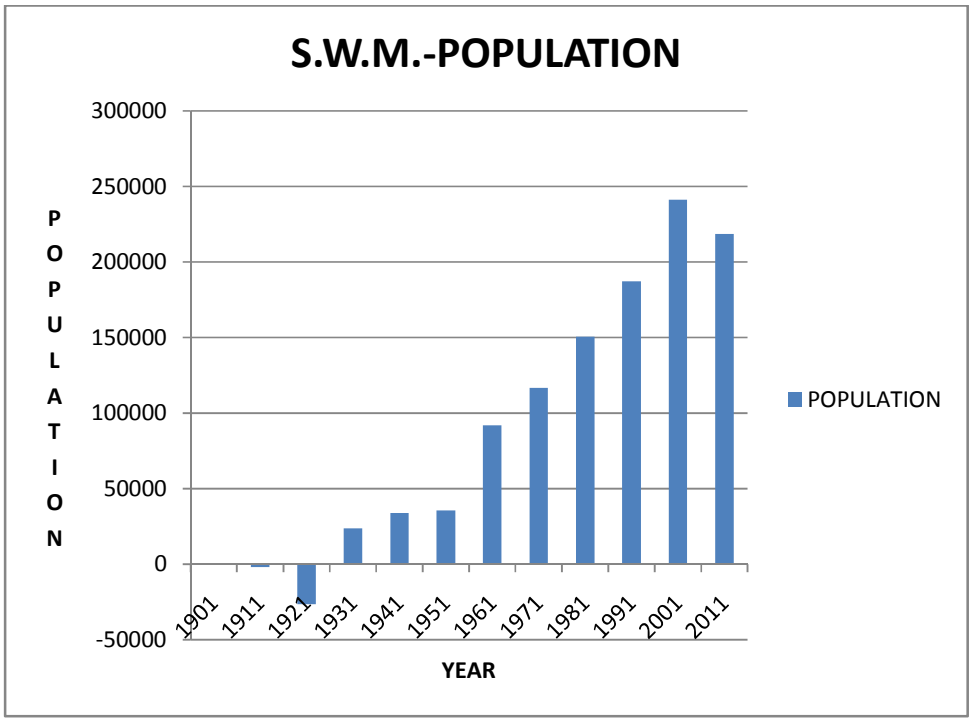

तात्पर्य यह है कि पिछले दशक की तुलना में इस दशक में सभी तहसीलों में जनसंख्या में तुलनात्मक वृद्धि दर कम रही है। जिले की गंगापुर, मलारना डूँगर व बामनवास तहसील की दशकीय वृद्धि दर में कमी तुलनात्मक रूप से अधिक दर्ज हुई है। जबकि चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर व बौंली तहसीलों में यह कमी मध्यम तथा खण्ड़ार तहसील में पिछले दशक की तुलना में वृद्धि दर बहुत कम प्रभावित हुई है, अर्थात् खण्ड़ार तहसील की जनसंख्या पिछले दशक की तरह ही तीव्र वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। जिले की तहसीलों में यह उतार–चढ़ाव निम्न तालिका में दर्शाया गया है–

तालिका–3.12

तहसील	कुल दशकीय जनसंख्या			दशकीय वृद्धि दर		वृद्धि–दर में दशकीय अन्तर
	1991	2001	2011	1991–2001	2001–2011	
सवाई माधोपुर	219772	278641	334877	26.8	20.18	–6.62
गंगापुर	215571	284605	346614	32.00	21.79	–10.21
बामनबास	120238	149429	171642	24.3	14.87	–9.43
बौंली	94256	120039	142741	27.4	18.91	–5.49
बरवाड़ा	68258	84153	97500	23.3	15.86	–7.44
मलारना डूँगर	70256	89794	105732	27.8	17.74	–10.06
खण्ड़ार	87401	110396	136439	26.3	23.59	–2.71

3.10 जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारक–

1.सामाजिक कारण–

जिले की जनसंख्या वृद्धि में सामाजिक कारणों में सबसे प्रमुख है, पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता माना जाना। समाज में विवाह करना आवश्यक रिवाज है तथा विवाह के पश्चात् पुत्र प्राप्ति सौभाग्य की बात मानी जाती है। साथ ही पुत्र प्राप्ति को वंश बढ़ाने के लिए भी आवश्यक माना जाता है। यह माना जाता है कि पुत्र बड़ा होकर माँ–बाप की सेवा करेगा। इसलिए पुत्र को '' *बुढ़ापे की लाठी*' की संज्ञा भी दी जाती है। सामाजिक मान्यता है कि पुत्री तो विवाह के पश्चात् ससुराल चली जाएगी तथा पुत्र ही बुढ़ापे का सहारा बनेगा और पुत्रवधू घर का काम करेगी। इसके अतिरिक्त कुछ दशको से पुत्र के विवाह में मिलने वाले दहेज रूपी कुरीति ने भी पुत्र प्राप्ति की लालसा को अधिक प्रबल किया है। पुत्र प्राप्ति की लालसा के चलते व्यक्ति तब तक संतानोत्पत्ति करता है, जब तक कि पुत्र उत्पन्न न हो जाए। इस प्रयास में कई बार 6 से 8 या अधिक लडकियाँ भी हो जाती है। समाज में एक विड़म्बना ओर है कि यदि पुत्र हो भी जाता है तो एक पुत्र को पर्याप्त नही माना जाता, बल्कि यह समझाया जाता है

कि एक पुत्र पर्याप्त नही है। कम से कम 2–3 पुत्र तो होने ही चाहिए, ताकिएक पुत्र कि यदि मृत्यु भी हो जाती है तो शेष पुत्र तो वंशवृद्धि व बुढ़ापे के सहारे के रूप में रहेगें। इस प्रकार की संकुचित मानसिकता ही जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है।

2.धार्मिक कारण–

जिले में संतानोत्पत्ति होना ईश्वर की मर्जी मानी जाती है तथा इसे रोकना पाप समझा जाता है। कई धर्मो में तो जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों को वर्जित एवं धर्म के खिलाफ माना गया है।

इस प्रकार धार्मिक मान्यता के चलते जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों को नही अपनाया जाता। समाज में कई प्रकार के तर्क भी दिए जाते है कि यदि *''ऊपर वाले ने चोंच दी है तो दाना भी वही देगा।''* तथा *''प्रत्येक इंसान अपना–अपना भाग्य लेकर ही जन्म लेता है।''* इस प्रकार से विभिन्न तर्को के माध्यम से व्यक्ति का ब्रेन वॉश करके भी जनसंख्या नियन्त्रण के उपायो से दूर कर दिया जाता है। इस तरह व्यक्ति भी ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कदम उठाने से भयभीत रहता है। परिणामस्वरूप जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। जिले के अनपढ़, गरीब, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति के लोग तथा ऐसी जनसंख्या जो केवल घरेलू या सामाजिक स्तर तक ही सीमित रहती है, वह जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों से प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से अवगत नही रहती है। ऐसे लोग जनसंख्या वृद्धि के कारण बनते है। उन्हे जनसंख्या वृद्धि ''समस्या'' प्रतीत नही होती है। ऐसे परिवार जनसंख्या के बोझ को लेकर जीवन यापन एवं संघर्ष करते रहते है। ऐसे लोगो की सोच देश के हित में नही बल्कि स्वयं तक ही सीमित रहती है।

3.राजनैतिक कारण–

भारत जैसे देश में जनसंख्या वृद्धि हेतु राजनैतिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसका प्रभाव जिले पर भी दृष्टिगोचर होता है। प्रत्येक धर्म के लोग अपने धर्म की जनसंख्या को बढ़ाकर अपना प्रभुत्व बढ़ाने अथवा बनाए रखने की संकीर्ण विचारधारा के चलते अधिकाधिक संतानोत्पत्ति करना चाहता

है। कुछ समुदायों में तो यह संकीर्ण विचारधारा कथित धर्म के ठेकेदारों द्वारा कूट–कूटकर भर दी गई है। राजनैतिक लाभ के लिए भी राजनेताओं द्वारा लोगो को बरगलाया जाता है तथा वोट की संख्या बढ़ाने मात्र के लिए अधिक संतानोत्पत्ति के लिए लोगो को उकसाया जाता है। प्रत्येक धर्म अथवा समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या बढ़ाकर दूसरे धर्म अथवा समुदाय की जनसंख्या के बराबर या इससे अधिक होने की मानसिकता रखते है। यही बराबरी वाली मानसिक प्रवृत्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या वृद्धि तथा वृद्धि दर दोनो को तीव्रता से प्रभावित कर जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण बनती है, जो की एक कटु सत्य है। वास्तव में देश का प्रत्येक नागरिक स्वतन्त्र रूप से एक सामान्य जीवन जीना चाहता है, परन्तु कुछ कथित धार्मिक व राजनैतिक व्यक्ति अपने लाभ के लिए नागरिको में असुरक्षा की भावना भर देते है जिस कारण अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या में वृद्धि होती है।

जिले के गाँवों में आज भी बड़े परिवार वालो का दबदबा रहता है तथा वह पंच–सरपंच व अन्य चुनावों को 'मानव–शक्ति' के कारण प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। अधिक भाईयों वाला अथवा बड़ा परिवार गाँव की राजनीति में अपना महत्व रखता है। दूसरी ओर बड़े परिवार के लोग लडाई–झगड़े आदि की दृष्टि से भी मजबूत समझे जाते है। इस प्रकार के वास्तविक कारण भी अधिक जनसंख्या एवं बड़े परिवार की प्रवृत्ति को जन्म देते है। परिणामस्वरूप जनसंख्या बढ़ती है।

4.श्रमशक्ति एवं बाल मजदूरी–

जिले की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। जिले में कोई वृहद् औद्योगिक इकाई भी नही है अतः आर्थिक विकास की गति भी धीमी है। जिले की जनसंख्या में कृषि हेतु श्रमिकों की आवश्यकता, बाल मजदूरी आदि की उपलब्धता आदि भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते है।

परिवार में ऐसा माना जाता हैकि परिवार बड़ा होगा तो कृषि कार्य अच्छे ढंग से पूर्ण होगा कृषि हेतु मजदूरों की आवश्यकता नही पड़ेगी। अधिक भूमि वाले किसानों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पायी जाती है। यहाँ एक अप्रत्यक्ष कारण

यह भी है कि शैक्षिक स्तर सुधरने के कारण भी किसान इस प्रकार की विचारधारा रखते है कि एक से अधिक संतान होती है तो पढ़ी–लिखी संतान तो नौकरी, व्यवसाय में जाएगें और जो शेष संतान रहेगी वह कृषि कार्य कर लेगी। इस प्रकार की विचारधारा ''हम दो हमारे दो'' अथवा जनसंख्या वृद्धि को रोकने में असफलता प्रदान करती है।

इसके विपरीत द्वितीय वर्ग अकृषक वर्ग है, जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को नही पढ़ा पाते है तथा इस विचार के साथ अधिक संतानोत्पत्ति करते है कि जितने पुत्र होगे उतने ही कमाएगें तो अधिक आय प्राप्त होगी। अपने बच्चों को वह बालमजदूरी करने भेज देते है, जिससे बच्चों का भार भी माता–पिता को महसूस नही होता क्योंकि एक तरफ तो माता–पिता को शिक्षा आदि पर खर्च नही करना पड़ता तथा दूसरी ओर बालमजदूरी के रूप में बच्चे कुछ आय भी माता–पिता को लाकर देते है अतः ऐसे कारण भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते है।

5.आर्थिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन व जागरूकता की कमी–

जिले की जनसंख्या में आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ापन तथा जनसंख्या सम्बन्धी जागरूकता में कमी भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देती है। जिले में गरीब तबके के लोग शैक्षणिक रूप से पिछडेप़न के कारण जनसंख्या व जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं और उसके दुष्परिणामों से अवगत नही हो पाते है। वे कभी जनसंख्या को समस्या के रूप में देख व समझ ही नही पाते। परिणामस्वरूप वे अनियन्त्रित रूप से बढ़ती जनसंख्या में सहायक होते है। इसी प्रकार पढ़ी–लिखी व साक्षर जनसंख्या भी जनसंख्या वृद्धि व इसके दुष्परिणामों से यदि अवगत भी होती है तो इसे रोकने के उपायों अर्थात् जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों से उतनी जागरूक नही रहती जिससे भी जनसंख्या नियन्त्रण में कठिनाई होती है। आर्थिक रूप से पिछड़े व अशिक्षित गरीब लोग अपने बच्चों को बाल मजदूरी के लिए भेज देते है जिससे अगली पीढ़ी भी अशिक्षित ही होती है तथा जनसंख्या वृद्धि हेतु उत्तरदायी होती है।

जिले में ग्रामीण जनसंख्या अधिक होने के कारण साक्षरता की कमी तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं की पहुँच गाँवों तक कम हो पाने के कारण ग्रामीण जनसंख्या को परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी व जागरूकता नही हो पाती है तथा '' छोटा परिवार सुखी परिवार '' सम्बन्धी अवधारणा भी ग्रामीण परिवेश में सामान्यतः नही पहुँच पाती जिससे जनसंख्या नियन्त्रण में कठिनाई आती है।

6.जिले में समस्याओं की कमी एवं सुविधाओं की वृद्धि–

विगत कई दशको में विभिन्न समस्याओं जैसे अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा व संकट, खाद्यान्न की कमी आदि में बहुत अधिक सुधार हुआ है। साथ ही अन्य सुविधायें जैसे बिजली, पेयजल, सिंचाई सुविधायें, परिवहन, चिकित्सा आदि सुविधाओं में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई है।

7.उच्च जन्म–दर तथा निम्न मृत्यु–दर–

जिले की चिकित्सा व परिवहन सुविधाओं में वृद्धि के परिणामस्वरूप जिले की जन्म–दर में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी वृद्धि हुई है। आजविवाह पश्चात् संतानोत्पत्ति नही होने पर दम्पत्ति चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर अपना इलाज करवाकर संतानोत्पत्ति कर लेते है। ''टेस्ट ट्यूब बेबी'' जैसी तकनीको का उपयोग किया जा रहा है। प्रसव की विशेष सुविधा चिकित्सालयों में दी जा रही है। चिकित्सालयों तक शीघ्र पहुँचने के लिए एम्बूलेन्स व अन्य परिवहन के साधन उपलब्ध है। जन्म के तुरन्त बाद शिशु एवं माता दोनो को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। इस प्रसव पूर्व, प्रसव के दौरान तथा प्रसव के पश्चात् टीकाकरण व चिकित्सा सुविधा शिशु व माता को प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप शिशु जन्म दर में वृद्धि होती है जबकि पूर्व के दशकों में असुविधाओं एवं भाग्यवादिता की मान्यता के फलस्वरूप जन्मदर कम हुआ करती थी।

इसी प्रकार उपर्युक्त सभी सुविधाओं से शिशु मृत्युदर व मातृ मृत्युदर में कमी आई है। इनके अतिरिक्त पूर्व के दशको में चिकित्सा सुविधा, परिवहन सुविधा आदि सुविधाएँ रोगी को समय पर नही मिलपाने की वजह से मृत्युदर

अपेक्षाकृत अधिक थी। साथ ही रोगी अज्ञानता के कारण झाड़–फूँक व धार्मिक बाबाओं से इलाज करवाने के चक्कर में काल का ग्रास बन जाया करते थे। कई बार छोटा–सा संक्रामक रोग भी चिकित्सा सुविधा की कमी के चलते महामारी का रूप ले लेता था। परिणामस्वरूप मृत्यु दर अधिक हो जाती थी परन्तु वर्तमान में चिकित्सा, परिवहन, शिक्षा व जागरूकता से परिवर्तन आया है और स्वास्थ्य लाभ बढ़ा है। इसी कारण कुल मृत्युदर में कमी आई है एवं औसत आयु बढ़ी है।

इस प्रकार जन्मदर के बढने व मृत्युदर के कम होने से कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि दर दोनो में ही वृद्धि आई है।

8.अन्य कारण–

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त देश व राज्य की भाँति जिले की जलवायु ऊष्ण होने से प्रजनन दर अधिक होती है। जिले में बाल–विवाह भी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा देते है। जिले में आज भी पितृ सत्तात्मक परिवार की अवधारणा पायी जाती है अतः परिवार नियोजन सम्बन्धी कदम भी पुरूषों की रजामंदी के बगैर महिलाएँ नही उठा सकती। इसी प्रकार एक समझदार एवं शिक्षित व्यक्ति धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर यदि परिवार सीमित रखना चाहता है अथवा दो बालिकाओं के जन्मके उपरान्त पुत्र प्राप्ति की लालसा नही रखता है, तो भी उस व्यक्ति के चतुर्दिक रहने वाले लोग, सामाजिक व व्यक्तिगत दबाब बनाकर पुत्र प्राप्ति हेतु विवश करते है। ऐसे कई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कारण अल्प या अधिक रूप से जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते है। जिले में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारण निम्न प्रकार है–

- जिले के लोग सामाजिक चेतना व जागरूकता का अभाव के कारण जनसंख्या की अधिकता से होने वाले दुष्प्रभाव व समस्याओं से अनभिज्ञ बने हुए है।
- जिले की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित व गरीब है जिससे वे स्वयं के हित व सामाजिक हित को जनसंख्या वृद्धि से नही जोड़ पाते है।

- जिले के लोगो में जनसंख्या नियन्त्रण, नियोजन सम्बन्धी जैसे कार्यक्रमों में विशेष रूचि नही है।
- जिले में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है जिसके कारण बच्चों के लालन–पालन में आसानी रहती है अतः अधिक बच्चे होने पर भी परिवार के वृद्धजन उन्हें संभाल लेते है और अधिक बच्चे 'समस्या' नही बनते फलस्वरूप परिवार नियोजन की ओर ध्यान नही जाता जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है।

3.11 वृद्धि दर के अनुसार जनसंख्या का विश्लेषण–

जिले की वृद्धि दर में परिवर्तन प्रत्येक जनगणना में परिलक्षित हुआ है। शताब्दी के प्रारम्भ में जहाँ जिले की वृद्धि दर में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई वहीं अगले दशको में जनसंख्या वृद्धि दर में उत्तरोत्तर बढ़त देखी गई। तत्पश्चात् पुनः वर्तमान जनगणना वर्ष 2011 में वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई। जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 1911 के मध्य ऋणात्मक वृद्धि दर के रूप में –0.78 प्रतिशत थी जो 1921 में ओर अधिक ऋणात्मक वृद्धि के साथ –10.08 प्रतिशत पहुँच गई। इस ऋणात्मक वृद्धि के कारण जिले की जनसंख्या जहाँ 1901 में 264632 थी। वह घटकर 1921 में 236115 हो गई अर्थात् इन दो दशको में जनसंख्या में 28517 व्यक्तियों की कमी हुई। इसके पश्चात् 1921 से 1931 के दशक में जनसंख्या में धनात्मक रूप से 10.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी क्रम में अगले दशको में 1941 में यह वृद्धि दर 13.01 प्रतिशत तथा 1951 में 12.11 प्रतिशत हो गई। इस धनात्मक वृद्धि दर के साथ जिले की जनसंख्या 1951 में 329206 हो गई अर्थात् 1901 की अपेक्षा जिले की जनसंख्या में 64574 व्यक्तियों की वृद्धि दर्ज हुई। 1951 के बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में अधिक तीव्रता देखी गई।इस अचानक वृद्धि का कारण जिले में विभिन्न सुविधाऐं जैसे चिकित्सा, परिवहन, रोजगार, कृषि एवं खाद्यान आदि में इज़ाफा होना था जिससे 1961 में यह जनसंख्या वृद्धि दर असामान्य रूप से अधिक तीव्रता के साथ 27.90 प्रतिशत, 1971 में 27.69 प्रतिशत तथा 1981 में 28.03 प्रतिशत वृद्धि

दर के साथ बढ़ी। 1991 में पिछले दशक की अपेक्षा वृद्धि दर में अल्प कमी के साथ 27.22 प्रतिशत दर से बढ़ी जिसके फलस्वरूप जिले की जनसंख्या 1901 की तुलना में तीन गुना से भी अधिक अर्थात् 875752 हो गई और 2001 में 27. 55 प्रतिशत वृद्धि दर के साथ 1117057 तक पहुँच गई क्योंकि इस समय तक परिवहन एवं स्वास्थ्य सेवाओं की वृद्धि से मृत्युदर कम हो गई। जिले में कृषि उत्पादन व खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता हो गई। जिले के विकास के साथ–साथ लोगो के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सुविधाओं के साधन में भी वृद्धि हुई। इस समयावधि के अन्तर्गत जिले में अनेक लघु व कुटीर उद्योगो की भी स्थापना हुई जिससे लोगो को अपने जीविका स्तर को विकसित करने का अवसर मिला। इससे भी जिले की जनसंख्या वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस काल में शिक्षा के स्तर में सुधार तो हुआ किन्तु जिले में ग्रामीण परिवेश होने के कारण कुछ सामाजिक कुरीतियाँ भी समाज में फैली थी,जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा और पुत्र प्राप्ति की लालसा के कारण संतानोत्पत्ति करते रहने से भी इस समयावधि में जनसंख्या वृद्धि में तीव्रता बनी रही, परन्तु इस तीव्र वृद्धि दर एवं तीव्रता के साथ बढ़ी। अधिक जनसंख्या जनित समस्याओं ने सरकार एवं आम आदमी को व्यक्तिगत एवं वैश्विक स्तर पर विचार करने पर विवश का दिया। जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या नियन्त्रण एवं इसके प्रति जागरूकता सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर संचालित किये गए। इसी का परिणाम है कि जिले की तीव्र वृद्धि दर के साथ बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगा तथा जनसंख्या वृद्धि दर गिरकर 2011 में 19.56 प्रतिशत हो गई। इस प्रकार जिले की जनसंख्या में 1901 से 2011 के मध्य विभिन्न वृद्धि दर से परिवर्तित होती रही परन्तु इस समयावधि (1901–2011) में 404.68 प्रतिशत वृद्धि सहित कुल 1070119 व्यक्तियों की बढ़त के साथ जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन ही हुआ है अर्थात् जिले की जनसंख्या वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार 4 गुना से अधिक वृद्धि के साथ 1335551 हो गई।

जिले की तहसीलों में यदि 2001 व 2011 की जनगणना के संदर्भ में विश्लेषण किया जाये तो ज्ञात होगा कि दोनो दशको के मध्य जनसंख्या संबन्धी

वृद्धि दर में काफी असमानताऐं रही है। 1991–2001 की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर गंगापुर तहसील की रही तथा न्युनतम वृद्धि दर चौथ का बरवाड़ा तहसील की रही। गंगापुर तहसील में नगरीकरण की प्रवृत्ति तथा विभिन्न नगरीय सुविधाओं के विस्तार व आकर्षण से वृद्धि दर अधिक रही। वहीं अन्य तहसीलों में जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रभाव नगण्य रहने के कारण वृद्धि रही जिसमें मलारना डूँगर तहसील प्रमुख है। इसके पश्चात् 2011 की जनगणना में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु शिक्षा व जागरूकता का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ तथा सभी तहसीलों में वृद्धि दर के प्रतिशत में पिछले दशक की अपेक्षा औसत गिरावट दर्ज की गई। स्पष्ट है कि 2011 की जनगणना में सभी तहसीलों की वृद्धि दर में उलट–फेर एवं आमूलचूल परिवर्तन हुए। जहाँ पूर्व के दशक में गंगापुर तहसील की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। वहीं वर्तमान जनगणना 2011 में यह तहसील द्वितीय स्थान पर आ गई तथा सर्वाधिक वृद्धि दर खण्ड़ार तहसील में दर्ज की गई एवं न्यूनतम वृद्धि दर का प्रतिशत बामनवास तहसील में रहा। यह असमानताऐं तहसील अनुसार जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयासों का ही परिणाम है। जिन तहसीलों में जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धी प्रयास अधिक सफल हुए, वहाँ वृद्धि दर क प्रतिशत कम रहा तथा जहाँ यह उपाय के प्रयास कम कारगर हुए उन तहसीलों में वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक रही।

अध्याय–4

जिलें की जनसंख्या में बदलाव एवं प्रवास

4.1 जनसंख्या परिवर्तन–

जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य है, एक निश्चित अवधि में किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। जनांकिकीय तथा जनसंख्या अध्ययन में किसी क्षेत्र की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन का विशेष महत्व होता हैं, क्योंकि इसके द्वारा वहाँ की आर्थिक प्रगति, सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक विचारों एवं दशाओ आदि का पता चलता हैं। इसके द्वारा ही जनसंख्या तथा उससे सम्बंधित अन्य तथ्यो की जानकारी प्राप्त होती हैं तथा जनसंख्या परिवर्तन के द्वारा किसी प्रदेश की जनसंख्या संरचना को समझना सुगम हो जाता हैं।

जनसंख्या परिवर्तन में होने वाला यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनो प्रकार का हो सकता हैं। जनसंख्या परिवर्तन की गणना करने हेतु किसी जनसंख्या अवधि में प्रारम्भिक वर्षो की जनसंख्या तथा अन्तिम वर्षो की जनसंख्या में अन्तर ज्ञात किया जाता है तो उस अवधि में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन ज्ञात हो जाता हैं। यदि इस अवधि में प्रारम्भिक वर्ष की जनसंख्या अन्तिम वर्ष की जनसंख्या से कम है तो यह परिवर्तन धनात्मक होता हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि जनसंख्या में वृद्वि हुई है। इसके विपरित यदि अन्तिम वर्ष की जनसंख्या प्रारम्भिक वर्ष की जनसंख्या से कम है तो यह ऋणात्मक परिवर्तन माना जाता है अर्थात इस समयावधि में जनसंख्या कम हुई है। वर्तमान में जनसंख्या की जनगणना प्रत्येक 10 वर्षो में की जाती हैं अतः जनसंख्या परिवर्तन ज्ञात करने के लिए 10 वर्ष की समयावधि ले सकते हैं।

किसी क्षेत्र में जनसंख्या परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से तीन घटक प्रजननता, मर्त्यता तथा स्थानान्तरण या प्रवास उतरदायी होते हैं।

प्रजननता से तात्पर्य किसी स्त्री द्वारा एक निश्चित समयावधि में जन्म लेने वाले सजीव शिशुओ की संख्या से मानी जाती हैं। प्रजननता से जनसंख्या

आकार में वृद्वि होती हैं। प्रजनन दर अधिक होने पर जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती हैं।

द्वितीय प्रमुख घटक मर्त्यता से तात्पर्य, एक नियत समयावधि में होने वाली मृत्युओ की संख्या से हैं। जन्म की अपेक्षा मृत्यु एक अनिवार्य घटना हैं। मर्त्यता से जनसंख्या आकार में कमी होती हैं। मर्त्यता दर बढ़ने पर जनसंख्या में ऋणात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता हैं।

जनसंख्या परिवर्तन हेतु स्थानान्तरण या प्रवास भी एक प्रमुख घटक हैं। जब किसी कारणवश मानव या समूह के निवास स्थान में परिवर्तन होता है, तब मानव को अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान के लिए जाना पड़ता है। स्थान परिवर्तन की यह घटना प्रवास कहलाती हैं। प्रवास भी जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता हैं।

इन सभी घटको ने सवाई माधोपुर की जनसंख्या को भी प्रभावित किया हैं। जिले की प्रजननता को कई कारको ने निर्धारित किया हैं। ग्रामीण परिवेश व अशिक्षा के कारण बालविवाह, बड़ें परिवार होने की मानसिकता व पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा, विवाह के प्रति सामाजिक द्वष्टिकोण, धार्मिक विश्वास, जातीय संरचना आदि प्रजननता में वृद्वि के कारक हैं, जिससे जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के रूप में बाल विवाह, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, असुरक्षित प्रसव आदि से शिशु एवं मातृ संख्या घट़ती है, जिससे की जनसंख्या में ऋणात्मक बदलाव आता हैं।

निर्धनता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी अंधविश्वास, दहेज हत्या, दुर्घटना आदि के कारण मर्त्यता की दर में वृद्वि होती हैं। इन सभी करको में विचलन भी पाया गया हैं, क्योंकि जिले में वर्तमान समय में चिकित्सा सुविधाओं में वृद्वि हुई है। परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाये जा रहे है। ये सभी कारक जनसंख्या में परिवर्तन के लिए उतरदायी हैं। सवाई माधोपुर जिले में प्रवास से यहाँ की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी परिवर्तित हुआ हैं। जिले में रोजगार के साधनों की कमी, औद्योगिक पिछड़ापन, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों की कमी आदि के कारण यहाँ की

जनसंख्या ने निकटवर्ती जिलों जयुपर एवं कोटा में प्रवसन किया हैं। जिले के युवक भारी संख्या में खाड़ी देशो आदि में रोजगार हेतु प्रतिवर्ष प्रवसन करते हैं। इनमें यहाँ के मुस्लिम एवं गद्दी समुदाय की संख्या अधिक हैं। जिले में प्रव्रजन या उत्प्रवास की प्रवृति अधिक हैं। जबकि आप्रवास या आव्रजन की प्रवृति कम है। आव्रजन केवल ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों मे अधिक पाया जाता है। परन्तु इससे जिले की कुल जनसंख्या प्रभावित नही होती हैं। जिले की कुल जनसंख्या में 1961 से 2011 तक परिवर्तन निम्न प्रकार रहा हैं–

तालिका–4.1

जिला–स.मा. कुल जनसंख्या परिवर्तन (1961–2011)						
वर्ष	**कुल जनसंख्या**	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**पुरूष**	**स्त्री**	**परिवर्तन**
2011	1335551	1069084	266467	704031	631520	19.56
2001	1117057	904417	212640	591307	525750	27.55
1991	875752	724093	151659	468377	407375	27.83
1981	1535870	1329780	206090	822859	713011	28.68
1971	1193528	1051442	142086	640298	553230	26.49
1961	943574	847445	96129	504531	439043	23.32

नोट :– 1991 की जनसंख्या में करौली जिले की जनसंख्यास.मा.में सम्मिलित नही हैं ।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जिले की जनसंख्या में 1961 से लेकर 2011 तक धनात्मक परिवर्तन हुआ है। इस जनसंख्या परिवर्तन को प्रजननता, मर्त्यता तथा प्रवास आदि ने प्रभावित किया हैं। जिले में पिछले कुछ दशको तथा जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनसंख्या की वृद्वि दर सबसे कम रही है। जनगणना 2001 में यह वृद्वि दर 27.55 प्रतिशत थी। जबकि 2011 में वृद्विदर 1956 रही जो कि पिछले दशकों से कम है। यह कम वृद्वि दर जनसंख्या नियन्त्रण के प्रयासों एवं जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति जागरूकता का ही परिणाम है।

4.2 ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन–

जनगणना 2001 की तुलना में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात मे कोई विशेष अंतर नही पाया गया। जनगणना 2001 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 80.05 प्रतिशत तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात 19.95 प्रतिशत था। जबकि 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 80.96 प्रतिशत एवं नगरीय जनसंख्या 19.04 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कुल परिवर्तन निम्न प्रकार रहा–

तालिका–4.2

ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन (2001–2011)						
वर्ष	**कुल परिवर्तन**	**प्रतिशत**	**ग्रामीण**	**प्रतिशत**	**नगरीय**	**प्रतिशत**
2011	218494	19.56	1069084	18.21	266467	25.31
2001	241305	27.56	904417	24.9	212640	40.2
1991	427376	–––	724093	–––	151659	–––

स्पष्ट है कि 2001 की तुलना में 2011 में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन में कमी पायी गयी है। जिसका कारण जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति जन–मानस में जागरूकता, सरकारी व गैर–सरकारी प्रयासों का प्रभाव तथा शिक्षा में वृद्धि होना है जिससे जिले के लोग बडे परिवार के दुष्परिणाम व हानि तथा छोटे परिवार के लाभ को समझने लगे है। अतः 2011 में पूर्व दशको की अपेक्षा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में वृद्धि कम दर्ज हुई है।

सवाई माधोपुर जिले का पिछले दशक में जनसंख्या परिवर्तन ज्ञात करने के लिए सन् 2001 से 2011 तक की समयावधि इस शोध में ली गई हैं। जिसमें जनसंख्या परिवर्तन में सापेक्ष व निरपेक्ष परिवर्तन दशाए गए है। जिले में जनसंख्या परिवर्तन को तहसील अनुसार इंगित किया गया हैं। सन 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 1117057 थी जो 2011 में बढ़कर 1335551 हो गई है अर्थात् जिले में धनात्मक परिवर्तन हुआ हैं। जिले में 2001 की अपेक्षा 2011 में 218494 व्यक्तियों की वृद्वि हुई है जो कि 19.56 प्रतिशत की वृद्वि हैं।

(1) तहसील अनुसार ग्रामीण–नगरीय एवं कुल जनसंख्या परिवर्तन–

सवाई माधोपुर जिले में पिछले दशक की तुलना में तहसील अनुसार धनात्मक परिवर्ततन देखा गया है। 2001 की तुलना में वर्तमान 2011 में सर्वाधिक कुल धनात्मक परिवर्तन 23.59 प्रतिशत के साथ खण्डार तहसील में हुआ है तथा सबसे कम कुल धनात्मक परिवर्तन 14.87 प्रतिशत वृद्धि के साथ बामनवास तहसील में हुआ है। प्रथम स्थान पर रही खण्डार तहसील में 2001 में 110396 व्यक्ति थे। जो बढकर 2011 में 136439 हो गए अर्थात् यहाँ 26043 व्यक्तियों की वृद्धि के साथ परिवर्तन हुआ है। द्वितीय स्थान पर धनात्मक परिवर्तन वाली तहसील गंगापुर तहसील है जिसकी जनसंख्या 2001 में 284605 थी। जो 21.79 प्रतिशत धनात्मक परिवर्तन के साथ बढ़कर वर्तमान में 346611 हो गई अर्थात् कुल जनसंख्या में 62009 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। इसी प्रकार तृतीय स्थान 20.18 प्रतिशत वृद्धि के साथ सवाई माधोपुर तहसील का है। इसकी जनसंख्या 278641 से बढकर वर्तमान में 56236 व्यक्तियों की वृद्धि के साथ 334877 हो गई। चतुर्थ स्थान पर 18.91 प्रतिशत वृद्धि के साथ बौंली का, पंचम स्थान पर 17.75 प्रतिशत बदलाव के साथ मलारना डूँगर का तथा षष्टम् स्थान 15.86 प्रतिशत वृद्धि के साथ चौथ का बरवाड़ा तहसील का है।

आरेख–4.1

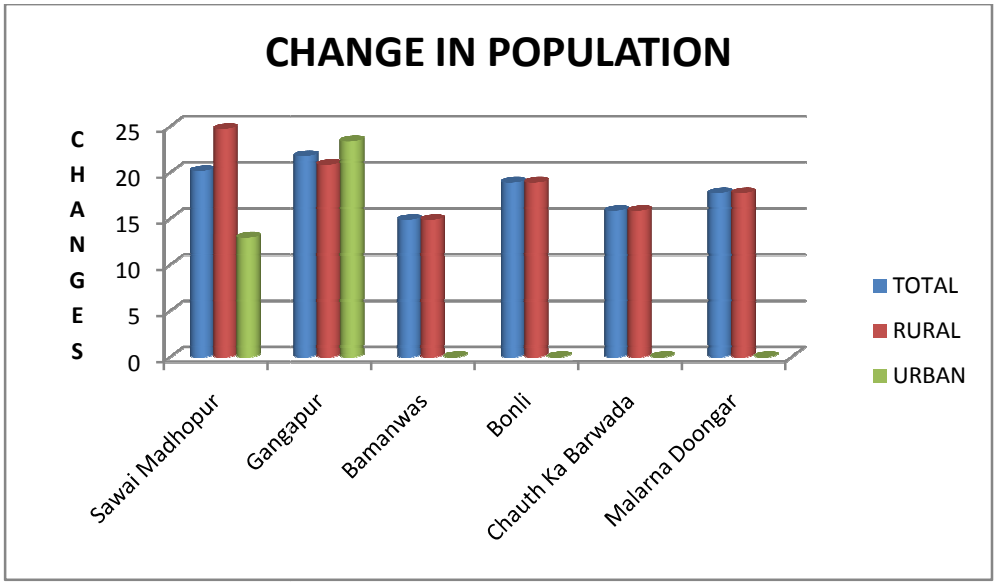

सबसे कम बदलाव वाली तहसील बामनवास तहसील रही जिसकी 2001 में कुल जनसंख्या 149429 थी जो 22213 व्यक्तियों की न्यूनतम दशकीय वृद्धि के साथ बढकर 2011 में 171642 हो गई।

सवाई माधोपुर जिले में केवल गंगापुर एवं सवाई माधोपुर तहसील ही नगरीय तहसील है। इन नगरीय तहसीलों की नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक परिवर्तन गंगापुर तहसील की नगरीय जनसंख्या में हुआ है। जो कि सवाई माधोपुर तहसील की नगरीय जनसंख्या से लगभग दुगुना है अर्थात् गंगापुर तहसील की नगरीय जनसंख्या में 2001 की तुलना में 2011 में 23.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि सवाई माधोपुर तहसील में इसी अवधि में यह वृद्धि 12.93 प्रतिशत रही है।

इसी प्रकार सवाई माधोपुर तहसील की ग्रामीण जनसंख्या में 24.72 प्रतिशत वृद्धि के साथ सर्वाधिक बदलाव हुआ है। जो गंगापुर तहसील की ग्रामीण जनसंख्या तथा सम्पूर्ण जिले की ग्रामीण जनसंख्या में बदलाव से भी अधिक है। गंगापुर तहसील की ग्रामीण जनसंख्या में बदलाव 20.84 प्रतिशत का रहा है। जो जिले में ग्रामीण जनसंख्या में बदलाव के सम्बन्ध में अपना तृतीय स्थान रखता है।

यदि जिले की नगरीय तहसीलों की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के दशकीय परिवर्तन पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि गंगापुर तहसील में जहाँ नगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में 2.56 प्रतिशत वृद्धि के साथ अधिक बदलाव हुआ है, वही सवाई माधोपुर तहसील कीनगरीय जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में लगभग आधी वृद्धि दर के साथ बदलाव हुआ है अर्थात् सवाई माधोपुर तहसील की ग्रामीण जनसंख्या में जहाँ 24.72 प्रतिशत है, वही नगरीय जनसंख्या में बदलाव मात्र 12.93 प्रतिशत रहा है। जिले में तहसील अनुसार जनसंख्या में कुल दशकीय परिवर्तन निम्न प्रकार है–

तालिका–4.3

जिला–स.मा.तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या							
तहसील	**2001**			**2011**			**कुल परिवर्तन**
	कुल जनसंख्या	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**कुल जनसंख्या**	**ग्रामीण**	**नगरीय**	
स. मा.	278641	171397	107244	334877	213771	121106	56236
गंगापुर	284605	179209	105396	346614	216553	130061	62009
बामनवास	149429	149429	–	171642	171642	–	22213
बौंली	120039	120039	–	142741	142741	–	22702
बरवाड़ा	84153	84153	–	97500	97500	–	13347
मलारना डूँगर	89794	89794	–	105732	105732	–	15938
खण्डार	110396	110396	–	136439	136439	–	26043

जिले में तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन निम्न प्रकार है –

तालिका–4.4

तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या परिवर्तन (2001–2011)						
	ग्रामीण जनसंख्या			**नगरीय जनसंख्या**		
तहसील	**2001**	**2011**	**परिवर्तन**	**2001**	**2011**	**परिवर्तन**
सवाई माधोपुर	171397	213771	+24.72	107244	121106	+12.93
गंगापुर	179209	216553	+20.84	105396	130061	+23.40
बामनवास	149429	171642	+14.87	–	–	–
बौंली	120039	142741	+18.91	–	–	–
बरवाड़ा	84153	97500	+15.86	–	–	–
मलारना डूँगर	89794	105732	+17.75	–	–	–
खण्डार	110396	136439	+23.59	–	–	–

(2) तहसील अनुसार स्त्री व पुरूष जनसंख्या परिवर्तन–

जिले की तहसीलों में स्त्री–पुरूष जनसंख्या के अर्न्तगत धनात्मक वृद्धि के साथ परिवर्तन हुए है। पुरूषों में सर्वाधिक वृद्धि के साथ परिवर्तन खण्डार

तहसील में 22.76 प्रतिशत के साथ हुआ तथा सबसे कम 14.57 प्रतिशत वृद्धि के साथ चौथ का बरवाड़ा तहसील में परिवर्ततन हुआ। शेष तहसीलों में गंगापुर में परिवर्तन 21.96 प्रतिशत, सवाई माधोपुर तहसील में 18.96 प्रतिशत, बौंली तहसील में 18.49 प्रतिशत, मलारना डूँगर तहसील में 18.16 प्रतिशत तथा बामनवास तहसील में 15.42 प्रतिशत वृद्धि के साथ पुरूषों की जनसंख्या में दशकीय बदलाव रहा।

इसी प्रकार स्त्री जनसंख्या के अर्न्तगत भी परिवर्तन धनाात्मक वृद्धि के साथ ही हुआ है। स्त्रियों में सर्वाधिक वृद्धि के साथ परिवर्तन भी खण्डार तहसील में 24.55 प्रतिशत के साथ हुआ तथा सबसे कम 14.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ बामनवास तहसील में परिवर्ततन हुआ। शेष तहसीलों में गंगापुर में परिवर्तन 22.16 प्रतिशत, सवाई माधोपुर तहसील में 21.55 प्रतिशत, बौंली तहसील में 19.38 प्रतिशत, मलारना डूँगर तहसील में 17.30 प्रतिशत तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील में 14.25 प्रतिशत वृद्धि के साथ महिला जनसंख्या में दशकीय बदलाव रहा। जिन्हे निम्न तालिका में स्पष्ट किया गया है–

तालिका–4.5

जिला–स.मा. तहसील अनुसार स्त्री व पुरूष जनसंख्या						
तहसील	**2001**			**2011**		
	कुल जनसंख्या	**पुरूष**	**स्त्री**	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष**	**स्त्री**
स.मा.	278641	146881	131760	334877	174728	160149
गंगापुर	284605	151570	133035	346614	184102	162512
बामनवास	149429	79388	70041	171642	91628	80020
बौंली	120039	63262	56777	142741	74961	67780
बरवाड़ा	84153	44190	39963	97500	50627	46873
म.डूँगर	89794	46897	42897	105732	55413	50319
खण्डार	110396	59119	51277	136439	72572	63867

जिले में तहसील अनुसार स्त्री व पुरूष जनसंख्या परिवर्तन निम्न प्रकार है –

तालिका–4.6

तहसील अनुसार स्त्री व पुरूष जनसंख्या परिवर्तन (2001–2011)						
त्हसील	पुरूष जनसंख्या			स्त्री जनसंख्या		
	2001	2011	परिवर्तन	2001	2011	परिवर्तन
स.मा.	146881	174728	+18.96	131760	160149	+21.55
गंगापुर	151570	184102	+21.46	133035	162512	+22.16
बामनवास	79388	91628	+15.42	70041	80020	+14.25
बौंली	63262	74961	+18.49	56777	67780	+19.38
बरवाड़ा	44190	50627	+14.57	39963	46873	+17.29
म.डूँगर	46897	55413	+18.16	42897	50319	+17.30
खण्डार	59119	72572	+22.76	51277	63867	+24.55

4.3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति में परिवर्तन–

जिले में पिछले दशक की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक पाया गया जो निम्न प्रकार है –

तालिका–4.7

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति जनसंख्या (1961–2011)				
वर्ष	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति	
	कुल जनसंख्या	वृद्वि	कुल जनसंख्या	वृद्वि
2011	278789	55565	285848	44770
2001	223224	–206049	241078	–202391
1991	429273	101126	443469	95339
1981	328147	75569	348130	77436
1971	252578	41630	270694	60763
1961	210948	––	209931	––

उपर्युक्त तालिका अनुसार 1961 में जिले की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 210948 थी। जो बढकर 1991 में 429273 हो गई तथा करौली जिले के पृथक हो जाने के कारण 2001 में घटकर 223224 तथा 2011 में दशकीय वृद्धि सहित 278789 हो गई है।

इसी प्रकार 1961 में जिले की कुल अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 209931 थी। जो बढती हुई 1991 में 443469 हो गई तथा करौली जिले के पृथक हो जाने के पश्चात् 2001 में घटकर 241078 तथा 2011 में 285848 हो गई है।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 1961 में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक थी। जिसमें मामूली अन्तर केवल 1017 व्यक्तियों का ही था परन्तु 2011 में 1961 के विपरित अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 7059 व्यक्तियों के साथ अनुसूचित जाति की जनसंख्या से अधिक है। 2001–2011 की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में वृद्धि दर पिछले दशक 1991–2001 की तुलना में कम रही है। जिले की कुल जनसख्या के साथ–साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में भी शिक्षा का प्रसार हुआ है। जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति जन–जागरूकता बढी है, छोटे परिवार के महत्व को समझा गया है। अतः अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में 2011 में पिछले दशकों की अपेक्षा वृद्धि दर कम दर्ज हुई है।

जिले में तहसील अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या परिवर्तन निम्न प्रकार है –

तालिका–4.8

तहसील अनुसार अ.जा. एवं अ.ज.जा. जनसंख्या परिवर्तन(2001–2011)						
तहसील	**अनुसूचित जाति**			**अनुसूचित जन जाति**		
	2001	**2011**	**परिवर्तन**	**2001**	**2011**	**परिवर्तन**
स.मा.	52935	68015	28.49	61829	75939	22.82
गंगापुर	56477	71118	25.92	48216	56774	19.75
बामनवास	28506	35840	25.73	47450	53960	13.71
बौंली	26462	32335	22.19	30592	36363	18.86
बरवाड़ा	15279	18269	19.57	18543	22248	19.91
म. डूँगर	12501	14208	13.65	23369	27168	16.26
खण्डार	31064	40304	29.75	11079	13395	20.90

उपर्युक्त सारणी के अनुसार कहा जा सकता है कि जिले में 2001–2011 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में वृद्धि के साथ धनाात्मक बदलाव रहा है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या में सर्वाधिक बदलाव खण्डार तहसील में 29.75 प्रतिशत वृद्धि के साथ रहा तथा सबसे कम बदलाव 13.65 प्रतिशत वृद्धि के साथ मलारना डूँगर तहसील में रहा। इसी प्रकार सवाई माधोपुर तहसील में यह परिवर्तन 28.49 प्रतिशत वृद्धि के साथ, गंगापुर तहसील में 25.92 प्रतिशत वृद्धि के साथ, बामनवास तहसील में 25.73 प्रतिशत वृद्धि के साथ, बौंली तहसील में 22.19 प्रतिशत वृद्धि के साथ तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील में 19.57 प्रतिशत वृद्धि के साथ जनसंख्या में बदलाव रहा। इसी प्रकार अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में सर्वाधिक परिवर्तन सवाई माधोपुर तहसील में 22.82 प्रतिशत वृद्धि के साथ रहा है तथा सबसे कम परिवर्तन बामनवास तहसील में रहा है। जिसमें 13.71 प्रतिशत वृद्धि के साथ धनात्मक बदलाव हुआ है। स्पष्ट है कि जिले की तहसीलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि दर के साथ–साथ सर्वाधिक व न्यूनतम वृद्धि का प्रतिशत अथवा दशकीय परिवर्तन दर भी अलग–अलग दर्ज हुई है।

4.4 शिशु संख्या में परिवर्तन–

जिले में 2001 की जनगणना की तुलना में कुल शिशु संख्या में ऋणात्मक परिवर्तन आया है। जनगणना 2011 में कुल शिशु संख्या 206750 थी जो 2011 में घटकर 201188 रह गई।

तालिका–4.9

कुल शिशु जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन (2001–2011)					
वर्ष	**कुल शिशु**	**ग्रामीण शिशु**	**नगरीय शिशु**	**ऋणात्मक परिवर्तन**	**प्रतिशत वृद्वि / कमी**
2011	201188	167627	33561	5562	–2.76
2001	206750	171882	34868	––	––

इससे स्पष्ट होता हैं कि 2001 से 2011 के मध्य कुल जनसंख्या में धनात्मक परिवर्तन की तुलना में कुल शिशु संख्या में 2.76 प्रतिशत ऋणात्मक परिवर्तन हुआ हैं। जो तालिका–4.9 दर्शायी गयी है।

जिले की तहसील अनुसार शिशु जनसंख्या निम्न प्रकार है –

तालिका–4.10

तहसील अनुसार शिशु जनसंख्या (2001–2011)						
तहसील	**2001**			**2011**		
	कुल शिशु	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**कुल शिशु**	**ग्रामीण**	**नगरीय**
स. मा.	49025	32069	16956	48350	32730	15620
गंगापुर	54265	36353	17912	52657	34716	17941
बामनबास	26550	26550	–	25065	25065	–
बौंली	23251	23251	–	22509	22509	–
बरबाडा	15026	15026	–	14471	14471	–
म. डूंगर	17452	17452	–	16640	16640	–
खण्डार	21181	21181	–	21496	21496	–

आरेख–4.2

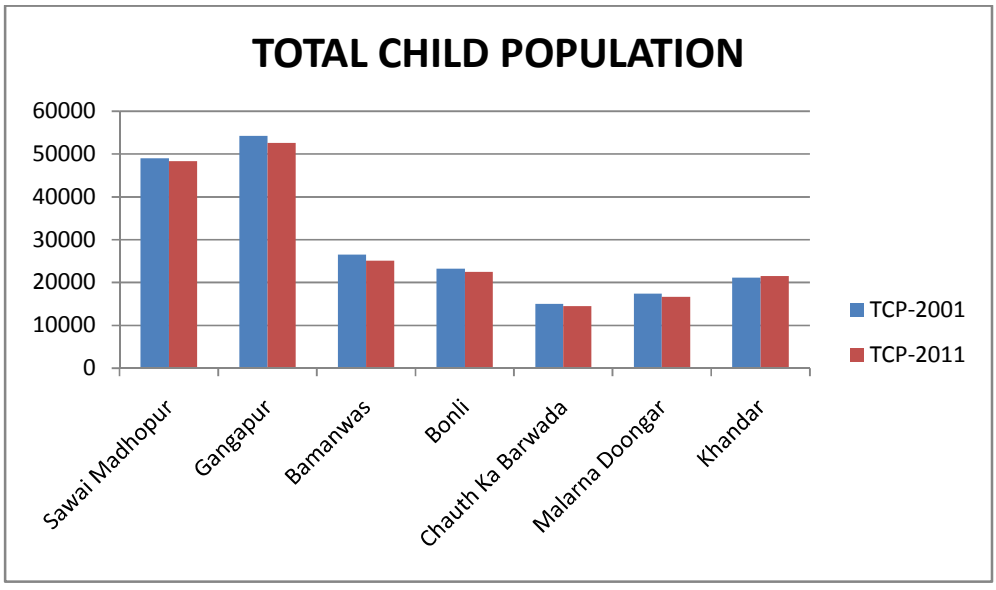

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Child Population-2011

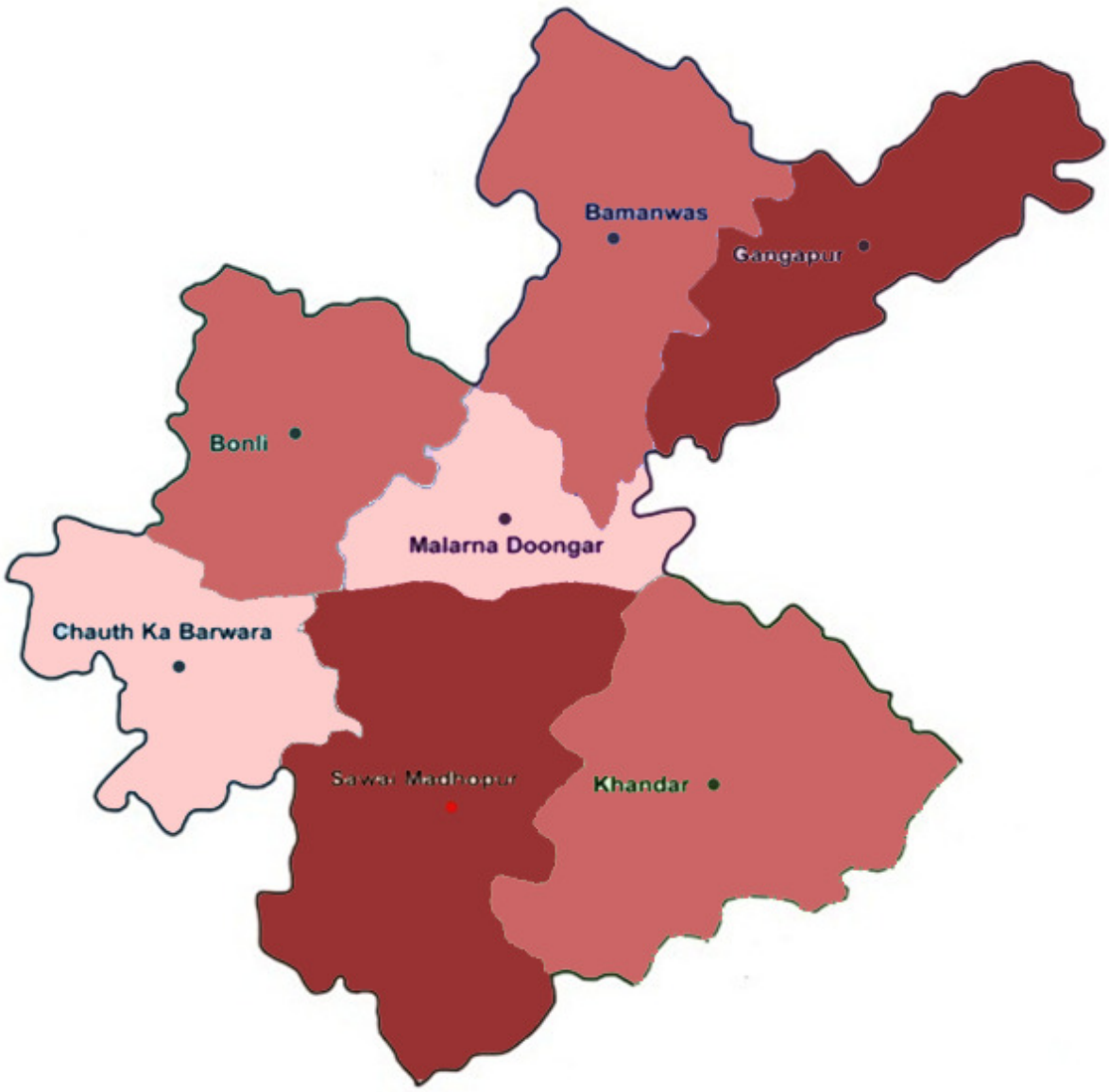

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 20000
	20000 – 40000
	40001 - 60000

MAP-4.1

जिले की शिशु जनसंख्या में तहसील अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय शिशु जनसंख्या में परिवर्तन जिले की कुल जनसंख्या से भिन्न रहा है अर्थात् जिले की कुल जनसंख्या में जहाँ ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या में परिवर्तन धनात्मक रहा है। वहीं शिशु जनसंख्या में यह दशकीय परिवर्तन ऋणात्मक भी दर्ज हुआ है। एकमात्र तहसील खण्डार में पिछले दशक की तुलना में शिशु जनसंख्या में वृद्धि धनात्मक हुई है। शेष तहसीलों में कुल शिशु संख्या में कमी हुई है। जिसे उपर्युक्त तालिका 4.10 के अनुसार स्पष्ट किया गया है। खण्डार तहसील में इस वृद्धि का कारण अशिक्षा, जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति उदासीनता एवं जागरूकता का अभाव है।

तालिका–4.11

तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय शिशु जनसंख्या परिवर्तन (2001–2011)						
तहसील	ग्रामीण शिशु जनसंख्या			नगरीय शिशुजनसंख्या		
	2001	2011	परिवर्तन	2001	2011	परिवर्तन
स.मा.	32069	32730	+ 2.01	16956	15620	–7.88
गंगापुर	36353	34716	–4.50	17912	17941	+ 0.16
बामनवास	26550	25065	– 5.59	–	–	–
बौंली	23251	22509	– 5.34	–	–	–
बरवाड़ा	15026	14471	– 1.70	–	–	–
म. डूँगर	17452	16640	– 4.65	–	–	–
खण्डार	21181	21496	+ 1.49	–	–	–

2001 की तुलना में 2011 में जिले की केवल सवाई माधोपुर एवं खण्डार तहसील की ग्रामीण जनसंख्या में धनात्मक बदलाव रहा है। इसी प्रकार तहसील अनुसार नगरीय जनसंख्या में गंगापुर तहसील में धनाात्मक तथा सवाई माधोपुर तहसील में ऋणात्मक बदलाव रहा है। नगरीय जनसंख्या में सवाई माधोपुर तहसील में –7.88 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि के साथ ऋणात्मक बदलाव तथा गंगापुर तहसील में 0.16 प्रतिशत धनाात्मक वृद्धि के साथ धनात्मक बदलाव रहा है। इसी प्रकार तहसील अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सवाई माधोपुर तहसील में 2.01 प्रतिशत तथा खण्डार तहसील में 1.49 प्रतिशत धनात्मक वृद्धि के साथ

धनात्मक बदलाव रहा है। शेष गंगापुर तहसील में –4.50 प्रतिशत, बामनवास तहसील में –5.59 प्रतिशत, बौंली तहसील में –5.34 प्रतिशत, चौथ का बरवाड़ा तहसील में –1.70 प्रतिशत तथा मलारना डूँगर तहसील में –4.65 प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि के साथ ऋणात्मक बदलाव हुआ है अर्थात् शिशु जनसंख्या में कमी हुई है। तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय शिशु जनसंख्या परिवर्तन निम्न तालिका 4.11 से स्पष्ट किया जा सकता है।

4.5 प्रवसन–

प्रवास किसी स्थान या प्रदेश की जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तीन मौलिक कारको जन्म, मृत्यु तथा प्रवास में से एक हैं। किसी भी मानव समूह में जनसंख्या वृद्वि दो प्रकार से होती हैं। जन्मों की वृद्वि से तथा बाहर से आने वाले व्यक्तियों के वहाँ आकर बसने या रहने से। इसी प्रकार किसी जनसंख्या में कभी दो कारणो से होती हैं। मृत्यु दर में वृद्वि तथा व्यक्तियों के अन्य स्थानों पर जाकर बस जाने या स्थानान्तरित हो जाने से। प्रवसन से तीन प्रकार के प्रभाव व परिवर्तन उत्पन होते हैं। प्रथम उस क्षेत्र में जहाँ से प्रवासी बाहर जाते हैं। द्वितीय उस क्षेत्र में जहाँ प्रवासियों का आगमन होता हैं तथा तृतीय स्वयं प्रभावित व्यक्ति सभी बदल जाते हैं। मानव स्वयं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के हेतु सक्षम होता हैं क्योंकि मानव में गतिशीलता पाई जाती हैं। मानव प्राचीनकाल से ही प्रवास करता रहा हैं। ऐतिहासिक अध्ययन से भी ऐसा ज्ञात होता है कि मानव जिस स्थानपर वर्तमान में निवास कर रहा हैं। वह स्थान उस मानव समुदाय या प्रजाती का मूल स्थान नही हैं, बल्कि उनसे पूर्व की पीढ़ियाँ यहाँ अन्य स्थानों से स्थानान्तरित होकर यहाँ बसी हैं। इस प्रवसन का मूल कारण जलवायु परिवर्तन रहा हैं।

मानव जब प्रवसन की प्रक्रिया में अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होता हैं तो वह अपने साथ पूर्व स्थान व पूर्व क्षेत्र से प्रभावित विचार, ज्ञान, संस्कृति, तकनीकी, रिति–रिवाज व अन्य क्षेत्रीय विशेषताओं को अपने साथ लेकर जाता हैं। इसी प्रकार वह नवीन स्थान की स्थानीय विशेषताओं, संस्कृति, तकनीकी आदि से भी प्रभावित होता हैं। जहाँ वह

अपने पूर्व स्थान की मौलिक विशेषताओं की सुरक्षा करने का प्रयास करता है। वही वह नवीन परिस्थितियों के साथ सामजंस्य स्थापित करने का प्रत्यन भी करता हैं। जिससे प्रवासी मनुष्य स्वयं, उसका मूल स्थान तथा उसका नवीन स्थान तीनों ही प्रभावित होते हैं तथा उनमें कुछ परिवर्तन अवश्य होता हैं। अतः जनसंख्या भूगोल में प्रवास के अध्ययन का विशेष महत्व हैं क्योंकि यह प्रमुख रूप से किसी क्षेत्र की जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता हैं।

प्रवास वास्तव में वह प्रक्रिया कहलाती हैं। जिसमें मानव अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर रहने लगता हैं। इस प्रकार प्रवास स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। एक गली से दूसरी गली में या एक मोहल्ले से दूसरे में स्थानान्तरण को प्रवास नही कहा जाता हैं। क्योंकि इससे किसी प्रकार का सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक परिवर्तन नही होता हैं। अतः प्रवास के लिए दो स्थानों के मध्य न्यूनतम दूरी का होना आवश्यक हैं। प्रवसन के लिए सचंरण की प्रक्रिया आवश्यक हैं परन्तु संचरण को प्रवास नही समझना चाहिए क्योंकि संचरण की प्रक्रिया में मानव कुछ समय बाद अपने मूल स्थान पर लौट आता हैं। जबकि प्रवास की प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बस जाता हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास सामान्यतः निवास स्थान को बदलते हुए एक भौगोलिक इकाई से दूसरी इकाई के लिए भौगोलिक गतिशीलता का एक रूप हैं।

प्रवास दो रूपों में होते है जिसे उत्प्रवास या प्रवजन तथा आप्रवास या आव्रजन में विभाजित किया गया हैं। जब कोई व्यक्ति अथवा मानव समूह एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होता है तो इसे उत्प्रवास कहा जाता हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अथवा मानव समूह किसी दूसरे स्थान से आकर उस स्थानीय क्षेत्र मे आकर बस जाते हैं तो इसे आप्रवास या आव्रजन कहा जाता है।

प्रवास वास्तव में प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के कतिपय कारकों का प्रतिफल है। जब कोई नगर कुछ कारणों से बाहर के लोगो को आकर्षित करता है तो

इसे ''आकर्षक कारक ''कहते है। इसके विपरित बेरोजगारी, भुखमरी इत्यादि कारक जो जनसंख्या को अन्यत्र स्थान पर जाने को विवश करते है, ''प्रत्याकर्षक कारक ''कहलाते है।

सवाई माधोपुर जिले में कुल जनसंख्या के सन्दर्भ में उत्प्रवास की प्रकृति अधिक पायी जाती हैं। जिले की जनसंख्या मूलरूप से रोजगार, उच्च शिक्षा आदि के उद्देश्य से जिले के बाहर प्रवास करते है। इसी प्रकार महिलाएँ भी विवाह के पश्चात जिले के बाहर स्थानान्तरित हो जाती हैं। जिले में आन्तरिक प्रवास के सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्र से नगरो की और प्रवास की प्रवृति बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरो में प्रवास का मूलकारण शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, उच्च जीवन स्तर, नगरीय आकर्षण विभिन्न सेवाऐं एवं सुविधाएँ प्राप्त करना हैं। जिससे नगरीकरण लगातार बढ़ रहा है। जिले में सर्वाधिक प्रवास ग्रामों से नगरो की और पाया जाता है। जिले में अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास की भी प्रवृति पायी गई हैं, परन्तु इसके अन्तर्गत केवल पुरूष व युवा वर्ग जिले से बाहर ईरान, ईराक, मलेशिया, सऊदी अरब आदि देशो में कुछ वर्षो के लिए प्रवास करते हैं। यह समयावधि एक वर्ष से लेकर 30 वर्षो तक होती हैं। प्रवास करने वाले पुरूष का परिवार अपने मूल स्थान पर ही रहता है तथा प्रवास करने वाला पुरूष एक से तीन वर्षो के अन्तराल में अपने गाँव आता रहता हैं। जिले में इस प्रकार के प्रवास की प्रवृति स्थानीय मुस्लिम व गद्दी समाज के लोगो में अधिक पायी जाती है। जिले के दोंदरी, करमोदा, पचीपुरा आदि कई गाँवों में अधिकांशतः अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास देखा गया है।

इसी प्रकार मजदूरी, व्यापार, सरकारी व गैर–सरकारी कर्मचारी आदि प्रतिदिन दैनिक प्रवास भी करते हैं। जिसमें अधिकांशतः पुरूष वर्ग हैं। ये प्रातः अपने मूल स्थान को छोड़ते हैं तथा रात्रि तक पुनः अपने मूल स्थान पर लौट आते हैं।

आप्रवास की प्रवृत्ति जिलें में कम देखने को मिलती हैं। जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर एवं गंगापुर सिटी में प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में अक्टूबर से लेकर फरवरी तक तिब्बती लोग एवं धौलपुर आदि से व्यापारी अपने ऊनी वस्त्रो

के व्यापार हेतु आप्रवास करते हैं। फरवरी के पश्चात वे पुनः अपने मूल स्थानों की और लोट जाते हैं।

इसी प्रकार अन्य देशो से आप्रवास के रूप में भी जिला मुख्यालय से 14 कि.मी. दूर स्थित रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में भ्रमण हेतु विदेशी पर्यटक हजारो की संख्या में अल्पकालीन आप्रवास करते हैं। यह प्रवास अक्टूबर माह से जून तक रहता हैं। विदेशी पर्यटको के साथ जिले के बाहर से देशी पर्यटक भी भारी संख्या में भ्रमण हेतु आते हैं। अल्पकालीन आप्रवास के अन्तर्गत वर्ष भर विभिन्न व्यावसायिक जिला उद्योग केन्द्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका जैसे अखबारो आदि द्वारा आयेजित मेलों में भी सैकड़ो की संख्या में जिले के बाहर के व्यापारी अपने व्यवसाय हेतु आप्रवास करते हैं। जिले में प्रतिवर्ष विश्व प्रसिद्व त्रिनेत्र गणेश जी व चौथ माता के मेलों में लाखों की संख्या में श्रद्वालु आप्रवास करते हैं।

संक्षेप में किसी स्थान या क्षेत्र में व्यक्तियों के आगमन अथवा वहाँ से व्यक्तियों के बहिर्गमन को ही प्रवास कहा जाता हैं। जिले में प्रवास को स्थायी, अस्थायी तथा अवास स्थान के आधार पर निम्न प्रकारो में विभक्त किया जा सकता है–

(अ) अस्थायी प्रवास–

अस्थायी प्रवास वह कहलाता है, जिसके अर्न्तगत प्रवास करने वाला व्यक्ति एक सीमित समयावधि के लिए अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाता है तथा कुछ समय बाद अपने पूर्व के स्थान पर वापस लौट आता है। अस्थायी प्रवास को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है–

1.वार्षिक प्रवास–

इस प्रवास के अर्न्तगत व्यक्ति कुछ समय के लिए वर्ष में एक बार अपना स्थायी प्रवास छोडकर अन्यत्र चला जाता है और कुछ समय पश्चात् लौट आता है। यह प्रवास किसी व्यवसाय की दृष्टि से, भ्रमण हेतु, समारोह में भाग लेने हेतु, उपचार हेतु आदि के लिए किए जाते है।

2.मौसमी प्रवास–

मौसमी प्रवास मौसम के अनुसार किए जाते है। ऐसे प्रवास प्रायः वे लोग करते है जो किसी विशेष मौसम पर आधारित व्यवसाय करते है या कोई व्यवसाय जब मौसम के अनुकूल हो, जैसे वर्तमान में राजस्थान के अधिकांश जिलों में सर्दियों के मौसम में तिब्बती लोग गर्म कपड़े के व्यवसाय हेतु प्रतिवर्ष आते है। ये प्रवास भी भ्रमण व व्यवसाय हेतु ही किया जाता है।

3.प्रतिदिन प्रवास–

प्रतिदिन किए जाने वाले प्रवास के अर्न्तगत व्यक्ति रोज सुबह अन्यत्र स्थान पर जाता है तथा शाम को वापस अपने स्थान पर आ जाता है। यह प्रवास मुख्यतः व्यवसाय, सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करने वाले या शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग ही करते है। प्रतिदिन का प्रवास अपने स्थायी स्थान से कम दूरी पर ही किया जाता है, जबकि वार्षिक व मौसमी प्रवास स्थायी स्थान से अधिक दूरी पर भी किया जा सकता है।

(ब) स्थायी प्रवास–

स्थायी प्रवास उसे कहते है जिसमे व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के साथ अपना पूर्व का स्थान छोड़कर स्थायी रूप से अन्य स्थान पर निवास करने लगता है। इसके कई कारण होते है, जैसे बेरोजगारी, चिकित्सा एवं परिवार सुविधा, विवाह, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक असुरक्षा, प्रजातिय संघर्ष, वैधानिक सेवाएँ, जनसंख्या का कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता दबाव, नगरीय जीवन का आकर्षण, जीवन सुरक्षा, धर्म व जाति का भेदभाव, तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानो की कमी, उद्योगो व व्यवसाय की कमी, मूलभूत सुविधाएँ एवं नगरीय आकर्षण आदि।

जनसंख्या प्रवास हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रवास करती है। स्थान के आधार पर जनसंख्या के प्रवास को निम्न प्रकार विभक्त किया जा सकता है।

जनसंख्या का प्रवास चार प्रकार का होता है–

1.ग्रामीण–ग्रामीण प्रवास–

इसके अर्न्तगत व्यक्ति एक गाँव से दूसरे गाँव में प्रवास करता है। जब किसी गाँव में अकाल या प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तब व्यक्ति अपने गाँव को छोडकर दूसरे गाँव में रहने लगता है। इसके अलावा गाँव में दंगे या जातीय झगड़ों के कारण भी लोग अपना गाँव त्यागकर दूसरे गाँव में निवास करने लगते है।

2.ग्रामीण–नगरीय प्रवास–

इसमे व्यक्ति अपने गाँव को छोड़कर किसी अन्य नगर में निवास करने लगता है। इसके मुख्य कारणों में सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक असुरक्षा, प्रजातिय संघर्ष, वैधानिक सेवाएँ, जनसंख्या का कृषि योग्य भूमि पर बढता दबाव, नगरीय जीवन का आकर्षण, जीवन सुरक्षा, धर्म व जाति का भेदभाव, तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानो की कमी, उद्योगो व व्यवसाय की कमी, मूलभूत सुविधाएँ एवं नगरीय आकर्षण आदि है।

3.नगरीय–नगरीय प्रवास–

इस प्रवास में व्यक्ति अपने नगर को छोड़कर अन्य नगर में अपना निवास कर लेता है। इसका मुख्य कारण अन्य नगरो में प्राप्त आय का सुअवसर है। जब व्यक्ति को अपनी वर्तमान आय और व्यवसाय में ओर अधिक अच्छे अवसर किसी दूसरे नगर में मिलते है, तो वह अपना नगर छोड़कर अन्य नगर में प्रवास करते है।

4.नगरीय–ग्रामीण प्रवास–

नगर से ग्रामीण प्रवास मुख्यतः कम ही पाया जाता है। इसमे अपने नगर को छोड़कर व्यक्ति किसी गाँव में निवास करने लगता है। इसका कारण नगरीय जीवन से ऊब, प्राकृतिक जीवन से प्रेम, नगरीय पर्यावरण प्रदूषण से दूरी भी हो सकता है। नौकरी या व्यवसाय से अवकाश प्राप्त व्यक्ति का अपने परिवार, गाँव और जन्मभूमि से प्रेम होता है। इस कारण भी व्यक्ति नगर से गाँव में निवास करने लगता है।

4.6 जिले की जनसंख्या का प्रवास के अनुसार वर्गीकरण–

(1) आप्रवास–

जनसंख्या 2001 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1117057 में से पुरूष जनसंख्या 591307 तथा स्त्री जनसंख्या 525750 है। इसी प्रकार कुल ग्रामीण जनसंख्या 904417 व नगरीय जनसंख्या 212640 है। यदि जिले की जनसंख्या कुल जनसंख्या को उनके जन्मस्थान व लिंगानुसार विभिन्न स्तरो पर विभाजित किया जाए तो स्पष्ट होता है कि जिले की कुल जनसंख्या में से 1116649 व्यक्तियों का जन्म भारत में ही हुआ है जिनमें भारत में जन्में कुल पुरूष 591116 व स्त्रियाँ 525533 है जिसका ग्रामीण व नगरीय अनुपात क्रमशः 904335 व 212314 है। भारत से बाहर अन्य देशों में जन्में कुल व्यक्ति 408 है जिनमें पुरूष 191 व स्त्री 217 है इसी प्रकार इनकी ग्रामीण जनसंख्या 82 तथा नगरीय जनसंख्या 326 है।

जिले की जनसंख्या में राजस्थान में जन्में कुल व्यक्तियों की जनसंख्या 1101889 है जिनमें पुरूष व स्त्री जनसंख्या क्रमशः 586910 व 514979 है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या 898321 व नगरीय जनसंख्या 203568 है। राजस्थान से बाहर अन्य राज्यों में जन्म लेने वाले व्यक्तियों की कुल जनसंख्या 14760 है जिनमें पुरूष जनसंख्या 4206 तथा महिला जनसंख्या 10554 है इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या 6014 व नगरीय जनसंया 8746 है।

जिले में ही जन्म लेने वाली कुल जनसंख्या 1004474 व्यक्तियों के रूप में है जिनमें पुरूष जनसंख्या 572606 व स्त्रियाँ 431868 है जिसका ग्रामीण व नगरीय अनुपात क्रमशः 832802 व 171672 है।

सारणी 4.12 से स्पष्ट होता है कि जनगणना 2001 में जिले की कुल जनसंख्या 1117057 में से 112583 व्यक्ति जिले के बाहर जन्में है जो कि जिले बाहर अन्य राज्यों, अन्य जिलों, विदेशों से जिले में आप्रवासित हुए है। जिले की इस आप्रवासित जनसंख्या में पुरूषों की जनसंख्या 572606 तथा महिला जनसंख्या 431868 है। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या 832802 व नगरीय जनसंख्या 171672 है।

तालिका–4.12

जिला– स.मा. जन्म–स्थान के आधार पर वर्गीकरण एवं आप्रवास–2001					
जन्म–स्थान	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष**	**महिला**	**ग्रामीण**	**नगरीय**
कुल	1117057	591307	525750	904417	212640
भारत में जन्में व्यक्ति	1116649	591116	525533	904335	212314
राजस्थान में जन्में व्यक्ति	1101889	586910	514979	898321	203568
जिले में जन्में व्यक्ति	1004474	572606	431868	832802	171672
जिले के बाहर जन्में व्यक्ति	112583	18701	93882	71612	40968
राज्य के अन्य जिलों में जन्में व्यक्ति	97415	14304	83111	65519	31896
राज्य के बाहर जन्में व्यक्ति	14760	4206	10554	6014	8746
देश के बाहर जन्में व्यक्ति	408	191	217	82	326

Source-www.censusindia.gov.in

जिले की आप्रवासित होने वाली कुल जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या व अनुपात अधिक है जिसका प्रमुख कारण जिले के बाहर से स्त्रियों का विवाह के पश्चात् जिले में पति के घर या ससुराल में मूल निवास हो जाना है। चूँकि जिले में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात अधिक है अतः आप्रवासित होने वाले जनसंख्या के अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। इसी प्रकार पुरूषों के आप्रवासित होने का कारण यहाँ उपलब्ध पर्यटन व औद्योगिक व्यवस्था के केन्द्र है। जिले की बन्द पड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री ''दी जयपुर उद्योग लिमिटेड'' में कार्य करने वाले कार्मिको के रूप में विभिन्न राज्यों से आये हुए लगभग 3000 से अधिक लोग फैक्ट्री के बन्द होने के पश्चात् भी स्थायी रूप से यही पर बस गए है। इसी प्रकार जिले में पर्यटन व्यवसाय के अर्न्तगत होटल आदि में मजदूर व अन्य कर्मचारी आप्रवास के पश्चात् स्थायी रूप से यही पर बस गए है। जिले के बाहर से आने वाले व्यक्ति तालिका–4.13 में दर्शाए गए है–

तालिका–4.13

जिला– स.मा. राजस्थान से बाहर अन्य मुख्य राज्यों से आव्रजन–2001			
प्रमुख राज्य	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष**	**महिला**
उत्तर प्रदेश	5451	2076	3375
मध्य प्रदेश	5475	823	4652
अन्य प्रमुख राज्यों से आव्रजन (0–600 व्यक्तियों के मध्य)			
पंजाब	350	103	247
हरियाणा	437	159	278
दिल्ली	551	104	447
बिहार	591	193	398
प.बंगाल	336	217	119
गुजरात	535	146	389
महाराष्ट्र	311	97	214

Source-www.censusindia.gov.in

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जिले में आप्रवास होने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश राज्यों से है। मध्य प्रदेश से आप्रवासित कुल जनसंख्या 5475 है जिनमें पुरूष 823 तथा स्त्री 4652 है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश से आप्रवासित कुल जनसंख्या 5451 है जिनमें पुरूष 2026 तथा स्त्री 3375 है।

इनके अतिरिक्त अधिकांश आप्रवास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र व देशों के बाहर से भी हुए है।

आँकड़ों से स्पष्ट है कि जिले में उपर्युक्त क्षेत्रों से महिलाओं का आप्रवास अधिक हुआ है जिसका प्रमुख कारण विवाह के पश्चात् ससुराल में पति के घर पर स्थायी रूप से बस जाना है। वहीं पुरूषों का आप्रवास रोजगार हेतु हुआ है। जिले की उत्तर प्रदेश राज्य से अन्तर्राज्यीय सीमा संलग्न है तथा उत्तर प्रदेश राज्य से परिवहन सुविधा अधिक सुगम है अतः उत्तर प्रदेश राज्य से पुरूषों का आप्रवास अधिक हुआ है।

सवाई माधोपुर जिले में राज्य के ही अन्य जिलों में जन्म लेने वाले तथा सवाई माधोपुर जिले में आप्रवासित होने वाले व्यक्तियों का जिलानुसार विवरण निम्न प्रकार है–

तालिका–4.14

राज्य के अन्य जिलों से स.मा. जिले में आव्रजन (जन्म स्थान के आधार पर)–2001			
जिले	कुल	पुरूष	महिला
गंगानगर	67	25	44
हनुमानगढ	17	4	13
बीकानेर	84	35	49
चूरू	104	33	71
झुन्झुनु	195	105	90
अलवर	1052	285	767
भरतपुर	3435	773	2672
धौलपुर	397	98	299
करौली	42589	7181	35408
दौसा	13415	820	12595
जयपुर	5039	833	4156
सीकर	323	100	223
नागौर	276	64	212
जोधपुर	164	48	116
जैसलमेर	12	6	6
बाडमेर	43	21	22
जालौर	14	3	11
सिरोही	33	12	21
पाली	70	24	46
अजमेर	846	216	630
टोंक	17198	1349	15849
बून्दी	4341	465	3876
भीलवाडा	230	50	180
राजसमन्द	13	7	6
उदयपुर	116	37	79
डूँगरपुर	11	6	5
बाँसवाडा	13	4	9
चित्तौड	107	38	69
कोटा	5159	716	4443
बारां	601	91	510
झालावाड	305	58	247
अवर्गीकृत	1144	757	387

Source-www.censusindia.gov.in

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सवाई माधोपुर जिले में निकटवर्ती अन्य जिलों करौली, दौसा, टोंक, कोटा, जयपुर, बून्दी, भरतपुर, अलवर आदि जिलों से अधिकतम आप्रवास हुआ है। जिनमें भी स्त्रियों की जनसंख्या व अनुपात अधिक होने का कारण विवाह के पश्चात् आव्रजन ही है।

सवाई माधोपुर जिले में सर्वाधिक आव्रजन करौली जिले से 42589 व्यक्तियों के रूप में हुआ है जिसमें पुरूष जनसंख्या 7181 व महिलाओं की जनसंख्या 35408 है। इसी प्रकार सबसे कम आव्रजन डूँगरपुर जिले से 11 व्यक्तियों के रूप में हुआ है जिसमें पुरूष जनसंख्या 6 व महिलाओं की जनसंख्या 5 है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिले में पड़ौसी जिलों से ही आव्रजन अधिक हुआ है।

(2) उत्प्रवास–

जिले से बाहर कुल उत्प्रवास 303259 व्यक्तियों के रूप में है जिनमें पुरूषों की जनसंख्या 42113 तथा महिलाओं की जनसंख्या 261146 है। इनमें कुल ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या क्रमशः 231423 व 71833 व्यक्ति है।

जिले से बाहर कुल व्यक्ति 287 उत्प्रवासित हुए है जिनमें पुरूष 133 तथा महिला 154 है जिनमें कुल ग्रामीण जनसंख्या 78 तथा कुल नगरीय जनसंख्या 209 है। इसी प्रकार राज्य से बाहर उत्प्रवासित होने वाले कुल व्यक्तियों की जनसंख्या 14228 है जिनमें पुरूषों की जनसंख्या 3991 तथा महिलाओं की जनसंख्या 10237 है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या 5962 तथा नगरीय जनसंख्या 8266 है। राज्य में ही परन्तु जिले से बाहर उत्प्रवासित होने वाली कुल जनसंख्या 97796 है जिनमें पुरूष जनसंख्या 15295 तथा महिलाओं की जनसंख्या 82501 है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या 65191 तथा नगरीय जनसंख्या 32605 है। इसी प्रकार जिले में ही अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों पर उत्प्रवासित होने वाले कुल व्यक्तियों की जनसंख्या 190948 है जिनमें पुरूषों की जनसंख्या 22694 तथा महिलाओं की जनसंख्या 168254 है। इनमें ग्रामीण जनसंख्या 160195 तथा नगरीय जनसंख्या 30753 है। उपर्युक्त आँकड़ें निम्न सारणी के अनुसार है–

तालिका–4.15

जिला–स.मा. जिले में उत्प्रवास (अन्तिम निवास स्थान के आधार पर)–2001			
वर्गीकरण	**कुल जनसंख्या**	**पुरूष**	**महिला**
कुल	303259	42113	261146
ग्रामीण	231426	15478	215948
नगरीय	71833	26635	45198
देश के बाहर उत्प्रवासित			
कुल	287	133	154
ग्रामीण	78	26	52
नगरीय	209	107	102
राज्य के बाहर उत्प्रवासित			
कुल	14228	3991	10237
ग्रामीण	5962	1089	4873
नगरीय	8266	2902	5364
जिले के बाहर उत्प्रवासित			
कुल	97796	15295	82501
ग्रामीण	65191	4223	60968
नगरीय	32605	11072	21533
जिले में ही अन्य स्थानों पर उत्प्रवासित			
कुल	190948	22694	168254
ग्रामीण	160195	10140	150055
नगरीय	30753	12554	18199

Source-www.censusindia.gov.in

जिले में अधिकांश उत्प्रवास पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में अधिक हुआ है वहीं कोटा, टोंक, करौली, जयपुर, बून्दी, दौसा आदि निकटवर्ती जिलों में उत्प्रवास अधिक हुआ है। उक्त आँकड़ों में महिलाओं की संख्या अधिक होने के कारण विवाह के पश्चात् सवाई माधोपुर जिले के बाहर अथवा अपने मूल स्थान के बाहर जाकर ससुराल में बस जाना है। वहीं पुरूषों में उत्प्रवास का प्रमुख कारण रोजगार हेतु उत्प्रवास करना है। रोजगार हेतु एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्प्रवास निम्न सारणी से स्पष्ट है–

तालिका–4.16

जिला– स.मा. कार्मिक जनसंख्या के आधार पर उत्प्रवास			
	कुल जनसंख्या	पुरूष	महिला
कुल	177265	25290	151975
ग्रामीण	158846	15550	143296
नगरीय	10836	5328	5508
व्यवसाय के अनुसार			
कृषक	122247	4684	117563
कृषि मजदूर	20678	922	19756
अन्य	34340	19684	14656

Source-www.censusindia.gov.in

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित होने के कारण अधिकांश उत्प्रवास कृषकों एवं कृषि मजदूरों के रूप में हुआ है। कृषकों में 122247 व्यक्ति कृषि हेतु उत्प्रवासित हुए है जिनमें 4684 पुरूष एवं 117563 महिलाएँ है। इसी प्रकार कृषि मजदूर के रूप में कुल 20678 व्यक्ति उत्प्रवासित हुए है जिनमें 922 पुरूष व 19756 महिलाएँ है। कृषक व कृषि मजदूर के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न कुल उत्प्रवासित व्यक्ति 34340 है जिनमें 19684 पुरूष व 14656 महिलाएँ है। स्पष्ट है कि कृषक एवं कृषि मजदूर के रूप में महिलाओं का उत्प्रवास अधिक हुआ है क्योंकि कृषि कार्यों में कटाई, गुड़ाई, देखरेख सम्बंधी कार्य खेत पर रहकर महिलाएँ ही संभालती है।

वैवाहिक स्थिति के आधार पर जिले में कुल उत्प्रवास 86950 हुआ है जिसमें पुरूष जनसंख्या 16756 तथा महिला जनसंख्या 70194 है इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या 71333 व नगरीय जनसंख्या 12807 है। आयु के अनुसार यदि वर्गीकरण करे तो 10–19 वर्ष के कुल 19538 व्यक्तियों का उत्प्रवास हुआ है जिसमें पुरूष 4257 व महिला 15281 है इसी प्रकार 20–29 वर्ष के कुल 46637 व्यक्तियों का उत्प्रवास हुआ है जिसमें पुरूष 2990 व महिला 43647 है इसी प्रकार 80 वर्ष के कुल 163 व्यक्तियों का उत्प्रवास हुआ है जिसमें पुरूष 62 व महिला 101 है। महिलाओं का उत्प्रवास विवाह पश्चात् मूल जिले सवाई माधोपुर को छोड़कर अन्य स्थान पर बस जाने के कारण अधिक देखा गया है।

स्थिति के अनुसार वर्गीकरण में अविवाहित कुल 13634 व्यक्ति है जिसमें पुरूष 7916 व महिला 5718 है। नवविवाहित कुल 71882 व्यक्ति है जिसमें पुरूष 8554 व महिला 63328 है। विधवा या विधुर कुल 1297 व्यक्ति है जिसमें पुरूष 266 व महिला 1031 है। इसी प्रकार तलाकशुदा कुल 137 व्यक्ति है जिसमें पुरूष 20 व महिला 117 है जिन्हें निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है–

तालिका–4.17

जिला– स.मा. वैवाहिक स्थिति के अनुसार उत्प्रवास			
	कुल जनसंख्या	**पुरूष**	**महिला**
कुल	86950	16756	70194
ग्रामीण	71333	11345	59988
नगरीय	12807	3878	8929
आयु के अनुसार			
20–29 वर्ष	46637	2990	43647
10–19 वर्ष	19538	4257	15281
80 वर्ष से अधिक	163	62	101
स्थिति के अनुसार			
अविवाहित	13634	7916	5718
नवविवाहित	71882	8554	63328
विधवा / विधुर	1297	266	1031
तलाकशुदा	137	20	117

Source-www.censusindia.gov.in

4.7 जिले में प्रवसन के लिए उतरदायी कारक–

सवाई माधोपुर के सन्दर्भ में मुख्य रूप से उत्प्रवास की प्रवृति देखी गई है। आप्रवास अपेक्षाकृत कम ही पाया जाता हैं। जिले में प्रवास प्रमुख रूप से ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अधिक पाया जाता हैं। जिलें में प्रवास को निम्नकारको ने प्रभावित किया हैं।

1.बेरोजगारी–

जिले के सभी गाँवो में कृषि ही रोजगार कामूल साधन है, कृषि के अलावा अन्य रोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में प्रवास होता हैं।

पारिवारिक बँटवारे के कारण कृषि भूमि का आकार घट रहा है जो बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण हेतु पर्याप्त नही हैं। अतः कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाब बढ़ने से बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा नही हो पाए और किसी भी कारण से फसल खराब हो जाए अथवा अपेक्षित पैदावर प्राप्त नही हो पाए तो यह समस्याँ और भी अधिक विकट हो जाती हैं। जिले के किसान मानसूनी वर्षा पर भी निर्भर रहते है अतः इन सभी कारणो से ग्रामीण जनसंख्या रोजगार की तलाश में शहरो की ओर प्रवास करती हैं। जिस ग्रामीण परिवार के पास कृषि भूमि अपर्याप्त होती है, वह परिवार तो हमेशा के लिए गाँव छोड़कर मजदूरी या अन्य रोजगार हेतु शहरो की और प्रवास कर लेता है। बेरोजगारी के कारण ही प्रतिवर्ष सैकड़ो युवक विदेशो में रोजगार हेतु प्रवास करते हैं, जो कुछ वर्षो बाद पुनः स्वदेश लौट आते हैं।

2.चिकित्सा एवं परिवार सुविधा–

आजादी के इतने वर्ष बाद भी जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी चिकित्सा व्यवस्था अच्छी नही हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वास्थ्य केन्द्रो पर चिकित्सक का पद का रिक्त होना, चिकित्सा कर्मियों, नर्स, कम्पाउडर आदि की कमी होना आदि सामान्य समस्याएँ बनी रहती है। तात्पर्य यह है कि संतोषजनक चिकित्सा सुविधाओ की आज भी ग्रामीण क्षेत्रो में कमी है। इस कारण कई बार आपातकालीन स्थिति में दुर्घटना, प्रसव व अन्य गम्भीर बीमारियो में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध नही हो पाने से लोग काल का ग्रास बन जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न बीमारियों की चिकित्सा एवं जाँचो के लिए बार–बार शहर आना पड़ता है। इस असुविधा से ग्रसित होकर भी व्यक्ति नगरीय प्रवास की मानसिकता बना लेता हैं। जिला मुख्यालय से अधिक दूरी वाले तथा अत्यंत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो में ऐसी मानसिकता अधिक देखी गई हैं। अधिक दूरी के कारण तथा समय पर परिवहन के साधन उपलब्ध नही हो पाने के कारण कई बार तो मरीज बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। लम्बी दूरी, खराब

सड़को आदि के कारण ऐम्बूलेंस या अन्य वाहन सुविधा भी समय पर उपलब्ध नही हो पाती।

सामान्य परिवहन सुविधा जैसे बस, जीप आदि से आज भी कई छोटे गाँव वंचित हैं। वहाँ के लोग या तो स्वंय के निजी साधन जैसे मोटर साईकिल, ट्रेक्टर्स आदि से परिवहन करते है।गाँवके लोग तहसील मुख्यालयो तक वाहनो मेंलटक कर व जुगाड़ अथवा किसान गाड़ी जैसे वाहनो में परिवहन करते हैं, जो अवैध भी हैं तथा जोखिम भरा परिवहन भी हैं। वर्षा ऋतु में पानी भर जाने तथा सड़के टूट जाने से तो ग्रामीण क्षेत्र कई दिनों तक तहसील व जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपातकालीन सेवाएँ जैसे चिकित्सा आदि ग्रामीण क्षेत्रो तक नही पहुँच पाती। अतः इन सभी कारणों से ग्रामीण जनसंख्या का शहरो की और प्रवास हेतु आकर्षण बढ़ा हैं।

3.मूलभूत सुविधाऐं एवं नगरीय आकर्षण–

ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा जिले के नगरीय क्षेत्र में विभिन्न मूलभूत सुविधाऐं पानी, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन आदि पर्याप्त रूप से मिल जाती हैं। अतः लोगो का आकर्षण गाँवो से नगरो की ओर बढ़ा है। ग्रामीण लोग नगरो की चका–चौंध एवं आकर्षण से वशीभूत होकर भी नगरो में बसना चाहते हैं। ग्रामीण लोगो की मानसिकता अपने बच्चो को शहर में रखकर सभी सुविधाएँ देने की बन जाती हैं और वह इस ओर प्रयासरत हो जाता हैं। कई बार कृषक अपनी कृषि भूमि किसी दूसरे कृषक अथवा साझी को साँझे में देकर नगर में प्रवास कर जाते हैं तथा गाँवो में केवल कृषि की देखभाल हेतु कभी–कभी आ जाते हैं। जिन कृषको के पास पर्याप्त धन व भूमि होती हैं तथा पर्याप्त पैदावर होती हैं, वे गाँवो में रहते हुए भी नगर में अपना आवास बना लेते है तथा अपने परिवार के कुछ सदस्यो को नगर में भेज देते हैं। गाँवो में केवल परिवार का मुखिया या कृषि हेतु जिम्मेदार व्यक्ति रहता हैं। इसी प्रकार ग्रामीण परिवार से किसी व्यक्ति का सरकारी सेवा में चयन हो जाने पर वह व्यक्ति नगर में ही बसने की मानसिकता रखता हैं।

4.तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानो की कमी–

जिले में वर्तमान समय में तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा उच्च शिक्षा हेतु संस्थानो की कमी हैं। सवाई माधोपुर जिले में जिला मुख्यालय पर दो सरकारी डिग्री कॉलेज, तीन निजी डिग्री कॉलेज, चार बी.एड. कॉलेज, एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा एक निजी इंजिनियरिंग कॉलेज हैं, जो 2 वर्ष पूर्व ही संचालित किया गया हैं। इनके अतिरिक्त गंगापुर सिटी में सरकारी व निजी डिग्री कॉलेज हैं। जिले की बामनवास, मलारना डूँगर, बरवाड़ा, खण्डार आदि ऐसी तहसीले हैं ,जहाँ उच्च अध्ययन हेतु महाविद्यालय नही हैं। तकनीकी शिक्षा हेतु हजारो छात्र प्रतिवर्ष जिले से बाहर जयपुर, कोटा, सीकर ,झुंझुनू, चूरू आदि क्षेत्रो में प्रवास करते हैं। इनमें अधिकांश छात्र पॉलिटेक्निक एवं इंजिनियरिंग से संम्बधित है तथा भारी संख्या में छात्र मेडिकल एवं स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु जिलो से बाहर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर सभी संकाय जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि उपलब्ध न होने के कारण छात्र गाँवो से शहरो व उच्च नगरो की ओर प्रवासित होते हैं। ग्रामीण व्यक्ति भी अपने बच्चो को अच्छी शिक्षा दिलवाने के उददेश्य से गाँवो से शहर आकर बस जाते हैं। छात्र अपना अध्ययन पूर्ण करने के बाद अथवा इंजिनियरिंग या मेडिकल से सम्बंधित कॉचिग या अध्ययन करने हेतु निकटवर्ती कोटा व जयुपर में चले जाते हैं और 4–5 वर्षो तक वही रहकर अध्ययन करते हैं।

5.उद्योगो व व्यवसाय की कमी–

जिले में कोई भी वृहत अथवा मध्यम दर्जे का उद्योग नही हैं। लगभग तीन दशक पूर्व बंद हो चुके एशिया के प्रसिद्व सीमेन्ट उद्योग दी जयपुर उद्योग लिमिटेड तथा कुछ वर्षो पूर्व विस्थापित हो चुके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के इण्डेन बाटलिंग प्लान्ट के बाद जिले की व्यवसायिक स्थिति ओर खराब हो गई। जिले के सीमेन्ट उद्योग में लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत थे। जिनमें से 6000 कर्मचारी विभिन्न राज्यो तथा जिलो के बाहर से आप्रवासित हुए थे, परन्तु उद्योग बंद होने के पश्चात अधिकांश लोग दूसरे स्थानो पर लोट गए। इन उद्योगोके बंद होने से जिले में बेरोजगारी बढ़ गई तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन

उद्योगो पर आधारित बाजार एवं विभिन्न व्यवसाय बन्द हो गए। जिससे लोग स्थाई रूप से परिवार सहित निकटवर्ती जिलो जयपुर, कोटा व दिल्ली जैसे शहरो में जाकर बस गए। अतः उद्योग धन्धो की कमी के कारण जिले की ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या ने बड़ी संख्या में अन्य नगरो में रोजगार हेतु स्थायी प्रवसन किया हैं।

6.विवाह–

भारत एक संस्कृति और रीति–रिवाज प्रधान देश है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के 16 संस्कार होते है। इनका अनुसरण आदिकाल से होता आ रहा है। जिसके तहत् विवाह भी एक प्रमुख संस्कार है, जिसमें लड़की विवाह पश्चात् अपने माता–पिता के छोड़कर ससुराल चली जाती है तथा वही उसका स्थायी प्रवास हो जाता है। अतः विवाह भी प्रवास का मुख्य कारण है।

7.सामाजिक व राजनीतिक सुरक्षा–

जिले के नगरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक सुरक्षा का बन्दोबस्त होता है। गाँवों में कुछ प्रमुख परिवार और समाज वालों का दबदबा होता है और वे लोग अपनी मनमर्जी करते है, जिससे अन्य लोग अपने अधिकारो से वंचित रहते है। गाँवों का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम होता है तथा ऐसे प्रभुत्व सम्पन्न परिवारों की पहुँच कई बड़ी राजनैतिक पार्टियों से भी होती है। जिसके चलते कभी–कभी ये परिवार अपनी मनमानी करने लगते है। इसके विपरित नगरों के लोग अधिक जागरूक होते है तथा सुरक्षा व्यवस्था भी गाँवों की तुलना में कठोर होती है। जिसके कारण लोगो के अधिकारों का हनन नही हो पाता और जनसंख्या अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करती है व जिले के नगरों में प्रवास करती है।

8.प्रजातिय संघर्ष–

जिले के गाँवों में कुछ जाति विशेष जनसंख्या का प्रभुत्व होता है, जो गाँव के कानून स्वयं बनाते है और वे कानून ऐसे होते है जिससे उनके विकास या स्वतन्त्रता में कोई अवरोध ना आए, चाहे उन कानूनों से अन्य जाति के लोगो का शोषण होता रहे। ऐसे वातावरण का अंत प्रजातिय संघर्ष होता है तथा विजय उस प्रजाति की होती है, जिसे समाज की जनसंख्या और राजनीति दोनो

का सहयोग प्राप्त हो। जबकि नगरो में ऐसे प्रजातिय संघर्ष नही होते अतः ऐसे प्रजातिय संघर्ष से बचने के लिए भी जिले के गाँवों के लोग नगरों में प्रवास करने लगते है। ग्रामीण क्षेत्रो में कई बार एक से भिन्न समाज व जाति समुदाय के बीच मतभेद या जातिगत भेद होने पर कोई एक जाति वर्ग या जाति समुदाय समूह में ही अपना मूल स्थान त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर बस जाते हैं, क्योंकि मतभेद के कारण वे असुरक्षित व असहज महसूस करते हैं।

9.वैधानिक सेवाएँ–

जिले के नगरो में गाँवों की अपेक्षा अधिक वैधानिक सुविधाएँ है। गाँवों में ग्राम पंचायत होती है जबकि जिले में कलेक्ट्रेट, अदालत व विभिन्न कार्यालयी कार्यो आदि के लिए गाँव के लोगो को बार–बार जिले में जाना पड़ता है। वर्तमान में प्रत्येक कार्य इन्टरनेट से जोड़ दिया गया है। चाहे वह किसी का बिल भरना हो या कोई परीक्षा फार्म, अतः लोगो को नगरों के चक्कर काटने पड़ते है। जिन लोगों के लिए जिला गाँवों से दूर पडता है और जिनका इन संस्थाओं से काम अधिक पडता है, ऐसे लोग गाँवो से नगरो की ओर आकर्षित होते है, जो भी प्रवास का प्रमुख कारण है।

10.जनसंख्या का कृषि योग्य भूमि पर बढता दबाब–

जिले में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, परन्तु कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल लगभग स्थिर है । इससे कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का दबाब निरन्तर बढ़ता जा रहा है। कृषि में पहले से ही अल्प बेरोजगारी तथा अदृश्य बेरोजगारी व्यापक रूप से विद्यमान है। ऐसी दशा में जब भूमि ग्रामीण लोगो को जीविका प्रदान करने में असमर्थ रहती है तो जिले के लोग विवश होकर रोजगार की तलाश में गाँवों से नगरो की ओर पलायन करने लगते है, जो भी प्रवास का एक प्रमुख कारण है।

11.धर्म व जाति का भेदभाव–

जिले के गाँवों में नगरो की अपेक्षा अधिक जातिप्रथा तथा धार्मिक भेदभाव होता है। निम्न वर्ण के लोग उच्च वर्ण के लोगो द्वारा किए जाने वाले इस

भेदभाव से हीनता महसूस करते है, जिससे उनका विकास अवरूद्ध हो जाता है अतः इस भेदभाव से बचने के लिए भी लोग जिले के नगरो में प्रवास करते है।

12.अन्य कारण–

जिले में प्रवसन के अन्य कारणों में औद्योगिकीकरण, सेवा हेतु स्थानान्तरण आदि भी है। औद्योगिकीकरण नगर की विशेषता है अतः उद्योग में रोजगार हेतु लोगनगरों की ओर प्रवासित होते है। जिले में सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारी स्थानान्तरण होने पर दूसरे स्थानो पर प्रवासित हो जाते हैं तथा लम्बे समय तक वहीं रहने के कारण अपना आवास बनाकर स्थायी रूप से बस जाते हैं। ऐसी ही स्थिति आप्रवास में होती है, जब दूसरे स्थान के लोग जिले मे ही स्थानान्तरण के पश्चात अपना आवास बनाकर स्थायी निवास करने लगते हैं। इस प्रकार जिले में विभिन्न प्रकार का आप्रवास एवं उत्प्रवास पाया जाता है जो कि जिले की जनसंख्या परिवर्तन का एक मुख्य घटक हैं।

अध्याय–5

जिले में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या

5.1 जनसंख्या वितरण–

सवाई माधोपुर जिले में राज्य एवं अन्य राज्य के जिलों की भाँति जनसंख्या का वितरण गाँवों एवं नगरों में देखने को मिलता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में नगरों की अपेक्षा अधिकांश जनसंख्या गाँवों में ही निवास करती है अर्थात् भारत गाँवों का देश है तथा देश की जनसंख्या गाँवों में अधिक केन्द्रित है। देश की तरह ही सवाई माधोपुर जिले में भी गाँवों की अधिकता है। कुल जिले की तीन चौथाई से भी अधिक जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा नगरों में एक चौथाई से भी कम जनसंख्या का जमाव पाया जाताहै। समय के साथ–साथ तकनीकी विकास तीव्र गति से हो रहा है। परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की गति को बल मिला है। जिससे जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का रूप धारण कर रही है अर्थात् ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों के इर्द–गिर्द भी नगरीकरण को आधार मिलता हैं। ऐसे क्षेत्रों में विभिन्न सुविधाएँ जैसे जल, बिजली, परिवहन, शिक्षा, चिकित्सा, आदि गाँवों की तुलना में अधिक सुलभ होती है। स्पष्ट है कि इन सभी कारको से नगरीकरण में वृद्धि होती है। सामान्य रूप से जब कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढता है तो उसे विकास का सूचक समझा जाता है। नगरीकरण में वृद्धि नगरीकरण के स्तर व औद्योगिकरण को भी दर्शाता है। जिन क्षेत्रो में विकास होता है तथा रोजगार आदि के अवसर बढते है, निश्चय ही उन स्थानों पर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी बढता है।

अतः जनसंख्या अध्ययन हेतु कुल जनसंख्या को आवास तथा कार्यात्मक अन्तर के आधार पर ग्रामीण जनसंख्या एवं नगरीय जनसंख्या के रूप में विभाजित किया जा सकता है। देश तथा राज्य की भाँति सवाई माधोपुर जिले की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वितरण प्रारूप, जीवन शैली, आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर, खान–पान, व्यावसायिक संरचना आदि

पस्पर भिन्नता व विशिष्टता लिए हुए है। अतः इन सभी तत्वों का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण ग्रामीण एवं नगरीय भिन्न–भिन्न स्तरों एवं आधारों पर करना आवश्यक है। चूँकि सवाई माधोपुर जिला भी एक कृषि प्रधान जिला है अतः जिले की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है तथा शेष 20 प्रतिशत जनसंख्या नगरो में निवास करती है। जिले की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। जिनका जीवन यापन पूर्णतया कृषि पर आधारित है। कृषि ही जिले की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि प्रधान होने के कारण ग्रामीण जीवन शैली एवं संस्कृति का प्रभाव सम्पूर्ण जिले पर दृष्टिगोचर होता है।

आरेख–5.1

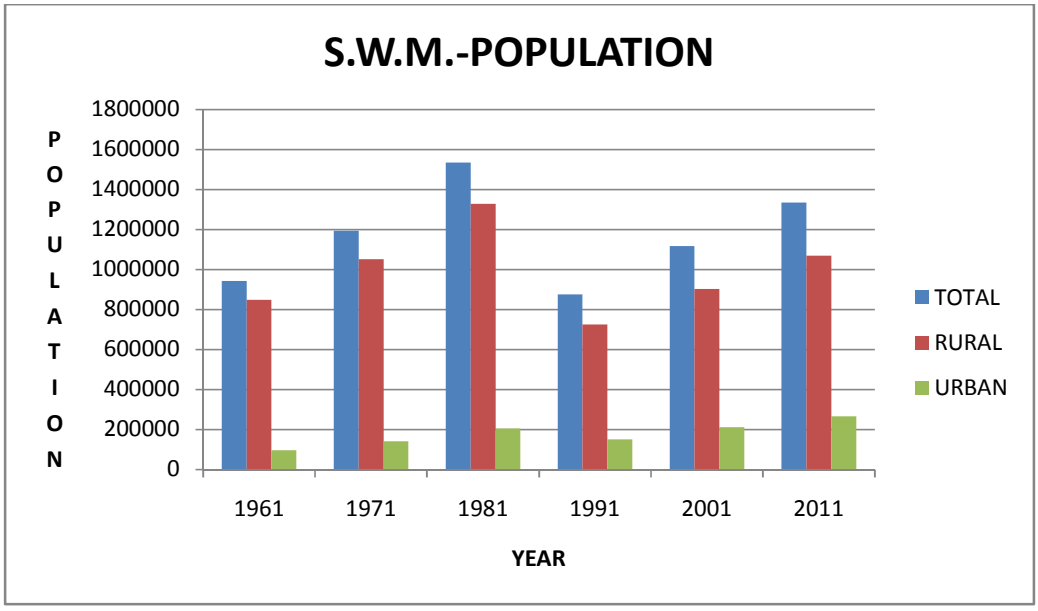

जिले में 1961 मेंकुल जनसंख्या में से 847445 व्यक्ति गाँवो में तथा 96129 व्यक्ति शहरों में निवास करते थे। जो 1971 में क्रमशः 1051442 तथा 142086 हो गए। 1981 में ग्रामीण जनसंख्या 1329780 तथा नगरीय जनसंख्या 206090 हो गई, जो 1991 में करौली जिले के पृथक होने के पश्चात् ग्रामीण जनसंख्या के रूप में 724093 तथा नगरीय जनसंख्या के रूप में 151659 रह गई। इस प्रकार 2001 में 904417 व्यक्ति ग्रामीण जनसंख्या तथा 212640

व्यक्ति नगरीय जनसंख्या के रूप में थे। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 1335551 में से ग्रामीण जनसंख्या 1069084 तथा नगरीय जनसंख्या 266467 व्यक्तियों के रूप में है तथा वर्तमान में ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या का यह अनुपात क्रमशः 80.05 तथा 19.95 प्रतिशत है। जबकि 1961 में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का यह अनुपात क्रमशः 89.81 तथा 10.19 प्रतिशत था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिले में नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। जो कि नगरीकरण की प्रवृत्ति तथा औद्योगिकरण व विकास का सूचक है तथा एक सकारात्मक संकेत है।

तालिका–5.1

जिला सवाई माधोपुर ग्रामीण–नगरीय वितरण (1961–2011)					
वर्ष	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या		नगरीय जनसंख्या	
		जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
1961	943574	847445	89.81	96129	10.19
1971	1193528	1051442	88.10	142086	11.90
1981	1535870	1329780	86.58	206090	13.42
1991	875752	724093	82.68	151659	17.32
2001	1117057	904417	80.96	212640	19.04
2011	1335551	1069084	80.05	266467	19.95

Source-popu facts and figures,Direc.of Eco. & Stat. Raj., Jaipur

*नोट–उपर्युक्त 1991के आँकडों में करौली जिला सम्मिलित नही है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं तालिका से स्पष्ट होता है कि 1961 से लेकर 2011 तक जिले में नगरीकरण की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि हुई है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढा है। जनगणना 1961 में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 89.81 तथा नगरीय जनसंख्या अनुपात मात्र 10.19 प्रतिशत था जो 1971 में बढ़कर क्रमशः 88.10 तथा 11.90 हो गया। इसके पश्चात् 1981 में जिले की ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 86.58 तथा नगरीय जनसंख्या का अनुपात 13.42 तक पहुँच गया। जिले में नगरीय आकर्षण के कारण इसके बाद के दशक अर्थात् 1991 में नगरीय अनुपात अधिक तीव्र गति से बढ़ा। इसका एक कारण जिले के ग्रामीण क्षेत्र से करौली जिले का

पृथक हो जाना भी है। इस दशक में सर्वाधिक दर लगभग 3.90 प्रतिशत की अधिक दशकीय वृद्धि के साथ जिले का ग्रामीण जनसंख्या अनुपात घटकर 82. 68 प्रतिशत तथा नगरीय अनुपात बढ़कर 17.32 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार 2001 में जिले का ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या अनुपात क्रमशः 80.96 तथा 19. 04 तथा वर्तमान 2011 मेंक्रमशः 80.05 तथा 19.95 के साथ जनसंख्या का अनुपात रहा। इस प्रकार जिले में भी देश व राज्य की भाँति निरन्तर ग्रामीण जनसंख्या अनुपात घट रहा है तथा नगरीय जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है। जो कि विकास के क्रम को इंगित करता है। नगरीकरण का बढता ग्राफ तथा ग्रामीण जनसंख्या का घटता ग्राफ निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है–

आरेख–5.2

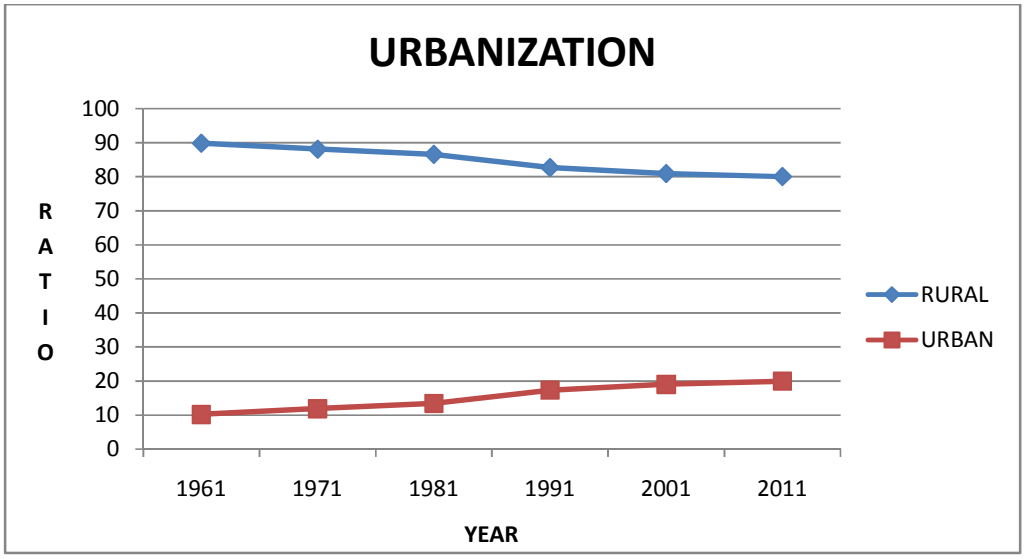

2011 के अनुसार जिले की नगरीय–ग्रामीण जनसंख्या का वितरण–

जिले में औद्योगिक विकास की मंद गति के बावजूद सामान्य जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ नगरीकरण की जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है तथा ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है। जिले के स्थापित बड़े उद्योगों के रूग्ण हो जाने से तथा नए बड़े उद्योग स्थापित नही हो पाने से यद्यपि जिला राज्य के अन्य जिलो की तुलना में विकास की दौड़ में काफी पिछड़ गया है तथा औद्योगिक कमी के साथ–साथ रोजगार व शिक्षा के क्षेत्रों में भी अधिक विकास

नही हो पाया है तथापि परिवहन, पर्यटन चिकित्सा, वाणिज्य, व्यापार आदि क्षेत्रों में संतोषप्रद विकास हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप ही वर्तमान जनगणना 2011 में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 1961 के नगरीय अनुपात से लगभग दुगुना हो गया। इस प्रकार जिले में वर्तमान नगरीय अनुपात बढ़कर 19.95 हो गया जो 1961 में 10.19 था। यह वृद्धि जिले की उन्नति का द्योतक है।

आरेख–5.3

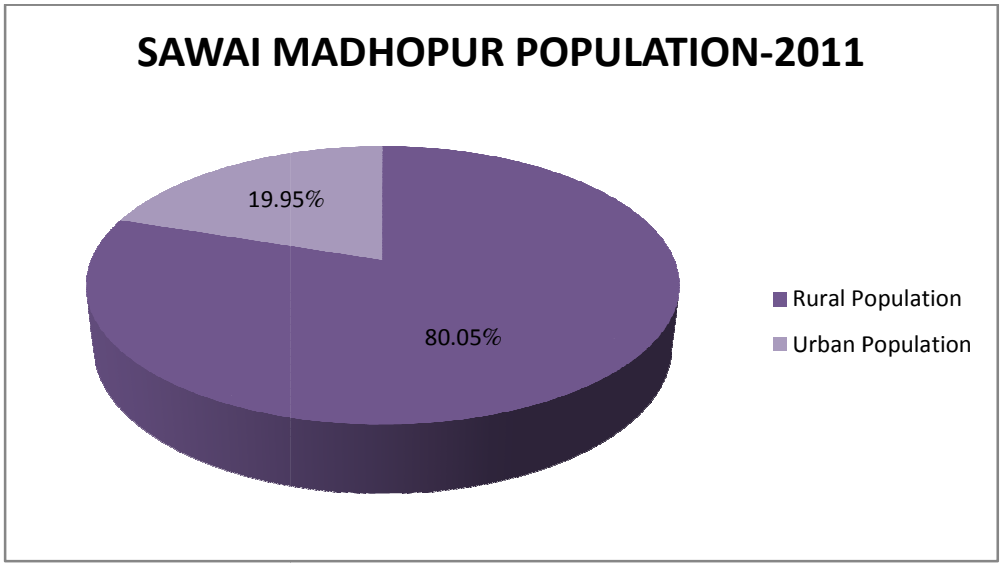

वर्तमान में जिले में कुल जनसंख्या की 80.05 ग्रामीण जनसंख्या है जो 1069084 व्यक्तियों के रूप में है। इस ग्रामीण जनसंख्या में पुरूषों की जनसंख्या 564592 है तथा स्त्री जनसंख्या 504492 है। इसी प्रकार जिले की नगरीय जनसंख्या का अनुपात 19.95 है जो कि 266467 जनसंख्या के रूप में है। इस नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की जनसंख्या 139439 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 127028 है।

तालिका 5.2 से स्पष्ट होता है कि जिले के ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या के वितरण में स्त्री–पुरूषों अनुपात लगभग समान है। नगरीय जनसंख्या में पुरूषों का अनुपात जहाँ 52.33 प्रतिशत है। वहीं ग्रामीण जनसंख्या में भी यह लगभग इसके समान ही 52.81 प्रतिशत है। परन्तु तुलनात्मक एवं संख्यात्मक रूप से पुरूषों की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या में अधिक है।

तालिका–5.2

जिला सवाई माधोपुर ग्रामीण–नगरीय जनसंख्या–2011							
वर्ष 2011	जिले की कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या			नगरीय जनसंख्या		
		पुरूष	स्त्री	कुल ग्रामीण जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	कुल नगरीय जनसंख्या
	1335551	564592	504492	1069084	139439	127028	266467
प्रतिशत	100	52.81	47.19	80.05	52.33	47.67	19.95

इसी प्रकार नगरीय जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या का अनुपात जहाँ 47.67 प्रतिशत है। उसी के समकक्ष ग्रामीण जनसंख्या में भी स्त्री जनसंख्या अनुपात 47.19 प्रतिशत है, जो कि तुलनात्मक एवं संख्यात्मक रूप से नगरीय जनसंख्या से कम है। सार रूप में जिले की नगरीय जनसंख्या में स्त्री जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की अपेक्षा अधिक है। इसी क्रम में जनगणना 2011 के अनुसार जिले में तहसील अनुसार ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी भारीअसमानता पायी जाती है। जिले में नगरीय जनसंख्या का जमाव सवाई माधोपुर तहसील, गंगापुर तहसील तथा बौंली तहसील के कुछ भागों में पाया जाता है। सवाई माधोपुर तहसील में कुल नगरीय जनसंख्या की 45.45 प्रतिशत, गंगापुर तहसील में 48.81 प्रतिशत तथा बौंली तहसील में 5.74 प्रतिशत जनसंख्या पायी जाती है। इसी प्रकार जिले की ग्रामीण जनसंख्या सभी तहसीलों में कम तथा अधिक संख्या में वितरित है।

5.2 सवाई माधोपुर जिले की ग्रामीण जनसंख्या–

जिले में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण दशकीय एवं तहसील अनुसार निम्न प्रकार है–

1.दशक के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का वितरण–

जिले की ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जनगणना वर्ष 1961 के बाद निरन्तर घटता जा रहा है अर्थात् नगरीय आकर्षण के कारण ग्रामीण जनसंख्या में तो सामान्यतः वृद्धि हो रही है परन्तु नगरीय अनुपात के सन्दर्भ में ग्रामीण

अनुपात में कमी दर्ज की हो रही है। 1961 में जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 89.81 प्रतिशत था जो घटकर 2011 में 80.05 प्रतिशत रह गया, परन्तु यह घटता ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जिले की प्रगति का द्योतक है।

तालिका–5.3

जिला–स.मा. दशकीय ग्रामीण जनसंख्या (1961–2011)				
वर्ष	**कुल ग्रामीण जनसंख्या**	**प्रतिशत**	**पुरूष**	**स्त्री**
1961	847445	89.81	452584	394861
1971	1051442	88.10	563567	487875
1981	1329780	86.58	712172	617608
1991	724093	82.68	386848	337245
2001	904417	80.96	478716	425701
2011	1069084	80.05	564592	504492

1961 में कुल ग्रामीण जनसंख्या 847445 थी जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 452584 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 394861 दर्ज की गई। 1981 में बढ़कर कुल ग्रामीण जनसंख्या तो 1329780 हो गई परन्तु ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात पूर्व के दशकों की तरह ही घट गया। करौली जिले के पृथक हो जाने से जिले की वास्तविक कुल ग्रामीण जनसंख्या 1991 में घटकर 724093 रह गई तथा ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में पूर्व के दशको की अपेक्षा तीव्रता से कमी दर्ज की गई, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 386848 तथा स्त्रियों की जनसंख्या 337245 दर्ज हुई। इसी प्रकार 2001 में कुल ग्रामीण जनसंख्या 904417 थी जिसमें पुरूष 478716 तथा स्त्रियों की संख्या 425701 व्यक्तियों के रूप में थी। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या 1069084 है, जिसमें पुरूषों की संख्या 564592 तथा स्त्रियों की संख्या 504492 है। तात्पर्य है कि ग्रामीण जनसंख्या में समयानुसार निरन्तर वृद्धि परन्तु आनुपातिक कमी परिलक्षित होती है।

2.तहसील के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का वितरण–

जिले में ग्रामीण जनसंख्या एवं अनुपात में अलग–अलग तहसीलों में अलग–अलग पाया जाता है। जिले की लगभग सभी तहसीलों में ग्रामीण जनसंख्याका बाहुल्य है परन्तु मलारना डूँगर, चौथ का बरवाडा, बामनवास तहसीलों में पूर्णतया ग्रामीण जनसंख्या ही निवास करती है।

आरेख–5.4

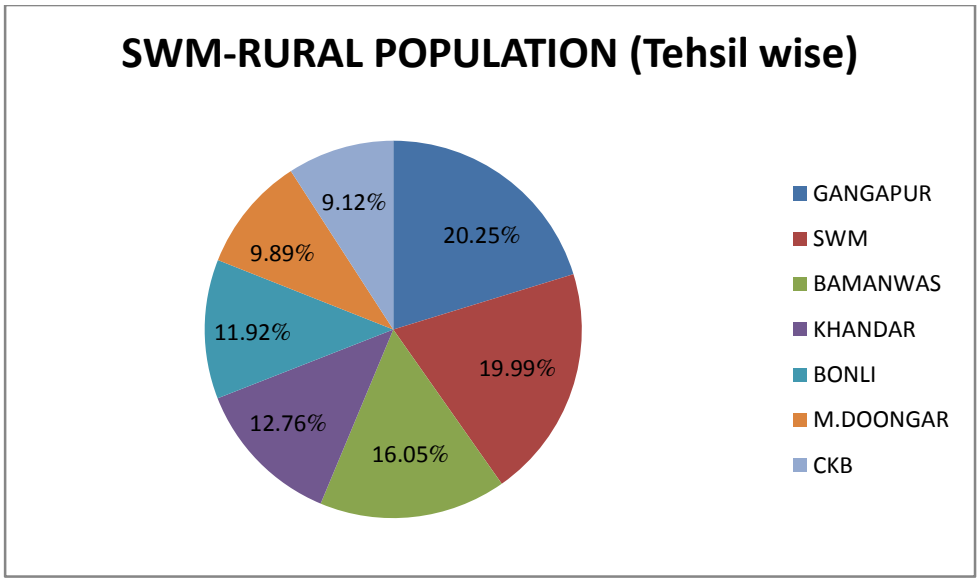

वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले की सवाई माधोपुर तहसील में कुल ग्रामीण जनसंख्या 213771 है जो कि जिले की कुल जनसंख्या का 80.05 प्रतिशत है तथा जिसमें 111714 पुरूष जनसंख्या तथा 102057 स्त्री जनसंख्या है। सवाई माधोपुर तहसील में जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 19.99 प्रतिशत भाग निवास करता है। गंगापुर तहसील में जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 20.25 भाग निवास करता है। इस तहसील की कुल ग्रामीण जनसंख्या 216553 है जिसमें पुरूषों की संख्या 115551 तथा स्त्रियों की संख्या 101002 है। जिले की सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या गंगापुर तहसील में ही निवास करती है। सवाई माधोपुर तहसील का स्थान द्वितीय है। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी बड़ी तहसील बामनवास तहसील है जिसमे जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या की 16.05 प्रतिशत

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Rural Population-2011

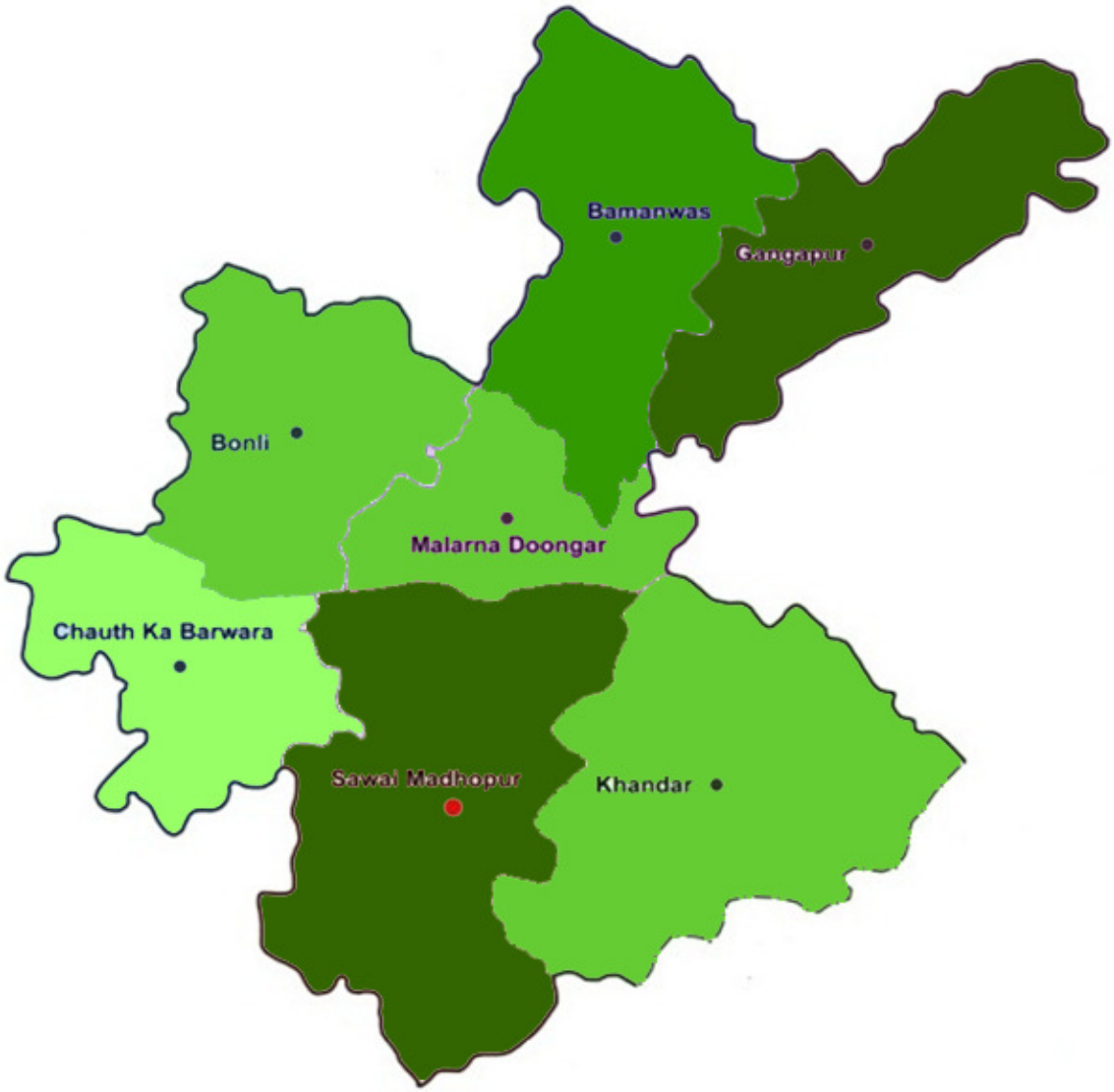

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 100000
	100000 – 149999
	150000 - 200000
	More than 200000

MAP-5.1

जनसंख्या पायी जाती है। बामनवास तहसील की कुल ग्रामीण जनसंख्या 171648 है जिसमें 91628 पुरूष तथा 80020 महिलाऐं है। खण्डार तहसील में 12.76 प्रतिशत भाग के साथ कुल ग्रामीण जनसंख्या 136439 है जिसमें पुरूषों की संख्या 72572 है तथा स्त्रियों की संख्या 63867 है। बौंली तहसील को 127441 व्यक्तियों की कुल जनसंख्या के साथ जिले की ग्रामीण जनसंख्या में 11.92 प्रतिशत की भागीदारी है। जिसमें पुरूषों व स्त्रियों की संख्या 67087 तथा 60354 है।

तालिका–5.4

जिला स.मा. तहसील अनुसार ग्रामीण जनसंख्या–2011				
तहसील	**कुल ग्रामीण जनसंख्या**	**प्रतिशत**	**पुरूष**	**महिला**
गंगापुर	216553	20.25	115551	101002
स.मा.	213771	19.99	111714	102157
बामनवास	171648	16.05	91628	80020
खण्डार	136439	12.76	72572	63867
बौंली	127441	11.92	67087	60354
म.डूँगर	105732	9.89	55413	50319
बरवाडा	97500	9.12	50627	46873
कुल योग	**213771**		**111714**	**102057**

मलारना डूँगर तहसील में 105732 ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। जो जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या का 9.89 प्रतिशत है। इसमें 55413 पुरूषों तथा 50319 स्त्रियों की संख्या सम्मिलित है। इसी प्रकार सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का वितरण चौथ का बरवाडा तहसील में है जो 9.12 प्रतिशत है। इस जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 50627 तथा स्त्रियों की संख्या 46873 है। इस प्रकार 2011 की जनगणना के अनुसार जिले में गंगापुर तहसील में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या का वितरण पाया जाता है तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अतः विश्लेषणात्मक रूप से जिले की दोनो तहसीलों में सर्वाधिक एवं न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के वितरण में अन्तर 119053 व्यक्तियों का है जो

कि एक बड़ा अन्तर है इस प्रकार जिले की विभिन्न तहसीलों में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण अत्यन्त विषम पाया जाता है।

5.3 सवाई माधोपुर जिले की नगरीय जनसंख्या–

जिले में नगरीय जनसंख्या का वितरण दशकीय व तहसील अनुसार निम्न प्रकार है–

1.दशक के अनुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण–

जिले में ग्रामीण जनसंख्या की भाँति ही नगरीय जनसंख्या के वितरण में भी दशक के अनुसार असमानता पायी जाती है, परन्तु ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में जहाँ दशकीय कमी दृष्टिगोचर हुई थी, जिले की नगरीय जनसंख्या के अनुपात में इसके विपरित वृद्धि देखी गई है अर्थात् 1961 से लेकर 2011 तक के काल में जिले की नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है। जाहिर है कि जिले की जनसंख्या में नगरीय आकर्षण बढ़ा है। 1961 में जिले की कुल नगरीय जनसंख्या 96129 थी जो जिले की कुल जनसंख्या का 10.19 प्रतिशत मात्र था। इस नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 51947 तथा स्त्रियों की संख्या 44182 थी। 1971 में जिले की नगरीय जनसंख्या बढ़कर 142086 तथा अनुपात बढकर 11.90 प्रतिशत हो गया जिसमे पुरूषों की संख्या 76731 व स्त्रियों की संख्या 65355 थी। 1981 में यही नगरीय जनसंख्या 206090 तथा अनुपात 13.42 प्रतिशत हो गया।

तालिका–5.5

जिले की दशकीय नगरीय जनसंख्या (1961–2011)				
वर्ष	कुल नगरीय जनसंख्या	प्रतिशत	पुरूष	स्त्री
1961	96129	10.19	51947	44182
1971	142086	11.90	76731	65355
1981	206090	13.42	110687	95403
1991	151659	17.32	81529	70130
2001	212640	19.04	112591	100049
2011	266467	19.95	139439	127028

इसके बाद के दशक में करौली जिले के पृथक हो जाने के पश्चात् जिले की 1991 की शेष नगरीय जनसंख्या 151659 व्यक्ति रही तथा नगरीय अनुपात तीव्रता से बढकर 17.32 हो गया। इसी अवधि में नगरीय जनसंख्या के वितरण में तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि देखी गई। इसके पश्चात् 2001 में यह नगरीय जनसंख्या 212640 तथा अनुपात 19.04 हो गया, जिसमें पुरूषों की संख्या 112591 तथा स्त्रियों की संख्या 100049 थी। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले की नगरीय जनसंख्या 266467 तथा नगरीय अनुपात 19.95 प्रतिशत हो गया है। इस नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 139439 तथा स्त्रियों की संख्या 127028 है। स्पष्ट है कि 1961 से 2011 की अवधि में जिले का नगरीय अनुपात लगभग दुगुना हो गया है।

2.तहसील के अनुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण–

जिले में नगरीय जनसंख्या का वितरण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में काफी कम पाया जाता है। इसी प्रकार जिले की तहसीलों में से केवल तीन ही तहसीलों सवाई माधोपुर तहसील, गंगापुर तहसील तथा बौंली तहसील में ही नगरीय जनसंख्या का जमाव पाया जाता है।

तालिका–5.6

तहसील के अनुसार नगरीय जनसंख्या 2011				
तहसील	**कुल नगरीय जनसंख्या**	**प्रतिशत**	**पुरूष**	**महिला**
गंगापुर	130061	48.81	68551	61510
स.मा.	121106	45.45	63014	58092
बौंली	15300	5.74	7874	7426
मलारनाडूँगर	–	–	–	–
बरवाड़ा	–	–	–	–
बामनवास	–	–	–	–
कुल योग	266467		139439	127028

जिले की कुल जनसंख्या में वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार नगरीय जनसंख्या 266467 व्यक्तियों के रूप में है। जो कुल जनसंख्या का 19.95 प्रतिशत भाग है। जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का जमाव गंगापुर

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Urban Population-2011

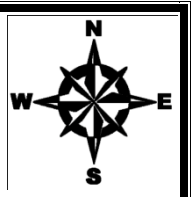

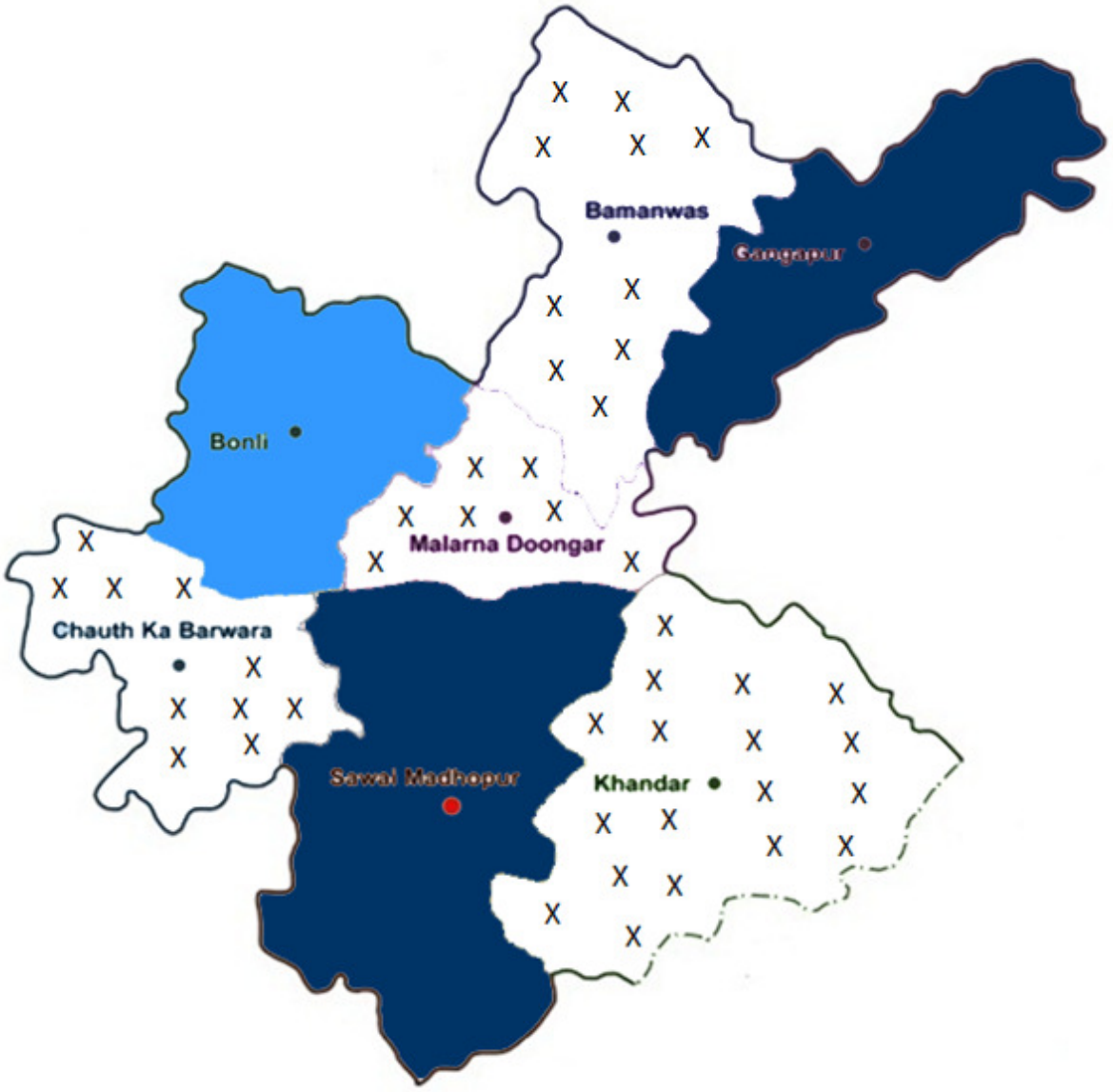

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
X	Zero Urban Population
	15000 -49999
	50000 – 150000

MAP-5.2

तहसील में पाया जाता है। जो जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 48.81 प्रतिशत भाग आवृत करती है। गंगापुर तहसील में नगरीय जनसंख्या 130061 व्यक्तियों के रूप में है जिसमें पुरूषों की संख्या 68551 तथा स्त्रियों की संख्या 61510 है। द्वितीय स्थान पर सवाई माधोपुर तहसील आती है जहाँ कुल नगरीय जनसंख्या 121106 है तथा जो जिले की कुल नगरीय जनसंख्या का 45.45 प्रतिशत भाग है। सवाई माधोपुर तहसील की इस नगरीय जनसंख्या में पुरूषों की संख्या 63014 तथा स्त्रियों की संख्या 58092 है। जिले की तृतीय एवं अन्तिम नगरीय जनसंख्या वाली तहसील बौंली है जो कुल नगरीय जनसंख्या का 5.74 प्रतिशत भाग है। बौंली तहसील में कुल नगरीय जनसंख्या 15300 व्यक्तियों के रूप में है जिसमें पुरूषों की संख्या 7874 तथा स्त्रियों की संख्या 7426 है। बौंली तहसील मे सबसे कम नगरीय जनसंख्या पायी जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि जिले की सात तहसीलों में से केवल तीन तहसीलों तक ही वर्तमान में नगरीय जनसंख्या वितरण सीमित है जो की जिले के असमान भौगोलिक विकास को प्रदर्शित करता है।

5.4 नगरीय जनसंख्या वृद्धि–

जिले की कुल जनसंख्या में वृद्धि के साथ–साथ नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या में भी वृद्धि होना एक सामान्यबात है परन्तु पिछले दशकों की जनसंख्या आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि देश एवं राज्य की भाँति जिले में भी नगरीय जनसंख्या में अधिक वृद्धि पायी गई है। जिले में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर भी अधिक रही है। इसका प्रमुख कारण गाँव से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन तथा पंचवर्षीय योजनाओं के तहत् सुनियोजित विकास भी है। जिससे ग्रामीण जनसंख्या अनुपात कम हुआ है तथा इसके विपरीत नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि हुई है। इसके अलावा सामान्य वृद्धि दर तथा निम्न मृत्यु दर भी नगरीय जनसंख्या वृद्धि को उच्च करने वाले कारक है।

1961 में जिले की कुल नगरीय जनसंख्या 96129 थी जो 47.81 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर के साथ बढकर 1971 में 142086 हो गई। इस तीव्र वृद्धि दर

के साथ जिले का नगरीय जनसंख्या का अनुपात भी 1.71 प्रतिशत की दर से बढ़ गया।

तालिका–5.7

जिला–स.मा. नगरीय जनसंख्या वृद्धि (1961–2011)				
वर्ष	कुल नगरीय जनसंख्या	कुल वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत	नगरीय अनुपात में दशकीय वृद्धि प्रतिशत
1961	96129	–	–	–
1971	142086	+ 45957	+ 47.81	+ 1.71
1981	206090	+ 64004	+ 45.05	+ 1.52
1991	151659	– 54431	+ 42.63*	+ 3.9*
2001	212640	+ 60981	+ 40.21	+ 1.72
2011	266467	+ 53827	+ 25.31	+ 0.91

*नोट–ये आँकडे जिले के विभाजन से प्रभावित है।

इसके पश्चात् 1971 से 1981 के मध्य भी नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक ही रही। इस समयावधि में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 45.05 प्रतिशत रही। जिससे नगरीय जनसंख्या 1981 में 206090 हो गई तथा नगरीय जनसंख्या के अनुपात में भी 1.52 प्रतिशत वृद्धि के साथ परिवर्तन हुआ। सवाई माधोपुर जिले से पृथक होकर करौली एक पृथक जिला 1997 में बना था। परन्तु जिले के विभाजन के कारण इसी संदर्भ में 1991 की जनगणना में करौली जिले की जनसंख्या को उपर्युक्त तालिका में सम्मिलित नही किया गया है। अतः केवल तालिका में सवाई माधोपुर जिले की ही नगरीय जनसंख्या को प्रदर्शित किया गया है। करौली जिले के पृथक हो जाने के कारण जिले की कुल नगरीय जनसंख्या में कमी होना स्वाभाविक था क्योंकि जनसंख्या का कुछ नगरीय भाग करौली जिले के अन्तर्गत चला गया था अतः इस जनगणना वर्ष में जनसंख्या आँकड़ों में विशेष परिवर्तन हुआ और जिले का क्रमबद्ध नगरीय जनसंख्या वितरण, वृद्धि तथा अनुपात प्रभावित हुआ। विभाजन के पश्चात् सवाई माधोपुर जिले के नगरीय जनसंख्या अनुपात में औसत से अधिक 3.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ बदलाव हुआ तथा पूर्व के दशक की अपेक्षा कुल नगरीय

जनसंख्या में 54431 व्यक्तियों का ह्रास हुआ। इन दोनो ही विशिष्ट आँकड़ों को विश्लेषण में शामिल न करना ही उचित रहेगा, क्योंकि ये दोनो आँकड़ें जिले के विभाजन से प्रभावित है। विश्लेषण में निरन्तरता बनाए रखने के लिए 1991 के वृद्धि प्रतिशत को इसके पूर्व के दशक और बाद के दशक का औसत मानकर प्रक्रिया की गई है। इस प्रकार 1991 में वृद्धि दर 42.63 प्रतिशत मानी गई है। इसके बाद 2001 में नगरीय जनसंख्या में 40.21 प्रतिशत वृद्धि के साथ जिले की नगरीय जनसंख्या 212640 हो गई है तथा नगरीय अनुपात 1.72 प्रतिशत वृद्धि के साथ बढ़ा है। गौरतलब है कि 2001 की यह नगरीय जनसंख्या पुनः 1981 की नगरीय जनसंख्या से अधिक हो गई है तथा नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की क्रमबद्धता पुनः स्थापित हो गई। वर्तमान जनगणना वर्ष 2011 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर की तीव्रता काफी कम हुई हैं तथा नगरीय जनसंख्या अनुपात में भी 0.91 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई। इस प्रकार 2011 में जिले की नगरीय जनसंख्या 25.31 प्रतिशत वृद्धि के साथ 266467 पहुँच गई।

अतः उपर्युक्त आँकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व के दशकों की अपेक्षा 2011 में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर तथा नगरीय जनसंख्या के अनुपात में कमी दर्ज की गई है, परन्तु कुल नगरीय जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से ही हुई है। वर्तमान में यह वृद्धि दर जिले में चलाये जा रहे जनसंख्या नियन्त्रण व जनसंख्या नियोजन सम्बन्धित कार्यक्रमों तथा प्रयासों से प्रभावित हुई है। सार रूप में कहा जा सकता है कि 1961 से 2011 के मध्य जिले की नगरीय जनसंख्या में तीव्र दर से वृद्धि हुई है।

5.5 जिले में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के उत्तरदायी कारक–

जनसंख्या के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि जिले में निरन्तर नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है तथा नगरीय जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होती जा रही है। नगरीय जनसंख्या जिले की गंगापुर, सवाई माधोपुर व बौंली तहसील में पायी जाती है। जिसमें प्रमुख जनसंख्या का संकेन्द्रण गंगापुर, व सवाई माधोपुर तहसील में ही है। बौंली तहसील में नगरीय जनसंख्या अपेक्षाकृत

बहुत कम वितरित है। इन तीनो तहसीलों के मुख्यालयों पर ही सामान्यतः नगरीय जनसंख्या का संकेन्द्रण पाया जाता है। इनमें से गंगापुर तहसील मुख्यालय एवं सवाई माधोपुर तहसील मुख्यालय दोनो ही नगर परिषद क्षेत्र है तथा सवाई माधोपुर तहसील मुख्यालय जिला मुख्यालय भी है। सामान्य रूप से जिले में गाँवों की अपेक्षा नगरो में निम्न कारणों से जनसंख्या वृद्धि अधिक पायी जाती है–

1–जिले के नगरो में जीवन निर्वाह एवं रोजगार के साधन सुगम एवं अधिक मात्रा में उपलब्ध है। इस कारण जनसंख्या का नगरो के प्रति आकर्षण बढ़ता है। गाँवों में व्यवसाय की दृष्टि से प्रमुख रूप से कृषि और इससे सम्बन्धित पशुपालन आदि ही व्यवसाय एवं आय के स्रोत होते है तथा जिले में यह कृषि भी अधिकांशतः मानसून पर आश्रित होती है।

2–जिले के नगरों में गाँवों की अपेक्षा मूलभूत सुविधाएँ जैसे बिजली, परिवहन, पेयजल आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। जिससे ग्रामीण जनसंख्या नगरो की ओर आकर्षित होती है।

3–गंगापुर एवं सवाई माधोपुर शहर में उत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है जिससे शिशु, वयस्क एवं वृद्धों को स्वास्थ्य सेवाएँ आसानी से मिल जाती है। इस कारण जनसंख्या स्वास्थ्य लाभ के लिए नगरों की ओर आकर्षित होती है।

4–उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आदि हेतु गाँवों से लम्बी दूरी तय करके नगरों की ओर आना पडता है, जिसमें परिवहन सुविधा पर्याप्त रूप से उपलब्ध नही हो पाती है। समय की अधिक हानि होती हैं। इस प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए लोग शहरों में बस जाना ही उचित समझते है। शिक्षा के प्रति जागरूकता होने के कारण ग्रामीण माता–पिता भी अपने बच्चों को अच्छी व उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से नगरों अथवा नगरो के आस–पास रहने हेतु अतिरिक्त स्थायी आवास बना लेते है।

5.–ग्रामीण परिवेश में कृषि आदि के अतिरिक्त रोजगार के अधिक साधन नही होते है। विशेष रूप से ऐसे परिवार जिनके पास स्वयं की कृषि भूमि नही है

अथवा कृषि भूमि परिवार के भरण–पोषण के लिए अपर्याप्त है तो ऐसे परिवार जीवन निर्वाह के लिए शहरों की ओर पलायन करते है।

6.–जिले के नगरों में अनपढ़, कम पढे–लिखे, कृषि भूमिहीन या अपर्याप्त कृषि भूमि वाले लोग स्थायी रूप से आकर बस जाते है। यहाँ ऐसे लोगो को अनपढ़ होने के बाद भी रोजगार एवं मजदूरी के कई विकल्प जैसे भवन निर्माण, ठेला चलाना, घरेलू नौकर, चौकीदारी, दुकान में नौकरी, होटल में नौकरी, नाई का कार्य, दर्जी का कार्य, सब्जी व फल विक्रेता, चाय की दुकान, साईकिल, दुपहिया व चौपहिया वाहनो के मैकेनिक, वाहन चालक, सफाई का कार्य, माली का कार्य, विभिन्न उत्पादों को फेरी लगाकर बेचना, कल कारखानों व उद्योगो में मजदूरी आदि उपलब्ध होते है, जिनसे जनसंख्या अपना जीवन निर्वाह कर लेती है।

7.–जिले के नगरों में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं के लिए भी रोजगार के विकल्प होते है। अनपढ़ व कम पढ़ी–लिखी महिलाएँ मजदूरी, सिलाई, कढ़ाई, घरेलू नौकरानी तथा पुरूषों के साथ उपर्युक्त विकल्पों को रोजगार हेतु चुन लेती है।

8–पढ़े–लिखे लोगो के लिए भी जिले के नगरों में रोजगार के कई अवसर उपलब्ध है। यह पढा–लिखा वर्ग उद्योगो, सरकारी व गैर सरकारी संस्थानो में, विद्यालयो, महाविद्यालयों, बाजार आदि में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक की सेवाएँ प्रदान कर आय प्राप्त कर सकते है तथा स्वयं का कोई व्यवसाय भी कर सकते है।

9–शिक्षा का स्तर बढ़ने के साथ–साथ ग्रामीण युवाओं की रूचि नगरों में विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में बढ़ी है। सरकारी क्षेत्रों में सेवा प्राप्त करने हेतु कठिन परिश्रम व अध्ययन हेतु नगरों की ओर आकर्षित होते है। कई वर्षो तक नगरों में अध्ययन हेतु जमे रहते है। सरकारी अथवा गैर सरकारी सेवा नगरों में ही प्राप्त हो जाने के पश्चात् वे नगरो के मोह को नही त्याग पाते तथा नगरों में ही स्थायी रूप से बस जाते है। उनकी आने वाली पीढ़ी भी नगरीय जनसंख्या का भाग बन जाती है।

10–जिले के नगरों में जनसंख्या हेतु मनोरंजन के साधन पर्याप्त है। नगरीय जीवन एवं रहन–सहन को जनसंख्या अधिक श्रेष्ठ मानती है, जिससे वे नगरो की ओर आकर्षित होकर नगरो में बस जाते है और नगरीय जनसंख्या वृद्धि का कारण बनते है।

11–जिले का गंगापुर नगर रेल परिवहन द्वारा दिल्ली, मुम्बई, मथुरा, आगरा, जयपुर आदि शहरों से सीधे जुड़ी हुई है। वहीं सडक परिवहन द्वारा भी जिला मुख्यालय जयपुर, दौसा, आगरा आदि से सम्बद्ध है। इसी प्रकार सवाई माधोपुर शहर एक रेलवे जंक्शन के रूप में दिल्ली–मुम्बई व दिल्ली–जयपुर रेल मार्ग द्वारा जुडा हुआ है। साथ ही सड़क मार्ग द्वारा जयपुर, दौसा, टोंक, श्योपुर (मध्य प्रदेश) आदि जिलों तथा जिले की सभी तहसीलों से सम्बद्ध हैं। सवाई माधोपुर तहसील मुख्यालय एवं गंगापुर तहसील मुख्यालय एक नगर परिषद क्षेत्र है, जहाँ शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा, बाजार, रोजगार के अवसर आदि सुविधाएँ पर्याप्त उपलब्ध है।

इन्ही कारणों से यहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। सवाई माधोपुर एक बड़ा पर्यटन केन्द्र भी है। जहाँ विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य एवं रणथम्भौर किला तथा विभिन्न धार्मिक केन्द्र स्थापित है। ये सभी कारण नगरीय जनसंख्या वृद्धि हेतु आकर्षण के केन्द्र है।

अध्याय–6

जिले का लिंगानुपात

6.1 जनसंख्या एवं लिंगानुपात–

लिंगानुपात से अभिप्राय प्रति 1000 पुरूषों की संख्या के पीछे स्त्रियों की संख्या से हैं। किसी क्षेत्र की सामाजिक स्थिति तथा अर्थव्यवस्था में स्त्री–पुरूष अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका पायी जाती हैं। अतः लिंगानुपात का अध्ययन जनंसख्या भूगोलवेत्ता के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता हैं। स्त्री पुरूष की प्रकृति कुछ विषयों में एक दूसरे के विपरित होती है और अनेक विषयों में स्त्री और पुरूष एक दूसरे के पूरक होते हैं। अतः किसी अर्थव्यवस्था के विकास में स्त्री पुरूष अनुपात का विशिष्ट स्थान होता हैं। वास्तव में लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का सूचक होता है और स्थानिक भिन्नता के विश्लेषण में एक उपयोगी उपकरण के रूप में कार्य करता हैं। लिंगानुपात का अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि इसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव विभिन्न जनांकिकीय तत्वों प्रजननता, मर्त्यता, जनसंख्या परिवर्तन, व्यावसायिक संरचना आदि पर होता हैं। ट्रिवार्था (1953) के मतानुसार किसी क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण के लिए स्त्री–पुरूष अनुपात मूलाधार हैं क्योंकि यह भू–दृश्य का एक महत्वपूर्ण लक्षण ही नही बल्कि यह अन्य जनांकिकीय तत्वो को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता हैं।

सामान्यतः लिगांनुपात की गणना के लिए स्त्रियो एवं पुरूषो की संख्या से सम्बंधी आँकड़ों का एकत्रण अन्य जनांकिकीय तत्वो की तुलना में अधिक सरल और सुगम होता हैं। स्पष्ट पहचान के कारण स्त्रियों और पुरूषो से सम्बधी आँकड़ें अपेक्षाकृत अधिक सही और तथ्यपूर्ण होते हैं क्योंकि जनगणना के समय व्यक्ति के लिंग को छिपाने या गलत बताने की सम्भावना कम होती हैं। जबकि आयु, व्यवसाय आदि में व्यक्ति वास्तविकता को छिपा सकता हैं। इसी कारण लिंग सम्बधी आँकड़ें प्रायः अधिक विश्वसनीय होते हैं। लिंगानुपात भी विभिन्न

वर्गो जैसे ग्रामीण व शहरी लिंगानुपात, शिशु लिगांनुपात आदि वर्गो में बाँटा जा सकता हैं।

6.2 सवाई माधोपुर जिले में लिंगानुपात (1901–2011)–

सवाई माधोपुर जिले के लिंगाानुपात में भी देश व राज्य की तरह विषमता व्याप्त है। जिले में लिंगाानुपात की यह विषमता कई दशकों से ही चली आ रही है। जिसमें स्त्री का अनुपात पुरूषो से हमेशा ही कम रहा है। इसमें समय के साथ कई उतार–चढ़ाव देखे जा सकते है। यदि 1901 से 2011 तक के दशकीय लिंगानुपात के आँकड़ों पर दृष्टि डाली जाए तो जिले की यह लैंगिक अनुपात की विषमता स्पष्ट हो जाती है अर्थात् पुरूषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या हमेशा कम ही रही है। जिले का यह लिंगाानुपात ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में भी भिन्न–भिन्न पाया जाता है।

तालिका–6.1

जिला सवाई माधोपुर लिंगानुपात (1901–2011)				
वर्ष	कुल लिंगानुपात	ग्रामीण लिंगानुपात	नगरीय लिंगानुपात	कुल दशकीय परिवर्तन
1901	870	870	877	–––
1911	869	870	856	–1
1921	859	858	882	–10
1931	873	872	885	+14
1941	884	880	930	+11
1951	893	890	907	+9
1961	884	871	823	–9
1971	878	885	841	–6
1981	880	885	852	+2
1991	870	872	860	–10
2001	889	889	889	+19
2011	897	894	911	–22

source-www.censusindia.gov.in.pdf

*नोट–उपर्युक्त आँकडों में करौली जिला व महुआ तहसील सम्मिलित नही है।

जिले का लिंगानुपात यहाँ की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को भी प्रदर्शित करता है तथा यह लिंगानुपात जनसंख्या की वृद्धि दर, वैवाहिक दर तथा व्यावसायिक व पारिवारिक संरचना को भी प्रभावित करता है।

जिले का कुल लिंगाानुपात 1901 में 870 था जो एक शताब्दी बाद 2011 में 897 हो गया, अर्थात् इन सौ वर्षों बाद भी जिले का लिंगाानुपात समान नही हो पाया, परन्तु लिंगाानुपात में 27 महिलाओं की औसत वृद्धि अवश्य दर्ज की गई है। जिले का लिंगानुपात 1901 से 1921 की अवधि तक लगातार कम हुआ जो गिरकर 1921 में 859 हो गया। परन्तु 1931 में 1901 से भी अधिक अर्थात् 873 हो गया। 1931 से 1951 की अवधि में जिले के लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गयी जो कि 1951 में बढकर 893 हो गया। इस प्रकार 1901 की तुलना में 1951 में लिंगाानुपात में 23 महिला जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई अर्थात् इस 1931 से 1951 की अवधि में जिले के कुल लिंगाानुपात में सुधार हुआ परन्तु 1951 के पश्चात् जिले के लिंगाानुपात में कई बार घटत–बढ़त हुई, परन्तु सदैव ही लिंगानुपात पुरूषों से कम रहा।

आरेख–6.1

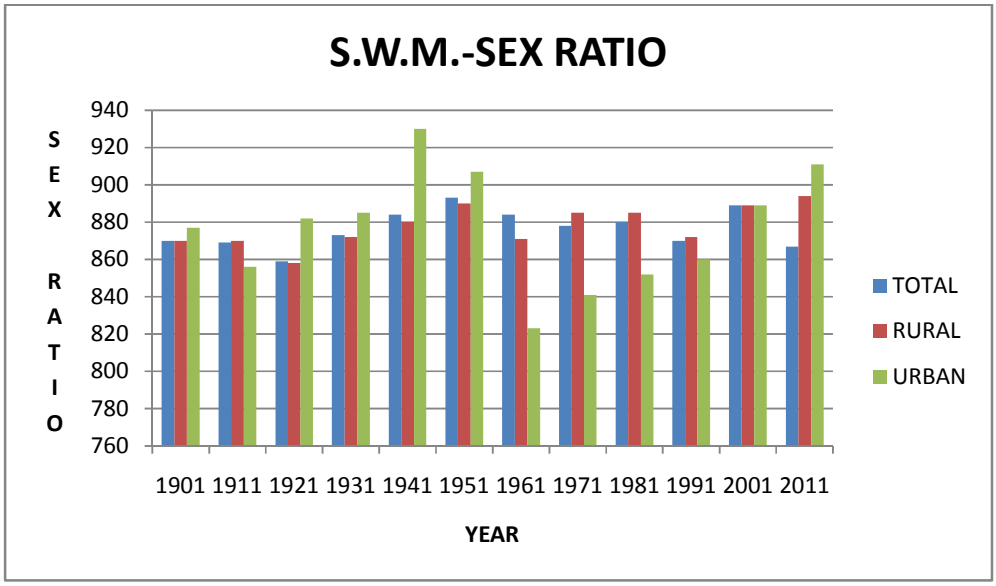

इस प्रकार 1961 में जिले का लिंगानुपात घटकर 884 तथा 1971 में ओर अधिक घटकर 878 हो गया। इसके पश्चात् 1981 में 2 महिला जनसंख्या की बढ़त के साथ यह लिंगानुपात 880 हो गया। इसी कम में 1991 में यह लिंगानुपात अधिक गिरावट के साथ 870 रह गया, अर्थात् 1991 का लिंगानुपात घटता हुआ 1901 के लिंगाानुपात के समान हो गया। गौरतलब है कि 1901 का लिंगानुपात भी 870 ही था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि जिले के इस घटते लिंगानुपात का प्रमुख कारण जिले में व्याप्त कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जैसी बुराईयाँ रही है जिससे जिले का लिंगानुपात घटता चला गया।

इसके पश्चात् इस चिंताजनक घटते लिंगानुपात पर राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लिंगानुपात में सुधार हेतु प्रयास किए गए। जिसका प्रभाव जिला स्तर पर भी हुआ तथा यहाँ भी स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हेतु कई कार्यकम एवं योजनाऐं चलायी गयी एवं लोगो को समझाया गया है। लिंगानुपात में अधिक कमी से समाज का विघटन हो सकता है। इस प्रकार सरकारी, गैर सरकारी व कई सामाजिक संस्थाओं तथा जिले में शिक्षा के तेजी से प्रचार–प्रसार के फलस्वरूप 2001 में पुनः जिले के लिंगानुपात में वृद्धि हुई तथा 2001 में जिले का लिंगानुपात 889 तक पहुँच गया, परन्तु यह फिर भी 1951 तक के अधिकतम लिंगानुपात 893 तक की सीमा तक नही पहुँच पाया।

इसके पश्चात् धीरे–धीरे लोगो की सोच में बदलाव आया जो निरन्तर जारी है और इसके साथ–साथ सरकार द्वारा बालिकाओं को विशेष प्रोत्साहन, शिक्षा, सुविधाएँ आदि प्रदान की जाने लगी है। इसी के परिणामस्वरूप जिले के लिंगानुपात में ओर अधिक सुधार हुआ तथा जिले का लिंगानुपात 2011 में बढकर 897 हो गया। जनगणना 2011 का यह लिंगानुपात 1901 से लेकर 2011 तक का सबसे अधिक लिंगानुपात है और आगे भी इसमें सुधार हेतु प्रयास किए जा रहे है।

(अ) राज्य की तुलना में स.मा. जिले का लिंगानुपात (1901–2011)–

जिले के लिंगाानुपात की राज्य के लिंगानुपात से तुलना करने से यह स्पष्ट होता है कि जिले का लिंगानुपात राज्य के लिंगाानुपात से सदैव ही कम रहा है। यदि 1901 से 2011 तक के लिंगानुपात के आँकड़ों पर दृष्टि डाली जाए तो केवल जिले का वर्तमान 2011 का लिंगाानुपात ही एक ऐसा आँकड़ा है जो राज्य के 1921 के लिंगानुपात 896 से एक महिला संख्या अधिक है अर्थात् 897 है। शेष प्रत्येक लिंगानुपात का आँकड़ा राज्य के लिंगानुपात से कम ही है।

आरेख–6.2

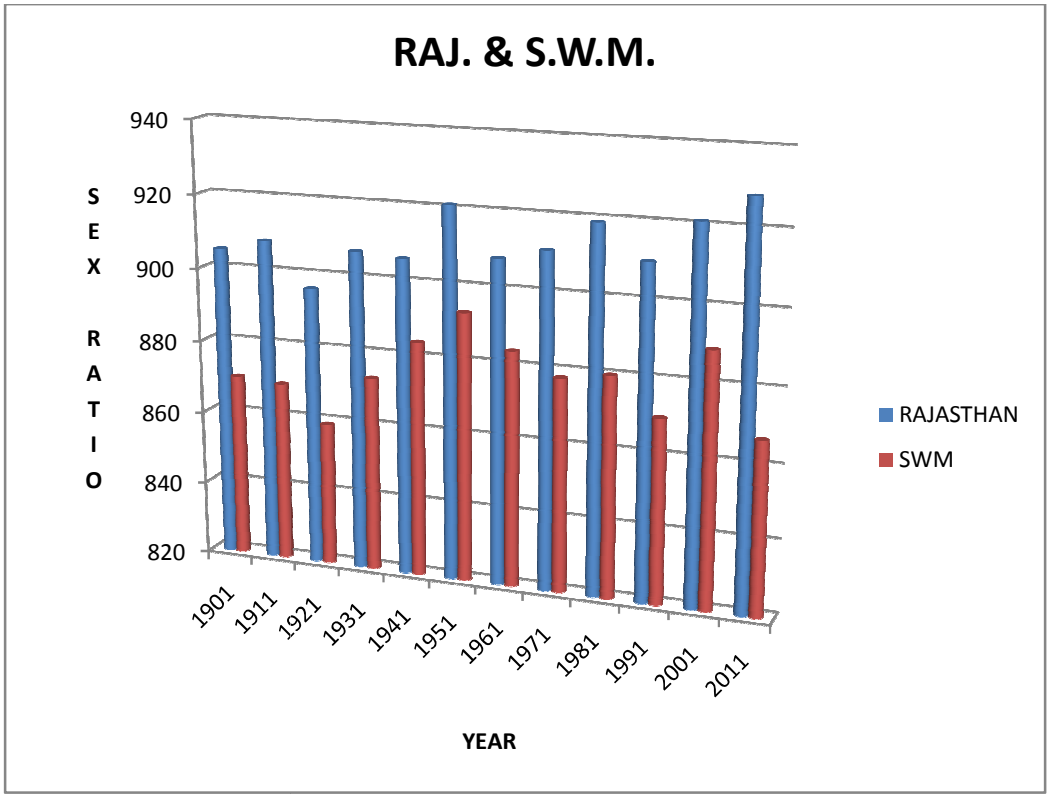

उपर्युक्त आरेख एवं सारणी 6.2 से स्पष्ट होता है कि राज्य के लिंगानुपात की तुलना में जिले का लिंगानुपात काफी कम रहा है। वर्ष 1901 में राज्य का लिंगानुपात 905 था। वहीं जिले का लिंगानुपात काफी कम अर्थात् 870 था जो कि राज्य के लिंगानुपात से 35 महिला संख्या कम था।

तालिका–6.2

राज्य एवं जिले का तुलनात्मक लिंगानुपात (1901–2011)			
राजस्थान		सवाई माधोपुर	
वर्ष	कुल लिंगानुपात	कुल लिंगानुपात	तुलनात्मक अन्तर
1901	905	870	–35
1911	908	869	–39
1921	896	859	–37
1931	907	873	–34
1941	906	884	–22
1951	921	893	–28
1961	908	884	–24
1971	911	878	–33
1981	919	880	–39
1991	910	870	–40
2001	921	889	–32
2011	928	867	–61

source-www.censusindia.gov.in.pdf

जिले की भाँति राज्य के लिंगानुपात में भी समय के साथ घटत–बढ़त होती रही। जिले में 1901 से 1921 तक लिंगानुपात में कमी हुई, परन्तु राज्य में 1901 के बाद 1911 में बढ़त हुई, जो 908 तक पहुँच गई। परन्तु 1921 में अधिक कमी के साथ लिंगानुपात 896 रह गया। 1901 से 1951 तक राज्य का लिंगानुपात 921 हो गया। इसी समयावधि में जिले का लिंगानुपात भी बढ़ा था। इसके पश्चात् राज्य व जिले दोनो के लिंगानुपात में 1951 से 1991 के मध्य कमी दर्ज की गई। जहाँ राज्य का लिंगानुपात 1951 के लिंगानुपात 921 की तुलना में घटकर 910 रह गया। वहीं जिले का लिंगानुपात भी 1951 के लिंगानुपात 893 की तुलना में घटकर 1991 में 870 रह गया था। इसके पश्चात् के काल में राज्य एवं जिले दोनो का ही लिंगानुपात वर्तमान समय तक बढा है अर्थात् राज्य का लिंगानुपात 2001 में बढ़कर पुनः 921 तथा 2011 में 928 हो गया। वहीं जिले का लिंगानुपात भी 2001 में बढ़कर 889 तथा 2011 में 897 तक पहुँच गया है। राज्य एवं जिले दोनो का ही वर्तमान 2011 का लिंगानुपात

अब तक के 1901 से 2011 तक के लिंगानुपात के आँकड़ों में सर्वाधिक रहा है। इस प्रकार राज्य एवं जिले दोनो के ही लिंगानुपात में वृद्धि सामाजिक व लैंगिक सुधार को प्रदर्शित करती है।

(ब) संभाग के अन्य जिलों की तुलना में स.मा. जिले का लिंगानुपात (2001–2011)–

सवाई माधोपुर जिले के लिंगानुपात की तुलना यदि संभाग के अन्य जिलों से की जाए तो स्पष्ट होता है कि सवाई माधोपुर जिले का लिंगानुपात संभाग के अन्य जिलों की तुलना में सर्वाधिक है। जिले का लिंगानुपात वर्तमान जनगणना 2011 में भी संभाग में सर्वाधिक था।

2001 में सवाई माधोपुर जिले का लिंगानुपात 889 था जबकि संभाग मुख्यालय भरतपुर का लिंगानुपात इसके मुकाबले 35 स्त्रियों की कमी के साथ 854 था। इसी प्रकार धौलपुर जिले का लिंगानुपात 827 तथा करौली जिले का लिंगानुपात 855 था। वर्तमान जनगणना 2011 के आँकडों पर ध्यान दे तो पता चलता है कि सवाई माधोपुर सहित संभाग के सभी जिलों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। इस प्रकार सवाई माधोपुर जिले का लिंगानुपात बढ़कर संभाग में सबसे अधिक 897 हो गया। संभाग मुख्यालय भरतपुर का लिंगानुपात बढ़कर 880, धौलपुर जिले का लिंगानुपात दशकीय वृद्धि के पश्चात् 846 तथा करौली जिले का लिंगानुपात 861 पर पहुँच गया।

तालिका–6.3

संभाग के अन्य जिलों से स.मा. जिले का तुलनात्मक लिंगानुपात			
जिला	**2001**	**2011**	**दशकीय वृद्धि**
भरतपुर	854	880	+ 26
धौलपुर	827	846	+ 19
करौली	855	861	+ 6
सवाई माधोपुर	889	897	+ 8

source-www.censusindia.gov.in.pdf

यदि उपर्युक्त आँकडों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि 2001 से 2011 के मध्य सर्वाधिक लिंगानुपात तो सवाई माधोपुर जिले का रहा है परन्तु इस समयावधि में सर्वाधिक वृद्धि संभाग मुख्यालय भरतपुर में दर्ज हुई है। भरतपुर में पिछले दशक की अपेक्षा 26 स्त्रियों की वृद्धि हुई है। द्वितीय स्थान पर 19 स्त्रियों की वृद्धि के साथ धौलपुर जिले का स्थान है। सवाई माधोपुर जिले का 8 स्त्रियों की दशकीय वृद्धि के साथ तीसरा तथा सबसे कम वृद्धि वाला जिला करौली है, जहाँ पिछले दशक की तुलना में लिंगानुपात में 6 स्त्रियों की संख्या बढी है।

यह एक सकारात्मक एवं सुखद संकेत है कि सवाई माधोपुर जिले सहित संभाग के सभी जिलों में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज हुई है। लिंगानुपात में यह वृद्धि सामाजिक सुधार, भ्रूण हत्या में कमी, स्त्रियों की स्थिति में सुधार तथा शिक्षा व जनचेतना के प्रसार को प्रदर्शित करते है।

6.3 तहसील अनुसार जिले का तुलनात्मक लिंगानुपात (2001–2011)–

सवाई माधोपुर जिले के लिंगानुपात में तहसील अनुसार भी विषमताएँ पायी जाती है। वर्तमान में जिले की चार तहसीलों सवाई माधोपुर तहसील, बौंली तहसील, चौथ का बरवाड़ा तहसील तथा मलारना डूँगर तहसील ऐसी तहसीले है, जिनमे लिंगानुपात जिले के औसत लिंगानुपात से अधिक है। शेष तहसीलों गंगापुर तहसील, बामनवास तहसील तथा खण्डार तहसील में लिंगानुपात जिले के औसत लिंगानुपात से कम है।

जनगणना 2011 के अनुसार जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील चौथ का बरवाड़ा तहसील है, जहाँ लिंगानुपात 928 है तथा सबसे कम लिंगानुपात वाली तहसील बामनवास है, जहाँ लिंगानुपात सबसे कम 873 है। इस प्रकार जिले में तहसील स्तर पर लिंगानुपात में 55 महिला संख्या का बड़ा अन्तर है। 2011 के अनुसार द्वितीय बड़े लिंगानुपात वाली तहसील सवाई माधोपुर तहसील है जिसका लिंगानुपात 917 है। इसके पश्चात् तृतीय स्थान पर मलारना डूँगर तहसील है जहाँ लिंगानुपात 908 है तथा चौथे स्थान पर बौंली

तहसील है जिसका लिंगानुपात 904 है। इसके पश्चात् गंगापुर तहसील का लिंगानुपात 883, खण्डार तहसील का लिंगानुपात 880 तथा बामनवास तहसील का लिंगानुपात 873 है।

तालिका–6.4

तहसील अनुसार लिंगानुपात (2001–2011)			
जिला –स.माधोपुर	**2001**	**2011**	**अन्तर**
	889	**897**	
तहसील			
सवाई माधोपुर	897	917	+ 20
गंगापुर	878	883	+ 5
बामनास	882	873	− 9
बौंली	897	904	+ 7
चौथ का बरवाडा	904	928	+ 24
मलारना डूँगर	915	908	− 7
खण्डार	867	880	+ 13

जिला सांख्यिकी रूपरेखा, जिला–स.मा.

जिले की तहसीलों में दशक के अनुसार भी भिन्नताऐं देखी गई है। यदि जिलें में पिछले दशक 2001 के तहसील अनुसार लिंगानुपात पर दृष्टि डाली जाए तो स्पष्ट होता है कि 2001 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील मलारना डूँगर तहसील थी जिसका लिंगानुपात 915 था जबकि वर्तमान 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील चौथ का बरवाड़ा है। इसी प्रकार 2001 में सबसे कम लिंगानुपात वाली तहसील खण्डार थी जिसका लिंगानुपात 867 था। जबकि वर्तमान में न्यूनतम लिंगानुपात वाली तहसील बामनवास तहसील है। इस प्रकार 2001 में मलारना डूँगर तहसील का लिंगानुपात 915, चौथ का बरवाड़ा तहसील का लिंगानुपात 904, सवाई माधोपुर तहसील व बौंली तहसील का लिंगानुपात समान रूप से 897, बामनवास तहसील का लिंगानुपात 882, गंगापुर तहसील का लिंगानुपात 878 तथा खण्डार तहसील का लिंगानुपात 867 था। इस प्रकार पिछले दशक की तुलना में भी जिले के वर्तमान लिंगानुपात में तहसील अनुसार भिन्नता प्रदर्शित होती है। दोनो दशकों के लिंगानुपात में तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि औसत रूप से वर्तमान लिंगानुपात में

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Sex Ratio-2011

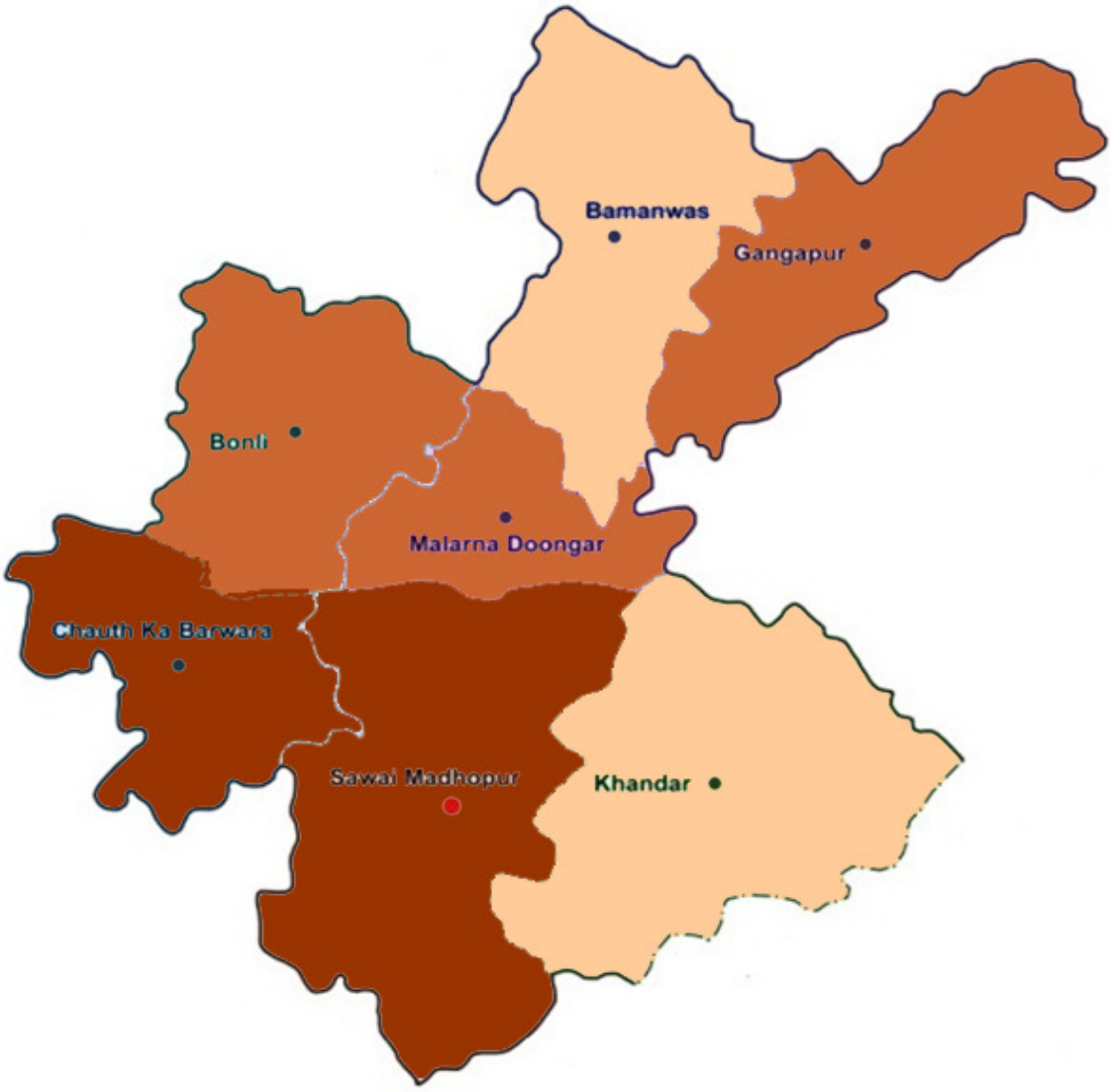

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
Female Per 1000 Male	
	850 - 880
	881 - 910
	More than - 910

MAP-6.1

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total Non Workers Population-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	50000 - 70000
	70001 - 100000
	150000 - 250000

MAP-7.4

वृद्धि हुई है। जहाँ 2001 में तहसीलों का अधिकतम लिंगानुपात 915 था, वहीं 2011 में 928 हो गया तथा 2001 में न्यूनतम लिंगानुपात की सीमा 867 थी वह बढकर 2011 में 873 हो गई। परन्तु अधिकतम व न्यूनतम लिंगानुपात वाली तहसीले बदल गई है।

इसी प्रकार जनगणना 2001 व 2011 के लिंगानुपात के आँकडों से जिले की तहसीलों में लैंगिक परिवर्तन का पता चलता है। इन आँकडों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिले की दो तहसीले बामनवास तहसील तथा मलारना डूँगर तहसील ऐसी तहसीले है जिनका लिंगानुपात 2001 की तुलना में कम हुआ है अर्थात् 2001 में बामनवास तहसील का लिंगानुपात जहाँ 882 था, वह घटकर 2011 में 873 रह गया। इस प्रकार 2011 में बामनवास तहसील में 9 महिला संख्या की कमी हुई। इसी प्रकार मलारना डूँगर तहसील का लिंगानुपात जहाँ 2001 में 915 था, वह 7 महिला संख्या की कमी के साथ घटकर 2011 में 908 रह गया। पिछले दशक की तुलना में इन तहसीलों में घटता लिंगानुपात चिंता का विषय है क्योंकि इन्हे छोड़कर शेष तहसीलों में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। जिले की अन्य तहसीलों में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। 2001 की तुलना में 2011 में सवाई माधोपुर तहसील का लिंगानुपात 20 स्त्रियों की बढ़त के साथ 917, गंगापुर तहसील का लिंगानुपात 5 स्त्रियों की बढ़त के साथ 883, बौंली तहसील का लिंगानुपात 7 स्त्रियों की बढ़त के साथ 904, चौथ का बरवाड़ा तहसील का लिंगानुपात 24 स्त्रियों की बढ़त के साथ 928 तथा खण्डार तहसील का लिंगानुपात 13 स्त्रियों की बढ़त के साथ 880 हो गया। इस काल में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि 24 स्त्रियों के साथ चौथ का बरवाड़ा तहसील में दर्ज की गई तथा सबसे कम वृद्धि 5 स्त्रियों के साथ गंगापुर तहसील में हुई। इसके विपरित लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी बामनवास तहसील में 6 स्त्रियों के ह्रास के साथ हुई। इस प्रकार जिले की तहसीलों के लिंगानुपात में स्थानिक परिवर्तन के साथ दशकीय परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है।

6.4 स.मा. जिले का नगरीय–ग्रामीण लिंगानुपात (1901–2011)–

जनसंख्या में ग्रामीण–नगरीय भिन्नता की तरह ही जिले के लिंगानुपात में नगरों एवं गाँवों के अनुसार भी भिन्नता पायी जाती है। ज्ञातव्य है कि ऐसी विभिन्नताएँ देश एवं प्रदेश स्तर पर भी पायी जाती है। जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1901 में जहाँ 870 था, वहीं नगरीय लिंगानुपात 877 था जो ग्रामीण लिंगानुपात से 7 अधिक था, परन्तु 1911 में ग्रामीण लिंगानुपात तो स्थिर रहा परन्तु नगरीय लिंगानुपात घटकर 856 रह गया जो कि 1911 के ग्रामीण लिंगानुपात से 14 कम था तथा पिछले दशक के नगरीय लिंगानुपात से 21 कम था। 1921 में ग्रामीण लिंगानुपात में कमी हुई तथा यह 858 रह गया परन्तु इसके विपरित नगरीय लिंगानुपात बढ़कर 882 हो गया। 1931 में ग्रामीण लिंगानुपात पुनः बढ़कर 872 हो गया तथा इस वर्ष नगरीय लिंगानुपात में भी वृद्धि हुई जो बढ़कर 885 हो गया। इस प्रकार 1901 से 1931 तक लिंगानुपात में ग्रामीण एवं नगरीय दोनो स्तरों पर औसतन धीमी गति से वृद्धि हुई। इसके पश्चात् 1941 में जिले का ग्रामीण लिंगानुपात बढ़कर 880 पर पहुँच गया, परन्तु नगरीय लिंगानुपात में तीव्र गति से वृद्धि हुई जिससे 1941 में नगरीय लिंगानुपात 930 तक पहुँच गया। 1951 में जिले का ग्रामीण लिंगानुपात सामान्य वृद्धि के साथ 890 हो गया परन्तु इस वर्ष नगरीय लिंगानुपात पूर्व दशक की तुलना में 23 स्त्रियों की गिरावट के साथ 907 पर लुढ़क गया। हालांकि नगरीय लिंगानुपात इस वर्ष के ग्रामीण लिंगानुपात से अधिक ही रहा है। इस प्रकार सार रूप में कहा जा सकता है कि 1901 से 1951 तक के जिले के लिंगानुपात में नगरों व गाँवों दोनो में ही वृद्धि हुई है। 1901 की तुलना में 1951 में जिले के गाँवों में 20 स्त्रियों का तथा जिले के नगरों में 30 स्त्रियों की वृद्धि हुई।

1951 के पश्चात् 1961 में जिले के ग्रामीण–नगरीय लिंगानुपात में गिरावट दर्ज हुई। 1961 में जिले का ग्रामीण लिंगानुपात गिरकर 871 तथा नगरीय लिंगानुपात गिरकर 823 पर आ गया। इस वर्ष जिले के ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात में क्रमशः 19 तथा 84 स्त्रियों की हानि हुई। स्पष्ट है कि इस वर्ष नगरीय लिंगानुपात में हानि अधिक हुई थी। 1971 में जिले के ग्रामीण

व नगरीय लिंगानुपात में सुधार हुआ जो कुछ बढ़कर क्रमशः 885 तथा 845 हो गए। 1981 में ग्रामीण लिंगानुपात स्थिर रहा परन्तु नगरीय लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई। इस वर्ष ग्रामीण लिंगानुपात 885 तथा नगरीय लिंगानुपात 852 हो गया। 1991 के दशक में पुनः ग्रामीण लिंगानुपात में कमी हुई तथा यह गिरकर 872 पर आ गया। वहीं नगरीय लिंगानुपात में अपेक्षाकृत वृद्धि दर्ज की गई जिसके फलस्वरूप यह 860 पर पहुँच गया। स्पष्ट है किइस समय लिंगानुपात में यह कमी जिले में व्याप्त बुराईयों व जागरूकता की कमी के कारण थी। सरकारी व गैर–सकारी प्रयासों से 2001 में लिंगानुपात नगरो व गाँवों दोनो का ही समान हो गया। इस प्रकार 2001 में ग्रामीण व नगरीय लिंगानुपात एक समान 889 रहा।

जनगणना 2011 में लिंगानुपात में ओर वृद्धि हुई है जो बढ़कर ग्रामीण लिंगानुपात के रूप में 894 तथा नगरीय लिंगानुपात के रूप में 911 हो गया।

तालिका–6.5

राज्य एवं जिला सवाई माधोपुर–लिंगानुपात (1901–2011)							
राजस्थान				जिला–सवाई माधोपुर			
वर्ष	कुल लिंगा.	ग्रामीण लिंगा.	नगरीय लिंगा.	कुल लिंगा.	ग्रामीण लिंगा.	नगरीय लिंगा.	ग्रामीण की तुलना में नगरीय लिंगा. में अन्तर
1901	905	898	947	870	870	+877	+7
1911	908	904	936	869	+870	−856	−14
1921	896	896	897	859	−858	+882	+24
1931	907	906	903	873	−872	+885	+13
1941	906	907	897	884	−880	+930	+50
1951	921	919	928	893	−890	+907	+17
1961	908	913	882	884	+871	−823	−48
1971	911	919	875	878	+885	−841	−44
1981	919	930	877	880	+885	−852	−33
1991	910	919	879	870	+872	−860	−12
2001	921	930	890	889	889	889	00
2011	928	933	914	867	−894	+911	+17

source-www.censusindia.gov.in.pdf

यदि 1901 से 2011 के आँकडों पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से 1951 तक जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक रहा है तथा 1961 से 2011 के मध्य जिले का ग्रामीण लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक रहा है। 2001 का दशक ऐसा था, जिसमें जिले का कुल लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात तथा नगरीय लिंगानुपात एक समान थे।

(अ) जिले का ग्रामीण लिंगानुपात –

जिले का ग्रामीण लिंगानुपात राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात से सदैव ही कम रहा है। यदि 1901 से 2011 तक के आँकडों का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि राज्य के ग्रामीण लिंगानुपात तथा जिले के ग्रामीण लिंगानुपात में 1901 की अपेक्षा 2011 में अन्तर में ओर अधिक वृद्धि हुई है अर्थात् 1901 में राज्य एवं जिले के ग्रामीण लिंगानुपात में जहाँ 28 स्त्रियों का अन्तर था वहीं 2011 में यह अन्तर 39 हो गया है। राज्य के मुकाबले जिले का ग्रामीण लिंगानुपात धीमी गति से बढ़ा है। इसी प्रकार जिले के ग्रामीण लिंगानुपात की जिले के कुल लिंगानुपात से तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 1901 से 1961 तक की समयावधि में जिले का ग्रामीण लिंगानुपात कम ही रहा है। केवल

आरेख–6.3

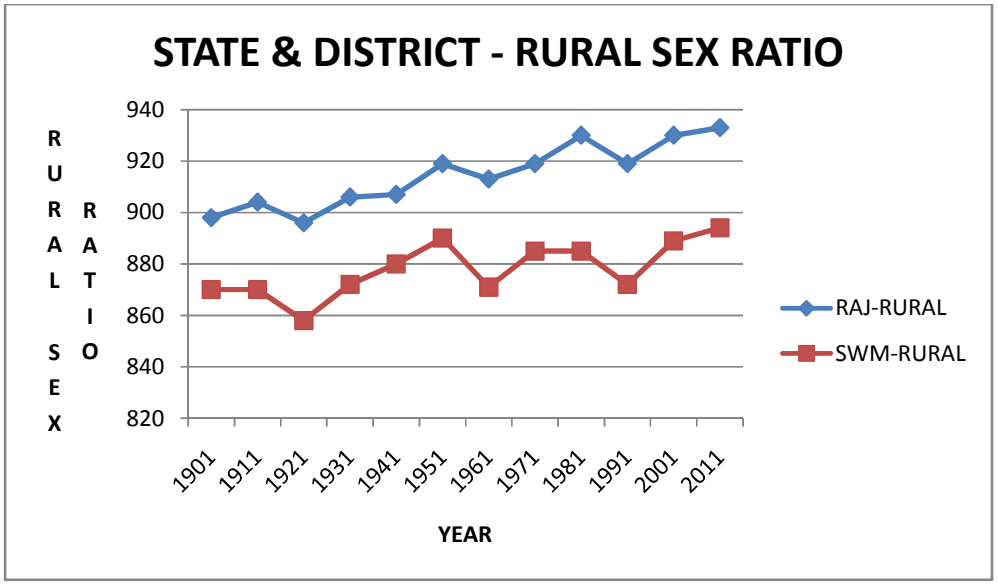

1911 का दशक अपवाद है, जिस में एक स्त्री की वृद्धि ग्रामीण लिंगानुपात में दर्ज हुई है। परन्तु 1961 के बाद 1991 तक लगातार जिले का ग्रामीण लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक रहा है। 2001 में जिले का ग्रामीण लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात के समान हो गया तथा वर्तमान 2011 में यह पुनः जिले के कुल लिंगानुपात से कम हो गया। इस प्रकार जिले के ग्रामीण लिंगानुपात में जिले के कुल लिंगानुपात की तुलना में शुरू के 50 वर्षों में अपेक्षाकृत अधिकता प्रदर्शित हुई है। हांलाकि 1901 से 2011 तक जिले के ग्रामीण लिंगानुपात में कई उतार–चढ़ाव आए है, परन्तु फिर भी 1901 की तुलना में 2011 में जिले के ग्रामीण लिंगानुपात में 24 स्त्रियों की औसत वृद्धि हुई है अर्थात् 1901 में जहाँ जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 870 था, वहीं वर्तमान 2011 में यह 894 है, जो कि एक सकारात्मक तथ्य है।

(ब) जिले का नगरीय लिंगानुपात–

जिले के ग्रामीण लिंगानुपात की भाँति ही जिले के नगरीय लिंगानुपात में भी तुलनात्मक उतार–चढ़ाव दृष्टिगोचर होते है। 1901 से 2011 तक की समयावधि में जिले का नगरीय लिंगानुपात भी राज्य के नगरीय लिंगानुपात की तुलना में सदैव ही कम रहा है। केवल 1941 का दशक एकमात्र अपवाद है। जब जिले का नगरीय लिंगानुपात राज्य के नगरीय लिंगानुपात की अपेक्षा अधिक रहा है। राज्य एवं जिले के नगरीय लिंगानुपात में 1901 से 2011 की अवधि में परस्पर लिंगानुपात का अन्तर काफी कम हो गया है। अर्थात् 1901 में जहाँ राज्य एवं जिले के नगरीय लिंगानुपात में 70 स्त्रियों का बडा अन्तर था वहीं वर्तमान दशक 2011 में यह अन्तर घटकर मात्र 03 स्त्रियों का रह गया है।

यदि जिले के कुल लिंगानुपात से तुलना की जाए तो जिले का नगरीय लिंगानुपात 1901 से 1951 तक अपेक्षाकृत अधिक ही रहा है। केवल 1921 में अपवाद स्वरूप जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अपेक्षाकृत कम रहा था। इसके पश्चात् 1961 से 1991 तक जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक रहा है। 2001 में जिले का कुल लिंगानुपात नगरीय लिंगानुपात तथा ग्रामीण लिंगानुपात एक समान रहे है।

आरेख–6.4

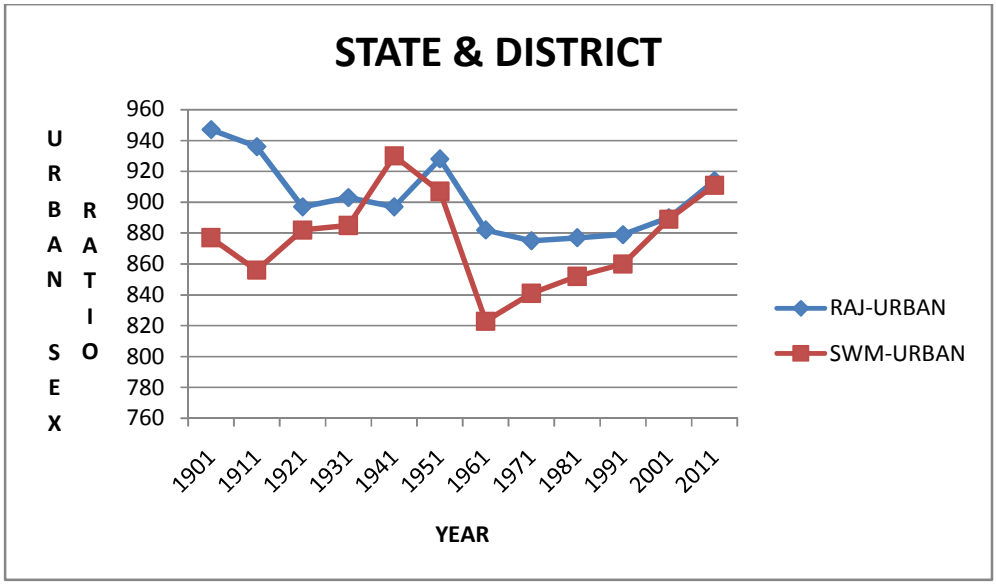

इसके पश्चात् वर्तमान दशक 2011 में जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक है। इस प्रकार कुछ अपवादों को छोड़कर 1901 से 2011 की समयावधि में शुरू के पचास वर्षों में जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अधिक रहा तथा बाद के पचास वर्षों में जिले का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से अपेक्षाकृत कम रहा है।

वर्तमान दशक 2011 में जिले का नगरीय लिंगानुपात 1901 की तुलना में 34 स्त्रियों के साथ बढ़ा है अर्थात् 1901 में जहाँ जिले का नगरीय लिंगानुपात 877 था। वह वर्तमान 2011 में 911 हो गया है जो एक सकारात्मक पहलु है।

6.5 स.मा. जिले की तहसीलों का नगरीय–ग्रामीण लिंगानुपात (2001–2011)–

वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले के कुल लिंगानुपात 897 की तुलना में जिले की विभिन्न तहसीलों का कुल लिंगानुपात भी अलग–अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण–नगरीय लिंगानुपात में भी भिन्नता परिलक्षित होती है। जिले की केवल दो ही तहसीलों सवाई माधोपुर एवं गंगापुर में नगरीय लिंगानुपात पाया जाता है।

तालिका–6.6

तहसील अनुसार ग्रामीण–नगरीय लिंगानुपात (2001–2011)						
तहसील	ग्रामीण लिंगानुपात			नगरीय लिंगानुपात		
	2001	2011	अन्तर	2001	2011	अन्तर
स.मा.	898	914	+16	895	922	+27
गंगापुर	875	874	–1	882	897	+15
बामनवास	882	873	–9	––	––	––
बौंली	897	904	+7	––	––	––
चौथ का बरवाड़ा	904	928	+24	––	––	––
म.डूँगर	915	908	–7	––	––	––
खण्डार	867	880	+13	––	––	––

(अ) जिले की तहसीलों का ग्रामीण लिंगानुपात–

सवाई माधोपुर जिले की पाँच तहसीले बामनवास, बौंली, चौथ का बरवाड़ा, मलारना डूँगर और खण्डार केवल ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसीलें है, जिसमें केवल ग्रामीण लिंगानुपात ही पाया जाता है। परन्तु अध्ययन की दृष्टि से सभी तहसीलों का एक साथ विश्लेषण आवश्यक है। जिले की सभी तहसीलों में 2001 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात 915 मलारना डूँगर तहसील में था जो घटकर 2011 में 908 रह गया अर्थात् वर्तमान में मलारना डूँगर तहसील में 7 स्त्रियों की हानि हुई है। इसी प्रकार 2001 में सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात 867 खण्डार तहसील में था जो वर्तमान 2011 में बढ़कर 880 हो गया है अर्थात् खण्डार तहसील के लिंगानुपात में 13 स्त्रियों की वृद्धि हुई है।

2001 की तुलना में सवाई माधोपुर तहसील का लिंगानुपात 898 से बढकर 2011 में 914 हो गया अर्थात् 2011 में 16 स्त्रियों की वृद्धि हुई। गंगापुर तहसील का लिंगानुपात 2011 में घटकर 874 हो गया, बामनवास तहसील का लिंगानुपात 882 से घटकर 873 हो गया, बौंली तहसील का लिंगानुपात 897 से बढ़कर 904 हो गया ,चौथ का बरवाड़ा तहसील का लिंगानुपात 904 से बढ़कर 928 हो गया। विदित रहे कि सर्वाधिक वृद्धि इसी चौथ का बरवाड़ा तहसील में

हुई है। मलारना डूँगर तहसील का लिंगानुपात 915 से घटकर 908 तथा खण्डार तहसील का लिंगानुपात 867 से बढ़कर 880 हो गया। सवाई माधोपुर तहसील एवं गंगापुर तहसील दोनो तहसीलें अधिकांश नगरीय जनसंख्या वाली है परन्तु इनमें ग्रामीण लिंगानुपात में भी पर्याप्त विषमता दृष्टिगोचर होती है। पिछले दशक की तुलना में जहाँ 2011 में सवाई माधोपुर के ग्रामीण लिंगानुपात में 16 स्त्रियों की वृद्धि हुई है वहीं गंगापुर तहसील के लिंगानुपात में आंशिक परन्तु एक स्त्री की कमी दर्ज हुई है। सार रूप से दोनो दशको के तुलनात्मक लिंगानुपात में बामनवास तथा मलारना डूँगर तहसीलों के ग्रामीण लिंगानुपात में कमी तथा शेष तहसीलों में वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ब) जिले की तहसीलों का नगरीय लिंगानुपात–

ज्ञातव्य है कि जिले की दो तहसीले गंगापुर एवं सवाई माधोपुर तहसीले नगरीय लिंगानुपात वाली तहसीलें है। पिछले दशक 2001 की तुलना में इस दशक 2011 में दोनो ही तहसीलों के नगरीय लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है। इनमें सर्वाधिक वृद्धि सवाई माधोपुर तहसील में दर्ज हुई जिसमें 27 स्त्रियों की वृद्धि सहित लिंगानुपात 895 से बढकर 922 हो गया। इसी प्रकार द्वितीय स्थान पर गंगापुर तहसील रही जिसका लिंगानुपात 15 स्त्रियों की वृद्धि के साथ 882 से बढ़कर 897 हो गया। गौरतलब है कि गंगापुर तहसील का यह नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात 897 के बराबर ही है। जबकि सवाई माधोपुर तहसील का नगरीय लिंगानुपात जिले के कुल लिंगानुपात से 25 स्त्रियों की बढ़त लिए हुए है। जिले की दोनो तहसीलों के नगरीय लिंगानुपात में भी इतना ही अर्थात् 25 स्त्रियों का अन्तर है अर्थात् स. मा. तहसील का लिंगानुपात 922 गंगापुर तहसील के लिंगानुपात 897 से 25 महिलाओं के साथ अधिक है।

6.6 जिले में कुल एवं ग्रामीण–नगरीय शिशु लिंगानुपात–

शिशु लिंगाानुपात में 0–6 आयु वर्ग की जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। जिले में पिछले दशक 2001 में कुल शिशु लिंगाानुपात 902 था, जो राज्य के कुल शिशु लिंगाानुपात से 8 कम था। वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार जिले का कुल शिशु लिंगानुपात 871 है जो राज्य के वर्तमान शिशु

लिंगाानुपात 888 से 17 कम है। 2011 का राज्य एवं जिले दोनो का ही शिशु लिंगाानुपात घटा है जो एक चिन्ताजनक विषय है। राज्य में 2001 में जहाँ शिशु लिंगाानुपात 909 था, वह घटकर 2011 में 888 रह गया अर्थात् 2011 में प्रदेश स्तर पर शिशु लिंगाानुपात में औसत 21 बालिकाओं की कमी हुई। इसी प्रकार जिले का कुल शिशु लिंगाानुपातभी 2001 की तुलना में 31 बालिकाओं की कमी के साथ 902 से घटकर 2011 में 871 रह गया। जिले में शिशु लिंगाानुपात में यह कमी राज्य की अपेक्षा अधिक रही।

तालिका–6.7

जिला–सवाई माधोपुर शिशु लिंगाानुपात						
वर्ष	राजस्थान			जिला–सवाई माधोपुर		
	कुल शिशु लिंगाानुपात	ग्रामीण शिशु लिं.	नगरीय शिशु लिं.	कुल शिशु लिंगाानुपात	ग्रामीण शिशु लिं.	नगरीय शिशु लिं.
2011	888	892	874	871	871	868
2001	909	914	887	902	901	906

जिले का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी राज्य से कम ही रहा है। 2001 में जहाँ राज्य का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 914 था, वहीं जिले का ग्रामीण शिशु लिंगाानुपात 901 था जो कि राज्य से 13 बालिका कम था। 2011 में राज्य एवं जिले दोनो का ही ग्रामीण शिशु लिंगानुपात घट गया तथा जिले का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात घटकर 871 हो गया। इस प्रकार पिछले दशक की तुलना में राज्य में 22 बालिकाओं की तथा जिले में 30 बालिकाओं की कमी हुई। जिले का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी इस दशक राज्य की तुलना में अधिक कम हुआ है। राज्य की तुलना में 2011 में जिले के ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में भी 17 बालिकाओं की कमी रही अर्थात् वर्तमान जनगणना 2011 में जहाँ राज्य का ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892 था, वहीं जिले का ग्रामीण शिशु लिंगाानुपात 871 था। इस प्रकार जिले का ग्रामीण शिशु लिंगाानुपात राज्य की तुलना में तथा जिले के पिछले दशक के ग्रामीण शिशु लिंगाानुपात की तुलना में घटा है जो कि अच्छा संकेत नही है।

आरेख–6.5

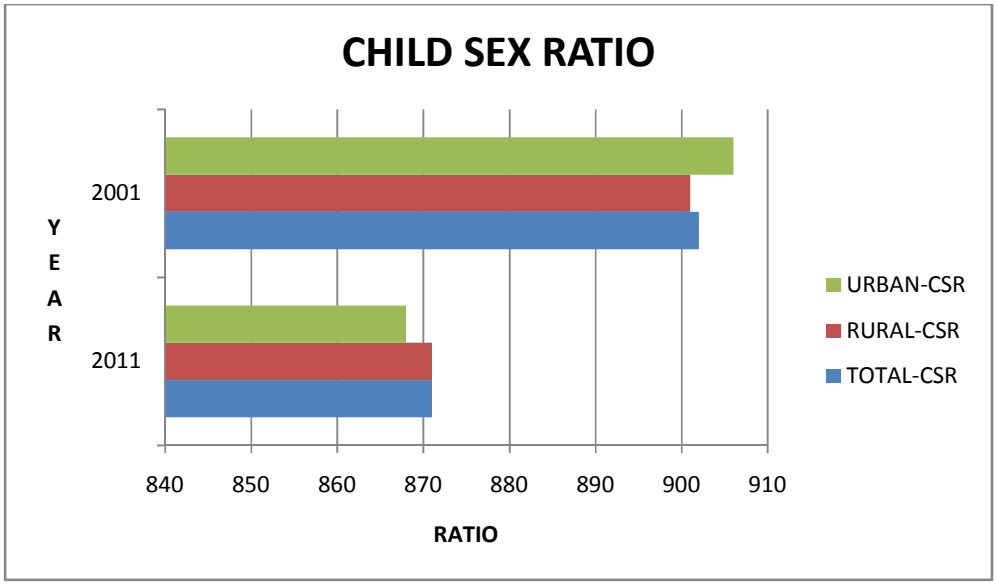

यदि 2001 से 2011 के मध्य जिले के नगरीय शिशु लिंगाानुपात के आँकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होता है कि जिले का नगरीय शिशु लिंगानुपात वर्तमान जनगणना 2011 में राज्य एवं जिले के पिछले नगरीय शिशु लिंगानुपात से घटा है जो की एक अशुभ संकेत है। जबकि पिछले दशक 2001 में जिले का नगरीय शिशु लिंगानुपात राज्य से भी अधिक था। 2001 में राज्य का नगरीय शिशु लिंगानुपात 887 था जबकि जिले का नगरीय शिशु लिंगानुपात 906 था अर्थात् 2001 में जिले का यह शिशु लिंगानुपात राज्य से 19 बालिकाएँ अधिक था। परन्तु 2011 में राज्य एवं जिले दोनो का नगरीय शिशु लिंगानुपात घट गया। 2011 में राज्य का शिशु लिंगानुपात 874 तथा जिले का नगरीय शिशु लिंगानुपात 868 पर गिर गया। यह एक चिंताजनक विषय है कि पिछले दशक जिले का नगरीय शिशु लिंगानुपात 906 से घटकर वर्तमान 2011 में 868 रह गया अर्थात् इस दशक में 38 बालिकाओं की कमी दर्ज हुई।

सार रूप में कहा जा सकता है कि जिले का कुल शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात तथा नगरीय शिशु लिंगानुपात पिछले दशक की तुलना में कम हुआ है।

6.7 जिले में तहसील अनुसार शिशु लिंगानुपात–

जिले में कुल शिशु लिंगाानुपात की विभिन्न असमानताओं की भाँति ही तहसील अनुसार शिशु लिंगानुपात में भी विभिन्नताऐं पायी जाती है। पिछले दशक के शिशु लिंगानुपात की वर्तमान दशक के शिशु लिंगानुपात से तहसील अनुसार तुलना करने पर यह असमानता एवं दशकीय परिवर्तन स्पष्ट होता है।

तालिका–6.8

जिला– सवाई माधोपुर तहसील अनुसार शिशु लिंगानुपात (2001–2011)

तहसील	2001			2011			कुल लिंगा. में परिवर्तन
	कुल शिशु लिंगा.	ग्रामीण शिशु लिंगा.	नगरीय शिशु लिंगा.	कुल शिशु लिंगा.	ग्रामीण शिशु लिंगा.	नगरीय शिशु लिंगा.	
स. मा.	898	890	914	883	885	880	–15
गंगापुर	890	886	898	856	856	855	–34
बामनबास	919	919	––	849	849	––	–70
बौंली	902	902	––	869	869	––	–33
बरबाडा	927	927	––	927	927	––	0
म. डूंगर	924	924	––	876	876	––	–48
खण्डार	886	886	––	865	865	––	–21

2001 में सर्वाधिक कुल शिशु लिंगानुपात वाली तहसील चौथ का बरवाड़ा तथा सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाली तहसील खण्डार तहसील थी। वहीं वर्तमान 2011 में सबसे अधिक कुल शिशु लिंगानुपात वाली तहसील चौथ का बरवाड़ा तहसील ही है जबकि सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाली तहसील वर्तमान में बामनवास तहसील है। जो कि 2001 में तृतीय स्थान पर थी। 2001 में सवाई माधोपुर तहसील का कुल शिशु लिंगानुपात 898 था जो घटकर 883 हो गया। गंगापुर तहसील का यह शिशु लिंगानुपात 890 था जो घटकर 856 हो गया। बामनवास तहसील का शिशु लिंगानुपात 919 था जो घटकर 849 रह गया। बौंली तहसील का कुल शिशु लिंगानुपात 902 था जो घटकर 869 रह गया। मलारना डूँगर तहसील का कुल शिशु लिंगानुपात 924 था जो घटकर

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Child Sex Ratio-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
Female Child Per 1000 Male Child	
	880 – 900
	901 – 920
	More than - 920

MAP-6.2

876 रह गया तथा इसी प्रकार खण्डार तहसील का कुल शिशु लिंगानुपात 886 थाजो घटकर 865 हो गया। एकमात्र चौथ का बरवाड़ा तहसील का कुल शिशु लिंगानुपात स्थिर ही रहा जिसमे न तो कमी हुई ना ही वृद्धि हुई। चौथ का बरवाड़ा तहसील को छोड़कर सभी तहसीलों के शिशु लिंगानुपात में कमी हुई है। जिसे तालिका 6.8 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

उपर्युक्त तालिका 6.8 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक कमी बामनवास तहसील के कुल शिशु लिंगानुपात में हुई है, जिसमे पिछले दशक की अपेक्षा वर्तमान में 70 बालिकाओं की कमी हुई है तथा शिशु लिंगानुपात में सबसे कम कमी सवाई माधोपुर तहसील में 15 बालिकाओं की कमी के रूप में हुई है। इसी प्रकार मलारना डूँगर तहसील में 48 बालिकाओं की कमी, गंगापुर तहसील में 34 बालिकाओं की कमी, बौंली तहसील में 33 बालिकाओं की कमी तथा खण्डार तहसील में 21 बालिकाओं की कमी दर्ज हुई है। इसी संदर्भ में जिले के गंगापुर तहसील व सवाई माधोपुर तहसीलों का नगरीय व ग्रामीण शिशु लिंगानुपात भी पिछले दशक की अपेक्षा कम हुआ है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि पिछले दशक की अपेक्षा वर्तमान जनगणना 2011 में कुल शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात तथा नगरीय शिशु लिंगानुपात सभी में भारी कमी दर्ज हुई है जो कि सवाई माधोपुर जिले के लिए चिंताजनक विषय है।

6.8 लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक–

जनसंख्या लिंगानुपात को कई कारक प्रभावित करते है। इन कारकों का लिंगानुपात पर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। लिंगानुपात में समानता जहाँ सामाजिक विकास को दृढ बनाता है वहीं लैंगिक असमानता अथवा लिंगानुपात में कमी सामाजिक विघटन को जन्म देती है। लिंगानुपात में कमी की समस्या देश–प्रदेश स्तर पर पैर पसारे हुए है जिसके लिए स्वयं मानव एवं मानव की दकियानूसी सोच जिम्मेदार है जिससे शिकार होकर मानव स्वयं ही माता, पुत्री, बहन व पत्नी रूप में हमेशा परिवार को सहेजने सवाँरने व आगे बढ़ाने वाली व मानव–जन्मदात्री को समाप्त कर रहा है।

सवाई माधोपुर जिला भी देश व राज्य की भाँति कम लिंगानुपात की समस्या से कलंकित है जिनके निम्न कारण है–

1.अशिक्षा–

जिले में शिक्षा का स्तर कम होने के कारण आज भी असाक्षर व अनपढ़ लोग दकियानूसी सोच के शिकार है तथा पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति को ही श्रेष्ठ मानते है। अशिक्षा के कारण ही पुत्री के महत्व को समझ नही पाते और उसे अपने जीवन में पुत्र के समान स्थान और महत्व नही दे पाते।

2.कन्या–भ्रूणहत्या–

समाज का अशिक्षित ही नही वरन् शिक्षित वर्ग भी आज कन्या भ्रूणहत्या जैसे कुकृत्य करने व करवाने में संकोच नही करते। आज के वैज्ञानिक युग में स्वास्थ्य की दृष्टि से विभिन्न मशीनों का आविष्कार हुआ है किन्तु शिक्षित और अशिक्षित वर्ग उसका दुरूपयोग कर जन्म से पूर्व ही भ्रूण का लिंग परीक्षण करवा लेते है तथा कन्या भ्रूण होने पर गर्भ में ही उसकी हत्या करवा दी जाती है। यदि कन्या जन्म ले भी लेती है तो नवजात कन्या शिशु के पालन पर उचित ध्यान नही दिया जाता है या उसे जन्म के पश्चात् जीवित ही अन्यत्र स्थानों पर फैंक दिया जाता है ,जिससे वह काल का ग्रास बन जाती है तथा लिंगानुपात में कमी होती है।

3.दहेज–प्रथा–

जिले एवं समाज में व्याप्त बुराईयों में से दहेज प्रथा भी एक बड़ी बुराई तथा प्रमुख समस्या है। दहेज प्रथा के कारण माता–पिता पुत्री को बोझ की दृष्टि से देखते है तथा पुत्री जन्म के बाद से ही उसके विवाह एवं दहेज हेतु चिंतित हो जाते है। पुत्री विवाह के अवसर पर कई बार दहेज हेतु माता–पिता कर्ज में भी डूब जाते है। पुत्री के विवाह के बाद भी ससुराल पक्ष द्वारा कई बार लड़की को दहेज हेतु प्रताड़ित भी किया जाता है तथा लड़की की हत्या तक कर दी जाती है या लडकी स्वयं दुखी होकर आत्महत्या कर लेती है। इससे बचने के लिए माता–पिता पुत्री जन्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते है तथा वे लडकियों का जन्म नहीं चाहते।

4.सामाजिक रूढिवादिता–

जिले में आज भी समाजिक रूप से पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है जिसके चलते पुत्री की शिक्षा, स्वास्थ्य, परवरिश और विकास पर अधिक ध्यान नही दिया जाता। यह एक महत्वपूर्ण, अप्रत्यक्ष एवं कटु सत्य है कि स्त्री की अपेक्षा पुरूष की चिकित्सा आदि परिवार द्वारा अधिक जागरूक होकर करवाई जाती है क्योंकि स्त्री को आज भी पराया धन व बोझ समझा जाता है। समाज में यह मानसिकता है कि स्त्री की मृत्यु के पश्चात् वंश वृद्धि पर कोई प्रभाव नही पड़ता तथा पोषण, परवरिश व चिकित्सा के अभाव में कई बार बीमार होकर भी स्त्री मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए लोग आज भी स्त्री को परिवार का महत्वपूर्ण सदस्य नही मानते। इसी के साथ लोगो की सोच यह भी है कि विवाह के पश्चात् लड़की अपने ससुराल चली जाएगी और वहीं का कार्य सम्भालेगी। इसलिए उसके विकास पर ध्यान देने से कोई फायदा नही, जिसकी वजह से भी लोग पुत्री को जन्म देने से डरते है। अतः ऐसे कारणो से भी स्त्री की संख्या में कमी होती है।

5.बाल–विवाह–

जिले में बाल विवाह की प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है जो आज भी गाँवों में देखी जा सकती है। बाल विवाह की कुरीति के तहत् लड़कियों का कम उम्र में ही विवाह कर दिया है तथा वे दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारियों को वहन नही कर पाती। अपरिपक्व अवस्था में गर्भ धारण कर लेने पर प्रसव के समय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। साथ ही प्रसव भी गाँव में स्थानीय स्तर पर दाईंयों अथवा गाँव की अप्रशिक्षित महिलाओं द्वारा करवाया जाता है जो जोखिम भरा होता है। परिणामतः मातृ–मृत्यु संख्या बढ़ती है, जो भी लिंगानुपात में कमी का प्रमुख कारण है।

6.अन्धविश्वास–

समाज और जिले के लोग आज भी पुराने अन्धविश्वासों पर जीवन जीते है। इनका मानना है कि पुत्र प्राप्ति सत्कर्मों का परिणाम है जो अच्छे कर्म करते है, उन्हें ही पुत्र प्राप्ति होती है तथा समाज में उन्ही का सम्मान होता है।

जिनके पुत्र नही होता उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाते है। जिस स्त्री के पुत्र नही होता शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति अशुभ मानी जाती है। पुत्र को लोग वंश बढ़ाने वाला, बुढ़ापे का सहारा, चिता को मुखाग्नि देने वाला और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानते है। जिसके चलते स्त्री के जन्म को लोग पाप भी समझते है। इसलिए कभी–कभी पुत्री के जन्म के पश्चात् उसे कचरे के डिब्बे में, नदी–नाले में या खेतो में फैंक देते है, जहाँ वह मृत्यु का ग्रास बन जाती है। जिले में स्त्री संख्या में कमी ऐसे कारणों से भी होती है।

7.जनचेतना में कमी–

जिले और समाज में फैली कई बुराईयाँ जैसे अशिक्षा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, गरीबी आदि के कारण महिलाएँ एवं समाज के लोगो में जागरूकता की कमी रहती है। जिससे वह महिलाओं की शिक्षा, उनके विकास, सुरक्षा आदि की योजनाओं और गतिविधियों से अवगत नही हो पाते तथा पुरानी परिपाटी पर ही जीवन और विचार की गाड़ी को धकेलते रहते है। इसी कारण महिलाओं की प्राथमिकता से अनभिज्ञ लोग कन्या जन्म से डरते है, जो कम होते लिंगानुपात का एक कारण है।

8.सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रयास–

जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा बालिका प्रोत्साहन के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाएँ कार्यरत है। इसके अतिरिक्त कन्या–भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल–विवाह, घरेलू–हिंसा आदि की रोकथाम के लिए भी नियम एवं कानून बनाए गए है, जिनसे जिले में महिलाओं को कुछ सुरक्षा एवं प्रोत्साहन मिला है परन्तु यह सभी प्रयास एवं योजनाएँ दृढता के साथ लागू नही हो पाने के कारण अधिक प्रभावी नही हो पा रही है। जिससे लिंगानुपात की गिरावट में अधिक सुधार नही हुआ है। अत; सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर प्रयास के अलावा सामान्य जनमानस को भी बालिकाओं के प्रति जागरूक होना पडेगा तथा कन्याओं के प्रति नकारात्मक एवं उपेक्षित भावना को दूर करना होगा जिससे की लिंगाानुपात की यह कमी दूर हो सके।

9.असुरक्षा की भावना–

जिले में बढ़ती अपराध की प्रवृत्ति, अपहरण, बलात्कार, घरेलू–हिंसा आदि के कारण समाज में पुरूषों की अपेक्षा महिलाएँ सुरक्षा की दृष्टि से महफूज नही है। लड़के कही भी अपनी मर्जी से अकेले आ–जा सकते है। परन्तु लड़कियों को घर से बाहर अकेले भेजने में माता–पिता चिंतित रहते है। या तो उन्हे बाहर भेजा ही नही जाता अथवा परिवार के किसी सदस्य को उनके साथ जिम्मेदारी से भेजा जाता है। परिवार एवं माता–पिता को इस प्रकार की जिम्मेदारी एवं असुरक्षा की भावना घेरे रहती है। ऐसे कई अप्रत्यक्ष कारण कन्या शिशु जन्म को विकर्षित करते है।

10.आर्थिक स्थिति–

जिले में गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को शिक्षा एवं उचित पोषण प्रदान करने में असमर्थ होते है। बच्चों के थोड़ा बड़े होते ही उन्हें विद्यालय की बजाय बाल मजदूरी के लिए भेज देते है। जिससे परिवार की आय में कुछ वृद्धि होती है। बाल मजदूरी के लिए विशेषतः लड़को को ही भेजा जाता है। लड़कियाँ परिवार की आय को बढ़ाने में सहयोग नही कर पाती तथा विवाह पश्चात् ससुराल चली जाती है अतः विवाह तक का भरण–पोषण का भार तथा इसके पश्चात् विवाह एवं दहेज का भार गरीब माता–पिता की कमर तोड़ देता है अतः कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण गरीब वर्ग कन्या को जन्म देना नही चाहते।

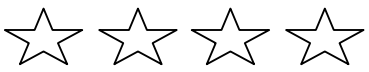

अध्याय–7

जिले की अर्थव्यवस्था एवं व्यवसायिक संरचना

7.1 अर्थ व्यवस्था–

अर्थ अथवा धन से सम्बन्धित आर्थिक क्रिया कलापो का व्यवस्थित प्रक्रम अर्थव्यवस्था कहलाता है। मनुष्य को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा धन या आय प्राप्त करने के लिए मानव किसी ना किसी प्रकार का कार्य करता है जिसे व्यवसाय कहा जाता है। मानव द्वारा धन या आय प्राप्ति की इन्ही क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। प्रत्येक स्थान, देश अथवा प्रदेश में मानव द्वारा की जाने वाली ऐसी आर्थिक क्रियाओ द्वारा ही उस स्थान विशेष की अर्थव्यवस्था निर्मित होती है। मानव द्वारा की जाने वाली इन आर्थिक क्रियाओं के प्रकार व विशेषताऐं स्थान के अनुसार अलग–अलग हो सकती है। मानव अपने जीविकोपार्जन हेतु विविध क्रियाकलाप तथा कार्य जैसे मजदूरी, दुकानदारी, अध्यापन, परिवहन, संचार, चिकित्सा जैसी सेवाऐं, तकनीकी सेवाऐं, फल–सब्जी विक्रय, कृषिव कृषि से सम्बन्धित कार्य, विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी सेवाऐं आदि में संलग्न रहता है जो किसी ना किसी संगठन, संस्था या व्यवस्था के अर्न्तगत सम्पन्न होते है। इसी व्यवस्था को अर्थव्यवस्था कहा जाता है।

अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न आर्थिक क्रियाऐं, उत्पादन, आयात–निर्यात, उत्पादन का वितरण तथा परस्पर विनिमय की क्रियाऐं की जाती है जिसके माध्यम से आय प्राप्त होती है। अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत किसी देश, राज्य या स्थान विशेष पर होने वाले उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिवेश, विनिमय तथा आयात–निर्यात की क्रियाऐं तथा विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित क्रियाऐं की जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के द्वारा स्थान विशेष के संसाधनो का सदुपयोग कर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि का उद्देश्य निहित है।

7.2 सवाई माधोपुर जिले की अर्थव्यवस्था–

सामान्य रूप से सवाई माधोपुर जिले की अर्थव्यवस्था संघीय एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो वर्तमान में विकास के पथ पर अग्रसर है। परन्तु विकसित अर्थव्यवस्था को प्राप्त नही हो पायी है। जिले की यह विकासशील अर्थव्यवस्था देश व राज्य की भाँति ही पूँजीवादी व समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है जिसे केन्द्र व राज्य नियन्त्रित करते है।

सामान्यत; जिला आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है व विकास की ओर गतिशील है। जनाधिक्य के कारण विकास का पहिया धीमी गति से घूम रहा है। अधिकांश जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है। उद्योगो हेतु प्राकृतिक संसाधन एवं अनुकूलता होते हुए भी औद्योगिक विकास नही हो पाया है तथा विकसित उद्योग भी बंद हो चुके है जिससे जिले की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा है। बंद पडे औद्योगिक क्षेत्र में तो चोरी जैसे अपराध चरम सीमा पर है तथा जिले में बेरोजगारी, गरीबी व अन्य कई अपराध जैसी समस्याऐं व्याप्त है। जिले की कुल कार्यशील जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यो में संलग्न है। यद्यपि कृषि क्षेत्र में काफी विकास किया गया है फिर भी सिंचाई हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नही है। इस कारण सिंचित कृषि क्षेत्र में भी अभी पर्याप्त विकास नही हुआ हैं। जिले की मिश्रित अर्थव्यवस्था के अर्न्तगत विद्युत, जल, परिवहन, वाणिज्य, व्यापार व उद्योग, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा सेवाओं हेतु सार्वजनिक व निजी, संयुक्त व सहकारी क्षेत्रकार्यरत है।जिले के आर्थिक विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे है। उद्यम एवं कृषि क्षेत्र के विकास हेतु सरकार की ओर से वित्तीय सुविधा व उदार नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यही कारण है कि जिले की अर्थव्यवस्था में गैर कृषि कार्यो में संलग्न लोगो की जनसंख्या बढ़ रही है, जो यहाँ के विकास के द्योतक है।

अतः प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कृषि का जिले की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान है जिससे रोजगार, बाजार, आय, उद्योग व व्यापार एवं जीवन यापन की प्रक्रियाऐं निर्भर करती है।

जिले में कृषि आज भी परामपरागत ढ़ंग से की जाती है जिसका कारण आर्थिक विपन्नता है। तकनीकी कमी व सिंचाई हेतु जल की अपर्याप्ता के कारण मौसमी कृषि होती है। अतःपूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नही हो पाने से अल्प रोजगार की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन व अल्प भूमि वाले कृषक व मजदूर जो कृषि हेतु संसाधनो व तकनीकी अभाव में कृषि करते है, वे गरीब होते जा रहे है। वहीं नगरीय क्षेत्रों में गैर कृषि कार्यो में संलग्न कुछ धनी वर्ग ओर अधिक धनी होता जा रहा है। इस प्रकार आर्थिक विषमता बढ़ रही है।

ऐसा नही है कि जिले का आर्थिक विकास रूक गया है, वरन् यह धीमी गति से हो रहा है। पूर्व दशको की अपेक्षा कृषि व अन्य विभिन्न क्षेत्रोंमें निरन्तर विकास हुआ है। परन्तु वृहद् उद्योग स्थापित नही हो पाए है तथा स्थापित उद्योग भी स्थानान्तरित अथवा बंद कर दिए गए है। जबकि जिले में औद्यौगिक विकास के अवसर और अनुकूलताऐं विद्यमान है, जिससे जिले में विकास की गति तीव्र हो सकती है।

7.3 व्यावसायिक संरचना–

व्यवसाय से तात्पर्य ऐसी आर्थिक क्रियाओं से है जिसमे विभिन्न सेवाओं व वस्तुओ के उत्पादन व वितरण के द्वारा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता है। व्यवसाय प्रमुख रूप से कृषि व गैर कृषि आधारित होते है। सामान्यतःप्रत्येक वयस्क मनुष्य अपने जीवन निर्वाह हेतु ऐसी आर्थिक क्रियाऐंकरता रहता है। मानव द्वारा की जाने वाली इन आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन से सम्बन्धित क्रियाऐं उद्योग की श्रेणी में आती है तथा वितरण से सम्बन्धित आर्थिक क्रियाऐं वाणिज्य के अर्न्तगत आती है। जिसमें व्यापार एवं व्यापार से सम्बन्धित आर्थिक

क्रियाकलाप सम्बन्धित है। इसी प्रकार तीसरे वर्ग के रूप में विभिन्न सेवाओं को लिया जा सकता है।

सवाई माधोपुर जिले की व्यावसायिक संरचना में कार्यशील जनसंख्या को कृषि में संलग्न व गैर कृषि में संलग्न जनसंख्या के रूप बाँटा जा सकता है। इसी प्रकार इसे मुख्य कर्मी, सीमान्त कर्मी तथा गैर कर्मी के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। व्यवसाय अनुसार इस वर्ग को अनेक उपवर्गो जैसे काश्तगार, खेतीहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग कर्मी, कृषि कार्यो में संलग्न, गैर कृषि कार्यो में संलग्न, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, शिक्षा व विभिन्न सेवाओं में बाँटा जा सकता है।

7.4 जिले का औद्योगिक व कृषिगत ढाँचा–

जिले के औद्योगिक व कृषिगत ढाँचे का निम्न प्रकार है–

सवाई माधोपुर जिले का औद्योगिक ढाँचा–

प्राकृतिक संसाधनो की उपलब्धता तथा तकनीकी विकास ने औद्योगिकरण को जन्म दिया है। सामान्यतः जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास अधिक होता है, वे क्षेत्र स्वतः ही आर्थिक रूप से विकसित हो जाते है। सवाई माधोपुर जिला इस दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तथा यहाँ का औद्योगिक ढाँचा मजबूत नही है। यद्यपि लघु, कुटीर व छोटे उद्योग यहाँ पूर्व की अपेक्षा बढ़े है। परन्तु वृहद् उद्योग स्थापित होने के पश्चात् प्रतिस्थापित हो गए है। पर्याप्त मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, परिवहन, ऊर्जा, औद्योगिक अनुकूलता के बावजूद जिला औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ है जिसका प्रमुख कारण सरकार की उदासीनता है।

जिले में 1948 में *'दी जयपुर उद्योग लिमिटेड'* नामक सीमेन्ट प्लान्ट एक वृहद् उद्योग के रूप में स्थापित हुआ जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 10000 से भी अधिक लोगो को रोजगार प्राप्त था। इसउद्योग का जिले की अर्थव्यवस्था व विकास में महत्वपूर्ण योगदान था, परन्तु लगभग तीन दशक पूर्व यह प्लान्ट बन्द हो गया। इसके बन्द होने के पश्चात् जिला वृहद् उद्योग से रिक्त हो गया। वर्तमान में जिले

में कई लघु व कुटीर उद्योग है तथा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लगातार उद्यम हेतु लोगो को आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन दिया जा रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जिले में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा इस क्षेत्रमें विकास कार्य किए जा रहे है जिससे जिले में छोटे उद्योग बढ़े है। कृषि आधारित विभिन्न छोटे–छोटे उद्योग जैसे तेल मिले, कृषि उपज मंडी समिति, आटा मिले, दाल, बेकरी, दरी, मसाला उद्योग, खादी उद्योग तथा वनो पर आधारित फर्नीचर, बीड़ी उद्योग, आरा मशीन, खनन, खिलौने व अन्य घरेलु सामग्री आदि से सम्बन्धित उद्योग विकसित हुए है। पशुओ से सम्बन्धित डेयरी, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, चमड़ा, ऊन आदि उद्योग विकसित हुए है, जिससे जिले की जनसंख्या को रोजगार प्राप्त हुआ है।

जिले में अवस्थित रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य व अन्य पर्यटन केन्द्रो की विशेषता के कारण पर्यटन उद्योग भी विकसित हुआ है जिससे सैंकड़ों लोगो को रोजगार प्राप्त हो रहा है।

जिले का औद्योगिक वर्गीकरण–

जिले में तीन औद्योगिक क्षेत्रविकसित किए गए है, जो रीको औद्योगिक क्षेत्र, खेरदा, सवाई माधोपुर, रणथम्भौर औद्योगिक क्षेत्र, सवाई माधोपुर तथा औद्योगिक क्षेत्र, सालोदा मोड़ गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर के रूप में है। इन औद्योगिक क्षेत्रो के अतिरिक्त भी जिले में कई छोटे–बड़े उद्योग संचालित है।

जिले में स्थापित उद्योग कुटीर, लघु व वृहद् उद्योग में विभक्त है–

1.कुटीर उद्योग

इसमें घरेलू स्तर पर संचालित उद्योग सम्मिलित है जो ग्रामीण व नगरीय दोनो स्तर पर पाए जाते है। मिट्टी के बर्तन बनाना,चमड़े के जूते, वस्त्र बुनाई व सूत कताई, कृषि के औजार, लोहे के औजार व उपकरण बनाना आदि।

2.लघु उद्योग–

लघु उद्योगो में खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित व अन्य विनिर्माण उद्योग सम्मिलित है। लघु उद्योगो के अर्न्तगत विभिन्न खाद्य पदार्थ,

चटनी, मुरब्बा, अचार, बेकरी व कन्फेक्शनरी से सम्बन्धित वस्तुऐं, दाल मिले, आटा मिले, तेल मिले, मसाला उद्योग, वनस्पति घी, कपास आधारित कताई–बुनाई, वस्त्र सिलाई, कपड़े रंगाई, गुड़ निर्माण, आईसक्रीम, बीड़ी उद्योग, बांस से निर्मित टोकरी, ढ़कोले, सरकण्डे की मुड्डीयाँ, लकड़ी के खिलौने, लाख की चूड़ी, गोंद, कत्था, हड्डियों की पिसाई, डेयरी उद्योग, गहना निर्माण उद्योग, प्लास्टिक व सजावट की सामग्री, पत्थरो की गिट्टी बनाना, धात्विक व अधात्विक पदार्थो पर आधारित विभिन्न उद्योग आदि सम्मिलित है। इसके अलावा जिले में खस से बना प्रसिद्ध इत्र भी निर्मित किया जाता है। इसके अलावा हस्तशिल्प के क्षेंत्रमें मृद भांड, काष्ठ शिल्प, बांस शिल्प, मूर्तिकला, पेन्टिंग, चर्म खिलौने, लौह शिल्प, रंगाई छपाई व बन्धेज कार्य, पर्यटन उद्योग, साबुन वाशिंग पाउडर निर्माण, फिनायल, नमक का तेजाब, बर्तन बार, बर्फ निर्माण उद्योग आदि क्षेत्रों में भी लघु उद्योग रोजगार के साधन के रूप में स्थापित है। पशुपालन के रूप में मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, आदि भी लघु उद्योगो के रूप में संचालित है।

3.वृहद् उद्योग–

वर्तमान में जिले में किसी प्रकार का वृहद् उद्योग चालित अवस्था में नही है। पूर्व में संचालित जिले के वृहद् उद्योग कुछ दशक पूर्व बन्द हो चुके है। वृहद् उद्योगो की स्थापना और बन्द हुए उद्योगो को पुनः प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर कई बार एवं आन्दोलन हुए है परन्तु कोई भी उद्योग ना तो प्रारम्भ हो सका है ना ही बन्द हुए पुनः संचालित हो सके है। अतः जिले में वर्तमान में कोई भी वृहद् उद्योग संचालित अवस्था में नही है।

वर्तमान में जिले में कुछ निर्माण उद्योग, मिले एवं मरम्मत सम्बन्धी, कृषि उपकरण सम्बन्धी उद्योग संचालित है। इन सभी उद्योगो का 2007–2008 के अनुसार विवरण तालिका– 7.1 में दिया गया है।

तालिका–7.1

जिला–सवाई माधोपुर पंजीकृत उद्योग–2008					
क्रम सं.	उद्योग	कारखानो की संख्या			
		वर्षके प्रारंभ में	वर्ष के दौरान पंजीकृत	वर्ष में बंद हुए	वर्ष के अंत में शेष
1	राइस मिल्स	–	–	–	–
2	दाल मिल्स		–	–	–
3	खाद्य तेल मिल्स	3	–	1	2
4	सोविंग एण्ड प्लानिंग ऑफ वुड अदर देन प्लाईवुड	2	–	1	1
5	अल्प निर्माण इकाईयाँ	–	–	–	–
6	प्रिंटिंग प्रेस	–	–	–	–
7	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्रेलिक प्लास्टिक	–	–	–	–
8	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेन्ट	–	–	–	–
9	स्टोन क्रशिंग एण्ड स्टोन ड्रेसिंग	–	–	–	–
10	अन्य निर्माण	10	1		11
11	मैन्यु ऑफ ह्यूम पाईप एण्ड अन्स सीमेन्ट प्रोडक्ट	–	1		1
12	जनरेशन ट्रान्समिशन एण्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी	2	–	–	2
13	मोटर वाहन मरम्मत	–	–	–	–
	योग	17	2	2	17

तालिका–7.2

जिला–सवाई माधोपुर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट 2007–2008					
क्रम	उद्योग	उद्योगो	पूंजी निवेश(000 रू)	नियोजन	उत्पादन क्षमता

सं.		की संख्या	स्थाई	कार्यशील	संख्या	मात्रा	राशि (000रू)
1	खाद्य उत्पादन एवं पेय निर्माण	32	5780	4900	71	85000 कि. ग्रा.	3263
2	वस्त्र निर्माण कार्य	13	1653	480	43	60000 मी.	1760
3	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वियरिंग एपैरल,ड्रेसिंग एवं डाईंग ऑफ फर	14	5239	2050	146	34000 नग	3825
4	टेनिंग एण्ड ड्रेसिंग ऑफ लेदर, लगेज हैण्डबैग फुट वियर निर्माण	19	1000	450	40	3000 नग	625
5	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वुड एण्ड प्रॉडक्ट्स ऑफ वुड	2	77	50	4	6000 नग	30
6	पब्लिशिंग, प्रिंटिंग एण्ड रिप्रोडक्शन ऑफ रिकोर्डेड मीडिया	3	880	500	10	50000 नग	1800
7	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स एण्ड केमिकल्स प्रोडक्टस	4	1480	900	14	100000 कि.ग्रा.	520
8	मैन्युफैक्चरिंगऑफ अदरनॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट्स	86	15499	6000	215	117000 कि.ग्रा.	11765
9	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेब्रिकेटेड मेटेल (मशीन उपकरण के अलावा)	11	4182	3000	46	25000 कि. ग्रा.	10300
10	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेडियो टी.वी. कम्प्युनिकेशन इक्विपमेन्ट एण्ड अपारट्स	—	—	—	—	—	—
11	मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर एण्ड एन.ई.सी.	13	2835	800	36	11050 नग	2310
12	मोटर वाहन एवं मोटर साईकिलों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	7	6712	2200	22	जॉब वर्क	2809
13	पर्सनल एवं हाउस होल्ड गुड्स की मरम्मत एवं अनुरक्षण	27	2317	1425	66	जॉब वर्क	3950
14	कम्प्यूटर एण्ड रिलेटेड एक्टीविटीज	8	1925	700	32	जॉब वर्क	1160
15	अदर बिजनेस एक्टीविटीज	12	1830	980	25	जॉब वर्क	690

7.5 तहसील अनुसार जिले में औद्योगिक स्थिति–

1.सवाई माधोपुर तहसील–

जिले की सवाई माधोपुर तहसील में वृहद् उद्योगो के संदर्भ में 1951 में जयपुर उद्योग लिमिटेड नामक सीमेन्ट प्लांट लगा था, जो कई बार झटके खाने के बाद 1985 से पूर्णतः बन्द हो गया। इसके अतिरिक्त यहाँ इडियन ऑयल कॉर्पारेशनका इंडेन गैस बोटलिंग प्लांट लगा था। वह भी लगभग एक दशक पूर्व बन्द कर दिया गया। इसके अतिरिक्त तहसील में कई लघु व कुटीर उद्योग संचालित हैं, जो खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित व अन्य विनिर्माण उद्योग से सम्बंधित है। इनमें बीड़ी उद्योग, फर्नीचर उद्योग, क्रेशर, अनाज व मसाला पिसाई उद्योग, रेडिमेड कपडा उद्योग,स्टील फर्नीचर व बक्से, स्टोन कटिंग व पॉलिशिंग, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, पोल्ट्री फीड, पशु आहार, साबुन व डिटेर्जेन्ट निर्माण, पीतल व मिट्टी के बर्तन, लकडी के खिलौने, चर्म उद्योग, आईसक्रीमउद्योग बर्फ उद्योग, खाद्य सामग्री निर्माण हेतु कई उद्योग, दाल मिले, तेल मिले, इत्र निर्माण, पर्यटन उद्योग, हस्त शिल्प उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, कई छोटी मशीनरी व औजार निर्माण उद्योग आदि प्रमुख है।

इनके अतिरिक्त तहसील मुख्यालय पर वाहन, मशीनरी, कपडा, कृषि, खाद्य पदार्थ व अन्य दैनिक व आवश्यक वस्तुओं हेतु शोरूम व मण्डियाँ है जिनसे हजारों लोगो को रोजगार प्राप्त होता है। तहसील का बड़ा बाजार भी आर्थिक रूप से हजारों लोगो की जीविका चला रहा है।

2.गंगापुर तहसील–

वर्तमान में तहसील में तहसील में वृहद् उद्योग का अभाव है, पर यहाँ कई लघु व कुटीर उद्योग संचालित है जो खनिज आधारित, कृषि आधारित, वन आधारित व अन्य विनिर्माण उद्योग से सम्बंधित है। इनमें फर्नीचर उद्योग, अनाज व

मसाला पिसाई उद्योग, रेडिमेड कपडा निर्माण उद्योग, मिट्टी के बर्तन, लकडी के खिलौने, चर्म उद्योग, आईसक्रीम उद्योग, बर्फ उद्योग, खाद्य सामग्री निर्माण हेतु कई उद्योग, दाल मिले, तेल मिले, हस्त शिल्प उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग, कई छोटी मशीनरी औजार निर्माण उद्योग, आटा मिल, लौहे का फर्नीचर, डीजल इंजिन रिपेयरिंग, सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स, स्टील फर्नीचर व बक्से, स्टोन कटिंग व पॉलिशिंग, मिल्क चिलिंग प्लान्ट, पोल्ट्री फीड, पशु आहार, साबुन व डिटेर्जेन्ट निर्माण, स्टील फर्नीचर व बक्से आदि प्रमुख है।

इनके अतिरिक्त तहसील मुख्यालय पर वाहन, मशीनरी, कपडा, कृषि, खाद्य पदार्थ व अन्य दैनिक व आवश्यक वस्तुओं हेतु बड़ा बाजार है, जिससे हजारों लोगो को रोजगार प्राप्त होता है।

3.खण्डार तहसील–

यहाँ कई लघु व कुटीर उद्योग संचालित है, जिनमें मिल्क चिलिंग प्लान्ट, टायर रिट्रेडिंग, मोटर बाइडिंग, अनाज व मसाला पिसाई, ऑटो मोबाइल रिपेरिंग, आटा मिले, तेल मिले, लकड़ी का फर्नीचर, डीजल इंजिन रिपेयरिंग, सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स आदि प्रमुख है।

4.बामनवास तहसील–

बामनवास तहसील में मसाला पिसाई, आटा मिल, लकडी का फर्नीचर, डीजल इंजिन रिपेयरिंग, टायर रिट्रेडिंग, सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स, मोटर बाइडिंग जैसे लघु व कुटीर उद्योग संचालित है।

5.चौथ का बरवाड़ा तहसील–

इस तहसील में कई लघु व कुटीर उद्योगो के साथ–साथ प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर के कारण पर्यटन उद्योग भी हजारों लोगो को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ चमडा उद्योग, मोटर बाइडिंग, मसाला पिसाई, आटा मिल, लकड़ी का फर्नीचर, डीजल इंजिन रिपेयरिंग, सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स, तेल मिले आदि लघु व कुटीर उद्योग संचालित है।

6.मलारना डूँगर तहसील–

मलारना डूँगर तहसील में मसाला पिसाई, मोटर बाइडिंग, आटा मिल, लकड़ी का फर्नीचर, डीजल इंजिन रिपेयरिंग, सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स, तेल मिले आदि लघु व कुटीर उद्योग संचालित है।

7.बौंली तहसील–

प्रमुखतः यहाँ बीड़ी उद्योग, स्टील का फर्नीचर एवं बक्से, ट्रक बॉडी निर्माण, मसाला पिसाई, आटा मिल, लकडी का फर्नीचर, ऑटो मोबाइल रिपेरिंग ,डीजल इंजिन रिपेयरिंग, मोटर बाइडिंग ,सॉफटवेयर डेटा प्रोसेसिंग एवं जेरोक्स, टायर रिट्रेडिंग जैसे लघु व कुटीर उद्योग संचालित है।

7.6 जिले का कृषिगत ढाँचा–

अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में होने के कारण आज भी जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रमुख भूमिका है। कुछ दशकों पूर्व जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक योगदान था जो वर्तमान में गैर कृषि कार्यो व औद्योगिकरण के कारण घटा है तथा जिले की अर्थव्यवस्था में गैर कृषि कार्यो का प्रभाव भी दिखने लगा है। जिले में पहले जहाँ परम्परागत ढंग से कृषि कार्य होता था वहीं अब कृषि में तकनीकी व वैज्ञानिक विधियो का भी उपयोग किया जाने लगा है। फसल की जुताई, बुवाई, से लेकर कटाई व सफाई में मशीनों का उपयोग होने लगा है परन्तु अल्प कृषि भूमि व गरीब किसान आज भी परम्परागत तरीको से ही कृषि करते है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नही होने से अधिकतर कृषि क्षेत्र सिंचाई हेतु मानसून पर निर्भर करता है।

वर्तमान में जिले की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या में से 54 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या काश्तगार तथा 15 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या खेतीहर मजदूर के रूप में कार्यशील है, अतः कृषि द्वारा लगभग 70 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि से सम्बन्धित अन्य सहायक

क्रियाओ तथा कृषि आधारित उद्योगो में भी लोगो को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो रहा है। इस प्रकार आज भी सवाई माधोपुर जिले की अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधान भूमिका है। जिले के औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न लघु व कुटीर उद्योगो को कच्चा माल भी कृषि उपज से ही प्राप्त होता है। ऐसे कई उद्योग सीधे ही कृषि पर आधारित है जिनका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है। अतः कृषि पर जिले का औद्योगिक विकास भी निर्भर करता है। जिले में पशुपालन हेतु पशुओं के खाद्य पदार्थ भी कृषि द्वारा ही प्राप्त होते है। कृषि उत्पाद का निकटवर्ती अन्य जिलो व राज्यो में निर्यात किया जाता है। इनमे लाल मिर्च, अमरूद आदि विशेष रूप से निर्यात किए जाते है। निर्यात से जिले का व्यापारिक महत्व बढ़ा है तथा आय प्राप्त हुई है। कृषि के फलस्वरूप जिले को स्थानीय स्तर पर भी राजस्व प्राप्त होता है, जिससे जिले के विकास में योगदान मिलता है। कृषि के फलस्वरूप जिले को कुल आय का बड़ा भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है, जो वर्तमान में गैर कृषि कार्यो के कारण कुछ कम हुआ है, परन्तु तुलनात्मक रूप से जिले का आय में अब भी कृषि का योगदान सर्वाधिक है।

अप्रत्यक्ष रूप से कृषि का अन्य विविध क्षेत्रों जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य व व्यापार, बाजार, शिक्षा व शैक्षणिक संस्थान आदि के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अतः स्पष्ट है कि कृषि जिले की अर्थव्यवस्था का आधार एवं प्रमुख आर्थिक क्रिया है।

7.7 जिले की अर्थव्यवस्था व औद्योगिक विकास में कृषि की भूमिका–

सवाई माधोपुर जिला एक कृषि प्रधान जिला है। अतः कृषि जिले की अर्थव्यवस्था तथा औद्योगिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। कृषि जहाँ आय का स्रोत है, वहीं यह एक औद्योगिक आधार भी है। जिले में कृषि के महत्व को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

1.आय का प्रमुख स्रोत–

जिले की अधिकांश जनसंख्या आय हेतु कृषि पर आश्रित है, अतः जिले की कुल आय का एक बड़ा भाग कृषि द्वारा ही प्राप्त होता है। वर्तमान में गैर कृषि कार्यो का जिले की आय में हिस्सा बढ़ रहा है, परन्तु कृषि जिले की आय एवं रोजगार का महत्वपूर्ण आधार है। जिले की आय के अतिरिक्त कृषि का राज्य व राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिले में उत्पन्न होने वाले अमरूद, लाल मिर्च, तिलहन व अनाज का निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त कृषि द्वारा जिले को राजस्व भी प्राप्त होता है।

2.औद्योगिक आधार–

कृषि आधारित समस्त उद्योगो जैसे वनस्पति घी व तेल उद्योग, सूती वस्त्र, कपास, चीनी उद्योग, बीड़ी उद्योग, फल व सब्जी मण्डी, अनाज मण्डी आदि को कच्चा माल कृषि उत्पादो से ही प्राप्त हैं, अतः इन उद्योगो के लिए कृषि एक महत्वपूर्ण आधार है।

3.रोजगार का प्रमुख स्रोत–

कृषि जिले में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत भी है। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। जबकि नगरीय जनसंख्या का कुछ भाग भी अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा ही रोजगार प्राप्त करता है। कृषि से सम्बन्धित विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे श्रमिक, मशीनरी, छोटे–बड़े औजार आदि के लिए किसानो को नगर अथवा ग्रामीण के गैर कृषि कर्मियों का आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार कृषि की अन्य सहायक क्रियाओं जैसे पनशुपालन, मुर्गी पालन, आदि आर्थिक क्रियाओं से भी जिले की जनसंख्या को रोजगार प्राप्त होता है।

4.खाद्यान्न एवं पशु चारे की आपूर्ति–

जिले की 13 लाख से अधिक जनसंख्या को जिले की कृषि द्वारा ही खाद्यान्न प्राप्त होता है। साथ ही अतिरिक्त खाद्यान्न का निर्यात करके आय प्राप्त

की जाती है। पशुपालको को चारे की कृषि एवं खाद्यान्न के उपउत्पादो द्वारा पशु हेतु चारा प्राप्त होता है।

5.अन्य क्षेत्रों के विकास में भूमिका–

जिले के सभी बाजार, व्यवसाय व अन्य आर्थिक क्रिया–कलाप प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से प्रभावित रहते है। बैंकिंग, बीमा, संचार, परिवहन, निर्माण कार्य, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग आदि सभी कृषि से प्रभावित होते है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने पर इन सभी क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं में सकारात्मक बदलाव आते है। जिससे विकास की गति तीव्र होती है। इसके विपरित कृषि उत्पादकता के कम हो जाने पर ये सभी क्षेत्र सुस्त हो जाते है और जिले का विकास स्थिर हो जाता है।

इस प्रकार जिले के सम्पूर्ण विकास का प्रमुख आधार कृषि ही है। जो जिले के सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत आर्थिक क्रिया है।

7.8 कृषि क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ–

जिले की कृषि में पिछले कुछ दशको से परिवर्तन हुआ है। पहले कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य परम्परागत ढ़ंग व पुरानी तकनीक तथा पशुओं की सहायता से सम्पन्न होते थे। जैसे जुताई, बुवाई, कटाई, ढुलाई आदि कार्य बैलो, बैलगाड़ी व मानव द्वारा किए जाते थे, परन्तु अब ये सभी कार्य अधिकांश भागो में मशीनो जैसे ट्रेक्टर, थ्रेसर, व अन्य उपकरणो आदि के द्वारा किए जाते है। मशीनो व तकनीकी सहायता से कृषि कार्य करने में समय व मानवीय श्रम दोनो की बचत होती है।

कृषि करने के तरीके में वैज्ञानिक विधि, उन्नत बीज, खाद आदि द्वारा फसल को पोषण प्रदान किया जाता है जिससे उत्पादकता बढ़ी है। कृषि फसल को रोगो तथा कीटो से बचाने के लिए विभिन्न रसायनो व कीटनाशक का उपयोग किया जा रहा है। पर्याप्त सिंचाई वाले स्थानो पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल ली जाने लगी है। सिंचाई केलिए नलकूपो एवं बिजली की उपलब्धता से कृषि उत्पादन में

वृद्धि हुई है। बिजली व पम्पसेट द्वारा कृषक आस–पास के जलस्रोत तथा कुएँ से सिंचाई हेतु जल प्राप्त कर लेता है। परम्परागत फसलो के साथ–साथ ग्रीन हाउस के द्वारा बेमौसम फल, फूल व सब्जियाँ भी पैदा की जाने लगी है तथा अधिक आय देने वाली फसलो का उत्पादन किया जाने लगा है। जैसे अमरूद की कृषि एवं उत्पादन में जिले ने अपना विशिष्ट स्थान बनाया है।

सरकार द्वारा भुमि सुधार कार्यक्रमो के द्वारा पड़त भूमि, बंजर भूमि, असिंचित क्षेत्रतथा कृषि अयोग्य भूमि को सुधारने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए है तथा भूमि सम्बन्धित अनेक समस्याओं का निराकरण वर्तमान में भी किया जा रहा है। किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.), कृषि बीमा आदि सुविधाऐं प्रदान की जा रही है। कृषि उपजो का सही मृल्य किसानों को दिलवाने हेतु कृषि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना जैसे कदम महत्वपूर्ण है। कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का निराकरण किया जाता है तथा उपयुक्त सलाह किसानो को दी जाती है।

इन सभी नवीन प्रयासों एवं सरकारी सहायता से यद्यपि किसानो को पर्याप्त लाभ मिल रहा है तथा कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। परन्तु कुछ नवीन समस्याऐं पैदा हो रही है जैसे जनसंख्या बढ़ने के साथ बँटवारे के कारण सिंचाई से भूमि का जल स्तर घट रहा है। सिंचाई के साधनो का पर्याप्त विकास अभी तक नही हो पाया है अतः सिंचाई हेतु वर्षाकाल में व्यर्थ बह रहे जल को नालों के द्वारा बाँधो की ओर मोड़ देना चाहिए, एनीकट व तालाबो का निर्माण भी कराया जा सकता है। कुल मिलाकर जिले में कृषि एवं सिंचाई सुविधाओ का विस्तार करना अभी शेष है जिसे तीव्र गति से किया जाना चाहिए। ताकि जिले का विकास भी तीव्र हो सके। विपणन कीमत व न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धी समस्याओं को दूर कर इनमें सुधार किया जाना चाहिए। साथ ही किसानो को साक्षर करना चाहिए एवं कृषि के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देना चाहिए। किसानो को फसल से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव प्रेषित करने चाहिए।

7.9 जिले की कार्यशील, सीमान्तक व अकार्यशील जनसख्या का वितरण–

सवाई माधोपुर जिले की कुल जनसंख्या को आर्थिक क्रिया में संलग्नता के आधार पर कार्यशील, सीमान्तक व अकार्यशील जनसंख्या में बाँटा गया है। सामान्यतः कार्यशील जनसंख्या के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त होता है। सीमान्तक जनसंख्या के अर्न्तगत ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया गया है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम रोजगार प्राप्त होता है। इसी प्रकार अकार्यशील जनसंख्या में छोटे बच्चे, वृद्धजन, विद्याार्थी, घरेलू महिलाएँ, निशक्तजन, भिखारी, कैदी तथा बेरोजगार व्यक्ति सम्मिलित है। जिले की जनसंख्या को इसी आधार पर कार्मिक जनसंख्या (कार्यशील व सीमान्तक) व गैर कार्मिक जनसंख्या में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) कार्मिक जनसंख्या–

जिले की कार्मिक जनसंख्या में कार्यशील व सीमान्त जनसंख्या को सम्मिलित कर अध्ययन व विशलकषण किया गया है।

1.जिले की कुल कार्मिक जनसंख्या काल अनुसार वितरण –

सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या को आर्थिक क्रिया के आधार पर दो प्रमुख भागो कार्मिक (कार्यशील व सीमान्तक)एवं गैर कार्मिक जनसंख्या में विभक्त कर विश्लेषित किया जा सकता है। यदि 1961 से 2011 के मध्य के आँकड़ो पर दृष्टिपात किया जाए तो 1961 में जिले की कुल कार्मिक जनसख्या जिसमें कार्यशील एवं सीमान्तक कार्य करने वाले लोग शामिल है, कुल जनसंख्या का 51. 90 प्रतिशत थी, जिसमें कि कुल 490025 व्यक्ति थे। यह अब तक की सर्वाधिक कार्मिक संख्या का प्रतिशत रहा है। इसके पश्चात् 1971 में यह प्रतिशतता घटकर 32.30 प्रतिशत हो गई। जिसमें 2011 तक धीमी गति से लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011 में कार्मिक जनसंख्या का अनुपात 43.3 प्रतिशत दर्ज किया गया है। जिसमें कुल कार्मिक जनसंख्या 578068 व्यक्तियों के रूप में है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total workers Population-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than – 50000
	50001 – 7000
	70001 – 100000
	More than 100000

MAP-7.1

इस कुल कार्मिक जनसंख्या में 1961 के पश्चात 1971 में ग्रामीण व नगरीय तथा महिला व पुरूष सभी कार्मिक जनसंख्या में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है, परन्तु इसके पश्चात धीमी गति से लगातार वृद्धि दर्ज की हुई है। जिसे निम्न सारणी से दर्शाया जा सकता है–

तालिका–7.3

जिला–स.मा. कुल कार्मिक (कार्यशील व सीमान्त) जनसंख्या (1961–2011)							
वर्ष	**क्षेत्र**	**कुल कर्मी**			**प्रतिशत में**		
		पुरूष	महिला	**योग**	पुरूष	महिला	**योग**
1961	ग्रामीण	279823	177963	457786	61.83	45.07	54.00
	नगरीय	26807	5432	32239	51.60	12.3	33.50
	योग	306630	183395	**490025**	60.80	41.80	**51.90**
1971	ग्रामीण	302179	45158	347337	53.62	9.26	33.00
	नगरीय	35317	2426	37773	46.03	3.76	26.60
	योग	337496	47614	**385110**	52.70	8.60	**32.30**
1981	ग्रामीण	356403	114928	471331	50.04	18.61	35.40
	नगरीय	48343	4658	53001	43.68	4.87	25.70
	योग	404746	119586	**524332**	49.20	16.80	**34.14**
1991	ग्रामीण	431189	244014	675203	47.77	31.72	40.40
	नगरीय	68004	10817	78821	61.44	8.00	27.10
	योग	499193	254831	**754024**	47.10	28.20	**38.40**
2001	ग्रामीण	233482	178774	412256	48.8	42.0	45.58
	नगरीय	48760	8147	56908	43.3	8.14	26.70
	योग	282243	186921	**469164**	47.73	33.55	**42.00**
2011	ग्रामीण	277779	220406	498185	49.2	43.69	46.6
	नगरीय	66023	13860	79883	47.35	10.91	29.98
	योग	343802	234266	**578068**	48.83	37.1	**43.28**

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार कुल कार्मिक जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या की 43.3 प्रतिशत है, जिसमें कुल कार्मिक पुरूष व स्त्री क्रमशः48.8 व 37.1 प्रतिशत है। इसी प्रकार जिले के कुल ग्रामीण व नगरीय कार्मिक जनपसंख्या क्रमशः 46.6 प्रतिशत व 30 प्रतिशत है। कुल कार्मिक जनसंख्या

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Main workers-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 50000
	50000 – 60000
	More than 90000

MAP-7.2

में 2011 के अनुसार ग्रामीण कार्मिक पुरूष 49.2 प्रतिशत तथा ग्रामीण कार्मिक महिलाऐं 43.7 प्रतिशत है। इसी प्रकार नगरीय कार्मिक पुरूष 47.3 प्रतिशत तथा नगरीय कार्मिक महिलाऐं केवल 10.9 प्रतिशत है।

इन आँकडों से स्पष्ट होता है कि नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्मिक के अनुपात में अधिक अन्तर है, अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरों में महिला कार्मिक जनसंख्या का अनुपात काफी कम है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रामीण महिलाऐं अधिकांशतः स्वयं की कृषि भूमि पर कार्यों में संलग्न रहती है। जबकि नगरों में महिलाऐं अधिकांशतः गृहणी के रूप में केवल घर ही संभालती है।

2.जिले की कुल कार्मिक जनसंख्या का तहसील अनुसार वितरण–

जनगणना 2011 के अनुसार संख्यात्मूक रूप से जिले की सर्वाधिक कार्मिक जनसंख्या तहसील सवाई माधोपुर तहसील में रही है, जिसमें कुल कार्मिक जनसंख्या 137565 है। इसमें कार्मिक पुरूष 86178 तथा कार्मिक महिलाऐं 51387 है। इसी प्रकार सबसे कम कार्मिक जनसंख्या वाली तहसील चौथ का बरवाडा तहसील रही है। जिसमें कुल कार्मिक जनसंख्या 42944 है, जिसमें कार्मिक पुरूष 24904 तथा कार्मिक महिलाऐं 18040 है। कार्मिक जनसंख्या के आधार पर द्वितीय स्थान पर गंगापुर तहसील 134585 व्यक्तियों के साथ, तृतीय स्थान पर बामनवास तहसील 79925 व्यक्तियों के साथ, चतुर्थ स्थान पर खण्डार तहसील 69678 व्यक्तियों के साथ, पंचम स्थान पर बौंली तहसील 67781 व्यक्तियों के साथ तथा षष्ठम् स्थान पर 45590 व्यक्तियों के साथ मलारना डूँगर तहसील रही। तहसील अनुसार जिले में सर्वाधिक व न्यूनतम कार्मिको की जनसंख्या में एक बडा अन्तर दृष्टिगत होता है, जो कि 94621 व्यक्तियों के रूप में है। इस अन्तर का एक कारण सवाई माधोपुर तहसील का नगरीय तहसील के रूप में होना तथा चौथ का बरवाडा तहसील का ग्रामीण तहसील के रूप में होना भी है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Marginal Workers-2011

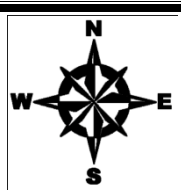

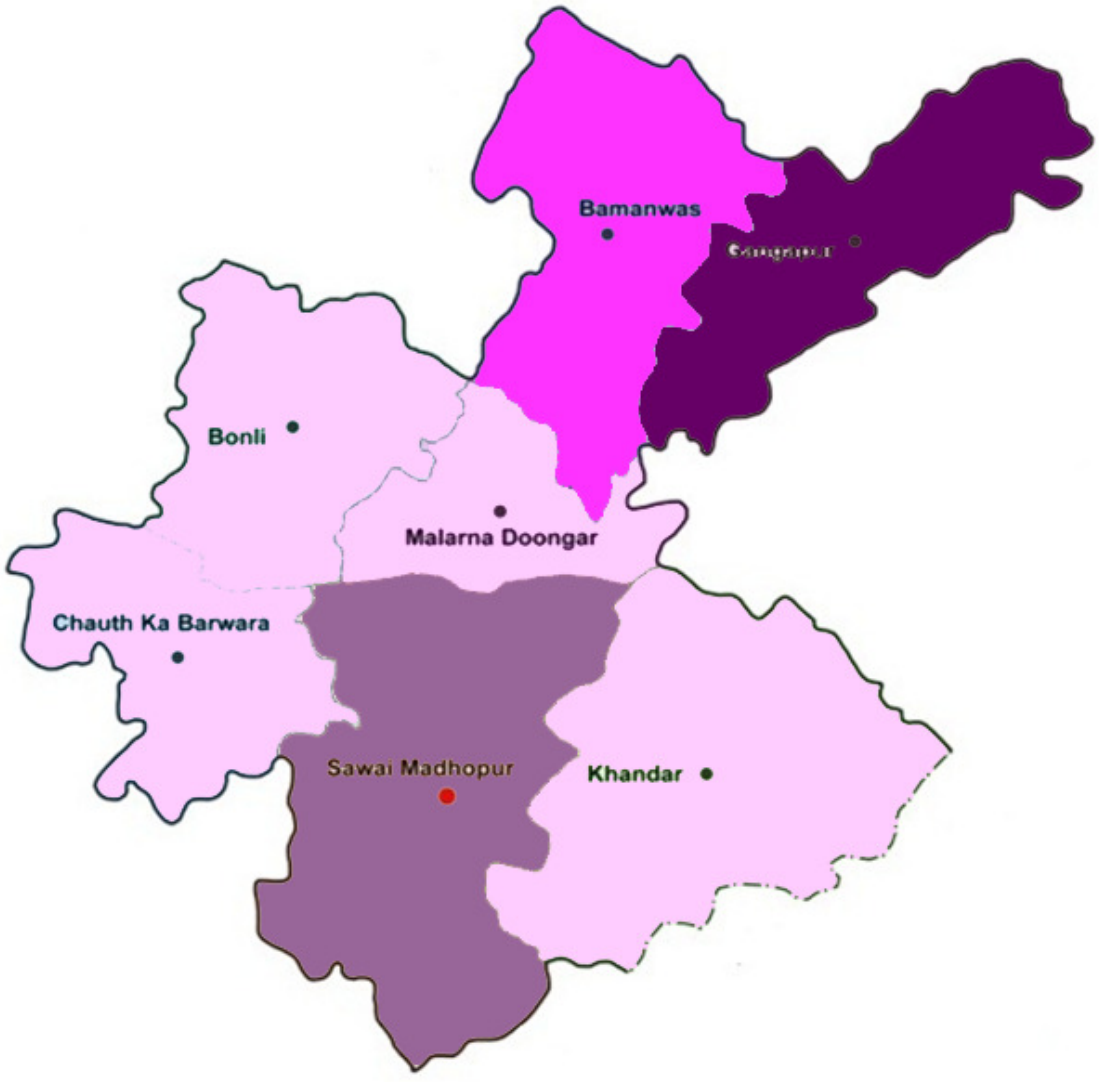

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	10000 - 20000
	20001 - 30000
	30001 - 40000
	40001 - 50000

MAP-7.3

तालिका–7.4

जिला–स.मा तहसील अनुसार कार्मिक जनसंख्या एवं प्रतिशत (2011)						
तहसील	कुल कार्मिक		पुरूष		महिलाऐं	
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	प्रतिशत
सवाई माधोपुर	137565	41.08	86178	62.65	51387	37.35
गंगापुर सिटी	134585	38.83	86387	64.19	48198	35.81
बामनवास	79925	46.56	44291	55.42	35634	44.58
खण्डार	6967	56.06	38280	54.94	31398	45.06
बौंली	67781	47.49	37364	55.12	30417	44.88
मलारना डूँगर	45590	43.12	26398	57.90	19192	42.10
चौथ का बरवाडा	42944	45.43	24904	57.99	18040	42.01

यदि जिले की तहसीलो को अनुपातिक रूप से विश्लेषित किया जाए तो स्पष्ट होता है कि तहसील की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक कार्मिक जनसंख्या के अनुपात वाली तहसील खण्डार है। जिसमें 51.06 प्रतिशत जनसंख्या कार्मिक जनसंख्या के रूप में है तथा न्यूनतम कार्मिक जनसंख्या गंगापुर सिटी तहसील में है, जहाँ केवल 38.83 प्रतिशत जनसंख्या कार्मिको के रूप में है।

इसी प्रकार जिले में सर्वाधिक पुरूष कार्मिक (64.19प्रतिशत) गंगापुर तहसील में तथा न्यूनतम पुरूष कार्मिक खण्डार तहसील (54.94प्रतिशत) में दर्ज किये गए है। इसी प्रकार अधिकतम महिला कर्मी का अनुपात खण्डार तहसील में (45.06 प्रतिशत)तथा न्यूनतम महिला कर्मी का अनुपात गंगापुर सिटी तहसील में (35.81 प्रतिशत) दर्ज किया गया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिले की तहसीलो में कार्मिक जनसंख्या का वितरण एवं अनुपात विभिन्न आयामो में भिन्न–भिन्न पाया गया है।

(ब) गैर कार्मिक जनसंख्या–

जिले की कार्मिक जनसंख्या में अकार्यशील, शिशु, वृद्ध व कोई कार्य न करने वाली जनसंख्या को सम्मिलित कर अध्ययन व विश्लेषण किया गया है।

1.जिले की गैर कार्मिक जनसंख्या का काल अनुसार वितरण –

सवाई माधोपुर जिले में 1961 के विपरित जनगणना 2011 में गैर कार्मिक जनसंख्या का अनुपात अधिक दर्ज हुआ है। जहाँ 1961 में जिले की गैर कार्मिक जनसंख्या 48.10 प्रतिशरत थी, वहीं यह अनुपात 2011 में बढकर 56.72 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार जिले के ग्रामीण व नगरीय तथा महिला व पुरूष सभी गैर कार्मिक जनसंख्या भी बढी है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से जिले की कार्मिक जनसंख्या पर भार है। 1961 के बाद 1971 से यद्यपि गैर कार्मिक जनसंख्या का अनुपात लगातार कम हुआ है, परन्तु जनगणना 2011 तक भी यह अनुपात 1961 के समान नही हो पाया है। जिले की नगरीय व ग्रामीण, स्त्री व पुरूष गैर कार्मिक जनसंख्या का अनुपात भी 1961 की तुलना में बढा है, जो सारणी 7.5 से स्पष्ट है।

तालिका–7.5

जिला–स.मा. गैर कार्मिक जनसंख्या एवं प्रतिशत–2011					
वर्ष	**कुल**	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**पुरूष**	**महिला**
1961	453549	389659	63890	197901	255648
	48.10%	46.00%	66.50%	39.20%	58.20%
1971	808418	704105	104313	302802	505616
	67.70%	67.00%	73.40%	47.30%	91.40%
1981	1011538	858449	153089	418113	593425
	65.90%	64.60%	74.3%	50.80%	83.20%
1991	1209222	996769	212453	559593	649629
	61.60%	59.60%	72.9%	52.90%	71.80%
2001	647893	492161	155732	309064	338829
	58.00%	54.42%	73.27%	52.27%	64.45%
2011	757483	570899	186584	306229	397254
	56.72%	53.4%	70.02%	51.17%	60.9%

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total Non Workers Population-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	50000 - 70000
	70001 - 100000
	150000 - 250000

MAP-7.4

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि 1961 से 2011 के मध्य के आँकडों में 1961 की तुलना में 2011 में जिले की कार्मिक जनसंख्या का अनुपात घटा है तथा गैर कार्मिक जनसंख्या का अनुपात बढा है, जो कि बेरोजगारी की समस्या को ओर अधिक विकट करता है एवं जिले पर बढते आर्थिक भार को प्रदर्शित करता है।

2.जिले की कुल गैर कार्मिक जनसंख्या का तहसील अनुसार वितरण–

जनसाख्यिकी रूप से जिले में सर्वाधिक गैर कार्मिक जनसंख्या वाली तहसील 212029 व्यक्तियों के साथ गंगापुर तहसील है। इसी प्रकार न्यूनतम गैर कार्मिक जनसंख्या वाली तहसील 54556 व्यक्तियों के साथ चौथ का बरवाडा तहसील है। अनुपातिक रूप से सर्वाधिक गैर कार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत गंगापुर तहसीलमें 61.17 प्रतिशत तथा न्यूनतम गैर कार्मिक जनसंख्या का प्रतिशत खण्डार तहसील में 48.94 प्रतिशत दर्ज किया गया है।

तालिका–7.6

जिला–स.मा. तहसील अनुसार गैर कार्मिक जनसंख्या एवं प्रतिशत (2011)				
तहसील	कुल गैर कार्मिक		पुरूष	महिलाऐं
	जनसंख्या	प्रतिशत	जनसंख्या	जनसंख्या
सवाई माधोपुर	197312	58.92	88550	108762
गंगापुर सिटी	212029	61.17	97715	114314
बामनवास	91723	53.44	47337	44386
खण्डार	66761	48.94	34292	32469
बौंली	74960	52.51	37597	37363
मलारना डूँगर	60142	56.88	29015	31127
चौथ का बरवाडा	54556	54.59	25723	28833

7.10 जिले की जनसंख्या का व्यवसाय अनुसार वर्गीकरण–

किसी भी क्षेत्र का स्थानीय विकास उस क्षेत्र में संचालित आर्थिक क्रियाओं तथा उन आर्थिक क्रियाओ में संलग्न जनसंख्या से प्रभावित होता है। औद्योगिक व उन्नत कृषि से सम्बन्धित आर्थिक क्रिया वाले क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विकसित होते है। आर्थिक क्रिया–कलापो में संलग्न जिले की जनसंख्या को व्यवसाय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जिले में काश्तगार, मजदूर, उद्योगकर्मी, व अन्य कार्यों में संलग्न आदि रूपो में जनसंख्या आर्थिक क्रिया–कलापो में संलग्न है। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में व्यावसायिक जनसंख्या या कार्मिको का महतवपूर्ण योगदान होता है। जिले में कृषि एवं गैर कृषि में संलग्न जनसंख्या को प्राप्त व्यवसाय के अनुसार जिले की व्यावसायिक जनसंख्या को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है–

तालिका–7.7

जिला–स.मा. व्यवसाय अनुसार जनसंख्या एवं प्रतिशत (1961–2011)					
वर्ष	**कुल**	**ग्रामीण**	**नगरीय**	**पुरूष**	**महिला**
काश्तगार	313358	310257	3101	166787	146571
	54.2 %	62.3 %	3.9 %	48.5 %	62.6 %
खेतीहर मजदूर	88804	85958	2846	35931	52873
	15.4 %	17.3 %	3.6 %	40.46 %	59.54 %
पारिवारिक उद्योगकर्मी	12070	8158	3912	7058	5012
	2.1 %	1.6 %	4.9 %	2.1 %	2.1 %
अन्य कर्मी	163836	93812	70024	134026	29810
	28.3 %	18.8 %	87.7 %	39.0 %	12.7 %

1. काश्तगार–

कृषिगत व्यवसाय में स्वयं की भूमि पर कृषि करने वाले अथवा दूसरे कृषक की भूमि को पट्टे अथवा ठेके पर लेकर कृषि करने वाले कृषक को 'काश्तगार'

कहा गया है। इसमें काश्तगार कृषि सम्बन्धी सभी देखरेख, जोखिम एवं कृषि उत्पाद के क्रय–विक्रय हेतु स्वयं जिम्मेदार होता है ।

जनगणना 2011 के अनुसार जिले में कुल काश्तगारी में संलग्न जनसंख्या 54.2 प्रतिशत है, जिसमें कुल काश्तगार 313358 व्यक्ति है। इनमें पुरूष काश्तगार 166787 तथा महिला काश्तगार 146571 है। जिले में कुल काश्तगारी में संलग्न जनसंख्या में से ग्रामीण काश्तगार 62.3 प्रतिशत है, जिनकी कुल संख्या 310257 है तथा नगरीय काश्तगार केवल 3.9 प्रतिशत है, जिनकी कुल संख्या 3101 व्यक्ति है। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक कृषि भूमि होने के कारण ग्रामीण काश्तगारो का अनुपात शहरी काश्तगारो से अधिक है।

तहसील अनुसार कुल काश्तगार जनसंख्या–

जिले में सर्वाधिक काश्तगार जनसंख्या वाली तहसील सवाई माधोपुर तहसील है, जिसमें कुल काश्तगार जनसंख्या 68555 है। इनमें से दीर्घ कालिक काश्तगार 53208 तथा अल्प कालिक काश्तगार 15347 व्यक्तियों के रूप में है। इसी प्राकर न्यनतम काशतगार जनसंख्या वाली तहसील चौथ का बरवाडा तहसील है, जिसमें कुल काश्तगार 24834 है। इनमें 19574 दीर्घ कालिक व 6260 अल्प कालिक काश्तगारी में संलग्न है। सवाई माधोपुर तहसील के पश्चात् द्वितीय स्थान पर 51787 काश्तगारो के साथ गंगापुर, तृतीय स्थान पर 50871 काश्तगारो के साथ बामनवास तहसील, चतुर्थ स्थान 45567 काश्तगारो के साथ बौंली तहसील,पंचम स्थान पर 44214 काश्तगारो के साथ खण्डार तहसील एवं षष्ठम् स्थान पर 27530 काश्तगारो के साथ मलारना डूँगर तहसील आती है।

तालिका–7.8 से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सवाई माधोपुर व गंगापुर तहसील नगरीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ नगरीय काश्तगार अल्प संख्या में ही काश्तगारी में संलग्न है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Cultivaters-2011

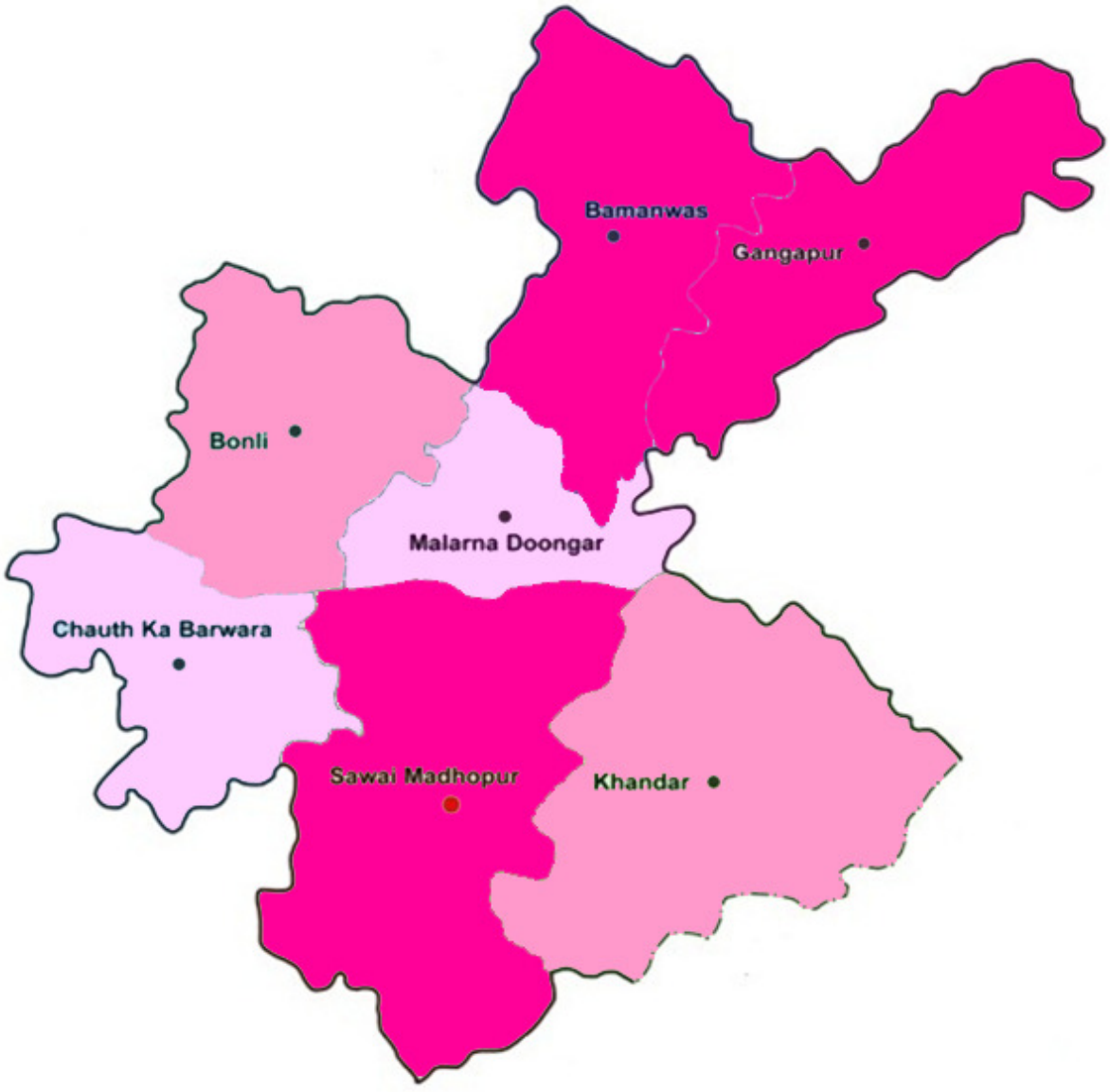

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 30000
	30000 – 49999
	50000 -- 70000

MAP-7.5

तालिका–7.8

जिला–स.मा. तहसील अनुसार काश्तगार जनसंख्या (2011)					
तहसील	कुल	दीर्घ कालिक	अल्प कालिक	पुरूष	महिला
गंगापुर सिटी	51787	37377	14410	28006	23781
बामनवास	50871	40834	10037	27363	23508
मलारना डूँगर	27530	19112	8418	15457	12073
बौंली	45567	35965	9602	30664	21903
चौथ का बरवाडा	24834	19574	5260	13567	11267
सवाई माधोपुर	68555	53208	15347	34373	34182
खण्डार	44214	37819	6395	24357	19857

2.खेतीहर मजदूर–

किसी काश्तगार के खेत पर केवल दैनिक मजदूरी प्राप्त करने हेतु कार्य करने वाले मजदूर को 'खेतीहर मजदूर' कहा गया है, जिसे केवल अपनी मजदूरी प्राप्त करनी होती है। कृषि के उत्पादन से उसका कोई सम्बंध नही होता है तथा काश्त अथवा फसल सम्बंधी कोई जोखिम नही होती है।

जिले में कुल खेतीहर मजदूर 15.4 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 88804 व्यक्तियों के रूप में है, जिनमें 35931 पुरूष श्रमिक तथा 52873 महिला श्रमिक है। इसी प्रकार ग्रामीण श्रमिक 17.3 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 85958 व्यक्तियों के रूप में है, जबकि नगरीय कृषि श्रमिक केवल 3.6 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 2846 व्यक्तियों के रूप में है। यहाँ यह तथ्य सामने आता है कि कृषि श्रमिको के रूप में कुल श्रमिकों में महिला श्रमिकों की संख्या अधिक है अर्थात् जहाँ कुल पुरूष श्रमिक 40.46 प्रतिशत है, वहीं महिला कृषि श्रमिक 59.54 प्रतिशत है।

तहसील अनुसार कुल खेतीहर मजदूर–

जिले में खेतीहर मजदूर के रूप में कार्यशील सर्वाधिक जनसंख्या 22359 खेतीहर मजदूरो के साथ गंगापुर तहसील में है, जिसमें 8000 व्यक्ति दीर्घ कालिक एवं 14359 व्यक्ति अल्प कालिक मजदूरी में संलग्न हैं। यहाँ न्यूनतम खेतीहर मजदूरो वाली तहसील 6758 व्यक्तियों के साथ चौथ का बरवाडा तहसील है,

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Agriculture Labour-2011

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than 10000
	10000 – 20000
	More than 20000

MAP-7.6

जिसमें 3296 व्यक्ति दीर्घ कालिक एवं 3462 व्यक्ति अल्पकालिक मजदूरी में संलग्न है। द्वितीय स्थान पर 15218 व्यक्तियों के साथ खण्डार तहसील, तृतीय स्थान पर 14389 खेतीहर मजदूरो के साथ बामनवास तहसील ,चतुर्थ स्थान पर 12128 खेतीहर मजदूरो के साथ सवाई माधोपुर तहसील, पंचम् स्थान 9319 व्यक्तियों के साथ बौंली तहसील तथा षष्ठम् 8633 खेतीहर मजदूरो के साथ मलारना डूँगर तहसील रही।

तालिका–7.9

जिला–स.मा. तहसील अनुसार खेतीहर मजदूर जनसंख्या (2011)					
तहसील	**कुल**	**दीर्घ कालिक**	**अल्प कालिक**	**पुरूष**	**महिला**
गंगापुर सिटी	22359	8000	14359	8408	13951
बामनवास	14389	7072	7317	6222	8167
मलारना डूँगर	8633	2669	5964	3106	5527
बौंली	9319	4500	4819	3677	5642
चौथ का बरवाडा	6758	3296	3462	2616	4142
सवाई माधोपुर	12128	5246	6882	5352	6776
खण्डार	15218	8525	6693	6550	8668

3.पारिवारिक उद्योगकर्मी–

वे व्यक्ति जो किसी पारिवारिक छोटे उद्योग में संलग्न है। इनमें भी इन श्रमिकों को मजदूरी प्राप्त होती है।

जिले में कुल पारिवारिक उद्योगकर्मी 2.1 प्रतिशत के साथ 1270 व्यक्तियों के रूप में हैं, जिनमें पुरूष कर्मी 7058 तथा महिला कार्मिक 5012 व्यक्तियों के रूप में है। इसी प्रकार ग्रामीण व नगरीय पारिवारिक उद्योग कर्मी क्रमशः 1.6 प्रतिशत तथा 4.9 प्रतिशत है। संख्यात्मक रूप से कुल ग्रामीण पारिवारिक उद्योग कर्मी 8158 तथा नगरीय पारिवारिक उद्योग कर्मी 3912 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में नगरीय पारिवारिक उद्योग कर्मी अधिक है, क्योकि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या कृषि कार्यो में अधिक संलग्न है, जबकि नगरों में जनसंख्या गैर कृषि कार्यो में अधिक संलग्न है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Total House Hold Industry workers-2011

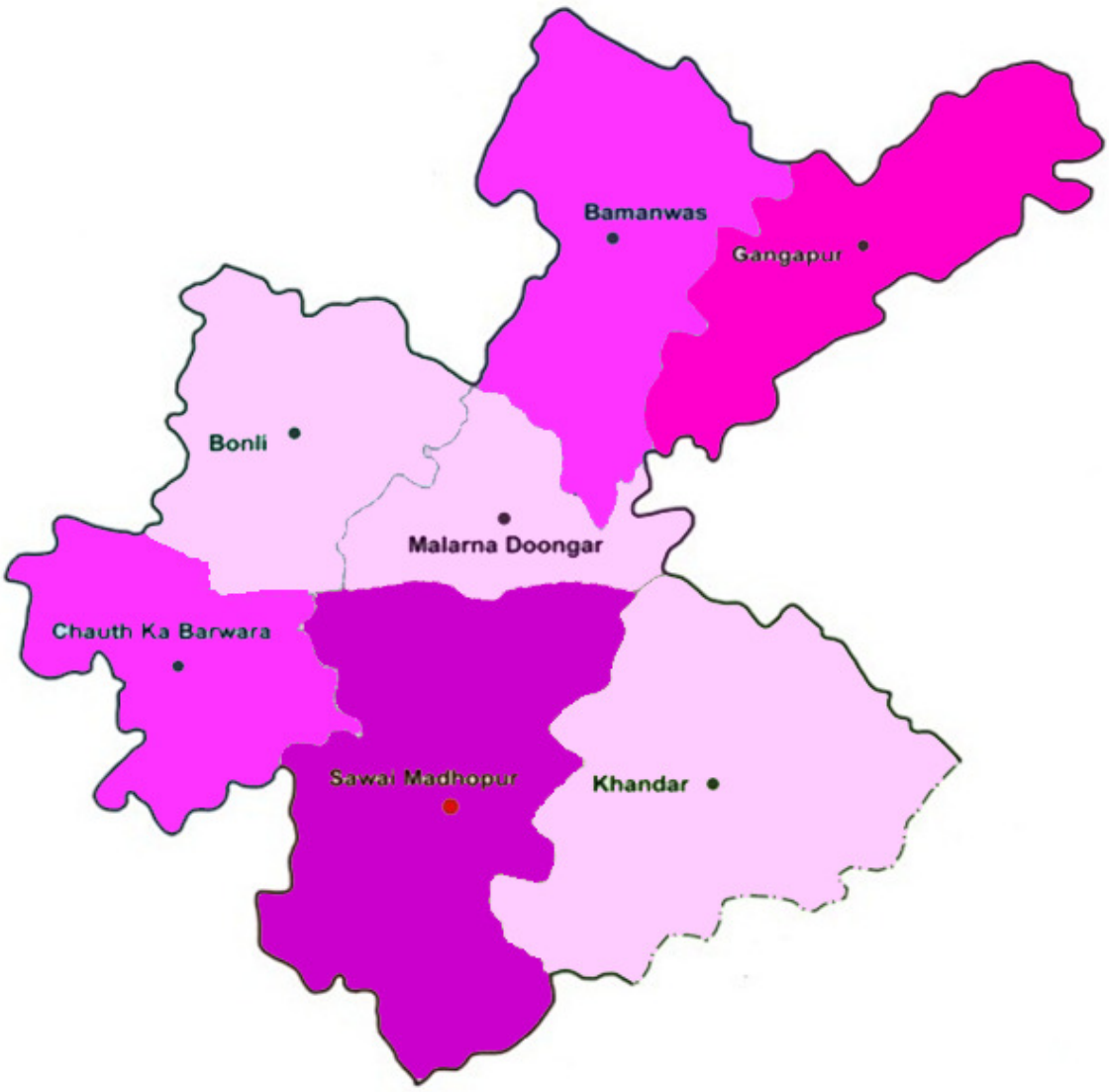

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	Less than - 1000
	1001 - 2000
	2001 - 3000
	3001 - 5000

MAP-7.7

तहसील अनुसार कुल पारिवारिक उद्योग कर्मी–

जिले में सर्वाधिक पारिवारिक उद्योग कर्मियों की संख्या वाली तहसील सवाई माधोपुर तहसील है, जिसमें कुल पारिवारिक उद्योग कर्मी 4108 व्यक्तियों के रूप में है। इनमें से 3027 दीर्घ कालिक एवं 1081 अल्प कालिक कर्मियों के रूप में है। इसी प्रकार न्यूनतम पारिवारिक उद्योग कर्मियों की संख्या मलारना डूगर तहसील में 749 व्यक्तियों के रूप में है, जिनमें से 353 व्यक्ति दीर्घ कालिक व्यवसाय व 346 व्यक्ति अल्पकालिक व्यवसाय में संलग्न है। इसके पश्चात् क्रमशः गंगापुर तहसील में 2872 व्यक्ति, बामनवास तहसील में 1367 व्यक्ति, चौथ का बरवाडा तहसील में 1157 व्यक्ति, खण्डार तहसील में 980 व्यक्ति तथा बौंली तहसील में 837 व्यक्ति पारिवारिक उद्योग कर्मियों के रूप में संलग्न है।

तालिका–7.10

जिला–स.मा. तहसील अनुसार पारिवारिक उद्योग कर्मी जनसंख्या (2011)					
तहसील	**कुल**	**दीर्घ कालिक**	**अल्प कालिक**	**पुरूष**	**महिला**
गंगापुर सिटी	2872	1523	1349	1548	1324
बामनवास	1367	858	509	848	519
मलारना डूँगर	749	353	396	415	334
बौंली	837	581	256	489	348
चौथ का बरवाडा	1157	732	425	570	587
सवाई माधोपुर	4108	3027	1081	2628	1480
खण्डार	980	557	423	560	420

4.अन्य कार्य करने वाले–

इस प्रकार के व्यवसाय में काश्तगारी, खेतीहर मजदूरी व पारिवारिक उद्योगकर्मी के अतिरिक्त अन्य कार्यो में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित है। इसके अन्तर्गत किसी अन्य उद्योग व कारखाने में कार्यरत मजदूर, किसी सेवा, व्यापार, वाणिज्य, खनन, परिवहन, निर्माण कार्य, सरकारी व गैर सरकारी सेवा में संलग्न तथा अन्य हस्तशिल्प सम्बन्धी कार्यो आदि में संलग्न व्यक्ति सम्मिलित है।

जिले में ऐसे अन्य कार्यो में संलग्न कार्मिक 28.3 प्रतिशत जनसंख्या के साथ 163836 व्यक्तियों के रूप में है। जिसमें पुरूष कर्मी 134036 तथा महिला कर्मी

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Distribution of Other Workers-2011

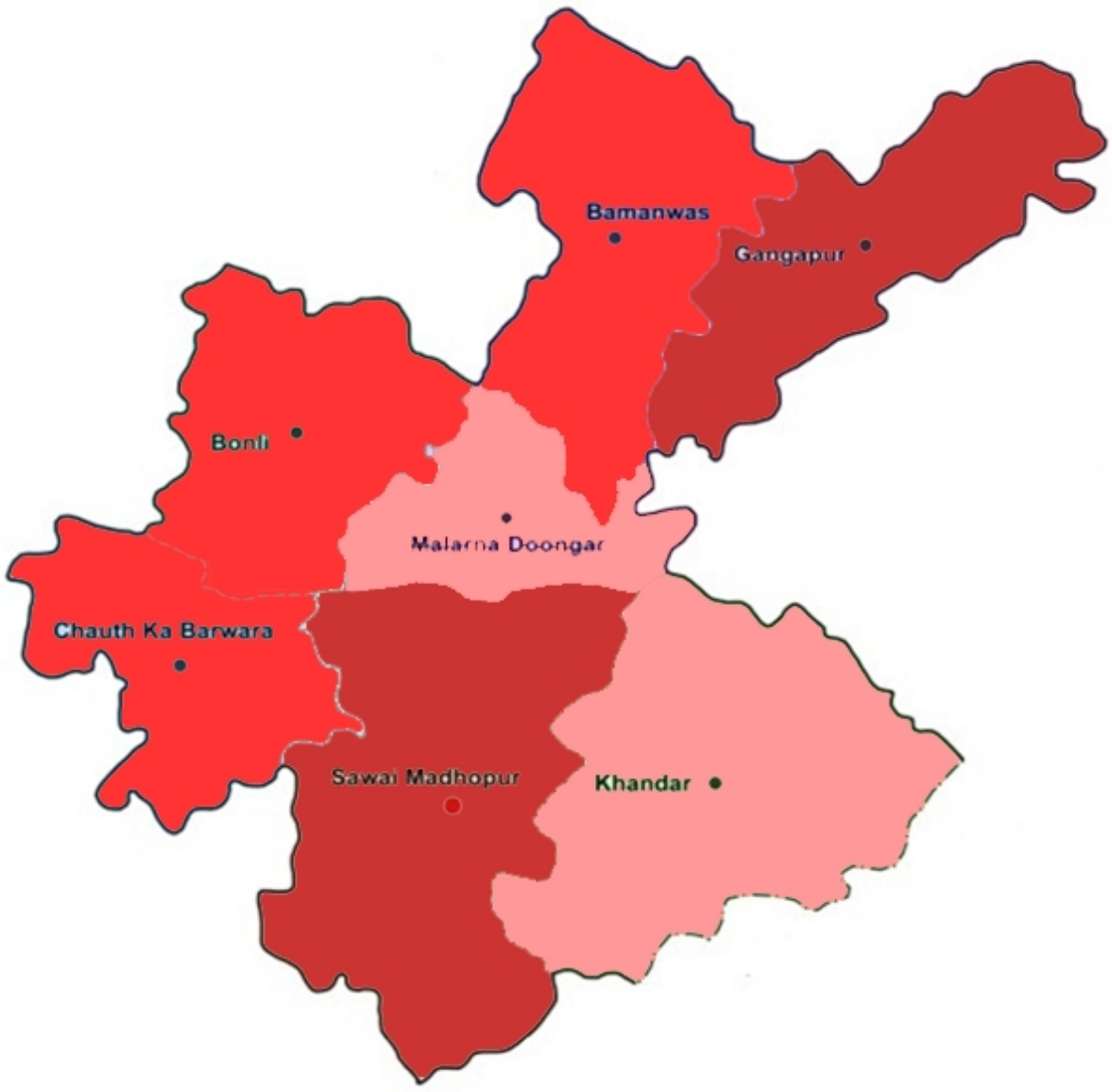

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

	Less than – 10000
	10000 – 20000
	50000 – 60000

MAP-7.8

29810 है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में अन्य कार्य करने वाली जनसंख्या 18.8 प्रतिशत के साथ 93812 है, जबकि नगरों में यह अनुपात 87.7 प्रतिशत के साथ 70024 व्यक्तियों के रूप में है। यहाँ निष्कर्ष निकलता है कि नगरीय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा काफी अधिक जनसंख्या अन्य कार्यो में संलग्न है।

तहसील अनुसार अन्य कार्मिक–

जिले में इन सभी के अतिरिक्त अन्य कार्यो में संलग्न जनसंख्या का भी एक बडा भाग है जो भिन्न–भिन्न व्यवसायों में संलग्न है। अन्य कार्य करने वाले कार्मिको की सर्वाधिक संख्या गंगापुर तहसील में 57567 व्यक्तियों के रूप में है, जिसमें 45085 दीर्घ कालिक तथा 12482 अल्प कालिक व्यवसायों में संलग्न है। इसी प्रकार अन्य कार्य करने वाले कार्मिको की न्यूनतम जनसंख्या वाली तहसील मलारना डूँगर तहसील है, जिसमें कुल अन्य कार्यो में संलग्न कार्मिक 8678 है। इसमें 6481 दीर्घकालिक व 2197 अल्प कालिक कार्यो में संलग्न है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर तहसील में 52774, बामनवास में 13298, बौंली में 12058, चौथ का बरवाडा में 10195 तथा खण्डार तहसील में 2266 कार्मिक अन्य कार्यो में संलग्न है।

तालिका–7.11

जिला–स.मा. तहसील अन्य कार्मिक जनसंख्या (2011)					
तहसील	**कुल**	**दीर्घ कालिक**	**अल्प कालिक**	**पुरूष**	**महिला**
गंगापुर सिटी	57567	45085	12482	48425	9142
बामनवास	13298	9124	4174	9858	3440
मलारना डूँगर	8678	6481	2197	7420	1258
बौंली	12058	9611	2447	7534	2524
चौथ का बरवाडा	10195	7946	2249	8151	2044
सवाई माधोपुर	52774	42960	9814	43825	8949
खण्डार	9266	6520	2746	6813	2453

यहाँ यह तथ्य स्पष्ट होता है कि जिले की नगरीय क्षेत्र वाली तहसीलों में अन्य कार्यो में संलग्न जनसंख्या का आधिक्य है।

अध्याय–8

जिले में साक्षरता एवं जनसंख्या सम्बन्धी सुविधाऐं

8.1 साक्षरता का तात्पर्य एवं वितरण–

साक्षरता किसी व्यक्ति का वह निजी गुण है जो उसके पढ़ने और लिखने की योग्यता प्रकट करता है। साक्षरता का तात्पर्य मात्र अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करना ही नही है वरन् साक्षरता मनुष्य के सोचने–विचारने व निर्णय लेने की क्षमता तथा कार्य करने की योग्यता व क्षमता में वृद्धि करती है। साक्षरता से व्यक्ति नवीन खोजों की दिशा की ओर भी उन्मुख होता है जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक प्रगति का पथ प्रशस्त होता है। साक्षरता हमारे मन–मस्तिष्क तथा समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता, धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव, निर्धनता आदि को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आज निरक्षर व अनपढ़ व्यक्ति समाज व देश की वास्तविक स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नही समझ पाता क्योंकि वह अपने परिवार और गाँव से ऊपर सोच ही नही पाता।आज के तकनीकी और मशीनरी वाले युग में निरक्षर व्यक्ति सही मायने में मजदूरी भी नही कर सकता। जो भी क्षेत्र साक्षरता की दृष्टि से उन्नत है, वे क्षेत्र सामान्यतः आर्थिक रूप से भी समृद्ध देखे जा सकते है। यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो जिन देशों में साक्षरता का स्तर उच्च है, वे आर्थिक रूप से भी सम्पन्न है तथा जहाँ साक्षरता का स्तर निम्न है, वे देश आर्थिक रूप से भी पिछड़े हुए है। साक्षरता जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास, व्यवसाय, लिंगानुपात, नगरीकरण आदि को भी प्रभावित करती है। अतः जनसंख्या अध्ययन में साक्षरता का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक हो जाता है।

साक्षरता का अर्थ–

शाब्दिक रूप से साक्षरता का अर्थ है व्यक्ति का अक्षरों के साथ होना या अक्षरयुक्त होना अर्थात् व्यक्ति को अक्षरों का ज्ञान होना। सामान्य अर्थ में साक्षर

व्यक्ति वह है जो किसी भाषा में पढ़ना और लिखना जानता हो तथा अपना हस्ताक्षर बना लेता है। परन्तु इस हेतु सर्वप्रथम अक्षरों का ज्ञान होना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या आयोग ने किसी भी भाषा में साधारण संदेश को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की योग्यता को साक्षरता निर्धारण का आधार माना है। भारतीय जनगणना ने इस परिभाषा को स्वीकार किया है और धीरे–धीरे अन्य देश भी इसे मान रहे है। साक्षरता हेतु व्यक्ति को किसी पाठशाला में जाना तथा उत्तीर्ण होना आवश्यक नही है जबकि शिक्षा प्राप्ति के अन्तर्गत पाठशाला अथवा किसी शैक्षणिक संस्थान में जाना तथा उसमे कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। इस प्रकार विद्यालय आदि जाकर कक्षाओं के स्तर उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। सामान्य रूप से शिक्षित व साक्षर दोनो व्यक्तियों के लिए साक्षरता शब्द का ही प्रयोग किया जाता है।

8.2 स.मा. जिले में साक्षरता–

राज्य सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यकमों/योजनाओं जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षा–कर्मी परियोजना, सतत् शिक्षा कार्यक्रम और सम्पूर्ण साक्षर भारत आदि के माध्यम से जिला सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है।

राज्य की भाँति ही जिले में भी साक्षरता का प्रतिशत न्यून है, परन्तु धीरे–धीरे इसमे वृद्धि हो रही है। 1961 में जहाँ जिले की कुल साक्षरता मात्र 12.68 प्रतिशत थी, वहीं वर्तमान 2011 की जनगणना अनुसार साक्षरता 65.39 प्रतिशत हो गई है। इस प्रकार 1961 की अपेक्षा वर्तमान 2011 में जिले की साक्षरता में 52.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा साक्षरता की दृष्टि से जिला राज्य में 16 वें स्थान पर है।जनगणना 2011के अनुसार जिले में कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 741748 थी, जिसमें पुरूषोंकी संख्या 486184 तथा स्त्रियों की संख्या 255564 थी। इसी प्रकार कुल ग्रामीण साक्षर व्यक्तियों की संख्या 559632 तथा कुल नगरीय साक्षर व्यक्तियों की संख्या 283956 थी।

साक्षरता में वृद्धि को निम्न आरेख से दर्शाया जा सकता है–

आरेख–8.1

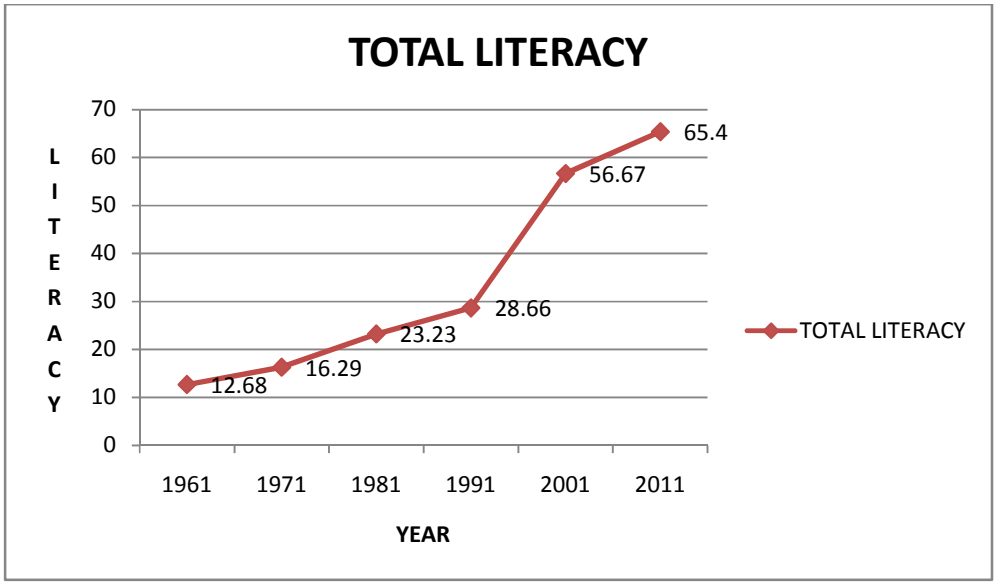

उपर्युक्त आरेख से स्पष्ट होता है कि 1961 में जिले की कुल साक्षरता 12.68 प्रतिशत थी जिसमें पुरूष साक्षरता 21.05 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता मात्र 3.05 प्रतिशत थी। यह 1971 में 16.29 प्रतिशत हो गई, जिसमें पुरूष साक्षरता 25.89 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 5.18 हो गई थी। 1981 में जिले की साक्षरता अधिक तेजी से बढ़ी जो बढ़कर कुल 23.23 प्रतिशत हो गई। इसमें पुरूष साक्षरता 36.30 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 8.16 प्रतिशत थी। इसी प्रकार 1991 में यह कुल साक्षरता के रूप में 28.66 प्रतिशत तक पहुँच गई जिसमें पुरूष व महिला साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 43.31 तथा 11.51 प्रतिशत था। इसके पश्चात् सर्वाधिक वृद्धि के साथ 2001 में जिले की साक्षरता में उछाल आया तथा यह बढ़कर कुल साक्षरता के रूप में 56.67 प्रतिशत तक हो गई जिसमें पुरूष साक्षरता 75.74 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 35.17 प्रतिशत हो गई। इस वर्ष सर्वाधिक गति से साक्षरता दर में वृद्धि हुई। इसके पश्चात् 2011 में जिले की कुल साक्षरता ने बढ़कर 65.39 प्रतिशत का आँकड़ा छू लिया है। जिसमें पुरूष साक्षरता 81.51 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 47.51 प्रतिशत दर्ज हुई है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Percentage of Total Literacy-2011

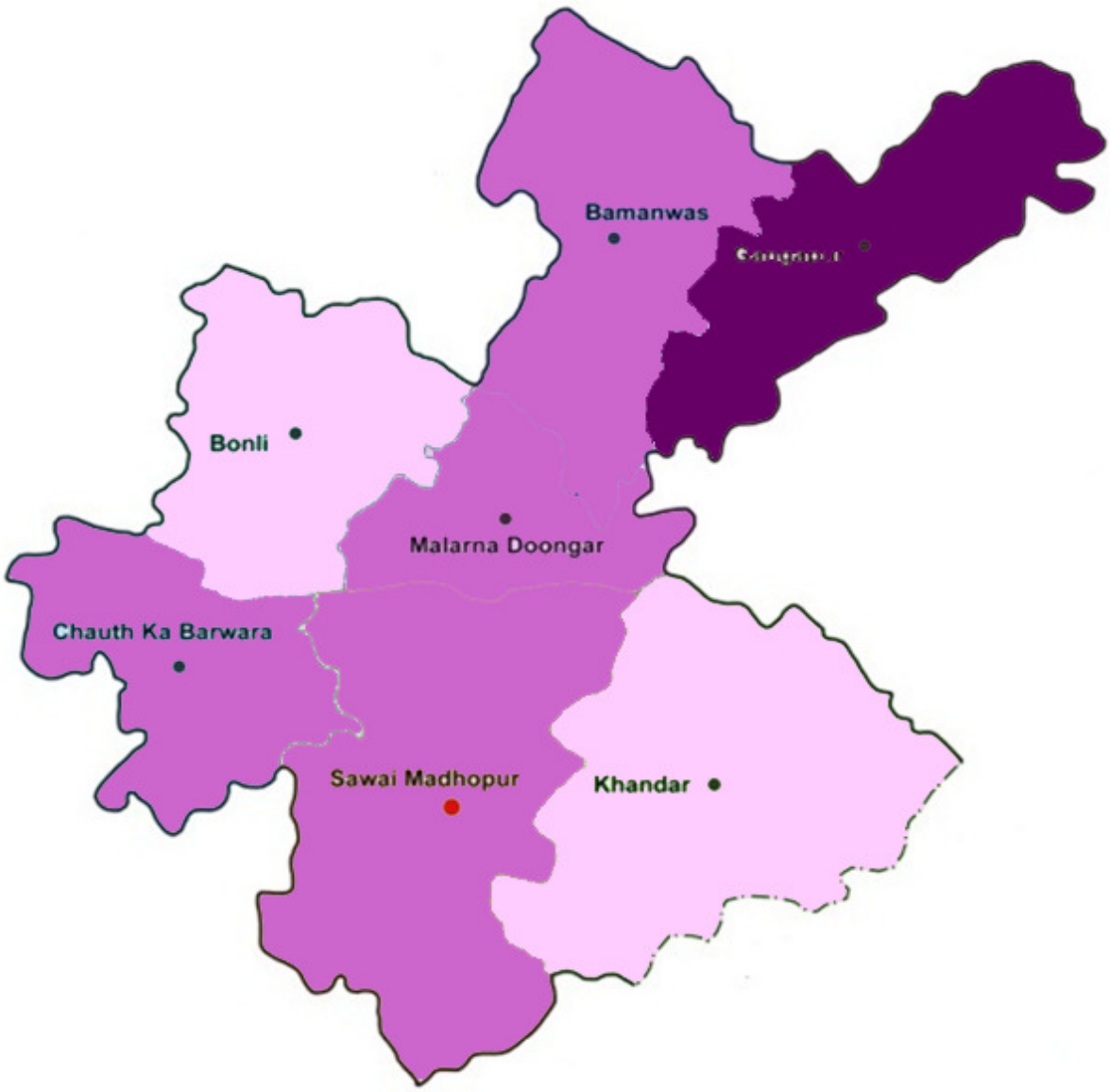

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	less than – 60 %
	60 – 70 %
	more than – 70 %

MAP-8.1

स्पष्ट है कि राज्य के अन्य जिलों व राज्यों की भाँति सवाई माधोपुर जिला भी पूर्ण साक्षरता के गौरव के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है।

(अ) जिले में ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता–

जिले की कुल साक्षरता में ग्रामीण साक्षरता की अपेक्षा नगरीय साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। नगरीय साक्षरता के अधिक होने का कारण नगरीकरण व सुविधाओं का अधिक उपलब्ध होना है, जो शिक्षा को सुगम बनाती है।

तालिका–8.1

जिला–स.मा. ग्रामीण एव नगरीय साक्षरता 1961–2011 (प्रतिशत में)				
वर्ष	**कुल साक्षरता**	**ग्रामीण साक्षरता**	**नगरीय साक्षरता**	**अन्तर**
1961	12.68	10.71	29.33	18.62
1971	16.29	13.68	35.61	21.93
1981	23.23	20.00	44.09	24.09
1991	28.66	25.23	48.32	23.09
2001	56.67	52.64	73.38	20.68
2011	65.39	61.9	79.0	17.1

1961 से 2011 तक की ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता दोनो में वृद्धि हुई है। 1961 में जिले की ग्रामीण साक्षरता 10.71 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 29.33 प्रतिशत थी जो 2011 में बढ़कर क्रमशः 61.9 प्रतिशत तथा 79.0 प्रतिशत हो गई। तालिका से स्पष्ट है कि 1961 तथा 2011 में ग्रामीण व नगरीय साक्षरता अनुपात में अन्तर लगभग समान है। जहाँ 1961 में यह अन्तर 18.62 प्रतिशत था वहीं 2011 में यह अन्तर 17.1 प्रतिशत है। 1971 से 2001 तक ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता अनुपात में यह अन्तर 1961 तथा 2011 दोनो दशकों की अपेक्षा अधिक ही रहा है, परन्तु सबसे कम अन्तर 2011 में दर्ज हुआ है। इस प्रकार आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण व नगरीय साक्षरता प्रतिशत में भी वृद्धि हो रही है तथा ग्रामीण व नगरीय साक्षरता अनुपात का अन्तर भी कम हो रहा है जो जिले की साक्षरता में एक सकारात्मक कदम है।

(ब) जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता–

जिले की कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर जिले में सामान्यतः कम है। 1961 से 2011 के मध्य के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 1961 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता जिले की कुल साक्षरता से लगभग आधी थी। परन्तु 2001 तक बढ़ती हुई यह जिले की कुल साक्षरता के लगभग समान हो गई,जो निम्न प्रकार है–

तालिका–8.2

जिला–स.मा. अनु.जाति एवं अनु.जनजाति साक्षरता 1961–2011 (प्रतिशत में)				
वर्ष	**कुल साक्षरता**	**अनु.जाति साक्षरता**	**अनु.ज.जा. साक्षरता**	**अन्तर**
1961	12.68	5.85	6.39	0.54
1971	16.29	8.32	10.38	2.06
1981	23.23	14.96	17.72	2.76
1991	28.66	20.26	24.53	4.27
2001	56.67	50.90	55.40	4.45
2011	65.39	––	––	––

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की यदि तुलना की जाए तो जिले में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर अनुसूचित जाति से अधिक है तथा यह दर 1961 से 2011 तक लगातार तुलनात्मक रूप से अधिक बनी हुई है। 1961 में अनुसूचित जाति की साक्षरता 5.85 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जनजाति की साक्षरता 6.39 प्रतिशत थी। इस वर्ष अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता में मात्र 0.54 प्रतिशत का अन्तर था जो लगातार बढ़ता हुआ 1971 में 2.06 प्रतिशत, 1981 मे 2.76 प्रतिशत, 1991 में 4. 27 प्रतिशत तथा 2001 में 4.45 प्रतिशत तक बढ़ गया।

इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि पूर्व के दशकों की अपेक्षा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता में काफी सुधार हुआ है।

जो अनवरत् जारी है तथा अनुसूचित जाति की साक्षरता अनुसूचित जनजाति की साक्षरता की अपेक्षा अभी भी पिछड़ी हुई है।

(स) जिले मे ंतहसील अनुसार साक्षरता–

जनगणना 2011 के अनुसार जिले की भिन्न–भिन्न तहसीलो में साक्षरता का प्रतिशत भी भिन्न–भिन्न दर्ज किया गया है। गंगापुर एवं सवाई माधोपुर ऐसी तहसीले है जिनमें साक्षरता का प्रतिशत जिले की कुल औसत साक्षरता अर्थात् 65.39 प्रतिशत से भी अधिक है। शेष तहसीलो में साक्षरता का प्रतिशत जिले की कुल साक्षरता से भी कम है। जिले की सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील गंगापुर तहसील तथा न्यूनतम साक्षरता वाली तहसील खण्डार तहसील है।

गंगापुर तहसील की कुल साक्षरता 71.23 प्रतिशत है जिनमें पुरूष साक्षरता 85.72 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 54.9 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर तहसील की कुल साक्षरता 67.60 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 83.79 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 50.17 प्रतिशत है, बामनवास तहसील की कुल साक्षरता 64.28 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 80.8 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 45.47 प्रतिशत है, चौथ का बरवाड़ा तहसील की कुल साक्षरता 61.73 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 79.87 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 42.14 प्रतिशत है, मलारना डूँगर तहसील की कुल साक्षरता 60.76 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 78.79 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 41.03 प्रतिशत है, बौंली तहसील की कुल साक्षरता 59.16 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 76.77 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 39.84 प्रतिशत है तथा खण्डार तहसील की कुल साक्षरता 58.49 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 74.23 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 41.62 प्रतिशत है। सवाई माधोपुर जिले की तहसील अनुसार साक्षरता को सारणी 8.3 द्वारा स्पष्ट किया गया है।

इस प्रकार सर्वाधिक पुरूष साक्षरता गंगापुर तहसील में तथा न्यूनतम पुरूष साक्षरता खण्डार तहसील में है जबकि सर्वाधिक स्त्री साक्षरता भी गंगापुर तहसील में तथा न्यूनतम स्त्री साक्षरता बौंली तहसील में दर्ज की गई है।

तालिका–8.3

तहसील अनुसार जिले की साक्षरता दर (2001–2011)							
तहसील	2001			2011			कुल दशकीय अन्तर / वृद्धि
	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	
गंगापुर	63.03	80.8	42.6	71.23	85.72	54.9	+ 8.2
सवाई माधोपुर	58.6	78.1	39.9	67.66	83.79	50.17	+ 9.06
चौथ का बरवाड़ा	51.7	72.4	28.6	61.73	79.87	42.14	+ 10.03
बामनवास	58.9	77.2	38.0	61.28	80.8	45.47	+ 2.38
मलारना डूँगर	52.5	74.1	28.7	60.76	78.79	41.03	+ 8.26
बौंली	53.2	72	32.2	59.16	76.77	39.84	+ 6.76
खण्डार	43.4	62.7	21.2	58.94	74.23	42.62	+ 15.54

आरेख–8.2

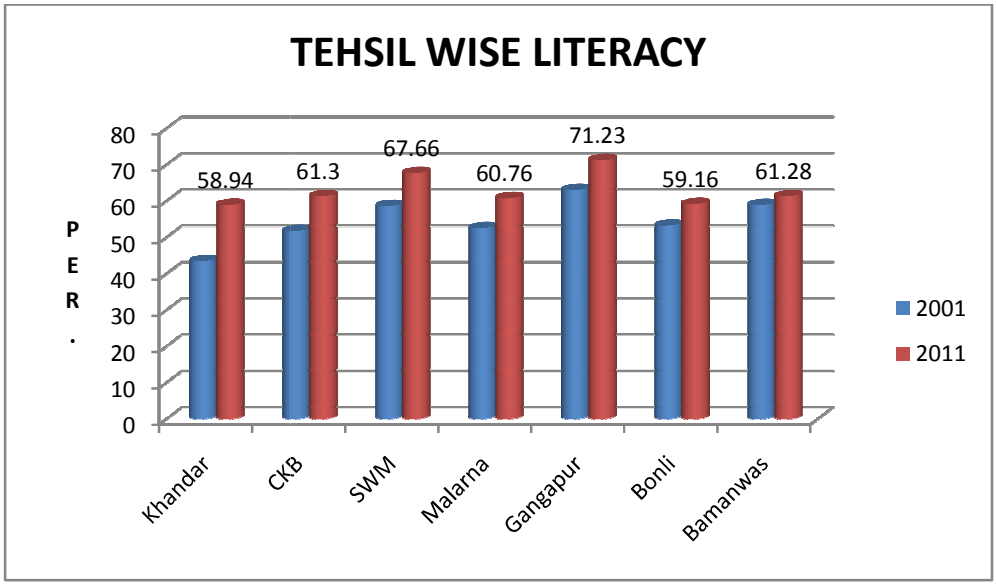

जिले की तहसीलो में सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता का अन्तर 12.29 प्रतिशत रहा है। जो जिले की तहसीलों में परस्पर साक्षरता की भिन्नता को प्रदर्शित करता है। पिछले दशकों की तुलना में जिले की तहसीलों में साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है, फिर भी महिला–पुरूष साक्षरता के अनुपात में अन्तराल अब भी अधिक है जो कम करना आवश्यक है, ताकि महिलाओं एवं

जिले का विकास तेजी से हो सके। जिले की साक्षरता में 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि को तहसील अनुसार उपर्युक्त आरेख 8.2 द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

8.3 जिले की साक्षरता दर में वृद्धि (2001–2011)–

जनगणना 2011 के अनुसार जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो राज्य की कुल साक्षरता 67.06 से कम है। जिले की यह सक्षरता पिछले दशक 2001 की तुलना में 8.72 प्रतिशत अधिक है अर्थात् 2011 में पिछले दशक की तुलना में 8.72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिले की कुल साक्षरता के साथ ही पिछले दशक की साक्षरता की तुलना में 2011 में ग्रामीण साक्षरता में 9.26 प्रतिशत की वृद्धि, नगरीय साक्षरता में 5.68 प्रतिशत की वृद्धि रही है अर्थात् ग्रामीण साक्षरता नगरीय साक्षरता की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। इस वृद्धि के फलस्वरूप 2011 में जिले की ग्रामीण साक्षरता 61.9 प्रतिशत तथा नगरीय साक्षरता 79.0 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार जिले की कुल साक्षरता में पिछले दशक की तुलना में पुरूष साक्षरता 5.77 प्रतिशत वृद्धि के साथ 81.51 प्रतिशत हो गई है तथा महिला साक्षरता 12.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 47.51 प्रतिशत हो गई है।

आरेख–8.3

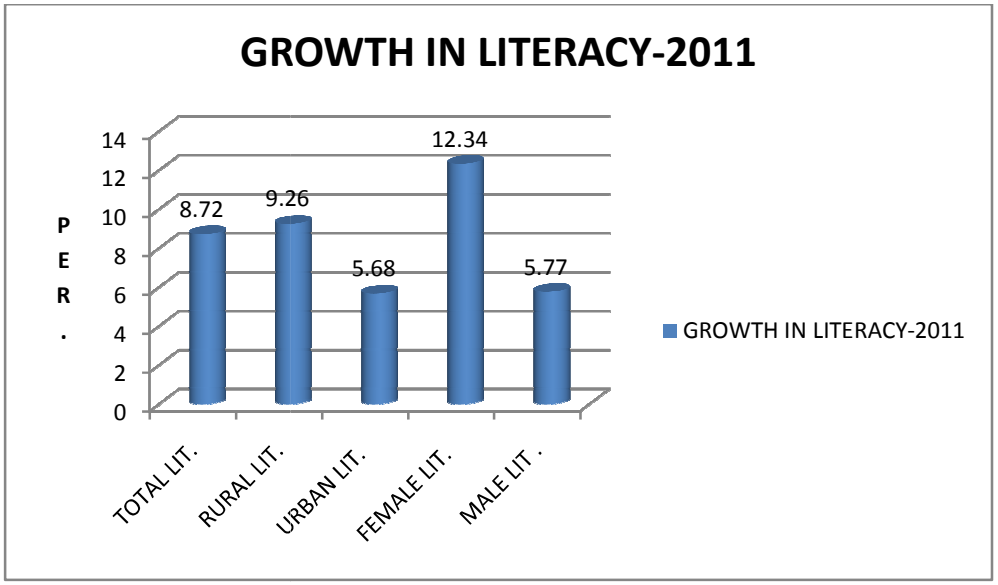

इस प्रकार ग्रामीण एवं महिला साक्षरता में तुलनात्मक अधिक वृद्धि हुई है। जो ग्रामीण–नगरीय व महिला–पुरूष साक्षरता के अनुपात को समान बनाने हेतु एक सकारात्मक कदम है। यह कदम जिले के विकास के लिए आवश्यक भी है। जिले की ग्रामीण–नगरीय व महिला–पुरूष साक्षरता के अनुपात को आरेख 8.3 व निम्न तालिका 8.4 में स्पष्ट किया गया है–

तालिका–8.4

जिला– स.मा. साक्षरता 2001–2011 (प्रतिशत में)					
वर्ष	**कुल साक्षरता**	**ग्रामीण साक्षरता**	**नगरीय साक्षरता**	**कुल महिला साक्षरता**	**कुल पुरूष साक्षरता**
2001	56.67	52.64	73.32	35.17	75.74
2011	65.39	61.9	79.0	47.51	81.51
वृद्धि	+ 8.72	+ 9.26	+ 5.68	+ 12.34	+ 5.77

8.4 जिले में शैक्षणिक संस्थान–

जिले में संचालित विभिन्न सरकारी एवं निजी शैक्षणिक संस्थान शिक्षा एवं साक्षरता के स्तर एवं दर में वृद्धि हेतु अनवरत प्रयासरत् है। जिले में विद्यालय स्तर की शिक्षा हेतु प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय जिले की प्रत्येक तहसील में सरकारी एवं निजी संस्थानों के रूप में कार्यरत है। आवासीय नवोदय विद्यालय एवं केन्द्रीय विद्यालय भी जिले में संचालित है। निजी विद्यालयों ने शिक्षा को द्वार–द्वार तक पहुँचाने में महत्ती भूमिका निभाई है।

विद्यालयी शिक्षा के पश्चात् स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री हेतु महाविद्यालय तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (बी.एड.कॉलेज) भी उच्च शिक्षा हेतु जिले में सरकारी व निजी रूप में संचालित है, परन्तु जनसंख्या के अनुपात में महाविद्यालयों की संख्या एवं उनमें संकाय पर्याप्त मात्रा में नही है।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जिला अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। जिले में आई.टी.आई. हेतु कुछ प्रशिक्षण केन्द्र तो है, परन्तु इन्जिनियरिंग व पॉलिटेक्निक

के अध्ययन हेतु मात्र एक–एक ही संस्थान है। इसी कारण तकनीकी शिक्षा हेतु जिले के हजारों छात्र जिले के बाहर अध्ययन हेतु जाते है। इसी प्रकार चिकित्सा से सम्बन्धित शिक्षा व अध्ययन हेतु भी जिले में कोई मेडिकल कॉलेज व फार्मेसी कॉलेज आदि संस्थान नही है। अतः तकनीकी, गैर तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की जिले में अत्यन्त कमी है जिससे छात्र जिले के बाहर पलायन करते है। वर्तमान में जिले में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कई छोटे–छोटे निजी संस्थान/केन्द्र संचालित है। साथ ही विभिन्न प्रतियागी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग संस्थान निजी रूप में संचालित किए जा रहे है, परन्तु उच्च कोटि के एवं सिविल सर्विसेज हेतु तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की जिले में अब भी कमी है।

अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु भी जिले में कस्तूरबा गाँधी व समाज कल्याण छात्रावास है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ प्रदान कर शिक्षा हेतु सहायता व प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

तालिका–8.5

जिला– स.मा. विद्यालय स्तर शिक्षण संस्थान						
पं.स. /नगर	**उ.मा.एवं माध्य. विद्यालय**	**उ.प्रा. विद्यालय**	**प्राथमिक विद्यालय**	**राजीव गाँधी पाठशाला**	**अन्य**	**योग**
पंचायत समिति						
स.मा.	26	118	136	30	–	310
खण्डार	19	71	98	65	–	253
बौंली	36	83	131	108	–	359
बामनवास	16	84	144	91	–	335
गंगापुर	28	89	151	52	–	320
नगर						
स.मा.	33	69	50	–	1	153
गंगापुर	34	56	43	7	1	141

तालिका–8.6

जिला– स.मा. महाविद्यालय स्तर शिक्षण संस्थान						
पं.स. /नगर	सामान्य शिक्षा महाविद्यालय	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	तकनीकी महाविद्यालय (इंजि. व प पॉलि.)	आई.टी. आई.	अन्य	योग
पंचायत समिति						
स.मा.	02	–	–	–	–	02
खण्डार	01	–	–	–	–	01
बौंली	02	01	–	03	01	07
बामनवास	01	–	–	–	–	01
गंगापुर	–	–	–	–	–	–
नगर						
स.मा.	05	04	02	11	01	23
गंगापुर	04	02	–	13	–	19

उपर्युक्त तालिकाओ से स्पष्ट है कि जिले में कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी विश्वविद्यालय नही है।

8.5 बालिका साक्षरता–

बालिका शिक्षा हेतु भी जिले में पृथक से बालिका छात्रावास व बालिका विद्यालय तथा बालिका महाविद्यालय निजी एवं सरकारी स्तर पर जिले में संचालित है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए जिले में निम्न प्रमुख योजनाए कियान्वित की जा रही है–

(1) ग्रामीण क्षेत्र में अपने पैतृक गाँव से अन्य गाँव के विद्यालयों में अध्ययन हेतु जाने वाली नवीं ओर दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को साईकिलें उपलब्ध करायी जा रही है।

(2) बालिका शिक्षा प्रोत्साहन हेतु ब्लॉक स्तर पर छठी ,सातवी और आठवी कक्षा की उच्चतम श्रेणी की 9 बालिकाओं को गत वर्ष के परिणाम के आधार पर राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. प्रदान किए गए है।

(3) गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की ऐसी बालिकाऐं जिनके माता या पिता अथवा दोनो की मृत्यु हो चुकी है। उनके लिए ''आपकी

बेटी'' योजना के तहत् आठवी कक्षा तक एवं नवी से बारहवी कक्षा तक अध्ययनरत बालिकाओं को क्रमशः 1100 व 1500 रू. की छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जा रही है।

(4) बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है जिसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10 वीं व 12 वीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को शामिल किया जाता है।

8.6 साक्षरता निर्धारक घटक–

सवाई माधोपुर जिले की साक्षरता को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले घटकों अथवा कारकों में प्रमुख रूप से सामाजिक व आर्थिक कारक है। जिले की साक्षरता को उच्च नही होने के कारणो में ये कारक जिले की साक्षरता को अधिक प्रभावित करते है तथा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है, जिन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है–

1.जिले का आर्थिक विकास–

जिले में उद्योग–धन्धों व रोजगार के अधिक साधन न हो पाने से आर्थिक विकास पर्याप्त नही हो पाया है। आर्थिक विकास की कमी से यहाँ साक्षरता का स्तर उच्च नही है। हम जानते हैं कि जिन क्षेत्रों में उच्च आर्थिक विकास का स्तर पाया जाता है, वहाँ साक्षरता का स्तर भी उच्च होता है। अतः कमजोर आर्थिक स्तर भी साक्षरता दर में कमी का एक प्रमुख कारण है।

2.शिक्षा की लागत–

वर्तमान के महँगाई वाले समय में शिक्षा लागत में भी बढ़ोत्तरी हुई है अर्थात् शिक्षा महँगी हुई है जिससे जिले के लोगो की शिक्षा तक पहुँच अभी भी अधिक नही हो पायी है। जिले के धनी व समृद्ध व्यक्तियों पर तो शिक्षा की लागत का अधिक प्रभाव नही पड़ता, परन्तु निर्धन व्यक्तियों तथा परिवारों को शिक्षाकीलागत अधिक प्रभावित करती है। दो वक्त का भोजन भी मुश्किल से जुटाने वाला परिवार अपने बच्चों को शैक्षिक संस्था तक नही भेज पाता जिससे निर्धन बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते है।

3.जीवन–स्तर–

जिले में सभी तबके के लोग निवास करते है जिनमें गरीबी रेखा से निचले तबके के लोग भी है, मध्यम परिवार के लोग भी है तथा उच्च स्तरीय जीवन यापन करने वाले उच्च श्रेणी के लोग भी है। सामान्यतः मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय परिवार जो आर्थिक रूप से भी अपने बच्चों को शिक्षा देने हेतु सक्षम रहते है, वे अपने बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता से लेते है तथा बच्चों को विद्यालय भेजना सर्वोपरी व अनिवार्य मानते है। अतः मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय परिवारो में साक्षरता दर उच्च पायी जाती है। इसके विपरित कमजोर आर्थिक स्थिति वाले गरीब तबके के लोग अपनी सोच को बच्चों की शिक्षा तक नही जोड़ पाते।वे खराब आर्थिक स्थिति के कारण धनार्जन हेतु छोटे बच्चों को ही विद्यालय की अपेक्षा काम–धन्धों अथवा मजदूरी के लिए भेज देते है। जिससे बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते है तथा निरक्षर रह जाते है। जिले के बाजार में दुकानो, मोटर गैराजो ,होटलो तथा चाय की थड़ियों इत्यादि पर ऐसे बालमजदूर देखे जा सकते है। स्पष्ट है कि उच्च जीवन स्तर वाले परिवारों में साक्षरता की दर उच्च तथा निम्न जीवन स्तर वाले परिवारो में साक्षरता दर अत्यल्प पायी जाती है।

4.अर्थव्यवस्था का प्रकार–

जिले में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के रूप में निवास करती है। जो कृषि कार्य में संलग्न है। यद्यपि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है फिर भी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य हेतु अशिक्षित व्यक्ति भी योग्य होते है। कृषि हेतु शिक्षा की सामान्यतः आवश्यकता नही होती है अतः कृषक वर्ग अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय कृषि कार्य सिखाते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता कम थी, परन्तु अब स्थिति बदल गई है। कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के अतिरिक्त नगरों आदि में गैर कृषि कार्यो जैसे द्वितीयक, तृतीयक व्यवसायों आदि हेतु शिक्षा की आवश्यकता होती है तथा ग्रामीण क्षेत्र की भाँति नगरों में अनपढ़ रहने पर भी कृषि कर जीवन–यापन करने का विकल्प नही होता है अतः जिले की नगरीय जनसंख्या

शिक्षित कोई ना कोई रोजगार प्राप्त करना चाहती है। यही कारण है कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की तुलना में गैर कृषि अथवा नगरीय अर्थव्यवस्था साक्षरता को अधिक प्रोत्साहित करती है।

5.यातायात व साक्षरता माध्यमों का विकास–

सवाई माधोपुर जिले में आज भी कई छोटे–छोटे गाँव एवं ढाणियाँ ऐसे है जो सही रूप में सड़क–मार्ग तथा तहसील व जिला मुख्यालय से सम्बद्ध नही है तथा मुख्य ग्राम या कस्बें तक पहुँचने के लिए यातायात का कोई साधन नही है। इन छोटे–छोटे जनसंख्या समूहो में शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालय भी अधिक दूरी पर है। जहाँ अभिभावक दूरी एवं सुरक्षा की दृष्टि से छोटे बालकों को भेजने से कतराते है। इन सभी असुविधाओं के कारण शिक्षा की प्रतिशतता कम हो जाती हैं तथा जिले की जनसंख्या अनपढ़ रह जाती है। अतः शैक्षिक संस्थाओं तथा यातायात की कमी से भी साक्षरता दर कम रहती है।इसी प्रकार अधिक दूरी व यातायात के साधनों की कमी के कारण प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर से अधिक की पढ़ाई बच्चे नही कर पाते है।

6.शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण–

जिले में शिक्षा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण धीरे–धीरे बदल रहा है। लोग शिक्षा के प्रति जागरूक होने लगे है। फिर भी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरों में भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग बच्चों को अधिक पढ़ाना नही चाहते तथा बालिकाओं को तो उच्च माध्यमिक स्तर की पढाई के बाद पढ़ाई बन्द करवाकर विवाह कर देना सही समझते है। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पुरानी परम्पराऐं आदि शिक्षा में बाधक बनती है, परन्तु अब जागरूकता लगातार बढ़ रही है जिससे अधिकतर परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की मानसिकता रखते है फिर भी बालिकाओं को पराया–धन मानकर बालकों की अपेक्षा कम पढ़ाते है। बालिकाओं को पढ़ाने की अपेक्षा घरेलू कार्यो में संलग्न रखते है तथा उनकी शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है। यही कारण है कि जिला में पुरूषों की अपेक्षा स्त्रियों की साक्षरता कम पायी जाती है।

7.धार्मिक स्थिति–

जिले की जनसंख्या में हिन्दू एवं मुस्लिम समाज के लोगों का बाहुल्य है। शेष धर्म के लोगों की जनसंख्या कम है। इन दोनों धर्मों के लोगों में भी तुलनात्मक रूप से मुस्लिम समाज के लोग अपने धर्म के प्रति अधिक कट्टर होते है। प्रत्येक मुस्लिम को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना अनिवार्य माना जाता है, परन्तु नमाज पढ़ने में किसी पुस्तक को पढकर नमाज नही पढ़ी जाती, बल्कि मौखिक रूप से पढी जाती है। जिसके लिए साक्षर होना आवश्यक नही होता है। अनपढ व्यक्ति भी नमाज पढ़ सकता है। जबकि हिन्दू, सिक्ख, ईसाई समाज में विभिन्न धार्मिक पुस्तकें पढ़कर पूजा की जाती है जिसके लिए साक्षरता आवश्यक है। अतः जिले में मुस्लिम समाज के लोगों में इस कारण से भी तुलनात्मक रूप से साक्षरता कम पायी जाती है। मुस्लिम समाज के लोग बच्चों को विद्यालय भेजने के बजाय काम पर भेज देते है। जिले में ड्राईवर, मैकेनिक, वेल्डर आदि अधिकांश कार्यों में मुस्लिम समाज के लोग संलग्न है जो लगभग अशिक्षित है।

8.विभिन्न सरकारी नीतियाँ–

स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार द्वारा चलाई गई शिक्षा हेतु प्रोत्साहन की नीतियों से शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बालकों की प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क करने तथा प्रोढ़ो को साक्षर बनाने जैसे कार्यक्रमों से साक्षरता बढ़ी है, परन्तु अभी जिले में ऐसे प्रोत्साहन व जागरूकता जैसे कार्यक्रमो की महती आवश्यकता है। ताकि शिक्षा के स्तर को 100 प्रतिशत तक पाया जा सके।

9.नगरीकरण–

जिले के नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में साक्षरता अधिक पायी जाती है। जिसका मुख्य कारण नगरों में द्वितीयक, तृतीयक व अन्य गैर कृषि व्यवसायों हेतु शिक्षा की अनिवार्यता है। जबकि कृषि कार्य हेतु शिक्षा अधिक आवश्यक नही है। नगरों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा विद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान आसानी से व सुगमता से उपलब्ध हो जाते है। यातायात व्यवस्था भी

पर्याप्त होती है। जबकि गाँवों में स्थिति इन सबके विपरित पायी जाती है अतः नगरीकरण साक्षरता को धनात्मक रूप से प्रभावित करता है।

8.7 जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ–

भारतीय शास्त्रों में 'पहला सुख निरोगी काया' माना गया है। कहते भी है कि एक स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अतः विश्व स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, विकसित देश, वैज्ञानिक एवं चिकित्सक मानव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए योगदान देने हेतु नियमित रूप से प्रयास एवं शोध कार्यों में संलग्न है। जिले में भी नागरिकों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए सामुदायिक सवास्थ्य केन्द्रों तथा चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है।

आजादी के पूर्व जिले में चिकित्सा सुविधा की अत्यंत कमी थी। पहले स्वास्थ्य साधनों के अभाव में भी समय पर चिकित्सा उपलब्ध नही हो पाती थी परन्तु वर्तमान में जिले में जटिल शल्य चिकित्सा को छोड़कर कई प्रकार की शल्य चिकित्सा एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। जिले में सरकारी चिकित्सालयो एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त दो दर्जन से भी अधिक निजी एवं गैर सरकारी चिकित्सालय जिले के नागरिको एवं मानव की सेवा में संलग्न है। जहाँ महिला चिकित्सक भी महिलाओं सम्बन्धित रोगों की चिकित्सा दे रही है। बाल रोग, महिला रोग, प्रसव आदि की विशेष सुविधा भी जिले के नागरिको कोप्रदान की जा रही है। चिकित्सा सुविधा के कारण ही जिले में जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है तथा मृत्युदर में कमी हुई है। सवाई माधोपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्रो में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है जिनमें वृद्धि एवं सुधार अत्यंत आवश्यक है।

ऐलोपैथिक चिकित्सा हेतु जिले में 2007–2008 के आँकड़ों के अनुसार दो बड़े चिकित्सालय जिला मुख्यालय पर, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 229 मिनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र एवं एक टी.बी. अस्पताल संचालित है। इनके अतिरिक्त जिले में छोटे–बड़े दो दर्जन से अधिक निजी चिकित्सालय भी संचालित है।

पंचायत समिति स्तर पर जिले की खण्डार पंचायत समिति में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 44 मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र सवाई माधोपुर पंचायत समिति में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 65 मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र, बौलीं पंचायत समिति में 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 45 मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र, बामनवास पंचायत समिति में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 34 मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र तथा गंगापुर पंचायत समिति में 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 41 मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र संचालित है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में गंगापुर नगर में 1 बड़ा चिकित्सालयतथा सवाई माधोपुरनगर में 1 बड़ा चिकित्सालय व एक टी.बी. अस्पताल संचालित है, जो जिले के नागरिको को ऐलोपैथी चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रहे है।

तालिका–8.7

जिला–स.मा. चिकित्सा संस्थाएँ (ऐलोपैथी)						
पं.स. /नगर	**चिकित्सालय**	**प्रा.स्वा. केन्द्र एवं सामु.स्वा. केन्द्र**	**मातृत्व एवं शिशु कल्याण केन्द्र**	**मिनि प्रा. स्वा.केन्द्र एडपोस्ट उपकेन्द्र**	**टी.बी. अस्पताल**	**योग**
पंचायत समिति						
खण्डार	––	5	––	44	––	49
स.मा.	––	6	––	65	––	71
बौंली	––	6	––	45	––	51
बामनवास	––	5	––	34	––	39
गंगापुर	––	5	––	41	––	46
नगर						
गंगापुर	1	––	––	––	––	1
स.मा.	1	––	––	––	1	2

स्रोत–जिला सांख्यिकी रूपरेखा स.मा.

तालिका–8.8

जिला–स.मा. चिकित्सा संस्थाए (आयुर्वेद,युनानी एवं होम्योपैथी) 2007–08							
	पंचायत समिति					नगर	
चिकित्सालय	स.मा.	खण्डार	बौंली	गंगापुर	बामनवास	स.मा.	गंगापुर
	–	–	–	–	–	1	1
औषधालय	22	16	18	19	12	3	1

स्रोत–जिला सांख्यिकी रूपरेखा स.मा.

जिले में ऐलोपैथी चिकित्सा के अतिरिक्त आयुर्वेद, युनानी एवं होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। जिले में 2007–2008 के आँकड़ों के अनुसार ऐसे 12 शैय्याओ सहित 2 चिकित्सालय तथा 91 औषधालय संचालित है। पंचायत समिति स्तर पर सवाई माधोपुर पंचायत समिति में 22 औषधालय, खण्डार पंचायत समिति में 16 औषधालय, बौंली पंचायत समिति में 18 औषधालय, गंगापुर पंचायत समिति में 19 औषधालय तथा बामनवास पंचायत समिति में 12 औषधालय है। नगरीय क्षेत्र में सवाई माधोपुर नगर में 7 शैय्याओ वाला एक चिकित्सालय एवं 3 औषधालय है तथा गंगापुर नगर में 5 शैय्याओ वाला एक चिकित्सालय है। ऐलोपैथी चिकित्सा पद्धति की भाँति ही जिले में कई छोटे–छोटे गैर ऐलोपैथी चिकित्सा केन्द्र निजी रूप से भी चिकित्सा सेवाएँ दे रहे है। इन सभी चिकित्सा सेवाओं के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर से नगरीय स्तर तक कई झोलाछाप, नीम–हकीम, अयोग्य एवं अप्रशिक्षित कथित 'डॉक्टर' भी अनाधिकृत रूप से इलाज के नाम पर लोगो को ठग रहे है तथा उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे है ऐसे 'सड़क–छाप डॉक्टर' जानकारी व प्रशिक्षण के अभाव में तथा जल्द फायदे का चमत्कार दिखाने के चक्कर में लोगो को हानिकारक दवाओं की हाई डोज देने से भी नही चूकते जिसे कई बार लोग काल के ग्रास बन जाते है। अतः ऐसे झोला–छापो पर कार्यवाई आवश्यक है।

जिले के नागरिको को स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सरकार की ओर से अनेक सहायता व योजनाएँ चलायी जा रही है। जिनमें प्रमुख रूप से मुख्यमन्त्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमन्त्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा

कोष, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, परिवार कल्याण योजना, टीकाकरण, धन्वन्तरी एम्बुलेन्स योजना, प्रसव के समय 5 लीटर देशी घी योजना, संस्थागत प्रसव एवं जननी सुरक्षा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, आशा सहयोगनी, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति आदि योजनाएँ एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है। जिससे जिले के गरीब वर्ग ,शिशु वर्ग व महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।

8.8 जिले में विद्युत सुविधा–

आज के तकनीकी एवं सुख–सुविधा व विलासिता मय जीवन शैली वाले युग में विद्युत शक्ति मूलभूत आवश्यकता बन गई है। परिवार से लेकर उद्योगों व विभिन्न संस्थानो में आज विद्युत शक्ति अत्यंत आवश्यक है। कम्प्यूटर तकनीकी वाले आज के समय में विद्युत शक्ति के बिना जीवन ठहर सा जाता है। परिवहन, बाजार, उद्योग विभिन्न सेवाऐं विद्युत के बिना संभव नही है।

सवाई माधोपुर जिले में विद्युत शक्ति के उत्पादन हेतु कोई विद्युत गृह नही है। अतः जिले के बाहर से विद्युत शक्ति आयात कर प्राप्त की जाती है। विद्युत शक्ति के कारण ही जिले में घरेलू कार्यों, राजमार्गों, सड़कों, परिवहन, रेलवे, डाक व दूरसंचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों मे प्रगति हुई है। सवाई माधोपुर जिले को विद्युत सुविधा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कम्पनी द्वारा उपलब्ध हो रही है।

जिले में गाँवो एवं नगरों का विद्युतीकरण–

सवाई माधोपुर जिले में द्वितीय योजना काल तक जिले के गाँवो का विद्युतीकरण नही हो पाया था। इस समय तक केवल जिले के 6 नगरीय क्षेत्रों में ही विद्युतीकरण हुआ था। इसके पश्चात् तृतीय योजना काल में 16 गाँव, वार्षिक योजना काल (1966–1969) में 40 गाँव, चतुर्थ योजना काल में 147 गाँव तथा पाँचवी योजना काल में 195 गाँवो का विद्युतीकरण किया गया इस प्रकार पाँचवी योजना काल तक जिले के 398 गाँवो को विद्युत सुविधा से जोडा जा चुका था। इसके पश्चात् वार्षिक योजना काल (1979–1980) में 71 गाँवो में, छठी योजना काल में 594 गाँवो में, सातवीं योजना काल में 158 गाँवो को,

वार्षिक योजना काल (1990–1992) में 33 गाँवो को तथा आठवीं योजना काल में 89 गाँवो को विद्युत सुविधा से जोड़ा गया। नवीं योजना काल एवं 2004 तक कुल 1359 गाँव एवं 6 नगरीय क्षेत्र विद्युत सुविधा से जुड़ चुके थे। इन सभी में करौली जिला भी सम्मिलित है। जिले में 2007–2008 के आँकडो के अनुसार घरेलु उपभोक्ता 57642, व्यावसायिक उपभोक्ता 7897, औद्योगिक उपभोक्ता 1108, सार्वजनिक प्रकाश 45, सार्वजनिक जलप्रदाय 432, कृषि उपभोक्ता (सिंचाई) 10457 एवं 266 अन्य उपभोक्ता सहित कुल 77847 उपभोक्ता विद्युत सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले थे। यद्यपि जिले रहे गाँवो में एवं परिवारो को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का कार्य नियमित रूप से चलता रहता है फिर भी जिले के कई छोटे गाँव ढाणियाँ सही तरीके से विद्युत सुविधा से नही जुड पाई है तथा विद्युत सुविधा से जुडे अधिकांश क्षेत्रो में विद्युत की कटौती अधिक होती है जिससे सिंचाई हेतु भी पर्याप्त बिजली प्राप्त नही हो पाती है, जिसका निराकरण अत्यंत आवश्यक है।

तालिका–8.9

जिले में विद्युत उपयोग–(2007–2008) मी.कि.वाट		
1	घरेलु एवं आवासीय उपभोग	48.251मी .कि.वाट
2	व्यावसायिक उपभोग	12.319मी .कि.वाट
3	औद्योगिक उपभोग (1)कम एवं मध्यम वोल्टेज (2)उच्च एवं अधिक वोल्टेज	 79.436 मी .कि.वाट .0.981 मी .कि.वाट
4	सार्वजनिक प्रकाश	0.986 मी .कि.वाट
5	सार्वजनिक जलप्रदाय	11.138 मी .कि.वाट
6	सिंचाई	69.071 मी .कि.वाट
7	अन्य	85.181 मी .कि.वाट
योग		**237.363 मी .कि.वाट**

स्रोत–कार्यालय अधीक्षण अभियंता,जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.,स.मा.

इस प्रकार जिले में 2007–2008 के आँकडे के अनुसार 237.363 मि.कि. वाट विद्युत का उपयोग हुआ है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि एक

तरफ जिले को पूर्णतः विद्युतीकरण कर कटौती को कम किया जाना चाहिए वहीं दूसरी तरफ बिजली छीजत व दुरूपयोग को रोककर विद्युत ऊर्जा की बचत, सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही विद्युत चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, जिसमें आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि जिला अधिक तेजी से प्रगति कर सके।

8.9 विभिन्न जन–कल्याणकारी विकास की योजनाऐं–

राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जिले में कई जनकल्याणकारी योजनाऐं चलाई जा रही है जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार व मानव विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु आवश्यक है।

1.नगर नियोजन–

केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय शहरी सूचना तन्त्र (एन.यू.आई.एस.) के अर्न्तगत राज्य के 6 नगरो को सम्मिलित किया गया है जिसमें सवाई माधोपुर भी है इसके लिए जिले में भी जी.आई.एस. आधारित नक्शे तैयार किए जा रहे है।

2.विरासत संरक्षण एवं विकास योजना–

राज्य सरकार की ओर से जिले में विरासत संरक्षण एवं विकास हेतु विरासत एवं पर्यटन महत्व के क्षेत्रो में कार्य किए जा रहे है इसके अर्न्तगत सम्पर्क सड़क, विभाजन, सूचक पट्ट, पार्किंग स्थल व अन्य विरासत महत्व के विकास कार्य किए जा रहे है।

3.शहरी जन सहभागी योजना–

इस योजना में जन जागरूकता एवं विकास कार्य सम्मिलित है। इसके अर्न्तगत शिविरों, सेमिनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन कर शहर के वार्डों के सौन्दर्यीकरण, स्वच्छता, जन स्वास्थ्य, टीकाकरण, द्वार–द्वार कचरा एकत्रीकरण, वृक्षारोपण एवं पौधों के रख–रखाव द्वारा पर्यावरण सुधार तथा वार्ड के विकास के लिए योजना निर्माण आदि के द्वारा सामान्य जन जागरूकता लाई गई है। गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध नागरिकों, मौहल्ला समितियों और वार्ड सदस्यों को इस उद्देश्य पूर्ति हेतु इसमें शामिल किया गया है।

4.स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना –

इस योजना के अर्न्तगत जिले के शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त बेरोजगारों को स्वरोजगार उद्यम अथवा मजदूरी आधारित रोजगार उपलब्ध कराने हेतु योजना आरम्भ की गई है।

5.एकीकृत आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम –

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिले के शहरी क्षेत्रों की चयनित कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवारों को आवास एवं आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत् गृह निर्माण के अतिरिक्त सड़क, नालियाँ, सीवरेज प्रणाली, सेप्टिक टैंक, रोड़ लाईट व पेयजल सहित आधारभूत विकास की अन्य योजनाऐं सम्मिलित है जिससे जिले के कच्ची बस्ती के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग निश्चय ही लाभान्वित होगें।

6.राजीव गाँधी आवासीय योजना–

इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य शहरो में निवास करने वाली कच्ची बस्ती के लोगों को आवास उपलब्ध कराना हैं। इस योजना के तहत् कच्ची बस्ती से शहरों को मुक्त करने एवं इनके विस्तार को रोकना सम्मिलित है। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही सम्पूर्ण राज्य सहित जिले को भी इसका लाभ मिलेगा।

7.सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन–कल्याणकारी योजना–

समाज के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उत्थान के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जिले में भी विशेष योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है जैसे अनुप्रीति योजना, महिला छात्रावास, विभिन्न छात्रवृत्तियाँ, विश्वास योजना, पालनहार योजना, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वयंसिद्धा योजना, सहयोग योजना, नशा मुक्ति योजना, आस्था योजना, चिरायु योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, देवनारायण योजना आदि योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु प्रयास किए जा रहे है।

8.महिला एवं बाल विकास हेतु जन–कल्याणकारी योजनाएँ–

महिला एवं बाल विकास हेतु जिले में कई योजनाऐं एवं कार्यक्रम संचालित है। जिनमे समेकित बाल विकास सेवाऐं, महिला सशक्तिकरण, महिला विकास कार्यक्रम, सामुहिक विवाह हेतु अनुदान, स्वयं सहायता समूह, सुरक्षित मातृत्व, कलेवा योजना, घरेलु हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र, अमृता सोसायटी, स्वावलम्बन आदि योजनाऐं है।

9.जिले के ग्रामीण विकास हेतु जन–कल्याणकारी योजनाऐं–

जिले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनेक योजनाऐं संचालित की जा रही है जिसका प्रमुख उद्देश्य गरीबी दूर कर न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि करना, अर्द्ध बेरोजगारी/अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त करना, सरकारी योजनाओं व सेवाओं तक गरीबों की पहुँच बढ़ाना एवं ग्रामीण क्षेत्रो में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। जिनमे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण बी.पी.एल़ आवास योजना, साखमय अनुदान योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष आदि सम्मिलित है।

इनके अतिरिक्त जिले में बीससूत्री कार्यक्रम तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, पर्यटन, पर्यावरण आदि के विकास हेतु कई योजनाऐं एवं कार्यक्रम संचालित है।

अध्याय–9

जिले के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन

जिले की सभी तहसीलों से रेण्डम पद्धति द्वारा चयन करके प्रत्येक तहसील से दो–दो ग्राम अध्ययन हेतु इस अध्याय में चयनित किये गये है तथा प्रत्येक ग्राम का गहन अध्ययन व अवलोकन करके जनसंख्या सम्बन्धित विविध पक्षों का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तहसील अनुसार रेण्डम पद्धति द्वारा चयनित गाँव निम्न प्रकार है–

जिला स.मा.–रेण्डम पद्धति से चयनित ग्राम			
तहसील		ग्राम	
1	**चौथ का बरवाडा**	1–टापुर	2–गर्डवास
2	**बामनवास**	1–बाढ पनियाला	2–रिवाली
3	**सवाई माधोपुर**	1–सूरवाल	2–कुश्तला
4	**गंगापुर सिटी**	1–अमरगढ	2–छान
5	**बौंली**	1–खिरखडी	2–मित्रपुरा
6	**मलारना डूँगर**	1–बाढ बरियारा	2–मानोली
7	**खण्डार**	1–डाबिच	2–दौलतपुरा

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Sample Villages of Tehsils

SCALE

KM 10 5 0 10 20 30 40 50 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
	TEHSIL HEAD QUARTER
	DISTRICT HEADQUARTER

9.1 तहसील–चौथ का बरवाड़ा

(1) ग्राम–टापुर

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 49 कि.मी. दूरी पर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील मुख्यालय के उत्तर में अवस्थित है। टापुर के उत्तर पश्चिम में महापुरा, दक्षिण पूर्व में झोंपडा, दक्षिण में ऐंचेर, पश्चिम में शिवाड़ स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.208386 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76. 103456 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

चौथ का बरवाड़ा तहसील के टापुर गाँव में 292 परिवार सहित कुल जनसंख्या 1537 है,जिसमें पुरूष जनसंख्या 788 तथा महिला जनसंख्या 749 है। शिशु वर्ग (0–6) कुल जनसंख्या का 14.38 प्रतिशत भाग है, जिसकी कुल जनसंख्या 221 है, जिसमें पुरूष शिशु 109तथा महिला शिशु 112 है। गाँव में शिशुओं की जनसंख्या में महिला शिशु की संख्या पुरूष शिशुओ से अधिक है।

टापुर गाँव का जनघनत्व 137 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

टापुर गाँव का कुल लिंगानुपात 951 है, जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से अधिक है। इसी प्रकार गाँव का शिशु लिंगानुपात 1028 है, जो जिले के कुल शिशु लिंगानुपात 871 व राज्य के कुल शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

टापुर गाँव की साक्षरता न्यून दर के साथ 65.20 प्रतिशत है, जो कि जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत के लगभग बराबर है। गाँव में पुरूष साक्षरता दर 85.27 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 43.80 प्रतिशत है, जो की जिले की साक्षरता दर से कम है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

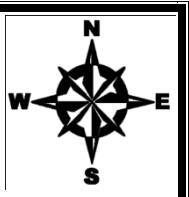

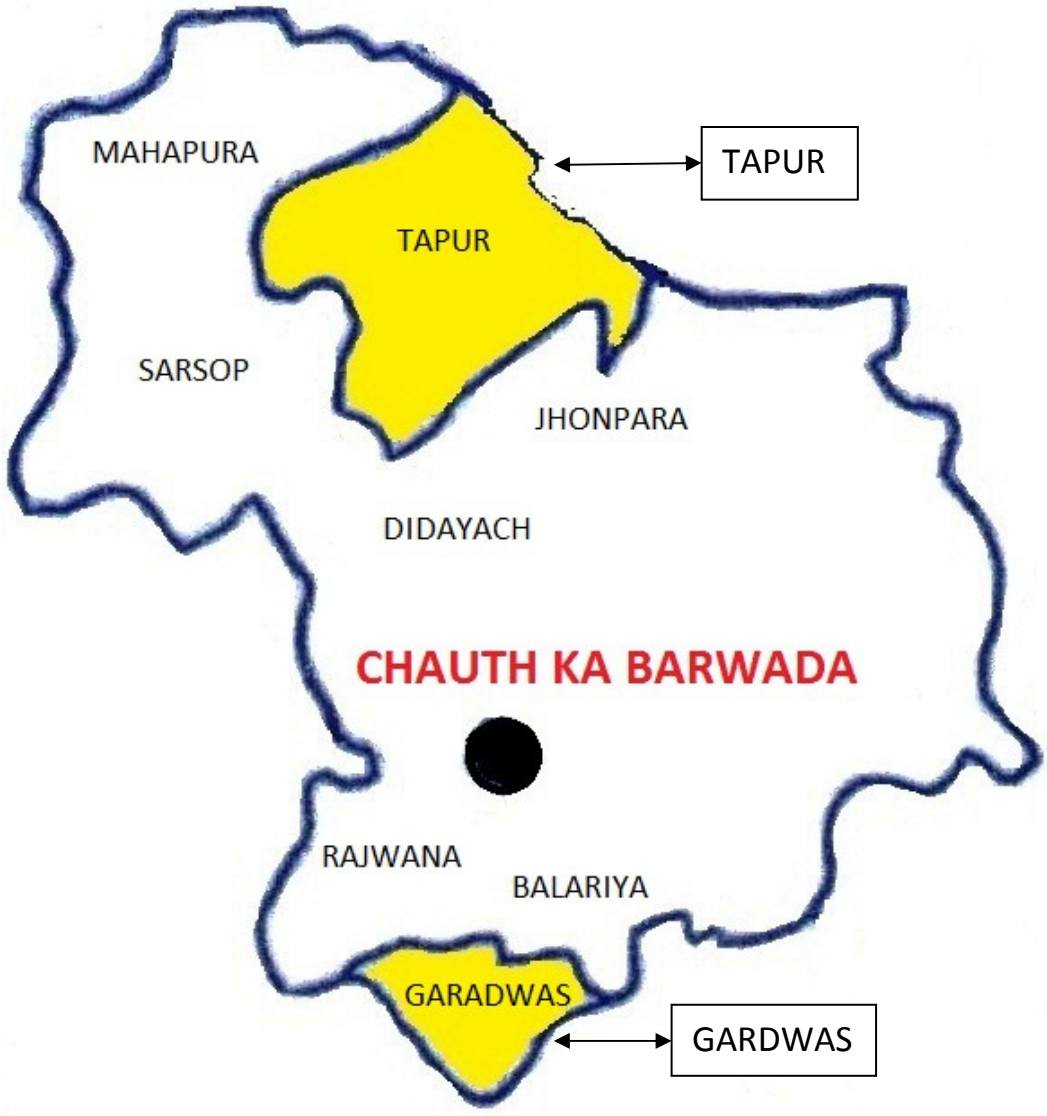

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

MAP-9.2

जातीय कारक–

टापुर गाँव की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 31.10 व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 3.97 है। जिले की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 478 है, जिसमें पुरूष 247 व महिला 231 है तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 61 है जिसमें 29 पुरूष व महिला 32 है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

टापुर गाँव की कुल जनसंख्या 1537 में से 680 व्यक्ति (44.24 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिनमें 373 पुरूष कर्मी तथा 307 महिला कर्मी है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से 36.76 प्रतिशत दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिनकी कुल संख्या 250 है तथा जिन्हे वर्ष में 6 माह से अधिक व्यवसाय प्राप्त होता है। शेष 63.24 प्रतिशत लोग अल्पकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम व्यवसाय प्राप्त होता है, जिनकी कुल संख्या 430 है। कुल कार्यशील जनसंख्या 680 में से 160 व्यक्ति काश्तगारी में संलग्न है तथा गाँव में 3 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है।

(2) ग्राम–गर्डवास

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 30 कि.मी. दूरी पर पूर्व में अवस्थित है तथा चौथ का बरवाड़ा तहसील मुख्यालय के दक्षिण में अवस्थित है। गर्डवास के उत्तर में बलरिया व बरवाड़ा तहसील मुख्यालय, उत्तर दक्षिण रजवाना, दक्षिण में लक्ष्मीपुरा स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 25.993387 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.119059 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

गर्डवास गाँव में 230 परिवार निवास करते है। इस ग्राम की कुल जनसंख्या 1144 है, जिसमें 580 पुरूष व 564 महिलाओं की जनसंख्या है। गाँव में 16.08

प्रतिशत जनसंख्या शिशु वर्ग (0–6) की है, जिनकी कुल जनसंख्या 184 है। इसमें 95 पुरूष शिशु तथा 89 महिला शिशु है।

गर्डवास गाँव का जनघनत्व 141 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

गर्डवास गाँव का कुल लिंगानुपात 972 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 व राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से अधिक है। वही गाँव का शिशु लिंगानुपात 937 है, जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

गर्डवास गाँव की कुल साक्षरता 56.88 प्रतिशत है, जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत व राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से कम है। गाँव में पुरूष साक्षरता दर 75.26 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 38.11 प्रतिशत है, जो की जिले की साक्षरता दर से कम है।

जातीय कारक–

गर्डवास गाँव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक पायी जाती है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 76.14 प्रतिशत के साथ 871 है, जिनमें पुरूषों की जनसंख्या 437 तथा महिलाओं की जनसंख्या 434 है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1.84 प्रतिशत के साथ 21 है, जिसमें 9 पुरूष तथा 12 महिलाऐं है। गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या अधिक है।

कार्यशील जनसंख्याएवं व्यावसायिक स्थिति–

गर्डवास गाँव की कुल जनसंख्या में से 416 व्यक्ति (36.36 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिनमें 253 पुरूष कर्मी तथा 163 महिला कर्मी है। कुल कार्यशील जनसंख्या में से 94.95 प्रतिशत दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिनकी कुल संख्या 395 है तथा जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक व्यवसाय प्राप्त

होता है। शेष 5.05 प्रतिशत लोग अल्पकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिनकी संख्या 21 है तथा जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम रोजगार प्राप्त होता है। कुल कार्यशील जनसंख्या 416 में से 355 व्यक्ति काश्तगारी में संलग्न है तथा 8 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है।

चौथ का बरवाड़ा तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

तालिका–9.1

चौथ का बरवाड़ातहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	**कुल जन संख्या**	**शिशु जन संख्या**	**घनत्व**	**लिंगा.**	**शिशु लिं.**	**साक्षरता**	**अ.जा**	**अ.ज.जा.**	**कार्यशील जनसंख्या**
टापुर	1537	14.38	137	928	1028	65.20	31.10	3.97	44.24
गर्डवास	1144	16.08	141	972	937	56.88	01.84	76.14	36.36

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि चौथ का बरवाडा तहसील के चयनित दोनो गाँवों में में भी बहुत असमानता पायी गयी है। जहाँ तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें तो टापुर गाँव की कुल जनसंख्या 1537 है, जो की गर्डवास गाँव की कुल जनसंख्या 1144 से 393 अधिक है। शिशु जनसंख्या प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो गर्डवास गाँव का शिशु जनसंख्या प्रतिशत 16.08 है, जबकि टापुर गाँव का 14. 38 प्रतिशत ही है। वहीं जनघनत्व की दृष्टि से गर्डवास गाँव टापुर गाँव से 4 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर अधिक है। गर्डवास गाँव का जनघनत्व 141 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा टापुर गाँव का जनघनत्व 137 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की दृष्टि से भी गर्डवास गाँव टापुर गाँव से आगे है टापुर गाँव का लिंगानुपात जहाँ 928 है। वहीं गर्डवास का लिंगानुपात 972 है। शिशु लिंगानुपात और साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से टापुर गर्डवास गाँव से आगे स्थान रखता है। गर्डवास गाँव का साक्षरता प्रतिशत 56.88 है। वहीं टापुर गाँव का साक्षरता प्रतिशत 65.20 है। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात गर्डवास में जहाँ केवल

937 ही है। वहीं टापुर का शिशु लिंगानुपात 1028 के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। टापुर गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है जबकि गर्डवास में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक निवास करती है। टापुर गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 31.10 है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 3.97 ही है। वहीं गर्डवास गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 01.84 ही है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 76.14 है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत टापुर गाँव में 44.24 प्रतिशत है जबकि गर्डवास में इसका प्रतिशत 36.36 है।

9.2 तहसील–बामनवास

(1) ग्राम–बाढ़ पनियाला

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 62 कि.मी. दूरी पर उत्तर पूर्व में अवस्थित है जो बामनवास तहसील मुख्यालय के दक्षिण में अवस्थित है। बाढ पनियाला के उत्तर में मोरपा, उत्तर पूर्व में ग्वारी, दक्षिण में पनिहारा, पश्चिम में बेरखण्डी स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.558318 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.557677 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

बाढ़ पनियाला गाँव में 95 परिवार निवास करते है जिनकी कुल जनसंख्या 463 है। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 235 तथा महिलाओं की जनसंख्या 228 है। शिशु वर्ग (0–6) की जनसंख्या गाँव की कुल जनसंख्या का 20.09 प्रतिशत है, जिसकी कुल जनसंख्या 93 है। इसमें पुरूष शिशु तथा महिला शिशुओं की जनसंख्या क्रमशः 46 व 47 है।

बाढ़ पनियाला गाँव का जनघनत्व 376 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

बाढ़ पनियाला का कुल लिंगानुपात 970 है, जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 व राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से अधिक है। गाँव का शिशु लिंगानुपात भी 1022 है, जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 व राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

गाँव की कुल साक्षरता 73.51 प्रतिशत है, जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत व राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से अधिक है। बाढ़ पनियाला की पुरूष साक्षरता 82.54 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 64.09 प्रतिशत है। स्पष्ट है कि

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

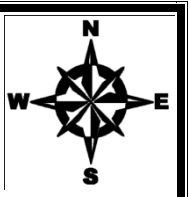

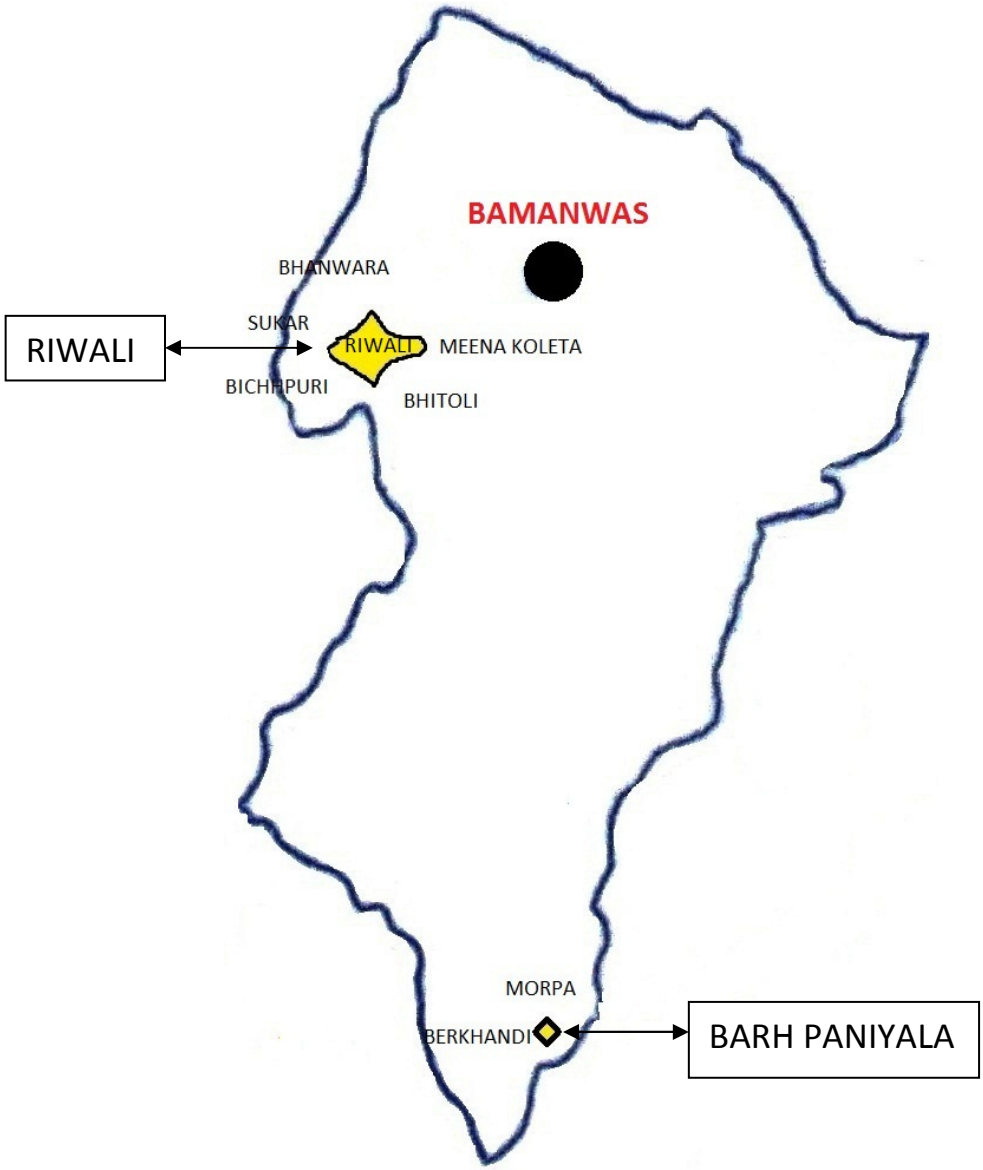

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

MAP-9.3

गाँव की कुल, पुरूष व महिला साक्षरता की स्थिति जिले की साक्षरता प्रतिशत के मुकाबले काफी अच्छी है।

जातीय कारक–

बामनवास तहसील के बाढ़ पनियाला गाँव में 33.91 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, जिसकी कुल जनसंख्या 157 है। इसमें पुरूषों की जनसंख्या 83 तथा महिला की जनसंख्या 74 है। वहीं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या इस गाँव में नही पायी गई है अतः यह गाँव अनुसूचित जनजाति की शून्य जनसंख्या वाला गाँव है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

बाढ़ पनियाला गाँव में कुल 249 व्यक्ति (53.78 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिनमें 123 व्यक्ति पुरूष कर्मी तथा 126 व्यक्ति महिला कर्मी है। कार्यशील जनसंख्या का 100 प्रतिशत भाग दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिनकी कुल जनसंख्या 249 है तथा जिन्हे वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार मिलता है। कार्यशील जनसंख्या में से 191 व्यक्ति काश्तगार तथा 53 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। महिला कार्मिकों की संख्या पुरूष कार्मिकों की अपेक्षा अधिक है तथा पूरी कार्यशील जनसंख्या दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है।

(2) ग्राम–रिवाली

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 80 कि.मी. दूरी पर उ.–प. में अवस्थित है जो बामनवास तहसील मुख्यालय के पश्चिम में है। रिवाली के उत्तर में भाँवरा, पूर्व में मीणा कोलेता, दक्षिण में भितोली, पश्चिम में सुकार स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.566698 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.493007 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

रिवाली गाँव में 895 परिवारों सहित कुल जनसंख्या 4581 है, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 2428 तथा महिलाओं की जनसंख्या 2153 है। शिशु वर्ग (0–6) की कुल जनसंख्या रिवाली में 677 है, जो गाँव की कुल जनसंख्या का 14.78 प्रतिशत भाग है। इनमें पुरूष शिशु 365 तथा महिला शिशु की संख्या 312 है।

रिवाली गाँव का जनघनत्व 394 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

रिवाली का गाँव में लिंगानुपात 887 है, जो जिले के लिंगानुपात 897 तथा राज्य के लिंगानुपात 928 से कम है। रिवाली में शिशु लिंगानुपात 855 है, जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से कम है।

साक्षरता–

रिवाली गाँव की कुल साक्षरता 59.66 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से कम है। गाँव की पुरूष साक्षरता 76.49 प्रतिशत है तथा महिला साक्षरता 40.79 प्रतिशत है। गाँव की महिला व पुरूष साक्षरता जिले की साक्षरता की तुलना में कम है।

जातीय कारक–

रिवाली गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 28.55 प्रतिशत के साथ 1308 है, जिसमें 701 पुरूष तथा 607 स्त्री जनसंख्या है। जबकि अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 0.48 प्रतिशत के साथ 22 है जिसमें 11 पुरूष तथा 11 महिलाऐं है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

रिवाली गाँव में कुल जनसंख्या 4581 में से 2429 व्यक्ति (53.03 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में संलग्न है। जिनमें पुरूष कार्मिकों की संख्या 1282 तथा महिला कार्मिकों की संख्या 1147 है। कार्यशील जनसंख्या का 93.82 प्रतिशत

भाग दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है जिनकी संख्या 2279 है तथा जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त होता है। शेष 6.12 प्रतिशत लोग अल्पकालिक व्यवसाय में सक्रिय है, जिनकी संख्या 150 है तथा जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम रोजगार प्राप्त होता है। कार्यशील जनसंख्या में से 1276 व्यक्ति काश्तगारी में तथा 717 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में संलग्न है।

बामनवास तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

तालिका–9.2

बामनवास तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	**कुल जन संख्या**	**शिशु जन संख्या**	**घनत्व**	**लिंगा.**	**शिशु लिं.**	**साक्षरता**	**अ.जा**	**अ.ज. जा.**	**कार्यशील जनसंख्या**
बाढ पनियाला	463	20.09	376	970	1022	73.51	33.91	–	53.78
रिवाली	4581	14.78	394	887	855	59.66	28.55	0.48	53.03

बामनवास तहसील के दोनो ग्रामों के अन्तर्गत तुलना से यह स्पष्ट होता है कि रिवाली ग्राम जनसंख्या तथा जनघनत्व की दृष्टि से बाढ पनियाला ग्राम से आगे है। शिशु जनसंख्या, लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, अनुसूचित जाति जनसंख्या तथा कार्यशील जनसंख्या में बाढ पनियाला गाँव रिवाली गाँव को पीछे छोड देता है। बाढ पनियाला गाँव की कुल जनसंख्या मात्र 463 है जबकि रिवाली गाँव की जनसंख्या 4581 है, जनघनत्व रिवाली गाँव का 394 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा बाढ पनियाला गाँव का 376 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर किन्तु शिशु जनसंख्या प्रतिशत बाढ पनियाला गाँव का 20.09 है जबकि रिवाली गाँव का मात्र 14.48 है इसी प्रकार लिंगानुपात बाढ पनियाला गाँव का 970 है जबकि रिवाली गाँव का मात्र 887 है, शिशु लिंगानुपात बाढ पनियाला गाँव का 1022 है जबकि रिवाली गाँव का मात्र 855 है। साक्षरता प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो बाढ

पनियाला गाँव का साक्षरता प्रतिशत 73.51 है जबकि रिवाली गाँव का साक्षरता प्रतिशत मात्र 59.66 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या बाढ पनियाला गाँव में प्रतिशत 33.91 है, जबकि रिवाली गाँव में 28.55 प्रतिशत है, परन्तु अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का निवास जहाँ बाढ पनियाला गाँव में शून्य है। वहीं रिवाली गाँव में मात्र 0.48 प्रतिशत है। इसी प्रकार कार्यशील जनसंख्या दोनो की लगभग समान है। बाढ पनियाला गाँव में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 53.78 है तो रिवाली गाँव में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 53.03 है।

9.3 तहसील–सवाई माधोपुर

(1) ग्राम–सूरवाल

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 14 कि.मी. दूरी पर उत्तर में अवस्थित है। सूरवाल के उत्तर पूर्व में सेलू, पूर्व में छारोदा, दक्षिण करमोदा ,पश्चिम में सुनारी स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.102374 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76. 362347 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

2011 की जनगणनानुसार सूरवाल गाँव में 1335 परिवार निवास करते है। सूरवाल गाँव की कुल जनसंख्या 8813 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 4668 तथा स्त्री जनसंख्या 4145 है। सूरवाल की कुल जनसंख्या में 18.90 प्रतिशत भाग शिशु वर्ग का है, जो 0–6 आयु वर्ग के अर्न्तगत आते है। सूरवाल की कुल शिशु जनसंख्या 1666 है, जिसमें पुरूष शिशु जनसंख्या 901 तथा महिला शिशु जनसंख्या 765 है।

सूरवाल गाँव का जनघनत्व 491 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

सूरवाल गाँव का कुल लिंगानुपात 888 है, जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। सूरवाल में शिशु लिंगानुपात 849 है, जो जिले के कुल शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के कुल शिशु लिंगानुपात 888 से कम है। सूरवाल गाँव का कुल लिंगानुपात तथा राज्य का कुल शिशु लिंगानुपात समान है जो 888 है।

साक्षरता–

सूरवाल की कुल साक्षरता दर 63.71 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 83.38 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 41.78 प्रतिशत है। सूरवाल की साक्षरता दर जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत की अपेक्षा कम दर्ज की गई है। परन्तु सूरवाल की पुरूष साक्षरता

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
★	TEHSIL HEAD QUARTER
★	DISTRICT HEAD QUARTER

MAP-9.4

दर जिले की पुरूष साक्षरता दर 81.51 प्रतिशत से अधिक है जबकि महिला साक्षरता दर जिले की महिला साक्षरता दर 47.51 प्रतिशत से कम है।

जातीय कारक–

सूरवाल में कुल जनसंख्या के अर्न्तगत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 22.66 प्रतिशत जबकि अनुसूचित जाति की जनसंख्या 3.11 प्रतिशत निवास करती है। सूरवाल की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1992 है जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 1098 तथा महिला जनसंख्या 919 है, जबकि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 274 है, जिसमें पुरूषों तथा स्त्रियों की जनसंख्या क्रमशः 150 व 124 है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

सूरवाल में कुल जनसंख्या में से 3781 व्यक्ति (42.90 प्रतिशत) विभिन्न कार्यों में संलग्न है। जिसमें से 62.81 प्रतिशत व्यक्ति मुख्य कार्यो में संलग्न है जो सामान्यतः वर्ष में 6 माह से अधिक समय का रोजगार प्राप्त कर लेते है तथा शेष 37.19 प्रतिशत व्यक्ति अल्पकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिन्हें 6 माह से कम समय तक ही रोजगार उपलब्ध हो पाता है। मुख्य कार्यों में संलग्न 3781 व्यक्तियों में से 1584 व्यक्ति कृषि कार्यों में संलग्न है, जो या तो स्वयं की भूमि पर कृषि करते है या ठेका अथवा दूसरे की भूमि पर बँटाई के रूप में काश्तगारी करते है तथा 226 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। सूरवाल की कुल कार्यशील जनसंख्या 3781 में से पुरूष कर्मी 2151 तथा महिला कर्मी 1630 है।

(2) ग्राम–कुश्तला

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 10 कि.मी. दूरी पर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। कुश्तला के उत्तर में गंभीरा, दक्षिण पश्चिम में मूई, दक्षिण जुवाड़, पश्चिम नीमली खुर्द में स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 25.961199 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.326732 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

जनगणना 2011 के अनुसार कुश्तला गाँव में 1388 परिवारो का निवास है तथा कुल जनसंख्या 7406 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 3756 तथा महिला जनसंख्या 3650 है। कुश्तला में कुल जनसंख्या का 15.64 प्रतिशत भाग शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष) का है, जिनकी कुल जनसंख्या 1158 है, जिसमें पुरूष शिशु जनसंख्या 568 तथा तथा महिला शिशु जनसंख्या 590 है। इस गाँव में महिला शिशु जनसंख्या पुरूष शिशु जनसंख्या से अधिक है।

कुश्तला गाँव का जनघनत्व 288 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

कुश्तला गाँव में कुल लिंगानुपात 972 है, जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से अधिक है। कुश्तला में शिशु लिंगानुपात 1039 है, जो जिले के कुल शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के कुल शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

कुश्तला गाँव की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम दर्ज की गई है। कुश्तला की कुल साक्षरता दर 2011 में 64.15 प्रतिशत है, जो जिले की कुल साक्षरता दर 65. 39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत की अपेक्षा कम दर्ज की गई है। कुश्तला की कुल साक्षरता दर में पुरूष साक्षरता दर 81.93 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 45.62 प्रतिशत हैं। कुश्तला गाँव में पुरूष साक्षरता दर जिले की पुरूष साक्षरता दर 81.51 प्रतिशत से अधिक है, जबकि महिला साक्षरता दर जिले की महिला साक्षरता दर 47.51 प्रतिशत से कम है।

जातीय कारक–

कुश्तला गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की प्रधानता पायी गई है। कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या 28.25 प्रतिशत के साथ 2092 है, जिसमें से

पुरूष जनसंख्या 1102 तथा महिला जनसंख्या 990 है। इस गाँव में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वर्तमान में 9.33 प्रतिशत के साथ 691 हैं जिसमें से पुरूष जनसंख्या 341 तथा महिला जनसंख्या 350 है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

कुश्तला गाँव की कुल जनसंख्या 7406 में से 3354 व्यक्ति (45.29 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्यरत है, जिसमें 1977 पुरूष तथा 1377 महिला है। इस कार्यशील जनसंख्या का 79.07 प्रतिशत भाग मुख्य कार्यों में संलग्न है,जिसे वर्ष में 6 माह से अधिक समय रोगार प्राप्त हो जाता है, जिनकी संख्या 2652 है। शेष 20.93 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या अल्पकालिक कार्यों में संलग्न है, जहाँ उन्हे वर्ष में 6 माह से कम समय के लिए रोजगार प्राप्त हो पाता है, जिनकी संख्या 702 है। कुश्तला की कार्यशील जनसंख्या 3354 व्यक्तियों में से 1664 व्यक्ति काश्तगारी तथा 153 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है।

स.मा.तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

तालिका–9.3

सवाई माधोपुर तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	कुल जन संख्या	शिशु जन संख्या	घनत्व	लिंगा.	शिशु लिं.	साक्षरता	अ.जा	अ.ज. जा.	कार्यशील जनसंख्या
सूरवाल	8813	18.90	491	888	849	63.71	3.11	22.66	82.90
कुश्तला	7406	15.64	288	972	1039	64.15	28.25	9.33	45.29

सवाई माधोपुर तहसील में से चयनित ग्रामों के तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनो ही ग्रामों की अपनी–अपनी विभिन्न्ता है। जहाँ कुश्तला ग्राम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से सूरवाल ग्राम से अग्रिम है, वहीं सूरवाल कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, जनघनत्व, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तथा कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से कुश्तला गाँव से आगे है। कुश्तला ग्राम का लिंगानुपात 972

है, जबकि सूरवाल में लिंगानुपात 888 है। शिशु लिंगानुपात कुश्तला में 1039 है, जबकि सूरवाल में 849 है। साक्षरता प्रतिशत कुश्तला में 64.15 है, जबकि सूरवाल में 63.71 है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कुश्तला में 28.25 प्रतिशत है, जबकि सूरवाल में 3.11 प्रतिशत ही है। इसके विपरित सूरवाल की कुल जनसंख्या 8813 है, जबकि कुश्तला की कुल जनसंख्या 7406 है। सूरवाल की कुल शिशु जनसंख्या प्रतिशत 18.90 है, जबकि कुश्तला कुल शिशु जनसंख्या प्रतिशत 15.64 है। सूरवाल की जनघनत्व 491 है, जबकि कुश्तला का जनघनत्व 288 है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से सूरवाल ग्राम में 22.66 जनसंख्या निवास करती है, जबकि कुश्तला में केवल 9.33 प्रतिशत ही अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है। इसी प्रकार कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से भी सूरवाल कुश्तला गाँव से आगे है। सूरवाल में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 82.90 है, जबकि कुश्तला में यह 45.29 प्रतिशत ही है।

9.4 तहसील–गंगापुर सिटी

(1) ग्राम–अमरगढ

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 62 कि.मी. दूरी पर उत्तर पूर्व में अवस्थित है तथा गंगापुर तहसील मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। अमरगढ के उत्तर में नौगाँव, पूर्व में उमरी सलेमपुर, दक्षिण पश्चिम में कुनकटा कलाँ व दक्षिण में तलावडा स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.471710 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.715940 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

2011 की जनगणना अनुसार अमरगढ गाँव में कुल 100 परिवार निवास करते है। अमरगढ गाँव की कुल जनसंख्या 552 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 293 तथा महिला जनसंख्या 259 है। अमरगढ गाँव की कुल जनसंख्या में 15.76 प्रतिशत जनसंख्या शिशु वर्ग (0–6 वर्ष) की है। गाँव की कुल शिशु जनसंख्या में 87 है जिसमें 44 पुरूष शिशु तथा 43 महिला शिशु है।

अमरगढ गाँव का जनघनत्व 78 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

अमरगढ गाँव का कुल लिंगानुपात 884 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। अमरगढ गाँव की लिंगानुपात की स्थिति अधिक खराब है जो चिंता का विषय है। 2011 के अनुसार अमरगढ का शिशु लिंगानुपात 977 है जो जिले के शिशु लिंगानुपात 877 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

अमरगढ गाँव की कुल साक्षरता दर राज्य एवं जिले दोनो की अपेक्षा अधिक है। अमरगढ की कुल साक्षरता दर 83.01 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत से अधिक है,

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

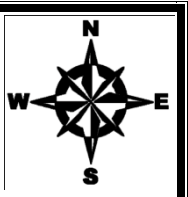

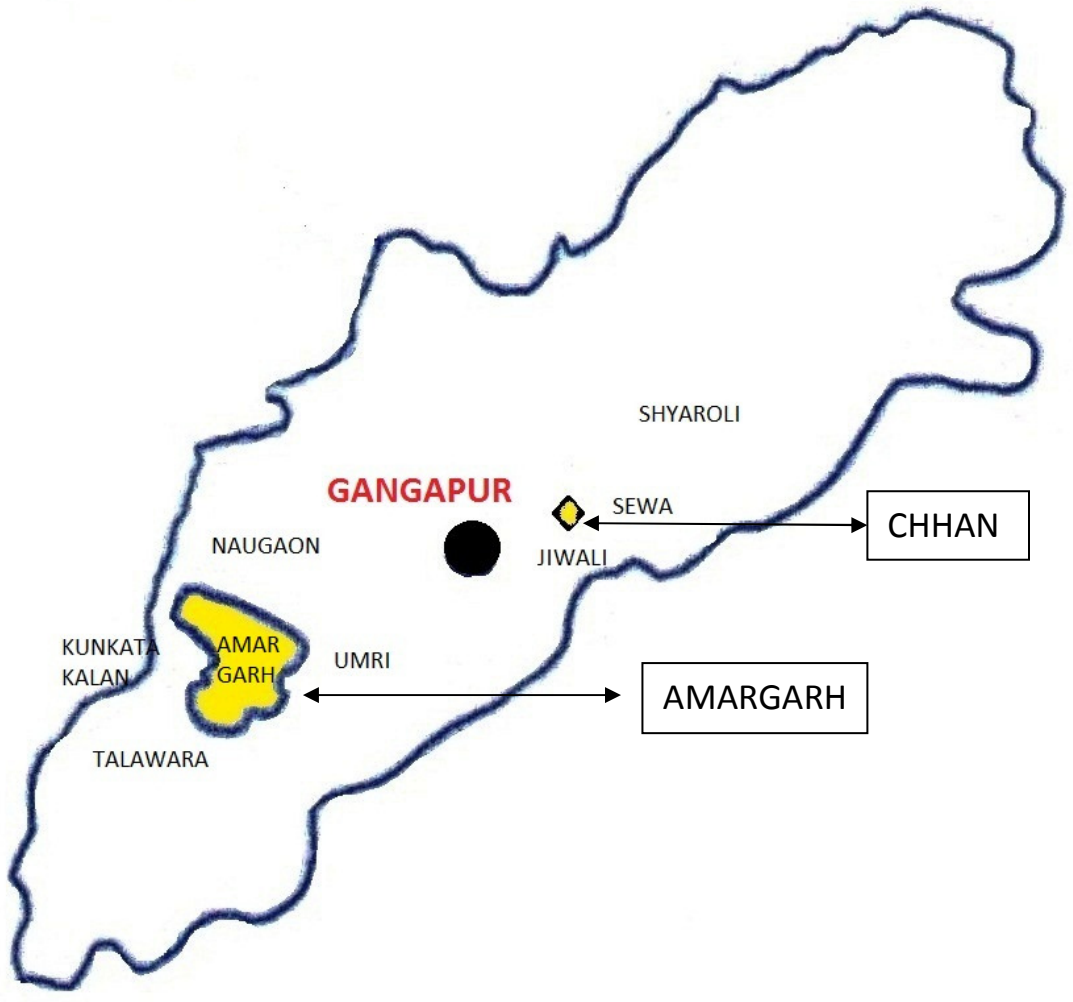

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

MAP-9.5

जो एक सकारात्मक पहलु है। अमरगढ की साक्षरता दर में पुरूष साक्षरता दर 95. 18 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 68.98 प्रतिशत है। गाँव में पुरूष साक्षरता दर जिले की पुरूष साक्षरता दर 81.51 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर जिले की महिला साक्षरता दर 47.51 प्रतिशत से अधिक है।

जातीय कारक–

अमरगढ गाँव की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अभाव है। अमरगढ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 9.78 प्रतिशत भाग के रूप में निवास करती है। इस प्रकार अमरगढ में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 54 है, जिसमें 30 पुरूष तथा 24 महिलाओं की जनसंख्या है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

अमरगढ गाँव की कुल जनसंख्या में से 210 व्यक्ति (38.04 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में संलग्न है। कुल कार्यशील जनसंख्या का 56.67 प्रतिशत भाग मुख्य कार्यो, जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक समय के लिए रोजगार प्राप्त होता है, में संलग्न है तथा शेष 43.33 प्रतिशत भाग अल्पकालिक कार्यों में संलग्न है., जिन्हें 6 माह से कम समय के लिए रोजगार मिलता है। कुल 210 कार्यशील जनसंख्या में से 119 मुख्य कार्यों तथा 91 अल्पकालिक कार्यों में संलग्न है। इन 210 कार्यशील जनसंख्या में से 94 काश्तगार के रूप में तथा 7 काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 143 पुरूष कर्मी तथा 67 महिला कर्मी है।

(2) ग्राम–छान

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 88 कि.मी. दूरी पर उत्तर पूर्व में अवस्थित है तथा तहसील मुख्यालय के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। छाण के उत्तर में बाढ छाण, पूर्व में सेवा, दक्षिण में जीवली ,दक्षिण पश्चिम में टोकसी स्थित है।

भौगोलिक रूप से यह 26.524603 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.809510 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

गंगापुर तहसील के छान गाँव में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 196 परिवार निवास करते है। छाण गाँव की कुल जनसंख्या 1015 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 561 तथा महिला जनसंख्या 454 है। छान में कुल शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष) 134 है जो गाँव की कुल जनसंख्या का 13.20 प्रतिशत भाग है। इस शिशु जनसंख्या में 83 पुरूष शिशु तथा 51 महिला शिशु जनसंख्या है।

छान गाँव का जनघनत्व 390 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

छान गाँव का कुल लिंगानुपात 809 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। इसी प्रकार छान का शिशु लिंगानुपात की स्थिति अधिक खराब है, जो मात्र 614 है तथा जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से बहुत कम है।

साक्षरता–

छान की कुल साक्षरता दर 70.60 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से अधिक है। छान की कुल साक्षरता में पुरूष साक्षरता 88.70 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 49.13 प्रतिशत दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि छान की कुल, पुरूष एवं महिला साक्षरता दर जिले की कुल, पुरूष व महिला साक्षरता दर के मुकाबले बेहतर है।

जातीय कारक–

छान में अधिकांश अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या निवास करती है जो कुल जनसंख्या का 49.46 प्रतिशत है अर्थात् गाँव की लगभग आधी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के रूप में निवास करती है। गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 20.49 प्रतिशत है। गाँव में अनुसूचित जनजाति की कुल

जनसंख्या 502 है जिसमें 275 पुरूष तथा 227 महिलाऐं है। इसी प्रकार गाँव में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 208 है जिसमें 114 पुरूष जनसंख्या तथा 94 महिला जनसंख्या है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

छान गाँव में कुल जनसंख्या में से 467 व्यक्ति (46.00 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्यरत है। इस कुल कार्यशील जनसंख्या में से 48.18 प्रतिशत जनसंख्या मुख्य कार्यों में संलग्न है जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त होता है। इनकी कुल संख्या 225 है तथा 51.82 प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालिक कार्यों में संलग्न है जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम समय के लिए रोजगार प्राप्त होता है। इनकी कुल संख्या 216 है। कुल कार्यशील जनसंख्या 467 में से 251 पुरूष कर्मी तथा 216 महिला कर्मी है। इनमें 136 व्यक्ति काश्तगारी में संलग्न है तथा 12 व्यक्ति कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत है।

गंगापुर सिटी तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि गंगापुर तहसील के चयनित दोनो गाँवों में में भी बहुत असमानता पायी गयी है। जहाँ तुलनात्मक रूप से विवरण करे तो अमरगढ गाँव की कुल जनसंख्या 552 है, जो की छान गाँव की कुल जनसंख्या 1015 से 463 कम है।

तालिका–9.4

गंगापुर सिटी तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना

ग्राम	कुल जन संख्या	शिशु जन संख्या	घनत्व	लिंगा.	शिशु लिं.	साक्षरता	अ.जा	अ.ज.जा.	कार्यशील जनसंख्या
अमरगढ	552	15.76	78	884	977	83.01	9.78	–	38.04
छान	1015	13.20	390	809	871	70.60	20.49	49.46	86.00

शिशु जनसंख्या प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो अमरगढ गाँव का शिशु जनसंख्या प्रतिशत 15.76 है, जबकि छान गाँव का 13.20 प्रतिशत ही है। वहीं जनघनत्व की दृष्टि से छान गाँव अमरगढ गाँव से 312 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर अधिक है। छान गाँव का जनघनत्व 390 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा अमरगढ गाँव का जनघनत्व 78 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की दृष्टि से भी अमरगढ गाँव छान गाँव से आगे है। अमरगढ गाँव का लिंगानुपात जहाँ 884 है, वहीं छान का लिंगानुपात 809 है। शिशु लिंगानुपात और साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से अमरगढ छान गाँव से आगे स्थान रखता है। छान गाँव का साक्षरता प्रतिशत 70.60 है, वहीं अमरगढ गाँव का साक्षरता प्रतिशत 83.01 है। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात छान में जहाँ केवल 871 ही है, वहीं अमरगढ का शिशु लिंगानुपात 977 के साथ एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। छान गाँव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अधिक है। छान गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 20.49 है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 49.46 है। वही अमरगढ गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 9.78 ही है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या शून्य है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत अमरगढ गाँव में 38.04 प्रतिशत है जबकि छान में इसका प्रतिशत 86.00 है जो विकास की ओर इंगित करता है।

9.5 तहसील–बौंली

(1) ग्राम–खिरखड़ी

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 52 कि.मी. दूरी पर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है तथा जिसके उत्तर में झनून, दक्षिण में बौंली, पूर्व में कोड्याई तथा पश्चिम में बपूई गाँव स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.329671 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.227634 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

खिरखड़ी गाँव में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 133 परिवार है। खिरखडी गाँव की कुल जनसंख्या 676 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 365 तथा महिला जनसंख्या 311 है। खिरखड़ी गाँव की कुल शिशु (0–6 वर्ष) जनसंख्या 104 है जो कुल जनसंख्या का 15.38 प्रतिशत भाग है। जिसमें 62 पुरूष शिशु तथा 42 महिला शिशु जनसंख्या है।

खिरखड़ी गाँव का जनघनत्व 187 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

खिरखड़ी गाँव में कुल लिंगानुपात 852 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। इसी प्रकार खिरखड़ी का शिशु लिंगानुपात अत्यधिक कम मात्र 677 है जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से बहुत कम है।

साक्षरता–

खिरखड़ी गाँव की कुल साक्षरता दर 61.71 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से कम है। खिरखड़ी गाँव में पुरूष साक्षरता 81.19 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 3978 प्रतिशत दर्ज की गई है।स्पष्ट है कि खिरखड़ी गाँव की कुल, पुरूष एवं महिला साक्षरता दर जिले की कुल, पुरूष व महिला साक्षरता दर के मुकाबले कम है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

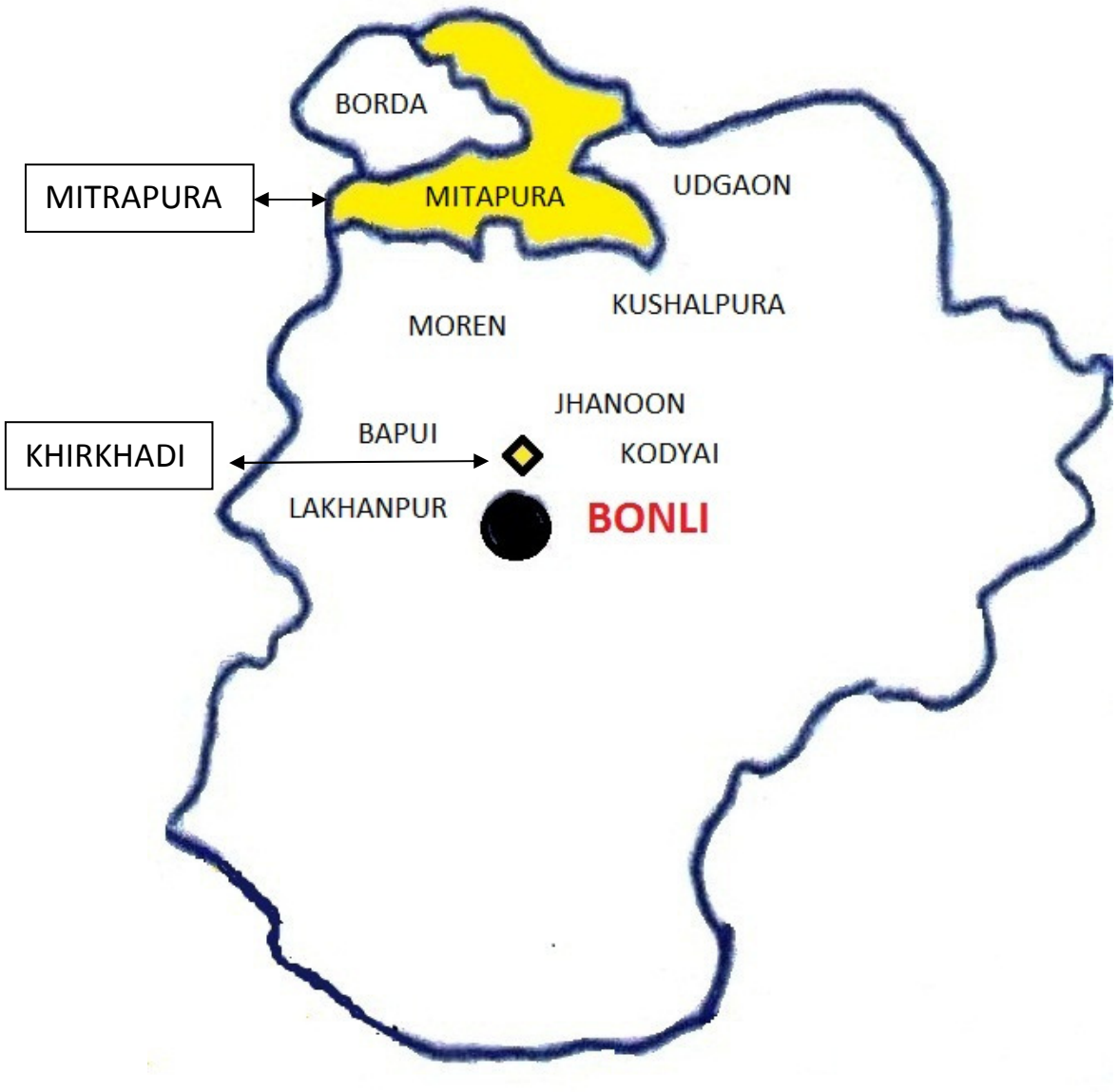

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

MAP-9.6

जातीय कारक–

खिरखडी गाँव में मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का बाहुल्य है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 93.49 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति 3.70 प्रतिशत भाग रखती है। गाँव में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 632 है, जिसमें पुरूषों की जनसंख्या 341 तथ महिलाओं की जनसंख्या 291 है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 25 है जिसमें 73 पुरूष तथा 12 महिलाऐं है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

खिरखड़ी गाँव की कुल जनसंख्या में 407 व्यक्ति (60.21प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है जिसमें से 47.77 प्रतिशत जनसंख्या दीर्घकालिक आर्थिक कार्यों में संलग्न है जो वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करते है जबकि 58. 23 प्रतिशत जनसंख्या अल्तकालिक कार्यों में कार्यरत है जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम समय रोजगार मिलता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 132 व्यक्ति काश्त कार्यो में तथा 1 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 206 पुरूष कर्मी तथा 201 महिला कर्मी है तथा दीर्घकालिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 170 तथा अल्पकालिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 237 है।

(2) ग्राम–मित्रपुरा

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 70 कि.मी. दूरी पर उत्तर पश्चिम में अवस्थित है तथा बौंली तहसील मुख्यालय के उत्तर में अवस्थित है। मित्रपुरा के उत्तर पश्चिम में बोरदा, पूर्व में ऊदगाँव, दक्षिण में मोरेन स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.329671 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.227634 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

बौंली तहसील में मित्रपुरा गाँव की कुल जनसंख्या 4483 है। जिसमें 2303 पुरूष तथा 2180 महिला जनसंख्या है। गाँव में 841 परिवार निवास करते है। मित्रपुरा गाँव की कुल शिशु (0–6 वर्ष) जनसंख्या 689 है जिसमें 359 पुरूष शिशु तथा 330 महिला शिशु जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का 15.37 प्रतिशत है।

मित्रपुरा गाँव का जनघनत्व 788 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

मित्रपुरा गाँव का कुल लिंगानुपात 947 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से अधिक है तथा गाँव का कुल शिशु लिंगानुपात 919 है जो भी जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

मित्रपुरा गाँव की कुल साक्षरता दर 64.18 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से कम है। गाँव में पुरूष साक्षरता 79.89 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 47.73 प्रतिशत रही है। इस प्रकार मित्रपुरा गाँव की पुरूष साक्षरता भी जिले की कुल पुरूष साक्षरता से कम रही तथा स्त्री साक्षरता जिले की कुल महिला साक्षरता से कुछ अधिक रही है।

जातीय कारक–

मित्रपुरा गाँव में अनुसूचित जाति की 15.46 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की 9.61प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। इस प्रकार गाँव में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 693 है जिसमें 352 पुरूष व 341 महिलाऐं है तथा अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 431 है जिसमें 232 पुरूष तथा 199 महिला जनसंख्या है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

मित्रपुरा गाँव की कुल जनसंख्या में 1751 व्यक्ति (39.06 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है जिसमें 1103 पुरूष कर्मी तथा 648 महिला कर्मी है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 89.89 प्रतिशत जनसंख्या दीर्घकालिक आर्थिक कार्यों में संलग्न है जो वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करते है जबकि 10.11 प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालिक कार्यो में कार्यरत है जिन्हे वर्ष में 6 माह से कम समय रोजगार मिलता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 830 व्यक्ति काश्त कार्यों में तथा 214 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। दीर्घकालिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की सेख्या 1574 तथा अल्पकालिक कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या 177 है।

बौंली तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

बौंली तहसील के दोनो ग्रामों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि खिरखडी गाँव मात्र अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत व कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत में ही मित्रपुरा गाँव से अग्रिम है, जबकि अन्य क्षेत्रों में मित्रपुरा गाँव ही खिरखडी से आगे है।

तालिका–9.5

बौंली तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	**कुल जन संख्या**	**शिशु जन संख्या**	**घनत्व**	**लिंगा.**	**शिशु लिं.**	**साक्षरता**	**अ.जा**	**अ.ज.जा.**	**कार्यशील जनसंख्या**
खिरखडी	676	15.38	187	852	897	61.71	3.70	93.49	60.21
मित्रपुरा	4483	15.37	788	947	919	64.18	15.46	9.61	39.06

मित्रपुरा गाँव की कुल जनसंख्या 4483 है, जबकि खिरखडी की कुल जनसंख्या मात्र 676 है। मित्रपुरा गाँव की कुल शिशु जनसंख्या 15.37 प्रतिशत है,

खिरखडी की कुल शिशु जनसंख्या भी लगभग मित्रपुरा के समान 15.38 है। मित्रपुरा गाँव का कुल जनघनत्व 788 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है, जबकि खिरखडी का कुल जनघनत्व मात्र 187व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। मित्रपुरा गाँव का लिंगानुपात 947 है, जबकि खिरखडी का लिंगानुपात मात्र 852 है। मित्रपुरा गाँव का शिशु लिंगानुपात 919 है, जबकि खिरखडी का शिशु लिंगानुपात 897 है। मित्रपुरा गाँव की कुल साक्षरता प्रतिशत 64.18 है, जबकि खिरखडी की कुल साक्षरता प्रतिशत 61.71 है। मित्रपुरा गाँव की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत 15.46 है, जबकि खिरखडी की कुल अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 3.70 है। इसी प्रकार मित्रपुरा गाँव की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत 9.61 है, जबकि खिरखडी में अनुसूचित जनजाति ही अधिकांश रूप से निवास करती है। यहाँ की कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 93.49 है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से खिरखडी ग्राम में यह प्रतिशत 60.21 है, जबकि मित्रपुरा में इसका प्रतिशत 39.06 है।

9.6 तहसील–मलारना डूँगर
(1) ग्राम–बाढ़ बरियारा

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 55 कि.मी. दूरी पर उत्तर में अवस्थित है तथा मलारना डूँगर मुख्यालय के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है । बाढ बरियारा के उत्तर में निमोद, पूर्व में करेल, दक्षिण चक सम्राटपुरा, पश्चिम में चेनपुरा स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.235790 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.363728 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

मलारना डूँगर तहसील के बरियारा गाँव में जनगणना 2011 के अनुसार 121 परिवार निवास करते है। गाँव की कुल जनसंख्या 586 है। गाँव की कुल जनसंख्या में 311 पुरूष तथा 275 महिलाऐं है। गाँव 0–6 वर्ष के कुल शिशु 78 है जिसमें 40 पुरूष शिशु जनसंख्या तथा 38 महिला शिशु जनसंख्या है। गाँव की कुल जनसंख्या का 13.31 प्रतिशत भाग शिशु वर्ग का है।

बरियारा गाँव का जनघनत्व 410 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

बाढ़ बरियारा गाँव का कुल लिंगानुपात 884 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। परन्तु गाँव का कुल शिशु लिंगानुपात 950 है जो भी जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से अधिक है।

साक्षरता–

बाढ़ बरियारा गाँव की कुल साक्षरता दर 77.56 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत से अधिक है। गाँव की पुरूष साक्षरता दर 91.14 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 62.03 प्रतिशत है जो जिले की पुरूष व महिला साक्षरता दर से कहीं अधिक है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

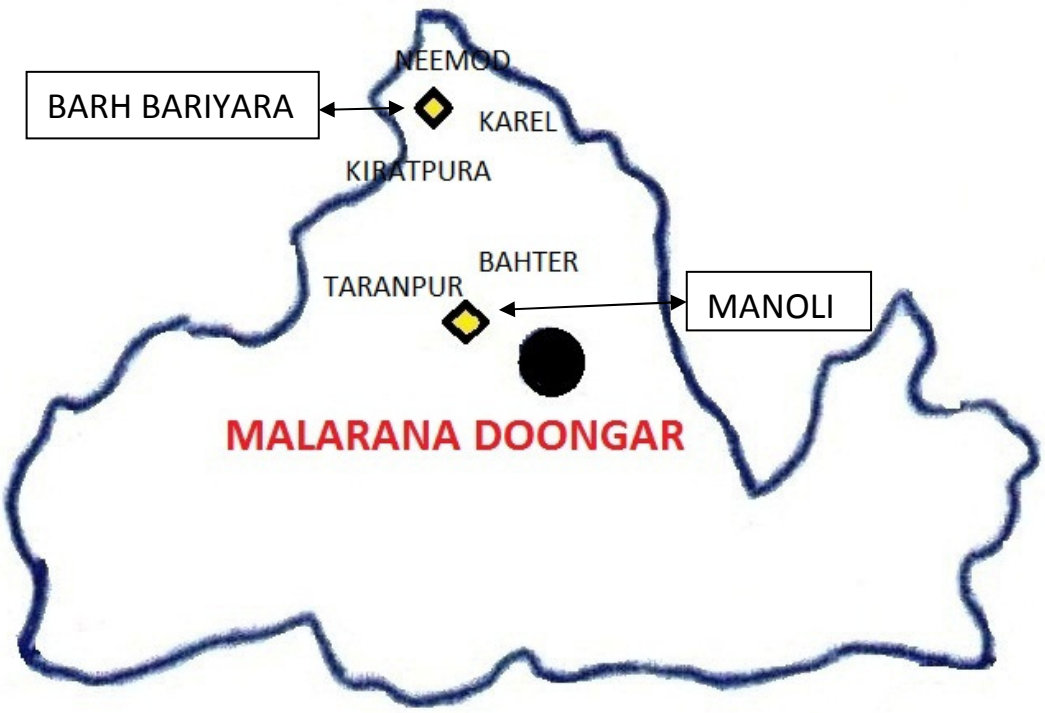

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

जातीय कारक–

बाढ़ बरियारा गाँव की जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रमुखता से पायी जाती है। गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 39.76 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 38.57 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 233 में 118 पुरूष तथा 115 महिलाऐं है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 226 व्यक्तियों में से 125 पुरूष तथा 101 महिलाऐं है।

कार्यशील जनसंख्याएवं व्यावसायिक स्थिति–

बाढ़ बरियारा गाँव की कुल जनसंख्या में 287 व्यक्ति (48.98 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें 140 पुरूष कर्मी तथा 147 महिला कर्मी है। विशेष बात यह है कि इस गाँव में महिला कार्मिकों की संख्या पुरूष कार्मिकों की संख्या से अधिक है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 98.95 प्रतिशत जनसंख्या दीर्घकालिक आर्थिक कार्यो में संलग्न है जो वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करते है जबकि 1.05 प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालिक गतिविधियों में संलग्न है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम समय तक रोजगार मिलता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 264 व्यक्ति काश्त कार्यो में संलग्न है, जबकि कोई भी व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत नही है। इस प्रकार दीर्घकालिक कार्य में 284 एवं अल्पकालिक कार्यो में 3 व्यक्ति संलग्न है।

(2) ग्राम–मानोली

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 39 कि.मी. दूरी पर उत्तर पूर्व में अवस्थित है तथा मलारना डूँगर तहसील मुख्यालय के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। मानोली के उत्तर में बेहेतेड, पूर्व मेंखोहरी, दक्षिण में खातोली, पश्चिम में तारनपुर स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.281612 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76. 464443 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

मानोली गाँव में जनगणना 2011 के अनुसार 212 परिवार सहित कुल 1114 व्यक्ति निवास करते है। जिनमें पुरूष जनसंख्या 600 तथा महिला जनसंख्या 514 है। गाँव में कुल जनसंख्या का 10.23 भाग शिशु (0–6 वर्ष) का है जिनकी कुल जनसंख्या 114 है इसमें पुरूष शिशु 64 व महिला शिशु 50 व्यक्तियों के रूप में है।

मानोली गाँव का जनघनत्व 228 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

मानोली गाँव का कुल लिंगानुपात 857 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। गाँव का कुल शिशु लिंगानुपात 928 है जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से कम है।

साक्षरता–

मानोली गाँव की कुल साक्षरता दर 63.30 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत से कम है। गाँव की पुरूष साक्षरता दर 84.51 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 38. 79 प्रतिशत है। गाँव का पुरूष साक्षरता प्रतिशत तो जिले की पुरूष साक्षरता प्रतिशत से अधिक है परन्तु महिला साक्षरता जिले की महिला साक्षरता से कम है।

जातीय कारक–

मानोली गाँव की जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रमुखता से पायी जाती है। गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.16 प्रतिशत के साथ कुल 180 व्यक्तियो के रूप में जिसमें 96 पुरूष तथा 84 महिलाऐं है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 82.59 प्रतिशत के साथ कुल 920 व्यक्तियों के रूप में जिसमें 498 पुरूष तथा 422 महिलाऐं है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

मानोली गाँव की कुल जनसंख्या में 582 व्यक्ति (52.24 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है जिसमें 296 पुरूष कर्मी तथा 286 महिला कर्मी है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 96.22 प्रतिशत जनसंख्या दीर्घकालिक आर्थिक कार्यो में संलग्न है जो वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त करते है जबकि 3.78 प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालिक गतिविधियों में संलग्न है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम समय तक रोजगार मिलता है। कुल कार्यशील जनसंख्या में 471 व्यक्ति काश्त कार्यो में संलग्न है तथा 1 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है। इस प्रकार दीर्घकालिक कार्य में 560 एवं अल्पकालिक कार्यों में 22 व्यक्ति संलग्न है।

मलारना डूँगर तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

मलारना डूँगर तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मात्र जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या एवं कार्यशील जनसंख्या को छोडकर अन्य सभी आँकडों में बाढ बरियारा ग्राम मानोली ग्राम से अग्रणी है। तुलनात्मक रूप से विवरण करे तो बाढ बरियारा गाँव की कुल जनसंख्या 586 है जो की मानोली गाँव की कुल जनसंख्या 1114 से 528 कम है।

तालिका–9.6

मलारना डूँगर तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	**कुल जन संख्या**	**शिशु जन संख्या**	**घनत्व**	**लिंगा.**	**शिशु लिं.**	**साक्षरता**	**अ.जा**	**अ.ज. जा.**	**कार्यशील जनसंख्या**
बाढ बरियारा	586	13.31	410	884	950	77.56	39.76	38.57	48.91
मानोली	1114	10.23	228	857	928	63.30	16.16	82.59	52.24

,शिशु जनसंख्या प्रतिशत पर दृष्टि डाले तो बाढ बरियारा गाँव का शिशु जनसंख्या प्रतिशत 13.31 है, जबकि मानोली गाँव का 10.23 प्रतिशत ही है। वहीं जनघनत्व की दृष्टि से बाढ बरियारा गाँव मानोली गाँव से 182 व्यक्ति प्रतिवर्ग

किलोमीटर अधिक है। बाढ बरियारा गाँव का जनघनत्व 410 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है तथा मानोली गाँव का जनघनत्व 228 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की दृष्टि से भी बाढ बरियारा गाँव मानोली गाँव से आगे है। बाढ बरियारा गाँव का लिंगानुपात जहाँ 884 है, वहीं मानोली का लिंगानुपात 857 हैं। शिशु लिंगानुपात और साक्षरता प्रतिशत की दृष्टि से बाढ बरियारा मानोली गाँव से आगे स्थान रखता है। बाढ बरियारा गाँव का साक्षरता प्रतिशत 77.56 है, वहीं मानोली गाँव का साक्षरता प्रतिशत 63.30 है। इसी प्रकार शिशु लिंगानुपात बाढ बरियारा में जहाँ 950 है, वहीं मानोली का शिशु लिंगानुपात 928 है। बाढ बरियारा गाँव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक है। बाढ बरियारा गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 39.76 है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 38.57 है। वही मानोली गाँव में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत 16. 16 ही है तथा अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 82.59 है। कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत बाढ बरियारा गाँव में 48.91 प्रतिशत है, जबकि मानोली में इसका प्रतिशत 52.24 है।

9.7 तहसील–खण्डार

(1) ग्राम–डाबिच

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 47 कि.मी. दूरी पर पूर्व में अवस्थित है तथा खण्डार तहसील मुख्यालय के उत्तर पूर्व में अवस्थित है । डाबिच के उत्तर में पीलेरी व नायपुर, पूर्व में क्यारदा कलाँ, दक्षिण में परसोपुरा, उत्तर पश्चिम में तलावडा स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.006569 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76. 603722 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

डाबिच गाँव में 152 परिवार सहित कुल जनसंख्या 603 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 329 तथा महिला जनसंख्या 274 है। शिशु वर्ग (0–6) कुल जनसंख्या का 16.09 प्रतिशत भाग है जिसकी कुल जनसंख्या 97 है जिसमें पुरूष शिशु 57 तथा महिला शिशु 40 है।

डाबिच गाँव का जनघनत्व 61 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

डाबिच गाँव का कुल लिंगानुपात 833 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। गाँव का कुल शिशु लिंगानुपात 702 है जो भी जिले के शिशु लिंगानुपात 871 तथा राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से कम है।

साक्षरता–

डाबिच गाँव की कुल साक्षरता दर 50.20 प्रतिशत है, जो जिले की कुल साक्षरता 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता 66.11 प्रतिशत से कम है। डाबिच गाँव में पुरूष साक्षरता 70.96 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 26.07 प्रतिशत दर्ज की गई है। स्पष्ट है कि डाबिच गाँव की कुल, पुरूष एवं महिला साक्षरता दर सभी रूप में जिले की कुल, पुरूष व महिला साक्षरता दर के मुकाबले कम है।

SAWAI MADHOPUR DISTRICT

Location of Sample Villages

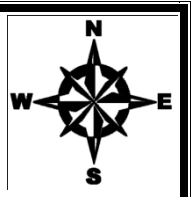

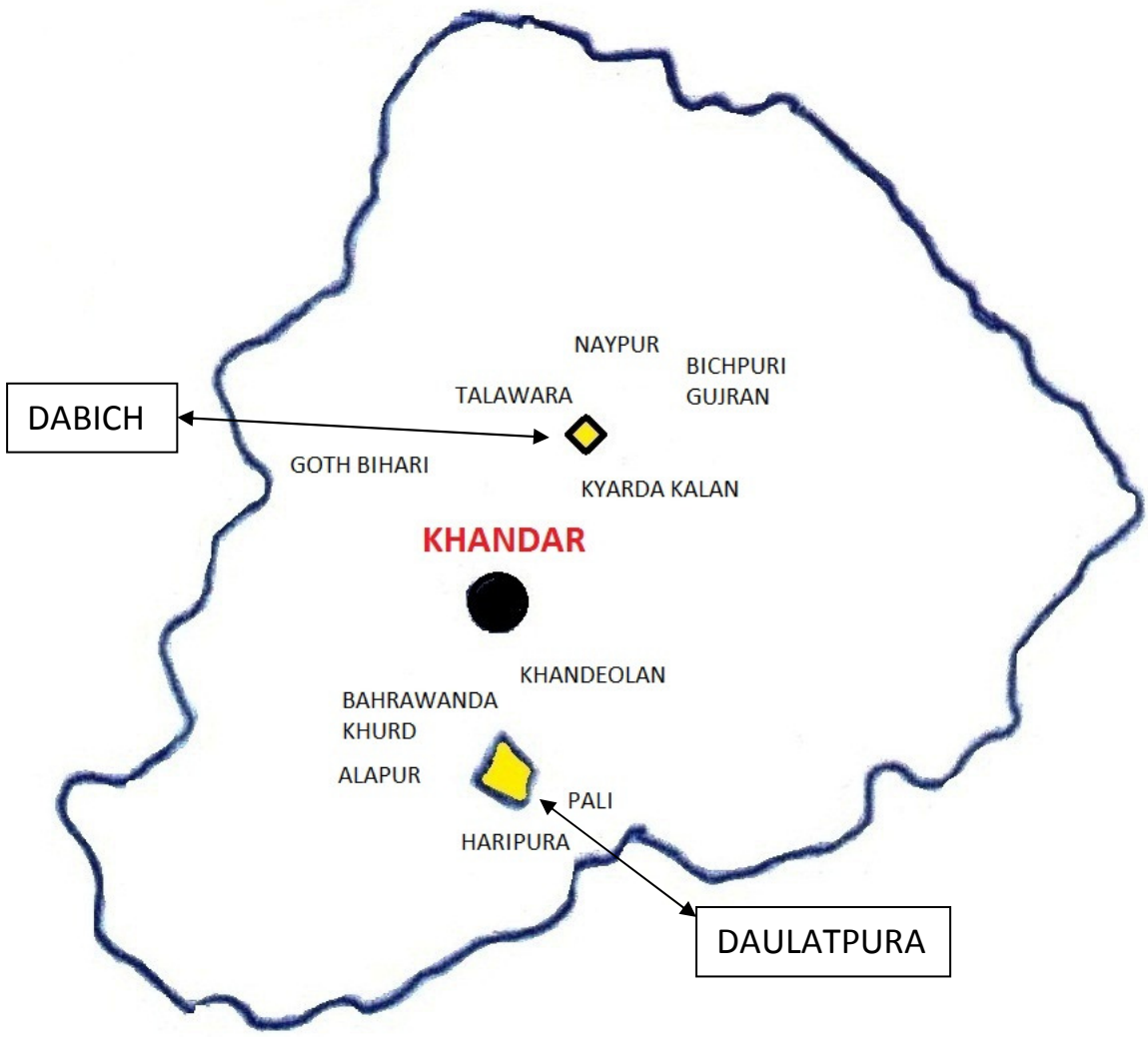

SCALE

KM 2 1 0 2 4 6 8 10 KM

LEGEND	
	SAMPLE VILLAGE
●	TEHSIL HEAD QUARTER

MAP-9.8

जातीय कारक–

जिले की सामान्य जनसंख्या संरचना के विपरित डाबिच गाँव में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या शून्य है। डाबिच की कुल जनसंख्या 603 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से रिक्त है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

डाबिच गाँव की कुल जनसंख्या में 324 व्यक्ति (53.73 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में है जिनमें 171 पुरूष व 153 महिला कर्मी है। दीर्घकालिक कार्मिकों के रूप में कुल कार्यशील जनसंख्या का 96.60 प्रतिशत भाग आता है, जिनकी कुल संख्या 313 है। ये वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त कर लेते है। अल्पकालिक कार्मिकों के रूप में शेष 3.40 प्रतिशत व्यक्ति है जिनकी संख्या 11 है इन्हे वर्ष में 6 माह से कम रोजगार प्राप्त होता है। कुल दीर्घकालिक 324 कार्मिकों में से 284 काश्तगारी तथा 15 काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है।

(2) ग्राम–दौलतपुरा

सामान्य परिचय–

यह गाँव जिला मुख्यालय से लगभग 25 कि.मी. दूरी पर दक्षिण–पश्चिम में अवस्थित है तथा तहसील मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम .में अवस्थित है। दौलतपुरा के उत्तर में बहरावँडा खुर्द, पूर्व में खेडी, दक्षिण में हरिपुरा. पश्चिम में अल्लापुर स्थित है। भौगोलिक रूप से यह 26.006569 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76.603722 डिग्री पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

जनसंख्या एवं घनत्व–

जनगणना 2011 के अनुसार दौलतपुरा गाँव में 1412 परिवारो का निवास है तथा कुल जनसंख्या 1789 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 966 तथा महिला जनसंख्या 813 है। दौलतपुरा में कुल जनसंख्या का 13.64 प्रतिशत भाग शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष) का है जिनकी कुल जनसंख्या 244 है जिसमें पुरूष शिशु जनसंख्या 149 तथा तथा महिला शिशु जनसंख्या 95 है।

दौलतपुरा गाँव का जनघनत्व 251 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

लिंगानुपात–

दौलतपुरा में लिंगानुपात 852 है जो जिले के कुल लिंगानुपात 897 तथा राज्य के कुल लिंगानुपात 928 से कम है। गाँव का कुल शिशु लिंगानुपात 638 है जो जिले के शिशु लिंगानुपात 871 व राज्य के शिशु लिंगानुपात 888 से कम है।

साक्षरता–

दौलतपुरा गाँव की साक्षरता दर 64.66 प्रतिशत है जो जिले की कुल साक्षरता दर 65.39 प्रतिशत तथा राज्य की कुल साक्षरता दर 66.11 प्रतिशत के लगभग समान है। गाँव की पुरूष साक्षरता दर 82.50 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 44.62 प्रतिशत है। गाँव की कुल, पुरूष, महिला साक्षरता दर जिले की तुलना में कम है।

जातीय कारक–

दौलतपुरा गाँव में अधिकांश जनसंख्या अनुसूचित जाति की निवास करती है। अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 21.35 प्रतिशत के साथ 382 है जिसमें पुरूष जनसंख्या 203 तथा महिला जनसंख्या 179 है। इसी के साथ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6.88 प्रतिशत के साथ 123 है, जिसमें पुरूष जनसंख्या 67 तथा महिला जनसंख्या 56 है।

कार्यशील जनसंख्या एवं व्यावसायिक स्थिति–

दौलतपुरा गाँव में कुल जनसंख्या में से 845 व्यक्ति (47.23 प्रतिशत) कार्यशील जनसंख्या के रूप में कार्यरत है। जिनमें 533 पुरूष तथा 312 महिला कर्मी व्यवसाय में संलग्न है। इस कार्यशील जनसंख्या का 95.74 प्रतिशत भाग दीर्घकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से अधिक रोजगार प्राप्त होता है, इनकी कुल जनसंख्या 809 है। इसी प्रकार शेष 4.26 प्रतिशत जनसंख्या अल्पकालिक व्यवसाय में संलग्न है, जिन्हें वर्ष में 6 माह से कम समय के लिए

रोजगार मिलता है, इनकी कुल संख्या 36 है। कुल कार्यशील जनसंख्या 845 में से 659 व्यक्ति काश्तगार तथा 62 व्यक्ति काश्त मजदूर के रूप में कार्यरत है।

खण्डार तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन–

तालिका–9.7

खण्डार तहसील के प्रतिदर्श ग्रामों की तुलना									
ग्राम	**कुल जन संख्या**	**शिशु जन संख्या**	**घनत्व**	**लिंगा.**	**शिशु लिं.**	**साक्षरता**	**अ.जा**	**अ.ज. जा.**	**कार्यशील जनसंख्या**
डाबिच	603	16.09	61	833	702	50.20	–	–	53.73
दौलतपुरा	1412	13.64	251	852	638	64.66	21.35	6.88	47.23

खण्डार तहसील के दोनो ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि दोनो ही ग्राम दौलतपुरा और डाबिच असमान है। डाबिच की कुल जनसंख्या जहाँ मात्र 603 है, वहीं दौलतपुरा की कुल जनसंख्या 1412 है। इसी प्रकार शिशु जनसंख्या का प्रतिशत डाबिच का 16.09 प्रतिशत है, जो दौलतपुरा के शिशु जनसंख्या प्रतिशत 13.64 से अधिक है। जनघनत्व की दृष्टि से दौलतपुरा 251 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है, जो डाबिच से 190 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. अधिक है। डाबिच का जनघनत्व मात्र 61 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. ही है। लिंगानुपात की दृष्टि से दौलतपुरा की स्थिति डाबिच से बेहतर है। दौलतपुरा का लिंगानुपात 852 है जबकि डाबिच का लिंगानुपात 833 ही है। अध्ययन की दृष्टि से दोनो ही ग्रामो का लिंगानुपात चिंतनीय है। शिशु लिंगानुपात की स्थिति तो और भी सोचनीय है। डाबिच का शिशु लिंगानुपात जहाँ केवल 702 है, वही दौलतपुरा का शिशु लिंगानुपात मात्र 638 ही है। साक्षरता का प्रतिशत भी इन ग्रामों में मध्यम ही है। डाबिच में साक्षरता प्रतिशत 50.20 है तथा दौलतपुरा में साक्षरता का प्रतिशत 64.66 है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के निवास की दृष्टि से डाबिच ग्राम

इन दोनो जातियों से रहित है जबकि दौलतपुरा में भी इनका निवास कम ही है अनुसूचित जाति दौलतपुरा में 21.35 प्रतिशत है तथा अनुसूचित जनजाति मात्र 6.88 प्रतिशत ही निवास करती है। कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत डाबिच में जहाँ 53. 73 प्रतिशत है, वहीं दौलतपुरा में इनका प्रतिशत 47.23 ही है।

अध्याय–10

मूल्यांकन

10.1 सारांश–

प्राचीन अरावली पर्वत माला से आच्छादित एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की छठा बिखेरता *'बाघो की नगरी* के नाम से विख्यात तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखने वाले सवाई माधोपुर जिले का उद्‌भव विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य में अवस्थित रणथम्भौर किले से प्रारम्भ होता है। इतिहास के अनुसार आठवी शताब्दी में निर्मित रणथम्भौर किले ने कई युद्ध झेले है। कई संघर्षों का गवाह यह रणथम्भौर किला कई शासको के हाथो से गुजरता हुआ 18 वीं शताब्दी में मुगलों के कब्जे में रहा। 18 वीं शताब्दी के दौरान मराठा शासक यहाँ अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे जिसकी जाँच करने के लिए जयपुर राज्य के शासक सवाई माधोसिंह ने मुगल सम्राट से रणथम्भौर किला माँगने का असफल प्रयास किया तत्पश्चात् 1763 में शेरपुर गाँव के निकट किलेबन्दी की गई तथा इसे सवाई माधोपुर नाम दिया गया जो कि वर्तमान में सवाई माधोपुर शहर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार 19 जनवरी 1763 को सवाई माधोपुर की स्थापना हुई। जिले का दो बार विभाजन हो चुका है। प्रथम बार 1992 में महुआतहसील को दौसा जिले में शामिल किया गया तथा 1997 में जिले से करौली जिला पृथक अलग हुआ।

राजस्थान के भरतपुर संभाग में स्थित यह जिला भौगोलिक रूप से राज्य के दक्षिण–पूर्वी भाग में 25°45′ से 26°41′ उत्तरी अक्षांश तथा 75°59′ से 77°00 पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है।जिले का अधिकांश भाग समतल मैदानी है तथा समुद्र तल से ऊँचाई 400–600 मीटर है। जिले का कुल क्षेत्रफल 4420.8 वर्ग कि.मी. है। जिले के मध्य दिल्ली–मुम्बई तथा जयपुर–मुम्बई रेलमार्ग है।जिला उत्तर में दौसा, उत्तर–पूर्व में करौली, दक्षिण में कोटा व बूंदी, दक्षिण–पूर्व में चम्बल नदी व मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला, पश्चिम में टोंक तथा

उत्तर–पश्चिम में जयपुर जिले की सीमाओं से घिरा है। जिले की सबसे ऊँची चोटी बामनवास तहसील में है। जिले की उत्तरी–पश्चिमी सीमा पर अरावली की पहाडियाँ फैली है। अपवाह तंत्र के रूप में जिले में चम्बल, बनास, मोरेल, गंभीरी, ढ़ील आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। चम्बल नदी के सहारे कटाव के कारण 'बीहड' देखे जा सकते है। अरावली व विंध्याचल पर्वत श्रेणियों सहित विश्वप्रसिद्ध रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य एवं बाघ परियोजना ने जिले को विशेष महत्व प्रदान किया है। शीत ऋतु में जिले का तापमान 3.6 डिग्री से0 तक गिर जाता है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में पारा 46 डिग्री से0 तक चढ़ जाता है। वर्षा का औसत जिले में 90 सेमी. रहता है तथा सर्दियों में 'मावठ' के रूप में वर्षा प्राप्त होती है जो रबी की फसल हेतु अत्यंत लाभदायक होती है। जिले में पुरानी जलोढ़ मृदा पायी जाती है। जिले का 16.66 प्रतिशत भाग वनाच्छादित है तथा जैविक सम्पदा से समृद्ध है। जिला औद्योगिक व रोजगार की दृष्टि से पिछडा हुआ हैं। जिले में चावल, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, जौ आदि अनाजो के साथ दाले, तिलहन तथा फल व सब्जियो का उत्पादन किया जाता है।

प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यालय सवाई माधोपुर नगर को बनाया गया है। जिले का दूसरा शहरी क्षेत्र गंगापुर सिटी है। 2011 के अनुसार जिले में 4 उपखण्ड, 7 तहसीले, 5 पंचायत समितियाँ, 2 नगरीय स्थानीय निकाय, 197 ग्राम पंचायत, 2 नगर परिषद्, 814 (प्रॉविजनल) राजस्व गाँव अवस्थित है।

जिले की कुल जनसंख्या 1335551 है, जिसमे ग्रामीण जनसंख्या 1069084 तथा नगरीय जनसंख्या 266467 है। जिले की कुल जनसंख्या में पुरूष संख्या 704031 तथा स्त्री संख्या 631520 है। जिले का जनसंख्या घनत्व 297 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. तथा लिंगानुपात 897 है। साक्षरता की दृष्टि से जिले में साक्षरता 65.4 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता 81.51 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 47.51 प्रतिशत है। जिले की जनसंख्या 1961 में मात्र 943574 थी जो बढकर 2011 में 13.35 लाख को भी पार कर गई है। यहाँ यह वृद्धि वास्तव में ओर भी अधिक हुई है परन्तु 1992 व 1997 में जिले के विभाजन के पश्चात् शेष बची जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि कम प्रतीत होती है। यदि

अविभाजित सवाई माधोपुर जिले की कल्पना की जाए तो यह वृद्धि तीन गुना प्रदर्शित होगी। संक्षेप में जिले में तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। परन्तु 2011 की वृद्धि दर पिछले दशको की अपेक्षा कम रही है जो कि एक शुभ संकेत है। जिले की जनसंख्या वृद्धि के साथ ही जनघनत्व में भी वृद्धि हुई है। 1961 में जहाँ जिले का जनघनत्व 89 व्यक्ति प्रति वर्ग कि. मी. था। वहीं 2011 में 297 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. हो गया अर्थात् जनघनत्व तीन गुना से भी अधिक हो गया।

जिले का लिंगानुपात घटता–बढ़ता रहा है, परन्तु तुलनात्मक रूप से घटा है। 1961 में लिंगानुपात 884 की तुलना में 2011 में जिले का लिंगानुपात 867 रह गया है, जो 17 महिलाओं की कमी प्रदर्शित करता है। जिले का शिशु लिंगानपुात भी पिछले दशक की तुलना में घटा है 2001 में शिशु लिंगानपुात 901 था जो 2011 में घटकर यह 871 रह गया है। जिले की साक्षरता में लगातार सुधार आया है। 1961 में जहाँ साक्षरता मात्र 12.68 प्रतिशत थी। वह बढ़कर 2011 में 65.4 प्रतिशत हो गई है। अतः जिले में साक्षरता दर बढ़ी है।

जिले की ग्रामीण व नगरीय वितरण में भी समयानुसार अन्तर देखने को मिलता है। जहाँ 1961 में जिले की ग्रामीण जनसंख्या 89.81 प्रतिशत थी। वह घटकर 2011 में 80.05 प्रतिशत रह गई तथा 1961 में जहाँ नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 10.19 था। वह बढ़कर 2011 में 19.95 प्रतिशत हो गया है अर्थात् जिले में नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है, जिसका एक प्रमुख कारण जनसंख्या का गाँवो से नगरो की ओर पलायन हैं। जिले की 43 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या के रूप में है, जिसमें 15.36 प्रतिशत भाग कृषि क्षेत्र का है। शेष कार्यशील जनसंख्या अन्य गैर कृषि कार्यों में संलग्न है।

अतः संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि जिले की जनसंख्या लगातार तीव्र वृद्धि दर से बढ़ रही है। यद्यपि 2011 में यह वृद्धि दर पिछले दशको से कुछ कम रही है। जिले का लिंगानुपात पूर्व दशको की अपेक्षा घटा है। साक्षरता व शिक्षा में वृद्धि हुई है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात बढ़ा है जबकि ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कम हुआ है अर्थात् ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रो की ओर

प्रवसन हुआ है। जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। यद्यपि कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है परन्तु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में यह अपर्याप्त है। बढ़ती जनसंख्या ने जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं को जन्म दिया है। जिले में विभिन्न सुविधाओं की वृद्धि तो हुई है परन्तु बढ़ती जनसंख्या ने इसे कम साबित कर दिया है। जिले का विकास तभी संभव है, जब अन्य विकास कार्यो की तीव्रता से क्रियान्विति के साथ सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण होना आवश्यक है।

तालिका–10.1

सवाई माधोपुर जिला–जनगणना 2011 (महत्वपूर्ण तथ्य)		
1	**कुल जनसंख्या–**	1335551
	(अ) पुरूष जनसंख्या–	704031
	(ब) महिला जनसंख्या –	631520
	(स) अनुसूचित जाति जनसंख्या–	278989
	(द) अनुसूचित जनजाति जनसंख्या–	44770
2	**जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011 के मध्य)**	
	(अ)दशकीय–	19.56 प्रतिशत
	(ब) वार्षिक–	1.96प्रतिशत
3	**जन्मदर व मृत्युदर–**	
	(अ) जन्मदर–	27.1 प्रतिशत
	(ब) मृत्युदर–	7.2 प्रतिशत
4	**जनघनत्व** (व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)–	297
5	**लिंगानुपात** (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)–	897
	(अ) ग्रामीण लिंगानुपात–	894
	(ब) शहरी लिंगानुपात–	911
	(स)कुल शिशु लिंगानुपात–	871
	(द)ग्रामीण शिशु लिंगानुपात–	871
	(य) नगरीय शिशु लिंगानुपात–	868
6	**साक्षरता–**	
	(अ) कुल साक्षरता–	65.4 प्रतिशत
	(ब) पुरूष साक्षरता–	81.5 प्रतिशत
	(स) महिला साक्षरता–	47.5 प्रतिशत
	(द) साक्षरों की कुल संख्या–	741748
	(य) साक्षर पुरूषों की कुल संख्या–	486184
	(र)साक्षर महिलाओं की कुल संख्या–	255564

7	**ग्रामीण–शहरी जनसंख्या–**	
	(अ) ग्रामीण जनसंख्या	1069084
	(ब) शहरी जनसंख्या–	266467
8	**तहसीलानुसार जनसंख्या–**	
	(अ) सर्वाधिक जनसंख्या वाली तहसील–	गंगापुर
	(ब) न्यूनतम जनसंख्या वाली तहसील–	चौथ का बरवाड़ा
9	**.तहसीलानुसार वृद्धि दर (2001–2011 के मध्य)–**	
	(अ) सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाली तहसील–	खण्डार
	(ब) न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाली तहसील–	बामनवास
10	**तहसीलानुसार जनसंख्या घनत्व**	
	(अ) सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाली तहसील–	गंगापुर सिटी
	(ब) न्यूनतम जनसंख्या घनत्ववाली तहसील–	खण्डार
11	**तहसीलानुसार लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या)–**	
	(अ) सर्वाधिक लिंगानुपात वाली तहसील–	चौथ का बरवाड़ा
	(ब) न्यूनतम लिंगानुपात वाली तहसील–	बामनवास
12	**तहसीलानुसार साक्षरता**	
	(अ) सर्वाधिक साक्षरता वाली तहसील–	गंगापुर सिटी
	(ब) न्यूनतम साक्षरता वाली तहसील–	खण्डार
	(स) सर्वाधिक पुरूष साक्षरता वाली तहसील–	गंगापुर सिटी
	(द) न्यूनतम पुरूष साक्षरता वाली तहसील–	खण्डार
	(य) सर्वाधिक महिला साक्षरता वाली तहसील–	गंगापुर सिटी
	(र) न्यूनतम महिला साक्षरता वाली तहसील–	बौंली
13	**तहसीलानुसार ग्रामीण–शहरी जनसंख्या–**	
	(अ) सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील–	गंगापुर
	(ब) न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील–	चौथ का बरवाड़ा
	(स) सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली तहसील–	गंगापुर
	(द) न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाली तहसील–	बौंली
	कुल कार्मिक जनसंख्या–	43 प्रतिशत

10.2 जिले में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएँ–

विश्व स्तर पर आज जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं से निपटने का प्रयास किया जा रहा है। भारत जैसे विकासशील और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश में ओर भी कठिन है। देश सहित अधिकांश राज्य और जिले जनसंख्या वृद्धि प्रदत्त समस्याओं से जूझ रहे है। सवाई माधोपुर जिला भी इस देशव्यापी विकट समस्या तथा इसके फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन से प्रभावित

है। जिले में बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामस्वरूप निम्न समस्याऐं उत्पन्न हुई है, जिससे जिले की जनसंख्या प्रभावित हो रही है––

1.जनसंख्या वृद्धि का जिले के पर्यावरण पर प्रभाव–

जिले की बढ़ती जनसंख्या ने अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु प्राकृतिक पर्यावरण का दोहन किया है। वनो की अंधाधुन्ध कटाई हुई है तथा तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण ही प्राकृतिक संसाधनो का अनियन्त्रित उपभोग हुआ है। जिले में उद्योग, यातायात, आवास, ईंधन, फर्नीचर, कच्चा माल आदि की व्यवस्था हेतु वनों एवं वस्पतियों का दोहन किया जा रहा है, जिससे प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पर्यावरण प्रदूषण से जिले की वायु, मृदा व जल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है।

जिले में विकास के साथ ही पर्यावरणीय परिवर्तन से जिले के तापमान में भी वृद्धि हुई है तथा ऋतु चक्र में परिवर्तन हुआ है। जिले की वर्षा में भी अतिवृष्टि व अकाल या अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण वन व कृषि क्षेत्रों में आवास, सड़क तथा मानव निर्मित विभिन्न भूदृश्य स्थापित हो गए है जिससे भू–संरक्षण की समस्या भी अनेक स्थानो पर उत्पन्न हो गई है।

2.धरती, जैव सम्पदा एवं मानव पर प्रभाव–

जिले की बढ़ती जनसंख्या ने तेजी से जैव सम्पदा एवं प्राकृतिक संसाधनो का उपयोग व उपभोग किया है। वन्य जीवो के निवास स्थलों अर्थात् वनो को काटकर वहाँ आवास, कृषि क्षेत्र विकसित कर लिए है। जिससे जिले के वन्य जीवो में कमी आयी है तथा शेष रहे वन्य जीव अपने आवास स्थल नष्ट हो जाने की वजह से कृषि क्षेत्रो तथा मानव बस्ती की ओर जाने लगे है। जिससे जान व माल दोनो की क्षति जिले में कई बार हो चुकी है। घटते वनो से राजस्थान कर 'चेरापूँजी' कहलाने वाले सवाई माधोपुर जिले में वर्षा का औसत भी कम हो गया है जिससे जिले का कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है तथा

भूमिगत जलस्तर गिर गया है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने एवं जैव सम्पदा के घटने से जिले का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है।

3.बेरोजगारी–

सवाई माधोपुर जिला पहले से ही औद्योगिक एवं रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। वहीं बढ़ती जनसंख्या बेरोजगारी की समस्या को ओर अधिक बढ़ा रही है। बेरोजगार वर्ग में अनपढ़ एवं पढ़े लिखे दोनो ही वर्ग शामिल है। जिले में पढ़े लिखे लोगो केलिए भी रोजगार के विकल्प अत्यंत सीमित है। बडी संख्या में उच्च शिक्षित युवा वर्ग भी निजी शैक्षणिक संस्थाओ आदि में मौसमी बेरोजगारी झेल रहे है तथा अल्प वेतन पर ही मजबूरीवश कार्य कर रहे है। अनपढ़ मजदूर वर्ग को भी प्रतिदिन मजदूरी नही मिल पाती तथा निराश होकर घर लौटना पड़ता है। जिला मुख्यालय पर ऐसे दुःखद् दृश्य देखे जा सकते है। इसी प्रकार कृषि कार्यो में संलग्न जनसंख्या में भी छुपी हुई बेरोजगारी जिसे 'प्रच्छन्न बेरेजगारी' कहा जाता है, पायी जाती है। जिसके अर्न्तगत कार्याभाव के कारण आवश्यकता से अधिक जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है जिससे कृषि क्षेत्र पर अधिक भार पड़ता है। सारांश रूप से जिले में प्रच्छन्न बेराजगारी, सामान्य बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी तथा शिक्षित बेरोजगारी आदि का एक सर्वाधिक प्रमुख कारण बढ़ती जनसंख्या भी है।

4.निर्धनता–

जिले में बढ़ी हुई जनसंख्या से परिवार का आकार भी बढ़ता है। जिससे परिवार का मुखिया परिवार की न्यूनतम व मूलभूत आवश्यकताऐं भी पूरी करने में असमर्थ रहता है, जिससे परिवार गरीबी की श्रेणी में खड़ा हो जाता है तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़ जाता है। लगातार बढ़ती जिले की जनसंख्या से निर्धन व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है जिसे सरकार द्वारा बी.पी.एल. श्रेणी के माध्यम से चयनित किया है। नगरो में कच्ची बस्ती व गंदी बस्ती में ऐसे निर्धन परिवार देखे जा सकते है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन खेतीहर मजदूर भी निर्धनता की श्रेणी में आते है।

5.खाद्य समस्या–

यह समस्या जिले के निर्धन वर्ग में जटिल रूप से पायी जाती है। धनाभाव के कारण बड़े परिवार सभी सदस्यो के लिए खाद्यान्न भी मुश्किल से जुटा पाते है। गरीब व भूमिहीन मजदूरो को कई बार खाद्य पदार्थो के एकत्रण हेतु कर्ज भी लेना पडता है। यदि परिवार की जनसंख्या अधिक हो तो यह समस्या ओर भी अधिक जटिल हो जाती है। जिले में बढ़ती जनसंख्या को सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने हेतु आयात भी करना पड़ता है।

6.आवास समस्या

जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ने जिले में आवास की समस्या भी उत्पन्न कर दी है। जिले की जनसंख्या को आवास हेतु कृषि भूमि व वनों को आवास क्षेत्र में परिवर्तित करना पड़ रहा है। जिले में लटिया नाला जो वर्षाकाल में शहर का पानी बहाकर दूर ले जाया करता है। उस नाले में भी अतिक्रमण कर लोगो ने आवास बना लिए है, जो जोखिम को आमंत्रण देना है। 2013 की वर्षा में इस क्षेत्र में बने चार दर्जन से भी अधिक मकान वर्षा जल में डूब गए थे तथा घरो के सामान पानी में बह गए थे। लगातार बढ़ती जनसंख्या से सरकार सभी को आवास सुविधा कराने के प्रयत्न कम पड़ जाते है तथा योजनाएँ सफल नही हो पाती। विभिन्न योजनाऐं जैसे इन्दिरा आवास योजना, गरीब व कच्ची बस्ती को आवास उपलब्ध करवाने जैसी योजनाऐं बढ़ते जनसंख्या के दबाब से सार्थक नही हो पाती जिससे जनसंख्या कच्ची झोपड़ियों, टूटे–फूटे घरो, रेलवे स्टेशनो के किनारो तथा फुटपाथो पर रहने को विवश होती है अतः बढ़ती जनसंख्या ने जिले में आवास की समस्या उत्पन्न कर दी है।

7.शिक्षा में अवरोध–

जिले में बढ़ती जनसंख्या ने शिक्षा प्राप्ति में भी अवरोध उत्पन्न कर दिया है। बढ़ती जनसंख्या ने गरीब तबके को सर्वाधिक प्रभावित किया है। जिले के सरकारी तकनीकी व गैर तकनीकी संस्थानो की सीटें जल्द भर जाती है जिससे जिले के सभी छात्र इच्छित कोर्स, डिग्री अथवा इच्छित क्षेत्र में अध्ययन नही कर पाते तथा निजी क्षेत्रो में धनाभाव के कारण सभी प्रवेश नही ले पाते। सरकारी

संस्थानो में भी अधिक भीड़ के कारण अध्ययन सुस्पष्ट व सुगम नही हो पाता । यदि परिवार में छात्र संख्या अधिक है तो माता–पिता बच्चो को अच्छी व इच्छित शिक्षा नही दे पाते संक्षेप में जनसंख्या की अधिकता शिक्षा प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है।

8.परिवहन पर बढता भार–

जिले की बढती जनसंख्या ने परिवहन सुविधा को भी अत्यधिक प्रभावित किया है। बढ़ती जनसंख्या भार से चरमराती परिवहन अव्यवस्था जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, आदि पर देखी जा सकती है। पहले तो टिकिट के लिए पंक्तिबद्ध होकर मारामारी होती है। उसके पश्चात् परिवहन साधनों में सवार होने के लिए मारामारी, तत्पश्चात् बैठने हेतु सीट के लिए मारामारी सामान्य बात है। इसके लिए कई बार झगड़ा भी होना सामान्य है। जिले के रेलवे स्टेशन पर दिन–रात टिकट हेतु लम्बी पंक्तियाँ देखी जा सकती है। जिले की स्थानीय बसों, जिले के बाहर जाने वाली बसों व अन्य निजी वाहनो में क्षमता से अधिक सवारी देखी जा सकती है।

9.मूलभूत सुविधाओं में कमी–

जनसंख्या के भार से स्वतः ही मूलभूत सुविधाओं में कमी हो जाती है क्योंकि जिले में उपलब्ध बिजली, पानी, आवास जैसी मूलभूत सुविधाऐं पूर्व में ही सीमित है। बढती जनसंख्या की माँग को उसके अनुरूप आपूर्ति नही हो पाती फलस्वरूप जिले में विशेषकर ग्रीष्मकाल में पानी व बिजली की विकट समस्या पैदा हो जाती है। घटते भू–जल स्तर, घटती वर्षा तथा बढ़ते तापमान से ये समस्याऐं ओर विकट हो गई है। गर्मियों में जल, बिजली का उपभोग अधिक होता है अतः जिले की बढ़ती जनसंख्या से मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति में कमी हो गई है।

10.विभिन्न सुविधाओं व सेवाओं में व्यवधान–

जिले में उपलब्ध विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं व सेवाओंमें बढ़ती जनसंख्या के कारण कमी हो जाती है।जिले के बैंकों, डाकघरों, विभिन्न कार्यों हेतु कार्यालयों में लम्बी कतारों

में रहकर लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रदाता व उपभोक्ता दोनों को ही असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार उपभोग की वस्तु सीमित होने पर पक्षपात व झगड़े की संभावना हो जाती है। कई बार समय सीमित होने पर लम्बी कतार के कारण लम्बी प्रतीक्षा के बावजूद सेवा या सुविधा उपलब्ध नही हो पाती तथा बैरंग लौटना पड़ता है। बिजली, पानी, टेलिफोन आदि के बिल जमा कराने जैसे सामान्य कार्य भी जनसंख्या की अधिकता से प्रभावित होते है। जिले की सड़को पर बढ़ता यातायात एवं भीड़ दुर्घटना का कारण बनते है जो भी बढ़ती जनसंख्या का ही परिणाम है।

11.चिकित्सा सेवा में कमी–

जिले की बढ़ती जनसंख्या के कारण चिकित्सा सेवा का लाभ पर्याप्त रूप से तथा सभी को नही मिल पाता है। अधिक भीड़ होने के कारण चिकित्सक रोगी को समय पर आवश्यकतानुसार चिकित्सा नही दे पाते। चिकित्सालयो पर रोगियो का अधिक भार रहने के कारण शैय्याओ की कमी हो जाती है तथा रोगी को नीचे ही कहीं भी लेटकर इलाज करवाना पड़ता है जिससे संक्रमण बढने का खतरा रहता है। रोगियों की संख्या बढ़ने पर निशुल्क मिलने वाली दवाईयाँ भी कम पड़ जाती है, जो गरीब वर्ग के लिए नई समस्या बन जाती है।

12.रोगों में वृद्धि–

जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही जिले में उद्योग, यातायात आदि बढे है तथा वन घटे है जिससे प्रदूषण बढ़ा है। फलस्वरूप जिले में प्रदूषण जनित चर्मरोग, श्वासरोग, एलर्जी, नेत्ररोग, सिरदर्द, मानसिक थकान, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, शारीरिक क्षमता में कमी, दमा, खाँसी, बहरापन आदि रोगो में बढोत्तरी हुई है। नगरीय क्षेत्र अधिक जनसंख्या के दबाब के कारण इन रोगों की चपेट में अधिक है।

13.आत्मविश्वास में कमी–

बढ़ती आबादी के कारण जिले में बेरोजगारी, प्रदूषण, सामाजिक पतन, स्वार्थवादिता आदि विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण पारिवारिक तनाव, गृह कलह तथा प्रतिस्पर्धा के चलते जिले की जनसंख्या में निराशा की प्रवृत्ति बढ़ी है तथा

आत्मविश्वास में कमी आयी है। जिसके कारण तनावग्रस्त होकर लोग विभिन्न मानसिक रोगो का शिकार हो रहे है तथा आत्महत्या तक कर लेते है।

14.कुपोषण–

जिले की कच्ची बस्तियों व बी.पी.एल. के अर्न्तगत जीवनयापन कर रहे गरीब जनसंख्या के शिशु वर्ग कुपोषण से पीड़ित है। इनकी संख्या ग्रामीण व नगरीय दोनों ही परिवेशो में अधिक है।

15.जिले का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन–

यह स्पष्ट है कि स्थानीय जनसंख्या से ही क्षेत्र के विकास को गति मिलती है परन्तु जनसंख्या की अधिकता भार बनकर उस क्षेत्र के विकास को अवरूद्ध भी कर देती है। सवाई माधोपुर जिले में भी जनसंख्या की अधिकता ने विकास के चक्र को मंद कर दिया है। विकास की समस्त योजनाऐं जनाधिक्य के भार से दबकर मंद हो जाती है जिससे जिला आर्थिक रूप से पिछड़ गया है। अतः जनसंख्या नियन्त्रण आवश्यक है।

16.जिले के संसाधनो पर भार–

बढ़ती जनसंख्या ने जिले के प्राकृतिक व मानवीय संसाधनो पर भार बढा दिया है जिससे कई आपराधिक व सामाजिक बुराईयाँ जैसे चोरी, बेईमानी, धोखेबाजी, रिश्वतखोरी, मिलावट, कालाबाजारी, छल–कपट, नकली सामग्री आदि का जन्म हुआ है। इससे जिले में नैतिकता का पतन हुआ है। लोगो में स्वार्थपरता, जातिवाद, उपभोक्तावादी प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि पर जनसंख्या के भरण–पोषण का भार लगातार बढ़ रहा है जिससे शहरी क्षेत्र की उपर्युक्त आपराधिक प्रवृत्तियाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी होने लगी है तथा ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर पलायन करने लगी है।

17.आश्रित वर्ग में वृद्धि–

उच्च जन्म दर व निम्न मृत्यु दर के फलस्वरूप जिले में बच्चो व बुजुर्गो कर जनसंख्या अधिक हो गई है तथा युवा वर्ग का आकार घटा है जिससे बच्चो व बुजुर्गो के पालन का भार युवा वर्ग पर अधिक हो गया है अर्थात् आश्रित जनसंख्या का अनुपात पालक जनसंख्या की क्षमता से अधिक हो गया है।

18.प्रतिव्यक्ति आय में कमी–

जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप जिले में रोजगार के अवसरो में कमी से प्रतिव्यक्ति आय में भी कमी हुई है। साथ ही आश्रित जनसंख्या बढ़ने से भी प्रतिव्यक्ति आय में भी कमी हुई है।

19.पूँजी निर्माण में कमी–

जिले में बढ़ती जनसंख्या को पर्याप्त आपूर्ति के संकट के कारण महँगाई, कालाबाजारी तथा जमाखोरी की प्रवृत्ति बढी है तथा प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि नही हो पा रही है, अतः पूँजी निर्माण की दर कम रहती है।

20.नगरीकरण की समस्या–

जिले की ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती आबादी व बेरोजगारी के कारण नगरो की ओर रोजगार की तलाश में निकल जाते है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन से नगरीय क्षेत्र में जनाधिक्य हो जाता है। फलस्वरूप अतिरिक्त जनसंख्या के कारण नगरो में बिजली, पानी, सफाई, आवास, परिवहन, चिकित्सा आदि मूलभूत आवश्यकताओं की कमी हो जाती है। आवास के अभाव में कच्ची बस्ती व गन्दी बस्तियों का आविर्भाव हो जाता है।

21.पारिवारिक व सामाजिक विघटन–

बढ़ती जनसंख्या ने जिले में पारिवारिक व सामाजिक विघटन को जन्म दिया है। अधिक जनसंख्या के कारण पूरा परिवार एक छत के नीचे नही रह सकता। अतः आवास में कमी के कारण अलग होना पड़ता है। रोजगार की तलाश में परिवार, समाज छोड़कर प्रवास करना पड़ता है। जिससे अपने घर–परिवार से दूर जाना पड़ता है। अतः ऐसे कई कारणो से पारिवारिक व सामाजिक विघटन होता है।

22.अपराधो में वृद्धि–

जिले में बढ़ती आबादी को पर्याप्त रोजगार नही मिल पाता जिसकी वजह से बेरोजगार शिक्षित वर्ग भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो गया है। चोरी, डाका, धोखाधड़ी, लूटमार, गुन्डागर्दी, मिलावट, फिरौती, हफ्तावसूली जैसे

अपराधो ने जन्म लिया है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थोड़े धन के लिए हत्या तक कर देते है।

23.कृषि एवं भू–संसाधन पर बढता भार–

जिले की बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न व अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु कृषि व भूमि पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। अधिक पैदावार लेने के लिए कृषक व सब्जी विक्रेता अधिक रासायनिक पदार्थों, रासायनिक खादों, विभिन्न रसायनों व कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे है, जो मानव स्वास्थ्य एवं भूमि दोनो के लिए ही खतरनाक व हानिकारक है। दूसरी ओर इससे भूमि प्रदूषण भी बढ़ रहा है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिले की बढ़ती जनसंख्या ने जहाँ जिले का विकास अवरूद्ध सा कर दिया है। वहीं दूसरी ओर जिले का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। इसके अतिरिक्त जिले के प्राकृतिक व मानवीय संसाधन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिले का आर्थिक, सामाजिक, सास्ंकृतिक व नैतिक पतन हो रहा है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण आवश्यक है।

10.3 जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण के उपाय–

यद्यपि पिछले दशक की तुलना में 2011 में जिले में जनसंख्या वृद्धि की दर नियन्त्रित हुई है। परन्तु जिले के विकास एवं जनसांख्यिकी संतुलन के लिए जिले की जनसंख्या वृद्धि दर को ओर कम करना आवश्यक है। अतः जिले की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को रोकने के निम्न उपाय सुझाए गए है–

1.शिक्षा का प्रसार–प्रचार–

जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार के आकार को नियन्त्रित करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है। जिस क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार होता है, वहाँ जनसंख्या वृद्वि स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है। शिक्षित मनुष्य अधिक समझदारी व उत्तरदायित्व के साथ स्वयं व परिवार के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण रखता है। साथ ही राष्ट्र हित में भी सोचता है। शिक्षित व्यक्ति स्वतः ही छोटे परिवार व परिवार नियोजन के महत्व को तथा परिवार को सीमित करने की सोचता है। शिक्षा द्वारा औसत परिवार का जीवन स्तर भी ऊँचा होगा। अतः शिक्षा का

प्रचार–प्रसार प्रत्येक व्यक्ति तक होना चाहिए, ताकि जिले की जनसंख्या नियन्त्रण में सहयोग प्राप्त हो।

जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण हेतु बालिकाओं को शिक्षित करना भी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि बालिकाऐं शिक्षित होकर दो परिवारों के उत्थान में योगदान दे सकती है तथा परिवार नियोजन के सम्बन्ध में बेहतर भूमिका निभा सकती है। शिक्षित होकर स्त्रियाँ जब रोजगार की तरफ उन्मुख होगीं तो अपनी जिम्मेदारियों के कारण निश्चित रूप से वे छोटे परिवार को ही महत्व देगीं व दूसरे लोगो को भी छोटे परिवार की महत्ता समझा सकेगी एवं जनसंख्या नियन्त्रण सम्बन्धित सुझाव दे सकेगीं।

2.सामाजिक सोच में बदलाव–

जिले की जनसंख्या में आज भी पुरानी व रूढिवादी सोच घर किये हुए है जिसमें बदलाव होना अत्यन्त आवश्यक है। विकास से सम्बन्धित सभी कार्यो हेतु सरकार पर निर्भर नही रहकर सामान्य जन को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रयास करने होगें तभी बदलाव होगा तथा विकास सम्भव हो पाएगा।

- ग्रामीण क्षेत्रो में आज भी 'एक आँख का क्या भरोसा' जैसे तर्क देकर दो अधिक बच्चे पैदा करने चाहते है। उन्हें एक सन्तान की मृत्यु के पश्चात् वंश समाप्त होने का भय रहता है। जिससे अधिक संतान पैदा करने की प्रवृत्ति बनी हुई है। अतःशिशु मृत्युदर में कमी लानी चाहिए, शिशु मृत्युदर में कमी होने पर यह भय लोगो के मस्तिष्क से निकल जाएगा जिससे वे कम बच्चो की नीति को अपनाएगें। चिकित्सा सेवा, बाल आहार तथा मातृ पोषण में वृद्धि, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, जीवन रक्षा घोल व अन्य कई सरकारी नीतियों द्वारा शिशु मृत्युदर को कम किया जा सकता है।
- जिले के लोगो की आज भी यह सोच है कि बच्चा स्वयं का भाग्य लेकर आता है तथा एक मुँह व दो हाथो के साथ पैदा होता है। ऐसी सोच को शिक्षा व जनचेतना के द्वारा बदलना होगा। संन्तानोत्पत्ति को ईश्वर का

वरदान व भाग्य में होना आदि नही मानकर स्वयं की जिम्मेदारी मानना चाहिए।

- दो बच्चों के बीच कम से कम तीन साल का अन्तर रखना चाहिए। इस दौरान परिवार नियोजन साधनों के उपयोग की आदत डालनी चाहिए।
- जिले के सभी धर्मों व वर्गों के लोगो को आम सहमति बनाकर बहुपत्नी, अधिक बच्चो की प्रवृत्ति, अशिक्षा, बालविवाह, पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता जैसे अंधविश्वास व प्रथाओं को दूर कर जनसंख्या नियन्त्रण के प्रति जनचेतना व जागरूकता लानी होगी।

3.विवाह की आयु में वृद्धि–

विवाह की आयु में वृद्धि करना जनसंख्या वृद्धि को नियन्त्रित करने तथा जिले के विकास के लिए एक ठोस कदम साबित होगा। यह उपाय न केवल जिले के लिए ही नही वरन् राष्ट्रीय स्तर पर भी समान लाभकारी है।

विवाह की न्यूनतम पुरूष व स्त्री की क्रमशः 25 वर्ष व 22 वर्ष कठोरता पूर्वक लागू करनी चाहिए। इसके दो लाभ होगें प्रथम देरी से विवाह होगा तो सन्तानोत्पत्ति भी देरी से होगी व कम होगी तथा द्वितीय लाभ यह होगा कि लड़कियो को शिक्षा हेतु अधिक समय मिल जाएगा जिससे शिक्षित होकर स्वयं, राष्ट्र और समाज के हित व विकास की ओर उनकी सोच बढ़ेगी। वर्तमान में जिले के विशेषकर ग्रामीण व अशिक्षित माता–पिता बेटी के 18 वर्ष होने की प्रतिक्षा करते तथा 18 वर्ष तक ही मजबूरी–वश पढ़ाना चाहते है व 18 वर्ष के बाद विवाह कर देते है। इस प्रकार लड़कियाँ मुश्किल से माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाती है। वहीं पुरूष भी 25 वर्ष तक ही वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी निभाने व शिक्षित हाकर रोजगार प्राप्त करने लायक बन पाता है। यद्यपि सरकार की ओर से विवाह की आयु क्रमशः 21 व 18 वर्ष है किन्तु जिले में धड़ल्ले से बाल विवाह हो रहे हैं। जो विवाह आयु निर्धारण को मजाक ही सिद्ध करते है। अतः इसे कठोरता से लागू किया जाना चाहिए।

4.ग्राम/नगर स्तर पर परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र की स्थापना–

जिले में प्रत्येक ग्राम/ग्राम पंचायत अथवा एक से अधिक ग्राम समूहो में एक केन्द्रीय परामर्श केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। परामर्श केन्द्रो पर शिक्षा प्रोत्साहन, विवाह व परिवार कल्याण हेतु सुझाव दिए जाने चाहिए साथ ही परिवार नियोजन हेतु भी सलाह व साधनो की विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। इन केन्द्रों पर परिवार नियोजन के साधन निशुल्क एवं निजी रूप में प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे केन्द्रो को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक या दो बार ग्राम/नगर में घर–घर जाकर उक्त विषय वर चर्चा एवं सुझाव प्रस्तुत करने चाहिए क्योंकि सभी ग्रामवासी/नगरवासी ऐसे केन्द्रो तक नही पहुँच पाते अथवा पहुँचने में संकोच का अनुभव करते है। ऐसे प्रयास जिले में जनसंख्या वृद्धि के नियन्त्रण में निश्चय ही सहायक सिद्ध होगें।

5.परिवार नियोजन हेतु प्रोत्साहन व जानकारी–

जिले की आबादी में अभी भी परिवार नियोजन एवं इसके साधनो व महत्व की समझ कम है अतः जनसंचार, विज्ञापनो आदि विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से लोगो को परिवार नियोजन के सन्दर्भ में जागरूक करना चाहिए। उन्हें छोटे परिवार के सुख व महत्ता के बारे में बताना चाहिए तथा परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों महिला व पुरूष नसबन्दी, गर्भ निरोधक गोली, कॉपर टी, व अन्य विधियों और साधनों के बारे में समझाना चाहिए तथा इस हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिक बच्चे वाले परिवार तथा दो बच्चे पैदा कर चुके दम्पत्तियों को चयनित कर पहले उनसे सीधा सम्पर्क कर परिवार नियोजन व नसबन्दी हेतु शीघ्र प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि और अधिक बच्चे न हो इससे उस परिवार का जीवन सुधरेगा व जिले की जनसंख्या भी नियन्त्रित होगी।

6.नवीन नियम एवं उनका कठोरता से पालन–

जिले सहित देशभर में जन्म मृत्यु तथा विवाह पंजीयन को अनिवार्य करने के साथ इसे आधार नम्बर के साथ ऑनलाइन करवा देना चाहिए। यदि हो सके तो दो बच्चों के नियम को सभी के लिए अनिवार्य करना चाहिए अथवा दो बच्चो के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विवाह से पूर्व माता–पिता को बच्चों

के बालिग होने एवं पूर्व में अविवाहित होने का प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर देना चाहिए। बिना प्रमाण–पत्र के विवाह होने व विवाह पंजीयन नही करना चाहिए तथा कठोर दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

बच्चों के विद्यालय में दाखिले पर माता–पिता का विवाह पंजीयन तथा दो से अधिक बच्चे नही होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करवाना चाहिए तथा इसे भी ऑनलाइन करवाना चाहिए। दो से अधिक संतानों की सभी सुविधाओं जैसे छात्रवृत्तियाँ, आरक्षण आदि में कमी कर देनी चाहिए।

आधार नम्बर से संतान सम्बन्धी, विवाह सम्बन्धी, जानकारी जोड़ने एवं उन्हे ऑनलाइन करने से व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को कागजो में अदृश्य नही कर पाएगा क्योंकि वर्तमान में सरकारी सेवा तथा चुनाव आदि में दो बच्चों की सीमा में रहना अनिवार्य कर दिया है तब भी लोग अवैध रूप से अपनी तीसरी या अधिक संतान को हेर–फेर कर कागजो में अदृश्य कर देते है। इसके साथ ही सरकारी नीतियों का कठोरता से पालन करना आवश्यक है।

10.4 जिले की जनसंख्या सम्बन्धी अन्य समस्याऐं एवं समाधान–

पूर्व में वर्णित जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं के अतिरिक्त भी जिला कई समस्याओं जैसे आवास, रोजगार, चिकित्सा आदि से जूझ रहा हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जिले में निवास कर रही जनसंख्या को वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं असुविधाओं का सामना कर पड रहा है जो ग्रामीण एवं नगरीय दोनो परिवेश में पैर पसार रही है जो निम्न है–

- जिले की अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है। अतः रोजगार हेतु ग्राम व नगर स्तर पर एनीकट, तालाब, बावड़ी व विभिन्न निर्माण कार्यों में श्रमिकों के रूप में तथा लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए परन्तु मुफ्त में अंशदान का आर्थिक सहयोग नही देना चाहिए।
- जिले के उच्च माध्य. विद्यालयो में उच्च माध्य. कक्षाओं में ऐच्छिक विषय सीमित है तथा राजकीय महाविद्यालयों में कला वर्ग के कुछ ही विषयों में

स्नातकोत्तर हेतु सुविधा उपलब्ध है जबकि विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में स्नातकोत्तर कोर्स हेतु सुविधा उपलब्ध ही नही है। जिसके कारण जिले के विद्याार्थियो को बाहर जाना पड़ता है व अधिक खर्चा वहन करना पड़ता है अतः जिले में सभी विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स प्रारम्भ किए जाने चाहिए।

- तकनीकी कोर्स जैसे पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग के भी केवल एक–एक ही महाविद्यालय है। जिससे शेष अधिकांश छात्र तकनीकी शिक्षा हेतु बाहर जाते है अतः तकनीकी शिक्षा हेतु जिले में पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना में की जा सकती है। जिससे छात्र जिले के बाहर नही जाएगें तथा जिले का विकास होगा।
- जिले के पुराने सवाई माधोपुर शहर, रणथम्भौर राष्ट्रीय अभयारण्य तथा मानटाउन को जोड़ने हेतु एक ही रेलवे ब्रिज है जो छोटा पड़ने लगा है तथा इस पर दुर्घटनाऐं एवं जाम लगना आम बात है। आपातकाल के दौरान आपातकालीन रोगी वाहन को भी चिकित्सालय हेतु इसी पुल को पार करके जाना होता है, जिससे रोगी वाहन भी जाम में फँस जाता है। अतः जिले में ऐसे सार्वजनिक निर्माणों एवं जनसुविधा क्षेत्रों में विकास का होना अति आवश्यक है।
- जिला मुख्यालय पर अतिक्रमण अपने चरम पर है। जिले के बाजारों व आवासीय कॉलोनियो में अतिक्रमण देखे जा सकते है। जिससे जिले की जनसंख्या का बाजार में वाहन आदि को पार करवाना भारी पड़ता है। जिले के बाजार की सड़क के दोनों ओर ठेले व केबिन कतार बद्ध रूप से लगी रहती है तथा स्थायी पक्की दुकान वाले भी अपनी सामग्री को सड़क के किनारे तक लगा देते है। जिससे लोगो को पैदल व वाहन सहित चलने में परेशानी होती है। यद्यपि जिला प्रशासन द्वारा कई बार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाई की जा चुकी है, परन्तु वापस अतिक्रमण हो जाता है।

इसके लिए जिला प्रशासन को इन अतिक्रमणकारियों हेतु नया स्थान सुझाना चाहिए ताकि इनका व्यवसाय भी प्रभावित नही हो तथा बाजार की सड़कें भी खुल सके और स्थायी दुकान वालो पर पुनः अतिक्रमण करने पर जुर्माना लगाना चाहिए। केवल कठोरता से अतिक्रमणकारियो को खदेड़ने से तो केबिन, थड़ी व ठेले वाले विक्रेता बेरोजगार हो जाएगे तथा नवीन समस्या उत्पन्न हो जाएगी अतः कठोरता से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के साथ इन्हें नए स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। जिले के बाजारों में ऐसे कई स्थान है जहाँ रिक्त स्थान भी है तथा अच्छा बाजार भी विकसित किया जा सकता है। अतः इस सन्दर्भ में भी नियोजन आवश्यक है।

- जिले में कम लिंगानुपात भी एक प्रमुख समस्या है जो भविष्य में विकराल एवं विकट समस्या का रूप ले सकती है अतः शिक्षा एवं जन–जागरूकता के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार आवश्यक है। इसके लिए लिंग–परीक्षण सख्ती से बन्द होना चाहिए।
- जिले में पारिवारिक तथा ग्रामीण स्तर पर कई प्रकार के विवाद लड़ाई–झगड़े होते रहते है। नगरों में भी पड़ौसी व कॉलोनी के लोग आपस में लड़ते रहते है जिसका प्रमुख मुद्दा होता है, पेयजल, गंदगी व नालियों से जल निकासी जो ग्रामीण स्तर पर भी आम बात है अतः सर्वप्रथम तो सम्बन्धित विभाग द्वारा यह सुविधाऐं प्रदान की जानी चाहिए तथा लोगो में शिक्षा व भाईचारा स्थापित कर इन मुद्दो को सुलझाना चाहिए।
- जिले की सड़कों व नालियों की स्थिति वर्षो से खराब है। वर्षाकाल में तो सारा पानी सड़को पर एवं कॉलोनियों में भर जाता है। गाँवो में भी कमोबेश यही स्थिति है। जहाँ वर्षाकाल में कीचड़ हो जाता है। खराब सड़को से जहाँ आवागमन बाधित होता है वहीं गन्दगी से विभिन्न

बीमारियाँ पैदा होने का खतरा बना रहता है अतः सड़क व गंदगी सम्बन्धी समस्या का निदान होना आवश्यक है।

- अशिक्षा के कारण आज भी बालिका शिक्षा को अधिक प्रोत्साहन नही मिला है। जिले का अधिकांश भाग ग्रामीण परिवेश के अर्न्तगत होने के कारण बालिका की शिक्षा पर धन खर्च करने की मानसिकता लोगो की आज भी नही है। उसे अब भी पराया धन मानकर भेदभाव की स्थिति प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से लोगो की संकीर्ण विचारधारा तथा मानस में देखी जा सकती है। अतः बालिका शिक्षा को महाविद्यालय स्तर तक निःशुल्क किया जाना चाहिए, क्योंकि लड़को की अपेक्षा लड़कियाँ एक से अधिक पीढ़ी तक शिक्षा पहुँचाने का माध्यम भी है। महिला शिक्षा से पूरा परिवार सवँर जाता है।
- जिले की जनसंख्या को आवास की समस्या भी विकट रूप से है। बेरोजगारी व आर्थिक तंगी के कारण जिले की जनसंख्या स्वयं का आवास बनाने में असमर्थ है। इसी कारण नगरीय क्षेत्रों में कच्ची बस्तियाँ बस गई है। इसके समाधान हेतु जनसंख्या नियन्त्रण के साथ सस्ते आवास व आवास हेतु सस्ते ऋण की सरकार को नीति बनानी चाहिए। ताकि जिले के गरीब तबके एवं कच्ची बस्ती के लोगो को आवास मिल सके।
- जिले के कृषि में संलग्न कृषको हेतु तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी विशेष सहायता व कृषि हेतु आवश्यक जानकारियाँ समय–समय पर देनी चाहिए तथा शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार सुविधा, नल, बिजली, सड़क, पानी शौचालय आदि सुविधाऐं ग्राम स्तर तक घर–घर तक पहुँचनी चाहिए।

यद्यपि पिछले दशक की अपेक्षा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थाओ के प्रयत्नों, शिक्षा, जागरूकता में वृद्धि आदि से 2011 में 2001 की तुलना में कुल जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर तुलनात्मक रूप से कम

दर्ज की गई है तथा राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित कई योजनाऐं व कार्यक्रम जिले में जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु चलाए जा रहे हैं, फिर भी जिले के विकास हेतु उपर्युक्त प्रयत्न पर्याप्त नही है। अतः इन प्रयासों को अधिक तीव्रता से पर्याप्त मात्रा में क्रियान्वित करना आवश्यक है ताकि सवाई माधोपुर जिला भी विकसित जिलों की श्रेणी में अपना स्थान बना सके।

10.5 निष्कर्ष–

प्रस्तुत शोध में सवाई माधोपुर जिले की जनसंख्या के विविध पहलुओं का गहनता से अध्ययन, विश्लेषण व मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है तथा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस कार्य हेतु ग्राम स्तर से लेकर कस्बों व नगरों से सम्बन्धित विभिन्न आवश्यक आँकड़ें प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची, प्रकाशित व अप्रकाशित माध्यमों व विधियों द्वारा संग्रहित कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए है। इस शोध के द्वारा जिले की जनसंख्या संरचना व संघटन, लिंगानुपात, साक्षरता, वृद्धि व घनत्व सहित अनेक पक्षों का समयानुसार व तहसीलानुसार ग्राम स्तर तक अध्ययन किया गया हैं। कुछ चयनित ग्रामो का प्रतिदर्श अध्ययन भी किया गया है। जनसंख्या के उपर्युक्त अध्ययन के साथ जिले की जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं एवं उनका सम्भावित समाधान भी इस शोध के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है। निश्चित ही प्रस्तुत किए गए इस समाधानों के माध्यम से जिले के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा जिले के जनसंख्या नियन्त्रण में तीव्रता आएगी। इस शोध का उद्देश्य तभी सार्थक हो पाएगा। जब सवाई माधोपुर जिले में भी देश व राज्य के साथ ही जनसयंख्या वृद्धि का नियन्त्रण एवं स्थानीय विविध विकास हेतु सरकारी व गैर सरकारी प्रयत्नों के साथ जिले की स्थानीय जनसंख्या भी आम सहमती बनाकर तथा जागरूक होकर जिले के विकास हेतु प्रयत्न करेगी। सभी के प्रयत्नों के फलस्वरूप जिला निश्चित रूप से राज्य के अग्रणी जिलो में शामिल होगा, ऐसा विश्वास है।

BIBLIOGRAPHY

[A] BOOKS ON POPULATION-

1- Ackerman, E.A. (1959): "Geography & Demography" in Houser & Duncan (eds.) The study of Population, Chicago, pp 717-727.

2- Agarwala, S.N. (1967): "population", National Book Trust, India, New Delhi.

3- Agarwala. S.N. (1978): " India's Population. Problem". 2nd Edition, Tata Mc Gaw Hill, New Delhi.

4- Badari, U.S. (1991): "Population growth Rate in India", Source Hopeful Signs Demography, India, Vol. 20. no. 2 pp 209-14.

5- Beaujeu Garnier, j. (1996). "Population Geography", Longman, London.

6- Berry, B.J.L. & Garrison. W.L. (1958): "Alternate Explanation of Rank-size Relationships", Ann. Asso. American Geographers, 48 p 83.

7- Berry, B.J.L. et al (1968): "spatial patterns of population in Indian Cities", Geog. Rev. 58, pp. 363-91.

8- Bhalla L.R. (1985) : " Geography of Rajasthan", Kuldeep Publishing House, Jaipur.

9- Bielenstein, (1947): "The census of China, THe Museum of Far Eastern Antiquities Stockholm:, Bul No. 19, 1947, pp. 126-133.

10- Bose, Ashish & M.K. Premi (eds.) (1992): "Population Transition in South Asia, "B.R. Publishing Corporation.

11- Bose, Ashish & P.B. Desai, (eds), 1989: "Population Planning in India Policy Issues & Research Priorities", B.R. Publishing Corporation.

12- Bose, Ashish (1978): "India's Urbanization",1990-2001 Tata McGraw Hill.

13-Bose, Ashish (1992): "Sustainable Development with Unsustainable Population Growth:. In Vasant Gowarikar (Ed.): "population Growth & Development", Published by Indian Science Congress Association.

14- Brush, J.E. (1968) : "Spatial Patterns of Population in Indian cities", Geog. Rev. 58, pp. 363-391.

15- Brush. J.E. (1968): "Spatial Patterns of Population in Indian Cities", Geog. Rev., 53, p. 389.

16- Casser. R.H. (1978): "Indian Population, Economy & Economy & Society", Macmillan Co. India.

17- Chandna, R.C. (1976): "Population Growth of India", Kalyani Publishers, New Delhi.

19- Chandna, R.C. (1980): "An Introduction to Population Geography", Kalyani Publishers, New Delhi

20- Chandna, R.C.(1987) "A Geography of Population", Kalyani Publishers, New Delhi.

21-Chawla, S.P. (1978): "Coordination between Education & Population Policies", A case Study of India, NCERT.

22- Clarke, J.I. (1965-1970): "Population Geography", Oxford, Pergamum, press, PI.

23- Clarke, J.I. (1986): "Population Geography", Pergamum, Oxford

24- Clarke, John I. (1972): "Population Geography", Oxford 2nd, (1971): "Population Geography & the developing countries". Oxford.

25- Cox, P.R. (1976): "Demography", 5th ed. Vikas Publishing house, New Delhi.

26- Das, N. P & S. Bhavsar (1991): "Population Growth Rate in India: Emerging Trend in Light of 1991 Census Results", Demography India, Vol. 20, 2, p. 227-247.

27- Demko, G.T. (eds.) (1970): "Population Geography", McGraw Hill, New York

28- Durand, J.D. (1960): "The population Statistics of China", A.D. 2-1953. Population Studies. Vol. 48, pt-3, p. 7.

29- Dutt A.K. & S. Devgun (1979): "Religious Pattern of India With a Factorial Regionalization, "Geo, journal 3-2 pp 201-213.

30- Dutta. G.K. & N.D. Bhattacharya (1985): "Profiles of Population ", A select Biography on Population, NATMO Monograph, 4.

31- Garnier, J.B. (1966): "Geography of Population", Longman, London, p. 124.

32- Gopal, G.S. (1984):"Literacy in India, An Interpretative Study", Rural Sociology, vol. 29.

33- Gosal, G.S. (ed.) " Population Geography", A Biannual Journal, Chandigarh.

34- Hatechinson, Sir Joseph (1967): "Population & food supply", Cambridge.

35- Lal, H. (1984): "Bareilly & its Urban Fringe", An Unpublished Ph..D thesis, University of Gorakhpur.

36- Lal, H. (1987): "City & Urban Frings : a case study of Bareilly", Concept, Pub. Co. New Delhi, pp. 51-58.

37- Lal, H. (1989): "Jansankhaya Bhoogol", Vasundhara Prakashan, Gorakhpur.

38- Lal. H. (1981): "Population potential & Spatial Distribution of population in Eastern U.P." N.J.I., 25,26 pp. 112-117.

39- Lee, E.S. (1970): "A Theory of Migration in Population Geography", A Reader, Ed. By Demko. Op. cit., 288-298

40- Mehta. T.S. (1972) : "Population Education", Selected Readings, NCERT.

41- Mishra, V.C. (1967):" Geography of Rajasthan", National Book Trust of India, New Delhi.

42- Morya. S.D.,(2000) "Population Geography", Sharda Pustak Bhawan, Allahabad.

43- Newling, B.E. (1969): "The Spatial Variation of Urban population Densities", Geog. Review, 59, p. 242.

44- Premi, M.K., (1991): "India's Population: Heading towards a Billion, an Analysis of 1991 Census Provisional Results", B.R. Publishing house. Delhi.

45- Rao, B.P. & D.N. Singh (1981): "Occupational Structure of population in Saryupar Plain" (U.P.) U.B.B. Patrika, Vol. 22, 1 p. 52.

46- Singh, S.N., Premi M..K.., P.S. Bhatia & Ashish Bose (eds.),1989 :"Population Transition in India", B.R. Publishing House, New Delhi.

47- Sinha V.P.N. (1979): "Dimensions in Geography", Associated Book Agency, Patna.

48- Sinha, B.C. & Sinha, Pushpa, (1995): "Janankiki ke Siddhant" Mayur Paper Bacs, Noida.

49- Stonitz George. J. (1970): "The Demographic Transition", from High to Low Birth Rates, in Demko, G.J.et. al population Geography: A Reader, p. 71.

50- Sundaran, K.V. (1985): "Population Geography", Heritage Publishers, New Delhi.

51- Taylor, G.R. (1972) "The concept of Optimum Population", in Stanford (ED.) The World's Population: Toronto.

52- Trewarth, G.T. (1969): "A Geography of Population", World Patterns, John Willey & sons, Ins., New York.

53- United Nations (1982): "Population of India", Country Monograph Series No. 10, United Nations, New York.

[B] ASSORTED JOURNALISM-

1-Annual Health Survey Bulletin 2011-2012, Rajasthan-Office of the Registrar General & Census Commissioner, India, Ministry of Home Affairs, Govt. of India

2-Basic Statistics, Rajasthan-2011-Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan, Jaipur.

3-Brief Industrial Profile of Sawai Madhopur District-Ministry of MSME, Govt. of India.

4-District Census Hand Books- Sawai Madhopur, 1951-2001.

5-District Statistical Outline, Sawai Madhopur-2006,2009.

6-Economic Review-2012-13, Department of Planning, Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan, Jaipur.

7-Ground Water Brochure, Sawai Madhopur District-2009, Western Region, Jaipur.

8-Population Facts & Figures, Rajasthan (1961-2001)- Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan, Jaipur.

9-Primary Census Abstract-Sawai Madhopur 2011.

10-Rajasthan District Gazetteers - Sawai Madhopur.

11-Report on Livestock Census-2007, Department of Animal Husbandry, Govt. of Rajasthan.

12-Some Facts About Rajasthan-2013, Department of Planning, Directorate of Economics and Statistical, Rajasthan, Jaipur.

13-Statistical Abstract, Rajasthan-2011, Directorate of Economics and Statistical, Rajasthan, Jaipur.

14-The Demographic & Health Scenario of Rajasthan From An Analytical Perspective-2012- Directorate of Economics and Statistical, Rajasthan,Yojana Bhawan, Jaipur.

[C] WEBSITES-

1-http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/prov_results_paper1_india.html

2-http://www.dataforall.org/dashboard/censusinfoindia_pca/

3-http://www.censusindia.gov.in/2011census/hlo/pca/PCA_Data_Rajasthan%20.html

4-http://www.rajcensus.gov.in/PCA_2011_FINAL_DATA/PCA_chapter_4ii.pdf

5-http://censusindia.gov.in/2011census/censusinfodashboard/stock/profiles/en/IND008_Rajasthan.pdf

6-http://www.censusindia.gov.in/pca/SearchDetails.aspx?Id=71570

7-http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/pov_popu_total_presentation_2011.pdf

8-http://www.rajcensus.gov.in/PCA_2011_FINAL_DATA/PCA_chapter_2.pdf

9-http://www.statistics.rajasthan.gov.in/socio_swaimadhopur.aspx

10-http://www.census2011.co.in/census/district/433-sawai-madhopur.html

11-http://www.cityindia.org/rajasthan/topographic-map-of-sawai-madhopur-city.html-for topography map swm

12-http://www.statistics.rajasthan.gov.in/socio_swaimadhopur.aspx

13-http://statistics.rajasthan.gov.in/default_old.asp

14-http://india.gov.in

15-http://rajasthan.gov.in

16-http://finance.rajasthan.gov.in

17-http://planning.rajasthan.gov.in

18-http://www.censusindia.net

19-http://www.maltihindijournal.info/

20-.http://www.shodh.net/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=1&Itemid=29

21-http://www.gjms.co.in/index.php/sajms

22-http://www.census2011.co.in/district.php

23-http://www.census2011.co.in/data/subdistrict/531-sawai-madhopur-sawai-madhopur-rajasthan.html

24-http://www.districtsawaimadhopur.com/demographics/index.aspx

25-http://www.secc.gov.in/state
26-http://www.secc.gov.in/district
27-http://www.secc.gov.in/selectTehsilAndPanchayat
28-http://des.uk.gov.in/pages/display/103-district-tehsil-block-wise-census-details
29-http://www.rajasthanstat.com/health/16/vitalstatistics/291/birthrate/17791/stats.aspx
30-http://www.educationforallinindia.com/page163.html
31-http://www.rajpanchayat.gov.in/common/sidelinks/panchayat.htm
32-http://censusindia.gov.in/towns/raj_towns.pdf
33-http://www.ranthambhore.com/town/sawai-madhopur-history/
34-http://www.jsk.gov.in/hindi/why_population_matters.asp
35-http://www.jsk.gov.in/hindi/indices/rajasthan/rajasthan_Sawai%20Madhopur.pdf
36-http://statistics.rajasthan.gov.in/Files/Upload/DemographyPublication2012.pdf
37-http://statistics.rajasthan.gov.in/some%20facts%20final/main.htm
38-http://www.scientificworld.in/2015/02/international-year-of-light-in-hindi.html
39-http://www.ijird.com/index.php/ijird/index
40-http://www.scientificworld.in/search/label/Earth
41- http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/15300/7/07_chapter%202.pdf
42-https://data.gov.in/catalog/state-and-district-wise-scheduled-caste-and-schedule-tribe-population-each-caste-and-tribe
43-http://shodhganga.inflibnet.ac.in/simple-search?query=jansankya+bhugol+ka+adhyan&sort_by=0&order=DESC&rpp=10&etal=0&start=170
44-http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2014/2014-world-population-data-sheet/data-sheet.aspx
45--http://www.censusindia.gov.in/2011census/population_enumeration.html
46-http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/houseless.aspx
47-http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/India_at_glance/scst.aspx
48-http://www.census2011.co.in/states.php

49-http://www.census2011.co.in/

50-http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/paper_contentsetc.pdf

51-http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/Final_PPT_2011 chapter7.pdf

52-http://www.prb.org/Publications/Datasheets/2014/2014-world-population-data-sheet/data-sheet.aspx

53-http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1352909193861/8936935-1356011448215/8986901-1380046989056/WDR-2014_Complete_Report.pdf

54-http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/en.pdf

55-http://www.censusindia.gov.in/2011provresults/prov_results_paper1_india.html

PATICIPATION IN SEMINARS/CONFERENCES

1-Actively participated in a National Conference on "Climate change impacts and mitigation strategy for sustainable development (With Special reference to Rajasthan) on 2-3 October, 2010 organized by Seth Nand kishor Patwari Govt. College, Neem Ka Thana , Rajasthan.

2-Actively participated in 39th National Conference on "Natural Resources and regional planning (With Special reference to Rajasthan) on 14-16 October, 2011 held in Department of Geography, Govt. College, Bundi , Rajasthan.

3- Presented Research Paper entitled "Population Dynamics in Sawai Madhopur District (With special reference to Sahunagar Urban Area) and actively participated in an Inter National Conference 41st Annual meet of Rajasthan Geographical Association (Sponsored by ICSSR) on "Modeling monitoring and management of environmental resources: Emerging challenges and futuristic view held in Janardan Rai Nagar Rajasthan Vidyapeeth (Deemed) University ,Udaipur Rajasthan on 1-3 October,2013.

4-Presented Research Paper entitled "Scheduled Tribe And urbanization in Sawai Madhopur District " in Annual Conference and National Seminar on "Resource development and environment-A changing scenario held at Shri Radheshyam R. Moraraka Govt. College, JhunJhunu, Rajasthan on 21-23 October,2012

5--Presented Research Paper entitled "Possibilities of Technical education and Industrial development in Sawai Madhopur District " in Interdisciplinary Seminar held at Govt. College, Bundi , Rajasthan.on 24, January, 2014.

6- Presented Research Paper entitled "Biogeography" in an International Conference on Research and Scientific innovation held at Ahmadabad management Association Ahmadabad ,Gujrat,on 22, December, 2013

RESEARCH PAPER PUBLISHED

1-Paper entitled "Biogeography" has been published in the International Journal of Latest Technology in Engineering Management and Applied Science, Page no. 122-124, vol.-III, Issue I, January, 2014. ISSN : 2278-2540.

2- Paper entitled "A Study of population distribution" has been published in the International Journal of Latest Technology in Engineering Management and Applied Science, Page no. 24-28, vol.-IV, Issue III, March, 2015. ISSN : 2278-2540.

Biogeography

Manoj Kumar Soyal

Research Scholar, Govt. College, Bundi

Abstract: **- Biogeography is the study of the distribution of species and ecosystems in geographic space and through geological time. Organisms and biological communities often vary in a regular fashion along geographic gradients of latitude, elevation, isolation and habitat area. Phytogeography is the branch of biogeography that studies the distribution of plants. Zoogeography is the branch that studies distribution of animals.**

Knowledge of spatial variation in the numbers and types of organisms is as vital to us today as it was to our early human ancestors, as we adapt to heterogeneous but geographically predictable environments. Biogeography is an integrative field of inquiry that unites concepts and information from ecology, evolutionary biology, geology, and physical geography

Keywords— Geography

I. INTRODUCTION

Biogeography is a synthetic science, related to geography, biology, soil science, geology, climatology, ecology and evolution.

Some fundamental concepts in biogeography include:

- evolution – change in genetic composition of a population
- extinction – disappearance of a species
- dispersal – movement of populations away from their point of origin, related to migration
- geodispersal – the erosion of barriers to biotic dispersal and gene flow, that permit range expansion and the merging of previously isolated biotas
- range and distribution
- vicariance – the formation of barriers to biotic dispersal and gene flow, that tend to subdivide species and biotas, leading to speciation and extinction

II. COMPARATIVE BIOGEOGRAPHY

The study of comparative biogeography can follow two main lines of investigation

- Systematic biogeography is the study of biotic area relationships, their distribution, and hierarchical classification;
- Evolutionary biogeography is the proposal of evolutionary mechanisms responsible for organismal distributions. Possible mechanisms include widespread taxa disrupted by continental break-up or individual episodes of long-distance movement.

III. MODERN APPLICATIONS OF BIOGEOGRAPHY

Biogeography now incorporates many different fields including but not limited to physical geography, geology, botany and plant biology, zoology, and general biology. A biogeographer's main focus is on what environmental factors and what the influence of man does to the distribution of the specific species of study. In terms of applications of biogeography as a science today, technological advances have allowed satellite imaging.

IV. PHYTOGEOGRAPHY

Phytogeography is the branch of biogeography that is concerned with the geographic distribution of plant species and their influence on the earth's surface. Phytogeography is concerned with all aspects of plant distribution, from the controls on the distribution of individual species ranges (at both large and small scales, see species distribution) to the factors that govern the composition of entire communities and floras.

Geobotany, by contrast, focuses on the geographic space's influence on plants.

The basic data elements of phytogeography are occurrence records (presence or absence of a species) with operational geographic units such as political units or geographical coordinates. These data are often used to construct phytogeographic provinces (floristic provinces) and elements.

V. ZOOGEOGRAPHY

Zoogeography is the branch of the science of biogeography that is concerned with the geographic distribution (present and past) of animal species.

Biogeography is most keenly observed on the world's islands. These habitats are often much more manageable areas of study because they are more condensed than larger ecosystems on the mainland. Islands are also ideal locations because they allow scientists to look at habitats that new invasive species have only recently colonized and can observe how they disperse throughout the island and change it. They can then apply their understanding to similar but more complex mainland habitats. Islands are very diverse in their biomes, ranging from the tropical to arctic climates. This diversity in habitat allows for a wide range of species study in different parts of the world.

The short-term interactions within a habitat and species of organisms describe the ecological application of

biogeography. Historical biogeography describes the long-term, evolutionary periods of time for broader classifications of organisms.[3] Early scientists, beginning with Carl Linnaeus, contributed theories to the contributions of the development of biogeography as a science. Beginning in the mid-18th century, Europeans explored the world and discovered the biodiversity of life. Linnaeus initiated the ways to classify organisms through his exploration of undiscovered territories.

VI. DIASPORA

A diaspora is a scattered population with a common origin in a smaller geographic area. Diaspora can also refer to the movement of the population from its original homeland. Diaspora has come to refer particularly to historical mass dispersions of an involuntary nature, such as the expulsion of Jews from Judea, the fleeing of Greeks after the fall of Constantinople, the African Trans-Atlantic slave trade, the southern Chinese or Hindus of South Asia during the coolie trade, and the deportation of Palestinians in the 20th century. And the exile and deportation of Circassians.

VII. POPULATION GEOGRAPHY

Population geography is a division of human geography. It is the study of the ways in which spatial variations in the distribution, composition, migration, and growth of populations are related to the nature of places. Population geography involves demography in a geographical perspective. It focuses on the characteristics of population distributions that change in a spatial context. Examples can be shown through population density maps. A few types of maps that show the spatial layout of population are choropleth, isoline, and dot maps. Population geography studies:

- Demographic phenomena (natality, mortality, growth rates, etc.) through both space and time
- Increase or decrease in population numbers
- The movements and mobility of populations
- Occupational Structure
- The way in which places in turn react to population phenomena e.g. immigration

Research topics of other geographic sub-disciplines, such as settlement geography, have also a population-geographic dimension:

- Grouping of people in settlements
- The way from the geographical character of places e.g. settlement patterns

All of the above are looked at over space and time.

Birth rate

Some factors that influence the birth rate are how educated women are, availability of birth control, religious beliefs, economic background of the parents, and infant mortality rate. Studies show that the more education that a women has, the less children they have. Availability of birth control pills and condoms decreases the birth rate, but only if the user knows how to use these methods of birth control properly. Some religions believe in abstinence, places where these religions are prevalent will have lower birthrates. Also, some religions do not believe in abortion, in places where this belief is strong birth rates may be higher because people keep unplanned pregnancies. In certain parts of the world, people have a lot of children for economic reasons. Children can help bring in money for the family. Children, at a young age, will start working on a family farm or in a family business, helping to provide for the family. Parents want to make sure that they have enough children to take care of them in the future. In countries where the infant mortality rate is high, families will have more children, to make sure some of them outlive their parents and are able to provide for their parents in old age.

It the beginning of the population increase, there were many factors that caused it to grow. With the industrial revolution came advances in agriculture and industry that gave way to individual families being able to afford more children. In addition, increases in our knowledge about nutrition and medicine helped us to have more healthy babies. When women take care of their bodies better, they are more fertile and therefore can have more children. With cures for fatal diseases including antibiotics and vaccines, these children are also able to live longer. Finally, there has been an increase in fertility due to a number of factors including a reduction in the average age at which menarche occurs and an increase in the number of menstrual cycles a woman has in her lifetime. Menarche refers to the age at which a girl has her first period and it has "been systematically falling over the past 100 years[and] today is about 13 years or less, on average" (Cartledge 38). This means that a womans time of fertility is increasing to include most of her teen years. In addition, as recently as 200 years ago "women in the Western world averaged only 30 menstrual cycles in a life time. Today for women with two children it is nearer to 450" (Cartledge 38). These figures all give women many more opportunities to conceive children in their lifetime.

REFERENCES

[1] Brown University, "Biogeography." Accessed February 24, 2014.http://biomed.brown.edu/Courses/BIO48/29.Biogeography.HTML.

[2] Dansereau, Pierre. 1957. Biogeography; an ecological perspective. New York: Ronald Press Co.

[3] Cox, C Barry, and Peter Moore. Biogeography : an ecological and evolutionary approach. Malden, MA: Blackwell Publications, 2005.

[4] Humboldt 1805. *Essai sur la geographie des plantes; accompagne d'un tableau physique des régions equinoxiales*. Levrault, Paris.

[5] Watson H.C. 1847–1859. *Cybele Britannica: or British plants and their geographical relations*. Longman, London.

[6] Candolle, Alphonse 1855. *Géographie botanique raisonnée* &c. Masson, Paris.

[7] Wallace A.R. 1876. . *The geographical distribution of animals*. Macmillan, London.

[8] Browne, Janet (1983). *The secular ark: studies in the history of biogeography*. New Haven: Yale University Press. ISBN 0-300-02460-6.

[9] Martiny JBH et al. Microbial biogeography: putting microorganisms on the map*Nature: FEBRUARY 2006 | VOLUME 4*

[10] Quammen, David (1996). *Song of the Dodo: Island Biogeography in an Age of Extinctions*. New York: Scribner. p. 17. ISBN 978-0-684-82712-4.

[11] Cavalcanti, Mauro. (2009). Biogeography and GIS. http://digitaltaxonomy.infobio.net/?Software:Biogeography_and_GIS

[12] Whittaker, R. (1998). *Island Biogeography: Ecology, Evolution, and Conservation*. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-850021-1.

[13] to:[a] [b] MacArthur R.H.; Wilson E.O. 1967. *The theory of island biogeography*. [1]

[14] Nicolson, D.H. (1991). "A History of Botanical Nomenclature". *Annals of the Missouri Botanical Garden* **78** (1): 33–56. doi:10.2307/2399589.

[15] Lyell, Charles. 1830. Principles of geology, being an attempt to explain the former changes of the Earth's surface, by reference to causes now in operation. London: John Murray. Volume 1.

[16] Lomolino, Mark V., and Lawrence R. Heaney. 2004. Frontiers of biogeography: new directions in the geography of nature. Sunderland, Mass: Sinauer Associates

[17] https://en.wikipedia.org/wiki/Population_geography

[18] This applies to British and American academics; landscape ecology has a distinct genesis among European academics.

[19] MacArthur R.H.; Wilson E.O. 1967. The theory of island biogeography.

[20] The New Biogeography and its Niche in Physical Geography. D. WATTS Geography, Vol. 63, No. 4, ANNUAL CONFERENCE 1978 (November 1978), pp. 324-337

[21] Stephen D. Prince and Samuel N. Goward. "Global Primary Production: A Remote Sensing Approach" *Journal of Biogeography*, Vol. 22, No. 4/5, Terrestrial Ecosystem Interactions with Global Change, Volume 2 (Jul. - Sep., 1995), pp. 815-835

[22] "Remote Sensing Data and Information." Remote Sensing Data and Information.http://rsd.gsfc.nasa.gov/rsd/RemoteSensing.html (accessed April 28, 2014).

[23] Jønsson, Knud A. & Fjeldså, Jon (2006). Determining biogeographical patterns of dispersal and diversification in oscine passerine birds in Australia, Southeast Asia and Africa. *Journal of Biogeography* **33**(7): 1155–1165. doi:10.1111/j.1365-2699.2006.01507.x (HTML abstract)

[24] Lovejoy, N. R., S. C. Willis, & J. S. Albert (2010) Molecular signatures of Neogenebiogeographic events in the Amazon fish fauna. Pp. 405-417 in *Amazonia, Landscape and Species Evolution*, 1st edition (Hoorn, C. M. and Wesselingh, F.P., eds.). London: Blackwell Publishing.

[25] https://en.wikipedia.org/wiki/Zoogeography

[26] http://humangeography.wikispaces.com/Population+Geography

[27] https://en.wikipedia.org/wiki/Phytogeography

[28] Lynne R. Parenti, Malte C. Ebach: Comparative Biogeography: Discovering and Classifying Biogeographical Patterns of a Dynamic Earth, Introduction, page 9

A Study of Population Distribution

Manoj Kumar

Research Scholar Kota University

Abstract: Population distribution describes the way that people are spread out across the Earth's surface[1].In this paper my aim is to study about population distribution in aspect of world and India. We also studied about Population density, Urbanization. Population distribution is uneven in the world.

Keywords: Population distribution, Population density, Urbanization, Rural and Urban Development.

I. INTRODUCTION

Population distribution is the arrangement of the population on a certain area in accordance with conditions and requirements of the society[2].

Population geography is a division of human geography. It is the study of the ways in which spatial variations in the distribution, composition, migration, and growth of populations are related to the nature of places. Population geography involves demography in a geographical perspective. It focuses on the characteristics of population distributions that change in a spatial context. Examples can be shown through population density maps. A few types of maps that show the spatial layout of population are choropleth, isoline, and dot maps.[4]

Population distribution is a social phenomenon exist by the combined affection of series of factors. In addition, the factor helps to decide how the population distribute is the level of the labor force, the property of the economy then to the cause of natural conditions, history of the exploitation of that area, the migrations[2].

World population is uneven as some places are considered rural and are sparsely populated, while others are more urban and are densely populated. Population geographers interested in population distribution often study past distributions of people to understand how and why specific areas have grown into large urban centers today.

The world's population is growing very rapidly. In 1820 the world's population reached 1 billion. In 1990 it reached 6 billion people.[5]. The population of the world is now over 7 billion people, the vast majority of whom live in the developing world.

Population growth increased significantly as the Industrial Revolution gathered pace from 1700 onwards. The last 50 years have seen a yet more rapid increase in the rate of population growth due to medical advances and substantial increases in agricultural productivity, particularly beginning in the 1960s, made by the Green Revolution. In 2007 the United Nations Population Division projected that the world's population will likely surpass 10 billion in 2055.

In the future, the world's population is expected to peak, after which it will decline due to economic reasons, health concerns, land exhaustion and environmental hazards. According to one report, it is very likely that the world's population will stop growing before the end of the 21st century. Further, there is some likelihood that population will actually decline before 2100. Population has already declined in the last decade or two in Eastern Europe, the Baltics and in the Commonwealth of Independent States.

According to papers published by the United States Census Bureau,the world population hit 6.5 US billion/6500 million on 24 February 2006. The United Nations Population Fund designated 12 October 1999 as the approximate day on which world population reached 6 US billion/6000 million. This was about 12 years after world population reached 5 US billion/5000 million in 1987, and 6 years after world population reached 5.5 US billion/5500 million in 1993. The population of some[which?] countries, such as Nigeria, is not even known to the nearest million, so there is a considerable margin of error in such estimates.

Population geography studies:

- Demographic phenomena (natality, mortality, growth rates, etc.) through both space and time
- Increase or decrease in population numbers
- The movements and mobility of populations
- Occupational Structure

- The way in which places in turn react to population phenomena e.g. immigration

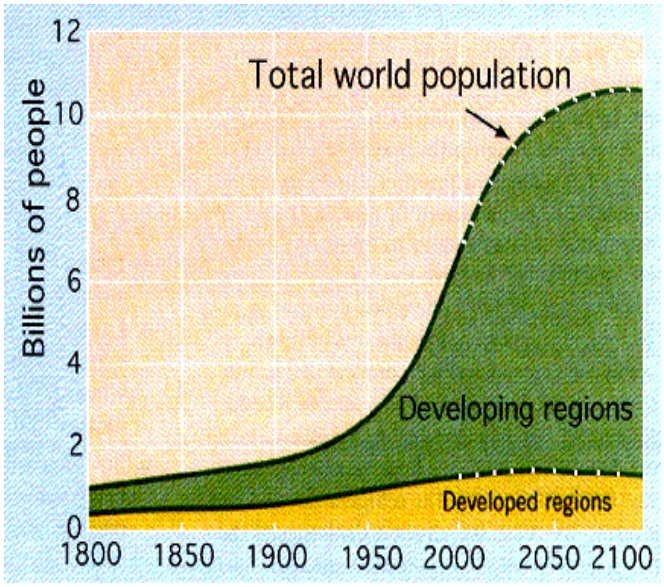

Source: Internet Geography, www.geography.learnontheinternet.co.uk/

Research topics of other geographic sub-disciplines, such as settlement geography, have also a population-geographic dimension:

- Grouping of people in settlements
- The way from the geographical character of places e.g. settlement patterns

Factors that Affects Population Distribution:

1. Economic, Political Factors: Population Distribution is depends upon Economic Factors. population was directed to parts of Siberian plains, which were hitherto not suitable for human habitation. Likewise, in China, planned colonization of the interior, encouraged by the communist government, has resulted in signif-icant change in population patterns[13].

The type of technology employed, social policy, economic activity affect Population Distribution. When the Government of India set i steel plants in the public sector at Durgapur, Rourkela people were attracted to these "steel towns" for employment.[14]

2. Physical Factors: Physical Factors affect Population Distribution indirectly. It include like Water Bodies, Climate, Soils, altitude and latitude, Staszewski, in his exhaustive analysis of the vertical distribution of population, has shown that both numbers and densities in different parts of the world decline with increasing altitude. climate must be something to which people can adapt. Extremely hot or cold places are difficult in which to live as well as places with extreme weather[13].

3. Historical Factors: it affecting Population Distribution in the sense of in earlier year people are forcibly relocated to another location like that .

II. POPULATION DENSITY

Population density is a measurement of population per unit area or unit volume; it is a quantity of type number density. It is frequently applied to living organisms, and particularly to humans. It is a key geographic term.

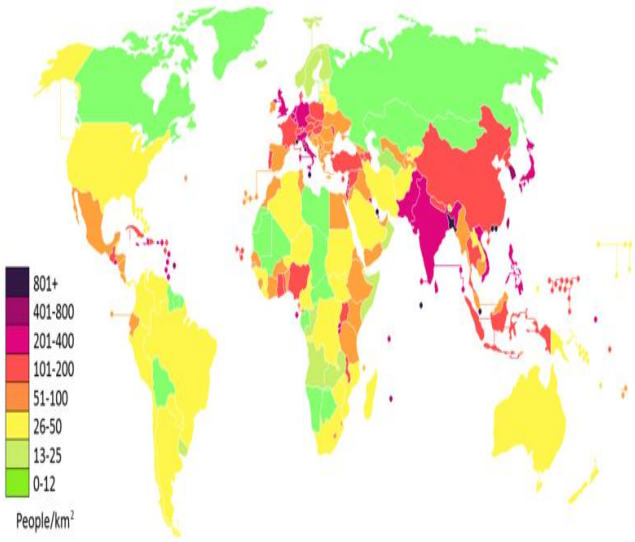

Population density (people per km^2) by country, 2012.
Source: www.en.wikipedia.org/wiki/Population_density[2]

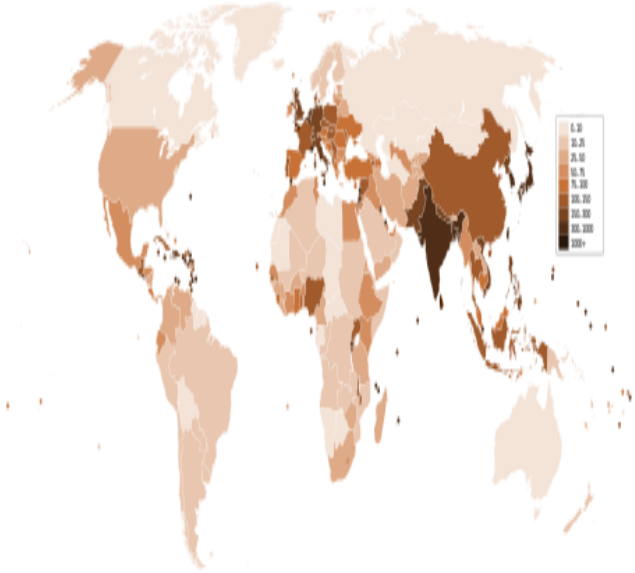

Population density (people per km^2) by country, 2006
Source: www.en.wikipedia.org/wiki/Population_density[2]

In above figures we see population density how it is increased. In upcoming year it is increase fastly because in many countries of world there are no rule in the sense in some countries like china have taken steps to control population.

The world's population is around 7 billion, and Earth's total area (including land and water) is 510 million square kilometers (197 million square miles). Therefore, the worldwide human population density is around 7 billion ÷ 510 million = 13.7 per km2 (35 per sq. mile). If only the Earth's land area of 150 million km2 (58 million sq. miles) is taken into account, then human population density increases to 47 per km2 (120 per sq. mile).

Several of the most densely populated territories in the world are city-states, microstates, and dependencies. These territories have a relatively small area and a high urbanization level, with an economically specialized city population drawing also on rural resources outside the area, illustrating the difference between high population density and overpopulation.

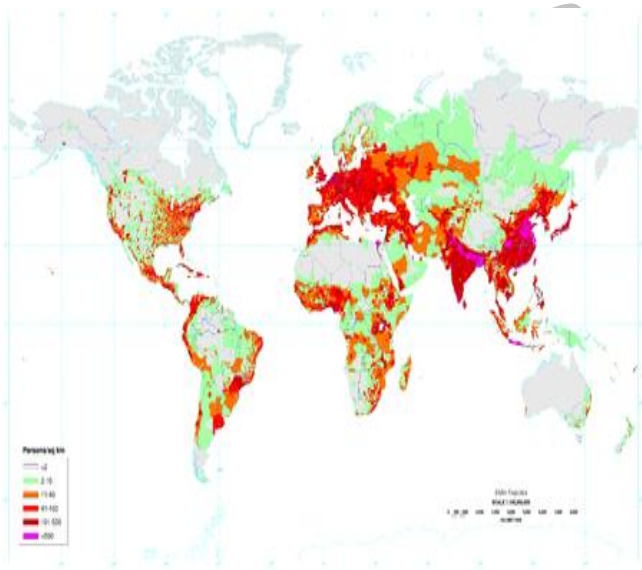

Population Density = Number of People in an Area / Size of Area

III. URBANIZATION

Urbanization is a process of economic and social which has a sign is a rapid increase in number and size of the urban population, the gathering of population in cities, especially large city also the spreading of urban lifestyle[2].
By 2050 it is predicted that 64.1% and 85.9% of the developing and developed world respectively will be urbanized[41].

Urbanization is closely linked to modernization, industrialization, and the sociological process of rationalization[41].

Indeed, today, in Asia the urban agglomerations of Dhaka, Karachi, Mumbai, Delhi, Manila, Seoul and Beijing are each already home to over 20 million people, while the Pearl River Delta, Shanghai-Suzhou and Tokyo are forecast to approach or exceed 40 million people each within the coming decade[41].

Urbanization in India began to accelerate after independence, due to the country's adoption of a mixed economy, which gave rise to the development of the private sector. Urbanisation is taking place at a faster rate in India. Population residing in urban areas in India, according to 1901 census, was 11.4%. This count increased to 28.53% according to 2001 census, and crossing 30% as per 2011 census, standing at 31.16%. According to a survey by UN State of the World Population report in 2007, by 2030, 40.76% of country's population is expected to reside in urban areas. As per World Bank, India, along with China, Indonesia, Nigeria, and the United States, will lead the world's urban population surge by 2050.
Mumbai accommodates 12.5 million people, and is the largest metropolis by population in India, followed by Delhi with 11 million inhabitants. Witnessing the fastest rate of urbanisation in the world, as per 2011 census, Delhi's population rose by 4.1%, Mumbai's by 3.1% and Kolkata's by 2% as per 2011 census compared to 2001 census. Estimated population, at the current rate of growth, by year 2015; Delhi stands at 26 million; Mumbai at 24 million, Kolkata at 16 million, Bangalore at 11 million, Chennai, and Hyderabad at 10 million.
The Industrial Revolution in the 18th century caused countries like United States and England to become superpower nations but the present condition is worsening. India's urban growth rate is 2.07% which seems to be significant compared to Rwanda with 7.6%. India has around 300 million people living in metropolitan areas.

CONCLUSION

In this paper we see about how population is rapidly increasing, population distribution. In upcoming year population distribution will increase rapidly. Countries where large population are there, If they makes law like china then they will control population and population density. Otherwise in future large population countries

will face a many problem related to place, economy etc, due to population. We see in figures how population density is increase mostly in Asia. Population distribution is uneven in the world because of some factors like climate, Soils, altitude and latitude.

REFERENCES

[1]. Alex Jackson "Population Distribution & Density" www.geographyas.info/population/population-distribution-density/
[2]. nguyễn hồ quốc linh "Population Distribution" www.linhgeography.blogspot.in/2010/04/population-distribution.html
[3]. www.diendankienthuc.net/diendan
[4]. www.en.wikipedia.org/wiki/Population_geography
[5]. .www.geography.learnontheinternet.co.uk/topics/popn1.html
[6]. Matt Rosenberg Population Density. Geography.about.com. March 2, 2011. Retrieved on December 10, 2011.
[7]. Minimum viable population size. Eoearth.org (March 6, 2010). Retrieved on December 10, 2011.
[8]. U.S. & World Population Clocks. Census.gov. Retrieved on December 10, 2011.
[9]. World. CIA World Handbook
[10]. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2009). "World Population Prospects, Table A.1" (PDF). 2008 revision. United Nations. Retrieved March 12, 2009.
[11]. The Monaco government uses a smaller surface area figure resulting in a population density of 18,078 per km2
[12]. http://geography.about.com/od/populationgeography/a/populationgeography.htm
[13]. Mitali Verma "Factors that Affects Population Distribution" http://www.yourarticlelibrary.com/population-geography/factors-that-affects-population-distribution/43092
[14]. A AVASARKAR "What are the Factors Affecting Population Distribution?" http://www.preservearticles.com/2011120518156/what-are-the-factors-affecting-population-distribution.html
[15]. Human Population. Global Issues. Retrieved on December 10, 2011.
[16]. .The largest cities in the world by land area, population and density. Citymayors.com. Retrieved on December 10, 2011.
[17]. The Population of Milwaukee County. Wisconline.com. Retrieved on December 10, 2011.
[18]. geography.about.com
[19]. Kamaldeo Narain Singh (1 January 1978). Urban Development In India. Abhinav Publications. ISBN 978-81-7017-080-8. Retrieved 13 June 2012.
[20]. Business Standard (15 June 2012). "Victims of urbanization: India, Indonesia and China". Rediff.com. Retrieved 15 June 2012.
[21]. Datta, Pranati. "Urbanisation in India" (PDF). Infostat.sk. Retrieved 13 June 2012.
[22]. "Urbanization in India faster than rest of the world". Hindustan Times. 27 June 2007. Retrieved 13 June 2012.
[23]. N. M. Khilnani (1993). Socio-Political Dimensions of Modern India. M.D. Publications Pvt. Ltd. pp. 96–. ISBN 978-81-85880-06-8. Retrieved 15 June 2012.
[24]. TR Jain, Mukesh Trehan, Ranju Trehan. Indian Economy and Business Environment (for BBA). FK Publications. pp. 250=. ISBN 978-81-87344-71-1. Retrieved 15 June 2012.
[25]. "Table 3: Urban agglomerations having population 1 Lakh and above" (PDF). Provisional Population Totals. Government of India. Retrieved 2011-10-19.
[26]. Viswambhar Nath; Surinder K. Aggarwal (1 January 2007). Urbanization, Urban Development, and Metropolitan Cities in India. Concept Publishing Company. pp. 3–. ISBN 978-81-8069-412-7. Retrieved 15 June 2012.
[27]. "The Indian Industrial Revolution". Srcindore.org. Retrieved 15 June 2012.
[28]. "Rural-Urban distribution of population" (PDF). Census of India Press Release. Retrieved 19 November 2013.
[29]. "Urbanization" (PDF). Planning Commission (India). Retrieved 15 June 2012.
[30]. The Indian and Pakistan year book. Bennett, Coleman & Co. 1951. Retrieved 15 June 2012.
[31]. Jonathan M. Harris; Tufts University. Global Development and Environment Institute (1 March 2001). A Survey of Sustainable Development: Social And Economic Dimensions. Island Press. pp. 142–. ISBN 978-1-55963-863-0. Retrieved 15 June 2012.
[32]. N. T. K. Naik; S. Mansoor Rahman (1 January 2007). Urbanization of India. Serials Publications. ISBN 978-81-8387-078-8. Retrieved 15 June 2012.
[33]. Amitabh Kundu. Trends and processes of urbanization in india. IIED. p. 1. GGKEY:NNAEQJ0WFTW. Retrieved 13 June 2012.
[34]. Pradhan, Rudra Prakash. "Does infrastructure play role in urbanization: evidence from India". Indian Journal of Economics and Business via HighBeam Research.
[35]. "Role of private sector in India's growth ~ Business News This Week". Businessnewsthisweek.com. 8 February 2009. Retrieved 21 June 2012.
[36]. K. C. Sivaramakrishnan; Biplab Dasgupta; Mahesh N. Buch (1 January 1993). Urbanization in India: Basic Services and People's Participation. Concept Publishing Company. p. 2. ISBN 978-81-7022-480-8. Retrieved 13 June 2012.
[37]. "AUICK Newsletter No.27". Auick.org. Retrieved 21 June 2012.
[38]. Niu, Tong (18 January 2011). "Problems of Urbanisation in India". YouthKiAwaaz. Retrieved 15 June 2012.
[39]. Javir. "Problems of Urbanization in India". Preserve Articles. Retrieved 15 June 2012.
[40]. "Status of Urban Employment in the Country". PIB. 20 February 2014. Retrieved 21 February 2014.
[41]. http://www.sciencedaily.com/terms/urbanization.htm
[42]. Biology Online. Retrieved 5 December 2012.
[43]. "Definition of population (biology)". Oxford Dictionaries. Oxford University Press. Retrieved 5 December 2012. a community of animals, plants, or humans among whose members interbreeding occurs
[44]. Hartl, Daniel (2007). Principles of Population Genetics. Sinauer Associates. p. 45.ISBN 978-0-87893-308-2.
[45]. Hartl, Daniel (2007). Principles of Population Genetics. Sinauer Associates. p. 95.ISBN 978-0-87893-308-2.
[46]. Fisher, R. A. (1999). The Genetical Theory of Natural Selection. Oxford University Press.ISBN 0-19-850440-3.
[47]. Gordon, Ian L. (2000). "Quantitative genetics of allogamous F2 : an origin of randomly fertilized populations". Heredity 85: 43–52. doi:10.1046/j.1365-2540.2000.00716.x.PMID 10971690.
[48]. Gordon, Ian L. (2001). "Quantitative genetics of autogamous F2". Hereditas 134 (3): 255–262. doi:10.1111/j.1601-5223.2001.00255.x. PMID 11833289.
[49]. U.S. Census Bureau – World Pop Clock Projection
[50]. to a World of Seven Billion People UNFPA 12.9.2011
[51]. "Cities in Nigeria: 2005 Population Estimates – MongaBay.com". Retrieved 1 July2008.
[52]. "Country Profile: Nigeria". BBC News. 24 December 2009. Retrieved 1 July 2008.
[53]. Haub, C. 1995/2004. "How Many People Have Ever Lived On Earth?" Population

ISP

Today,http://www.prb.org/Articles/2002/HowManyPeopleHaveEverLivedonEarth.aspx
[54]. As graphically illustrated by population since 10,000BC and population since 1000AD
[55]. "The end of India's green revolution?". BBC News. 29 May 2006. Retrieved29 November 2009.
[56]. Food First/Institute for Food and Development Policy
[57]. "World population will increase by 2.5 US billion/2500 million by 2050; people over 60 to increase by more than 1 US billion/1000 million" (Press release). United Nations Population Division. 13 March 2007. Retrieved 14 March 2007. The world population continues its path towards population ageing and is on track to surpass 9 billion persons by 2050.
[58]. World Population Development Statistics: Forecast, United Nations, 2011.
[59]. "The End of World Population Growth". Retrieved 4 November 2008.
[60]. Ojovan M.I., Loshchinin M.B. Heuristic Paradoxes of S.P. Kapitza Theoretical Demography. European Researcher, 92 (3), 237-248 (2015).http://www.erjournal.ru/journals_n/1427563722.pdf (2015)
[61]. Shackman, Gene, Xun Wang and Ya-Lin Liu. 2011. Brief review of world population trends. Available at http://gsociology.icaap.org/report/demsum.html
[62]. http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/P/Populations.html
[63]. Knudsen, Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press. p. 2. ISBN 9780826515285.
[64]. Knudsen, Lara (2006). Reproductive Rights in a Global Context. Vanderbilt University Press. pp. 4–5. ISBN 9780826515285.

ISP